सप्तम माला, खण्ड 49, अंक 3, बुधवार, 25 जुलाई 1984/3 श्रावण 1906 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(पंद्रहवां सत्र)

7th Lok Sabha



(खण्ड 49 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

रुपये चार। मूल्य

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

25 जुलाई, 1984/3 श्रावण, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, प्रथम पृष्ठ, प्रथम पंक्ति, 'श्रवण' के स्थान पर 'श्रावण पढ़िये ।

विषय सूची, प्रथम पृष्ठ, पंक्ति 6, '52 से 54' के स्थान पर '52.54' पढ़िये ।

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 7, अतारांकित प्रश्न '441,542,435,437,39,444 से 446,445 ।' के स्थान पर '435, 437, 439, 441, 442, 444 से 446, 451 ।' पढ़िये ।

विषय सूची, (i), पंक्ति 10, '560 से' के स्थान पर '504 से' पढ़िये ।

विषय सूची, पृ० (i), पंक्ति 11, '115' के स्थान पर '515' तथा '517, 521' के स्थान पर '517 से 521' पढ़िये ।

विषय सूची, पृ० (i), पंक्ति 12, '566 569' के स्थान पर '566,569' पढ़िए ।

विषय सूची, पृष्ठ (ii), पंक्ति 19, "श्री योगेन्द्र झा" के स्थान पर "श्री भोगेन्द्र झा" पढ़िये ।

विषय सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 1, "संबंधों" के स्थान पर "संबंधी" पढ़िये ।

विषय सूची, पृष्ठ (iii), अन्तिम पंक्ति, "श्रीमती सुखबंस कौर" के स्थान पर "श्रीमती सुखबंस कौर" पढ़िये ।

पृष्ठ 8, पंक्ति 17, "श्री सी० टी० दंडपणि" के स्थान पर "श्री सी० टी० दण्डपाणि" पढिए ।

पृष्ठ 9, पंक्ति 4, "श्री ए०नीलालोहिसा दसन नाडार" के स्थान पर "श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार" पढ़िए ।

पृष्ठ 14, पंक्ति 4, "श्रीवराज जी० पाटिल" के स्थान पर "श्री शिवराज बी० पाटिल" पढ़िए ।

पृष्ठ 16, पंक्ति 26, के प्रारंभ में "श्री शिवराज बी० पाटिल" अन्तः स्थापित कीजिये ।

पृष्ठ 17, पंक्ति 10, "श्री के० लकप्पा" के स्थान पर "श्री के० लकप्पा" पढ़िये ।

पृष्ठ 17, नीचे से पंक्ति 4, प्रश्न संख्या 47 पर तारा अंकित करिए ।

पृष्ठ 19, पंक्ति 23, और पंक्ति 31,"श्री वेंकटसुब्बययया" के स्थान पर "श्री पी० बेंकट-सुब्बय्या" पढ़िये ।

पृष्ठ 20, पंक्ति 12, "श्री सत्यनारायण जाटिया" के स्थान पर "श्री सत्यनारायण जटिया" पढ़िये ।

पृष्ठ 20, पंक्ति 19, "यीजना" के स्थान पर "योजना" पढ़िये ।

पृष्ठ 21, पंक्ति 11, "ध्यवधान" के स्थान पर "व्यवधान" पढ़िये ।

पृष्ठ 21, पंक्ति 15, "ख्वेत-श्याम" के स्थान पर "श्वेत-श्याम" पढ़िये ।

पृष्ठ 23 'पंक्ति 6, "श्री पी०बी० नरसिंह राव (गृह मन्त्री)" के स्थान पर "गृह मन्त्री (श्री पी०बी० नरसिंह राव)" पढ़िये ।

पृष्ठ 28, नीचे से पंक्ति 4, "के०ए० राजन" के स्थान पर "श्री के०ए० राजन" पढ़िये ।

पृष्ठ 29, पंक्ति 6, "त्रौर" के स्थान पर "और" तथा श्री ए०के०पी० साल्वे के स्थान पर "श्री एन०के०पी० साल्वे" पढ़िये ।

पृष्ठ 31, पंक्ति 12, "मरकाक" के स्थान पर "सरकार" पढ़िये ।

पृष्ठ 32, पंक्ति 14, "श्री प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दरा गांधी" के स्थान पर "प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)" पढ़िए ।

पृष्ठ 38, पंक्ति 9, "वोकारो" के स्थान पर "बोकारो" पढ़िए ।

पृष्ठ 38, पंक्ति 11, "श्री पीयूस तिरकी" के स्थान पर "श्री पीयूष तिरकी" पढ़िए ।

पृष्ठ 40, पंक्ति 16, "अद्य तक" के स्थान पर "अब तक" पढ़िए ।

पृष्ठ 43, पंक्ति 16 "श्री अठल बिहारी बाजपेयी" के स्थान पर "श्री अटल बिहारी वाजपेयी" पढ़िए ।

पृष्ठ 43, पंक्ति 24, "श्री पी० बैंकटसब्बैय्या" के स्थान पर "श्री पी० बेंकटसुब्बय्या" पढ़िए ।

पृष्ठ 45, पंक्ति, 21, अ०प्र० संख्या "44" के स्थान पर "444" पढ़िये ।

पृष्ठ 50, पंक्ति 13, "कर्मचारियो को वाणिज्य" के स्थान पर "कर्मचारियों को वाणिज्यिक" पढ़िए ।

पृष्ठ 50 पंक्ति 15, "श्री डी०एस०ए० शिवप्रकाशन" के स्थान पर "श्री डी०एस०ए० शिवप्रकाशम" पढ़िए ।

पृष्ठ 53, पंक्ति 11, "पैनल को रिपोर्ट" के स्थान पर "पैनल की रिपोर्ट" पढ़िए ।

पृष्ठ 54, पंक्ति 10, "श्री अनन्त रामुलु मल्लू" के स्थान पर "श्री अनन्त रामुलु मल्लु" पढ़िए।

पृष्ठ 57, पंक्ति 12, "ण्यायिक आयोग की सिफारिशों" के स्थान पर "न्यायिक आयोग की सिफारिशें" पढ़िए।

पृष्ठ 58, पंक्ति 12, "प्रौद्योगिकी परमाण" के स्थान पर "प्रौद्योगिकी परमाणु" पढ़िए।

पृष्ठ 59, पंक्ति 1, "मन्त्रालय के" के स्थान पर "मन्त्रालय में" पढ़िए।

पृ० 60, पंक्ति नीचे से 4, अ० प्र० संख्या "497" के स्थान पर "479" पढ़िए।

पृष्ठ 60, पंक्ति 9, से अ०प्र० संख्या "488" के स्थान पर "480" पढ़िए।

पृष्ठ 62, पंक्ति 23, "बर्नपर" के स्थान पर बर्नपुर" पढ़िए।

पृष्ठ 62, पंक्ति 25, "श्री विजथ कुमार यादव" के स्थान पर "श्री विजय कुमार यादव" पढिए।

पृष्ठ 65, पंक्ति 19 और पंक्ति 21, "खाना बददोश" के स्थान पर "खाना बदोश" पढ़िए।

पृष्ठ 66, पंक्ति 15, "अधिकवण" के स्थान पर "अधिकरण" पढ़िए।

पृष्ठ 66, पंक्ति 6, "श्री भुवनेश्वर भूशन" के स्थान पर "श्री भुवनेश्वर भूयन" पढ़िए।

पृष्ठ 70, पंक्ति 4, "परमाण" के स्थान पर "परमाणु" पढ़िए।

पृष्ठ 70, पंक्ति 10, "औम" के स्थान पर "और" पढ़िये।

पृ० 70, पंक्ति 16, अ० प्र० संख्या "304" के स्थान पर "504" पढ़िए।

पृ० 71, पंक्ति 10, "उपयंत्री" के स्थान पर "उपमंत्री" पढ़िए।

पृष्ठ 74, पंक्ति 7, "श्री नित्यानन्द भिश्र" के स्थान पर "श्री नित्यानन्द मिश्र" पढ़िए।

पृष्ठ 74, पंक्ति 11, "पुर्नविचार" के स्थान पर "पुनर्विचार" पढ़िए।

पृष्ठ 74, पंक्ति 14, श्री राम दुलारी सिन्हा" के स्थान पर "(श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) पढ़िए।

पृष्ठ 74, पंक्ति नीचे से 4, अ० प्र० सं० "5011" के स्थान पर "511" पढ़िये।

पृष्ठ 76, पंक्ति 22, तथा पृ०77 पंक्ति 6, "प्रो० नारायण चन्द पाराशर" के स्थान पर प्रो० नारायण चन्द पराशन पढ़िये।

पृष्ठ 77, पंक्ति 24, "श्री पोयूषतीरकी" के स्थान पर "श्री पीयूष तिरकी" पढ़िए।

पृष्ठ 78, पंक्ति 2, "शौर" के स्थान पर "और" पढ़िये।

पृष्ठ 78, पंक्ति 4, "श्री अटल बिहारी वाजपेया" के स्थान पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी" पढ़िए।

पृष्ठ 79, पंक्ति 14, "का स्वबेशी" के स्थान पर "के स्वदेशी" पढ़िये।

पृष्ठ 79, पंक्ति 15, "परमाण" के स्थान पर "परमाणु" पढ़िए।

पृष्ठ 79, पंक्ति 17, सुभाचन्द बोस अलूरी" के स्थान पर "श्री सुभाषचन्द बोस अल्लूरी" पढ़िये ।

पृष्ठ 80, पंक्ति 25, श्री चित्त महटा" के स्थान पर "श्री चित्त महाटा" पढ़िए ।

पृष्ठ 84, पंक्ति 1, लाइर्सेस" के स्थान पर "लाइसेंस" पढ़िए ।

पृष्ठ 86, पंक्ति नीचे से 6, "श्री उत्तर राठौर" के स्थान पर "श्री उत्तम राठौर" पढ़िए ।

पृष्ठ 87, पंक्ति 23, "श्री दौलत राय सारण" के स्थान पर "श्री दौलत राम सारण" पढ़िए ।

पृष्ठ 88, पंक्ति 23, "श्री राम विलास पासावान" के स्थान पर "श्री राम विलास पास-" वान" पढ़िए ।

पृष्ठ 90, पंक्ति 6, "54" के स्थान पर "542" पढ़िए ।

पृष्ठ 90, पंक्ति 17, "क्षेत" के स्थान पर "क्षेत्र" पढ़िये ।

पृष्ठ 92, पंक्ति 23, "लिभिटेड़" के स्थान पर "लिमिटेड" पढ़िये ।

पृ० 93, पंक्ति 14, "श्रीमतो" के स्थान पर "श्रीमती" पढ़िए ।

पृ० 93, पंक्ति नीचे से 4, "पूर्ति" और "मन्त्रालय" शब्दों के बीच से "में" का लोप कीजिये ।

पृ० 94, पंक्ति 13, 'श्री के० लकप्या' के स्थान पर 'श्री के० लकप्पा' पढ़िए ।

पृ० 96, पंक्ति 18, 'श्री रामामतार शास्त्री' के स्थान पर 'श्री रामावतार शास्त्री' पढ़िए ।

पृ० 96, पंक्ति 19, 'श्री जी०एम० बानातवाला' के स्थान पर 'श्री जी०एम० वनातवाला' पढ़िए ।

पृ० 97, पंक्ति 5, 'राज्य मण्त्री' के स्थान पर 'राज्य मन्त्री' पढ़िये ।

पृ० 97, पंक्ति 16, 'टलोविजन' के स्थान पर 'टेलीविजन' पढ़िए ।

पृ० 107, पंक्ति नीचे से 4, 'पर्बतीय' के स्थान पर 'पर्वतीय' पढ़िए ।

पृ० 110, पंक्ति 22, 'श्रीमती विद्याचेन्नुपति' से पूर्व अ०प्र० संख्या '583' लगाइए ।

पृ० 111, पंक्ति 5, 'रोकने लिए' के स्थान पर 'रोकने के लिए' पढ़िए ।

पृ० 111, पंक्ति 6, 'श्री चिरंजी शर्मा' के स्थान पर 'श्री चिरंजीलाल शर्मा' पढ़िये ।

पृ० 112, पंक्ति नीचे से 3, 'कक्षा' के स्थान पर 'कक्ष' पढ़िये ।

पृ० 114, पंक्ति 1, 'श्री एन० के० पी० शाल्वे' के स्थान पर 'श्री एन० के० पी० साल्वे' पढ़िए ।

पृ० 115, पंक्ति, 18, श्री एस० निहालसिंह वाला' के स्थान पर 'श्री जी० एम० निहाल सिंह वाला' पढ़िये ।

पृ० 119, पंक्ति 6, और पंक्ति 8, 'कम्यूटर' के स्थान पर 'कम्प्यूटर' पढ़िए ।

पृ० 120, पंक्ति 1, 'परिसार' के स्थान पर 'परिसर' तथा 'राजनीतिज्ञों' के स्थान पर 'राजनीतिज्ञों' पढ़िए ।

पृ० 120, पंक्ति 3, 'श्री बाल साहिब पाटिल' के स्थान पर 'श्री बाला साहिब विखे पाटिल' पढ़िए ।

पृ० 120, पंक्ति 14, 'रजाधानी' के स्थान पर 'राजधानी' पढ़िए ।

पृ० 120, पंक्ति 15, के प्रारम्भ में ब० प्र० संख्या '608' पढ़िए ।

पृ० 120, पंक्ति 16, 'दौरारन' के स्थान पर 'दौरान' पढ़िये ।

पृ० 120, पंक्ति 23, 'श्री वेंकट सुब्बय्या' के स्थान पर 'श्री पी० वेंकट सुब्बय्या' पढ़िए ।

पृ० 122, पंक्ति नीचे 4, 'अध्वक्ष' के स्थान पर 'अध्यक्ष' पढ़िए ।

पृ० 123, पंक्ति 22, 'व्यवधान' के स्थान पर 'व्यवधान' पढ़िए ।

पृष्ठ 123, पंक्ति 26 'समधन' के स्थान पर 'समाधान' पढ़िये ।

पृ० 124, पंक्ति 1, 'बाजपेयी' के स्थान पर 'वाजपेयी' पढ़िए ।

पृ० 126, पंक्ति 6, 'अज्यक्ष महोदय' के स्थान पर 'अध्यक्ष महोदय' पढ़िए ।

पृ० 126, पंक्ति 11, 'काशमीर' के स्थान पर 'काश्मीर' पढ़िए ।

पृ० 127, पंक्ति 18, के पश्चात् बायीं ओर '12.24 म०प०' अंता स्थापित कीजिए ।

पृष्ठ 127, पंक्ति 19, 'पटत्र' के स्थान पर 'पटल' पढ़िए ।

पृष्ठ 127, पंक्ति 19, के पश्चात् उपशीर्षक 'अखिल भारतीय विज्ञान अधिनियम, 1951 के अधीन अधिसूचनाएं' अंतः स्थापित कीजिए ।

पृ० 129, पंक्ति 3, 'संख्या एल०टी० 8424/84' के स्थान पर 'एल०टी० 8425/84' पढ़िये ।

पृ० 131, पंक्ति 9, 'एल०टी० 8427।84' के स्थान पर '8427/84' पढ़िए ।

पृष्ठ 131, पंक्ति 21, '12 म०प०' का लोप कीजिए ।

पृ० 133, पंक्ति 5, 'अध्यक्ष महोदय' के स्थान पर 'अध्यक्ष महोदय' पढ़िए ।

पृ० 137, पंक्ति 5, 'उपाध्यक्ष महोदय' के स्थान पर 'अध्यक्ष महोदय पढ़िए ।

पृष्ठ 137, पंक्ति 8, '12.25 म०प०' के स्थान पर 'रूल' और 'नियम 377 के अधीन मामले के बीच बाईं ओर पढ़िए ।

पृ० 138, पंक्ति 22 व 25, 'एस्टेबिल्समेंन्ट' के स्थान पर 'एस्टेब्लिशमेन्ट' पढ़िए ।

पृष्ठ 140, पंक्ति नीचे से 2, 'प्रो० मध दण्डवते (राजपुर)' के स्थान पर 'प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर)' पढ़िए ।

पृष्ठ 141, पंक्ति 1, 'हरीश कुमार गंगवा' के स्थान पर 'श्री हरीश कुमार गंगवार पढ़िये ।

पृष्ठ 141, पंक्ति 5, 'दरभंगा के के रामेश्वर नगर कारखानों' के स्थान पर 'दरभंगा के रामेश्वर नगर कारखाने' पढ़िए ।

पृष्ठ 141, पंक्ति 6, 'संदर्भ में' के स्थान पर 'संयंत्र' में पढ़िये तथा 'आर्रम्भ' के स्थान पर आरम्भ' पढ़िये ।

पृष्ठ 141, पंक्ति 7, 'श्री योगेन्द झा' के स्थान पर 'श्री भोगेन्द्र झा' पढिए ।

पृष्ठ 141, पंक्ति 25, '(आक)' के स्थान पर 'आठ' पढ़िए ।

पृष्ठ 142, पंक्ति 10, 'छात्रों को नियंक्ति' के स्थान पर 'छात्रों को नियन्त्रित' पढ़िए ।

पृ० 146, पंक्ति 23, 'अविध कुछ छटित' के स्थान पर 'अधिक कुछ घटित' पढ़िए ।

पृ० 146, पंक्ति 25, 'प्रकन्न' के स्थान पर 'प्रसन्न' पढ़िए ।

पृष्ठ 150, पंक्ति 18, 'श्री यशवन्तराव चाव्हाण' के स्थान पर 'श्री यशवन्तराव चव्हाण' पढ़िए ।

पृ० 151, पंक्ति 15, '2.13 (०प पू०)' शब्दों का लोप कीजिए ।

पृ० 154, पंक्ति 13, 'उपाध्यत्र महोदय' के स्थान पर 'उपाध्यक्ष महोदय' पढ़िए ।

पृ० 154, पंक्ति 18, 'श्री ईश अनुबरासु' के स्थान पर 'श्री ईरा अनबरासु' पढ़िए ।

पृ० 155, पंक्ति 18, 'स्वर्ग मन्दिर' के स्थान पर 'स्वर्ण मन्दिर' पढ़िए ।

पृष्ठ 159, पंक्ति नीचे से 2, 'मुबूत' के स्थान पर 'सबूत' पढ़िए ।

पृ० 170, पंक्ति 25, के प्रारम्भ में 'श्री जी० एस० निहाल सिंह वाला' पढ़िए ।

पृ० 171, पंक्ति 10, 'कम्युनिष्ट में से में' के स्थान पर 'कम्युनिटी में से है' पढ़िए ।

पृ० 172, प्रथम पंक्ति, '(पोल्लायो)' के स्थान पर 'पौल्लाचो' पढ़िए ।

पृष्ठ 173, पंक्ति 9, 'श्री टी० सी० दण्डप्राणि' के स्थान पर 'श्री सी० टी० दण्डपाणि' पढ़िये ।

पृ० 174, पंक्ति 12, 'श्रीमती ईंदिरा गांधी' के स्थान पर 'श्रीमती इन्दिरा गांधी' पढ़िये ।

पृ० 174, पंक्ति 16, 'श्री सी० टी० दंडपाणि' के स्थान पर 'श्री सी० टी० दंडपाणि' पढ़िये ।

पृ० 175 पंक्ति 8, 'विनम्रता' के स्थान पर 'विनम्रता' पढ़िए ।

पृष्ठ 178, पंक्ति 3, 'ताकतों उसके द्वारा किये जा रहे गलत कार्यों के स्थान पर 'उन ताकतों द्वारा किये जा रहे गलत कार्यों' पढ़िए।

पृष्ठ 178, पंक्ति 19, 'पाकिस्ताके' के स्थान पर 'पाकिस्तान पढ़िए।

पृ० 179, पंक्ति 10, 'परिवर्पन' के स्थान पर 'परिवर्तन' पढ़िए।

पृ० 184, पंक्ति 16, 'श्थान' के स्थान पर 'स्थान' पढ़िए।

पृ० 187, पंक्ति 14, 'इन्द्रजीत गुप्त' के स्थान पर 'श्री इन्द्रजीत गुप्त' पढ़िए।

पृ० 188, पंक्ति 8, 'का' शब्द का लोप कीजिए।

पृ० 188, पंक्ति 15, 'आह' के स्थान पर 'आज' पढ़िए।

पृ० 188, पंक्ति 16, 'उन्वे' के स्थान पर 'उन्हें' पढ़िए।

पृ० 189, पंक्ति 25, 'श्री पी० वी० नरसिंह राव' के स्थान पर 'श्री पी० वी० नरसिंह राव' पढ़िये।

पृष्ठ 189, पंक्ति 33, 'व्धवधान' के स्थान पर 'व्यवधान' पढ़िये।

पृष्ठ 190, पंक्ति नीचे से 9, 'डा० सुबाह्मण्यम स्वामी' के स्थान पर 'डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी' पढ़िए।

पृष्ठ 192, पंक्ति 14, 'बिदेश' के स्थान पर 'विदेश' पढ़िए।

पृस्ठ 192, पंक्ति 15, 'भिन्न' के स्थान पर 'मित्र' पढ़िए।

पृ० 198, अंतिम पंक्ति, 'प्रो मधु दण्वते' के स्थान पर 'प्रो० मधु दण्डवते' पढ़िए।

पष्ठ 199, प्रथम पंक्ति, 'रुप गलत' के स्थान पर 'रुप से गलत' पढ़िए तथा 'असंगत को भी' के स्थान पर 'असंगत भी' पढ़िये।

पृष्ठ 200, पंक्ति 2, 'पिल्कुल बती' के स्थान पर 'बिल्कुल वही' पढ़िये।

पृष्ठ 200, पक्ति 3 और पंक्ति 28, 'श्री हरिकेश वहादुर' के स्थान पर 'श्री हरिकेश बहादुर' पढ़िए।

पृष्ठ 202, पंक्ति 1, 'श्रीमती इन्दिर गान्धी' के स्थान पर 'श्रीमती इन्दिरा गांधी' पढ़िए।

पृष्ठ 205, पंक्ति, 31, 'दर्शन देवरी' के स्थान पर 'दर्शनी ड्योढी' पढ़िए।

पृ० 208, पंक्ति 20, 'तब मैंने' के पश्चात् 'सुना' जोड़िए।

पृष्ठ 208, पंक्ति 21, 'दंडपणि' के स्थान पर 'दंडपाणि' पढ़िए।

पृष्ठ 212, पंक्ति 11, 'तथ्य कोर' के स्थान पर 'तथ्य की ओर' पढ़िए।

पृष्ठ 212, पंक्ति 29, 'उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए' शब्दों को वहां से निकाल कर पंक्ति 28 और 29 के बीच केन्द्र में अत: स्थापित कीजिये।

पृष्ठ 214, पंक्ति, 24, 'बुलाई जिनमें अकाली दलों की एक बैठक' शब्दों का लोप कीजिये।

पृ० 215, पंक्ति 16, 'हम' के स्थान पर 'हमें' पढ़िए।

पृष्ठ 215, पंक्ति 20 और पंक्ति, 21, 'आप' के स्थान पर 'आज' पढ़िए।

पृ० 215, पंक्ति, 25, 'मिनिस्टटर' के स्थान पर 'मिनिस्टर' और 'हमको' के स्थान पर 'इसको' पढ़िए।

पृ० 215, पंक्ति 26, 'एडचन' के स्थान पर 'एडजर्न' पढ़िए।

पृ० 215, पंक्ति 28, 'पी० वी० नरसिह राव' के पूर्व 'श्री' शब्द स्थापित कीजिए।

पृ० 220 'पंक्ति 4, 'आह' के स्थान पर 'आप' पढ़िए।

पृ० 220, पंक्ति नीचे स 2, तथा पृष्ठ 222, पंक्ति 20, 'श्री धर्मवीर सिन्हा' के स्थान पर 'श्री धर्मवीर सिन्हा पढ़िए।

पृ० 222, पंक्ति 15, 'उपाद्यक्ष' के स्थान पर 'उपाध्यक्ष' तथा 'चंटे' के स्थान पर 'घंटे' पढ़िए।

पृष्ठ 222, पंक्ति 18, 'बाध्य' के स्थान पर 'बाध्य' पढ़िए।

पृ० 222, पंक्ति 25, गृह मन्त्र के स्थान पर 'गृह मन्त्री' पढ़िए।

पृ० 224, पंक्ति 14 'श्री पी० बी० नर्सिह राव' के स्थान पर 'श्री पी० वी० नरसिह राव' पढ़िए।

पृ० 224, पंक्ति 18, 'डा० सुब्रह्मण्य स्वामी' के स्थान पर सुब्रह्मण्यम स्वामी' पढ़िए।

पृ० 224, पंक्ति 19, 'अवसन' के स्थान पर 'अवसर' पढ़िए।

पृ० 224, पंक्ति 20, 'अपाध्य अ महोदय' के स्थान पर 'उपाध्यक्ष महोदय' पढ़िए।

पृष्ठ 224, पंक्ति 22, '1606' के स्थान पर '1906 पढ़िए।

विषय सूची

अंक 3, बुधवार, 25 जुलाई, 1984 3 श्रावण, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	2— 22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 43 और 45 ने 47	1—12
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	21—127
तारांकित प्रश्न संख्या 42, 44, 48 से 50, 52 से 54 से 56, 58 से 60	21 — 38
अतारांकित प्रश्न : 441, 442 435, 437, 439, 444 से 446, 4451 से 454, 456 से 459, 463 से 466 468, 471 473 से 475, 477 से 480, 482, 484 से 488, 490, 492 से 494, 496 से 499, 501 से 506, 508 से 511, 513, 515, 517, 521, 524 से 533, 535 से 542, 545, 546, 548 से 551, 553 से 566, 569 से 572, 575, 577, 578, 580, 582 से 585, 587, 591 से 593, 595, 597, 598, 603 से 610	38— 122
सभा पटल पर रखे गए पत्र	127—131
राज्य सभा से सन्देश	131—133
राज्य सभा द्वारा यथापारित, कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 1984	121 132—133
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
77वां प्रतिवेदन	133—135
जीवन बीमा निगम विधेयक	135—137
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय बढ़ाया जाना	137
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की बकाया किश्तों का शीघ्र भुगतान करने की आवश्यकता	137

श्री रामावतार शास्त्री

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का दयोतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(दो) पश्चिमी बंगाल के हुगली और हावड़ा जिलों में बाढ़ को रोकने हेतु दामोदर घाटी निगम की जल-भण्डारण क्षमता बढ़ाने की परियोजनाओं को स्वीकृति देने की आश्यकता	138
श्री चित्त बसु	
(तीन) चांदीपुर (उड़ीसा) स्थित रक्षा मंत्रालय के प्रूफ एस्टेब्लिशमेंट डिपो में सुरक्षा उपायों को मजबूर करने की आवश्यकता	138—139
श्री अर्जुन सेठी	
(चार) अलप्पी का कोचीन पत्तन के एक सहायक पत्तन के रूप में विकास	139
प्रो० पी० जे० कुरियन	
(पाँच) उड़ीसा के तलचर कोयला क्षेत्रों और आई० बी० घाटी कोयला क्षेत्रों को कोल इण्डिया लिमिटेड की एक पृथक सहायक कंपनी के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन लाने की आवश्यकता	139—140
श्रीमती जयन्ती पटनायक	
(छः) बुनकरों को कम मूल्यों पर कच्चा माल देने तथा उनके माल को सरकारी अभिकरणों के द्वारा खरीदने की आवश्यकता	140—141
श्री हरिकेश बहादुर	
(सात) अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड, दरभंगा के रामेश्वर नगर कारखाने के कागज संयंत्र में उत्पादन पुनः आरम्भ करने की आवश्यकता	141
श्री योगेन्द्र झा	
(आठ) कोयला खान श्रमिकों की हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता	141—242
श्री वसुदेव आचार्य	
(नौ) छात्रों को नियंत्रित मूल्यों पर अभ्यास-पुस्तिकाएं और पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने तथा स्कूलों में प्रवेश के लिये दान लिये जाने पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता	142
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	
(दस) परादीप बंदरगाह के विकास की आवश्यकता	142—143
श्री बृजमोहन महन्ती	
(ग्यारह) मुसलमानों तथा पिछड़ी जातियों के लिए सेवा में भर्ती हेतु कद में रियायत देने की आवश्यकता	143
श्री रशीद मसूद	

विषय	पृष्ठ
पंजाब आंदोलन संबंधी श्वेत-पत्र पर चर्चा	143—224
श्री यशवन्त राव चव्हाण	144
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	151
श्री जी. एम. निहालसिंहवाला	164
श्री सी. टी. दंडपाणि	172
श्री आर. एस. स्पैरो	176
श्री इन्द्रजीत गुप्त	182
श्रीमती इन्दिरा गाँधी	192
श्री ए. नीलालोहितदसन नाडार	212
श्री चिरन्जी लाल शर्मा	216
श्री के. टी. कोसलराम	222
श्रीमती सुखबंस कौर	223

लोक सभा

बुधवार, 25 जुलाई 1984/3 श्रावण 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मंण्डल आयोग की रिपोर्ट

*43. श्री उत्तम राठौर
श्री राम विलास पासवान } : क्या गृह मंत्री मंडल आयोग की सिफारिशों के बारे में 14 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2905 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस की क्या सिफारशें हैं ; और

(ग) सरकार उन्हें कब कार्यान्वित करेगी ?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) (क) से (ग) : मण्डल आयोग ने 3.743 समुदायों की एक सूची तैयार की है। एक तरफ तो इसने कई ऐसे समुदायों/वर्गों को सूची में रखा हैं, जो पिछड़े वर्ग के रूप में घोषित किए जाने के लिए वास्तव में पात्र नहीं हैं और दूसरी ओर कुछ ऐसे समुदायों/वर्गों को छोड़ दिया है जिन्हें स्पष्टत: समाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना जाता है। इसलिए मण्डल आयोग द्वारा पिछड़े वर्गों की जिस सूची की सिफारिश की गई है, उस पर लोक मत प्राप्त करने का निर्णय किया है । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह बताना संभव नहीं है कि किस तारीख तक सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाएगा ।

श्री उत्तम राठौर : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यद्यपि मंडल आयोग ने दिसम्बर 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी किंतु इस सभा में इस पर चर्चा करने के लिए इसे ठीक एक वर्ष चार महीनें के बाद लिया गया । पहली चर्चा और वाद विवाद के दौरान गृह मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि "हम कार्यान्वित कर रहे हैं" । दूसरे वाद विवाद के दौरान वे अपने आश्वासन से मुकर गए थे और अपने आश्वासन से मानदण्ड के अनुसार उन्होंने कहा था

कि जिस समुदायों की सूची तैयार की गई वह, मानदण्ड ठीक नहीं था और आयोग ने कुछ ऐसे समुदायों को शामिल कर लिया था जो पिछड़े नहीं है और आयोग ने कुछ ऐसे समुदायो को सूची से निकाल भी दिया था जो वास्तव में पिछड़े हैं। किन्तु उन्हें शामिल नहीं किया गया है। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह पिछड़ा वर्ष आयोग की किसी भी रिपोर्ट को वास्तव में कार्यान्वित करने के लिए तैयार है, क्योंकि पहले काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को भी नजर अन्दाज कर दिया गया था और इस रिपोर्ट के साथ भी शायद वही व्यवहार किया जाए। चार वर्षों से भी अधिक समय हो गया है और वही बात फिर से दोहराई जा रही है क्योंकि सरकार दिन प्रतिदिन मुकर रही हैं। यह कौन-सा मानदण्ड है? क्या यह वस्तुनिष्ठ मानदण्ड है? क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि क्या वह आयोग के बारे में लोकमत लेने के इस मानदण्ड को वैज्ञानिक मानदण्ड सूचक मानते है?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : महोदय, मुझे माननीय सदस्य की गलत धारणायों को अवश्य दूर करना चाहिए। मंडल आयोग की रिपोर्ट का किसी भी समय पर जानबूझ कर परिवर्जन नहीं किया गया है। यदि आप घटनाओं को क्रमवार लें और जो कार्यवाही की गई है—

प्रो० मधु दण्डवते : तो स्वभाविक रूप से देरी हुई है।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : इससे पता लगता है कि सरकार बहुत गंभीर है और इस बात से सचेत हैं कि मंडल आयोग की सिफारिशें जहां कहीं भी लागू हो सकती है। उन्हें वहां लागू किया जाए।

महोदय की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन सहित पहली रिपोर्ट जो दिनांक 30.4.82 को सभा पटल पर रखा गया था। दिनांक 14-4-82 को सभी राज्य सरकारों को रिपोर्ट पर विचार भेजने के लिए लिखा किन्तु राज्य सरकारों को उत्तर देने में कुछ समय लग गया। अभी भी महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों ने केवल तकनीक ही दिये हैं।

महोदय, लोकसभा में इस पर चर्चा दिनांक 11.8.82 और 19.8.83 को हुआ दिनांक 4.4.84 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी इस पर चर्चा हुई। उसका कारण यह है कि कुछ राज्यों के अपने मानदण्ड हैं और वे उन्हीं को अपनाते आए हैं और वे इन पिछड़े वर्गों को जो भी संभव सहायता दी जानी है, दे रहे हैं।

महोदय, सचिवों की समिति का गठन दिनांक 8.4.83 को किया गया है। सचिवों की समिति ने भी मामले पर विचार किया है और दिनांक 26.10.83 को तथा मंत्रिमंडल उपसमिति का गठन भी किया गया है। अब रिपोर्ट को तैयार किया जा रहा है। और चूंकि विभिन्न राज्य सरकार विभिन्न मानदण्ड अपना रही है और जहा तक पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में राज्यों केमानदण्ड और मण्डल आयोग की सिफारिशों का सम्बन्ध है, उनमें कुछ असंगतियां रही है, इसलिए हमने यह सोचा कि यह अधिक अच्छा होगा यदि इस बारे में लोक मत ले लिया जाए और इस मामले पर लोगों के विचार लिए जाएं। अतः जानबूझ कर कोई देरी नहीं हुई है।

श्री उत्तम राठौर : मैं नहीं समझता कि राज्य सरकारों के विचार जानने की कोई आवश्यकता है।

"राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे और निर्णय लेंगे"—अनुच्छेद 340 में शब्द हैं। तो फिर सरकार राज्य सरकारों से क्यों पूछ रही है ? क्या यह सच नहीं है कि कई बार हमने सभी राज्यों का मत नहीं लिया है ? हमने अन्य विचारों के साथ ही आगे कार्यवाही की है। ऐसा क्यों है कि इस विशेष मुद्दे पर हम कार्यान्वयन करने का प्रयत्न नहीं कर रहे है ? यदि आप कुछ समुदायों को शामिल नहीं करना चाहते, तो न कीजिए। यदि आप कुछ समुदायों को और शामिल करना चाहते हैं तो सम्मिलित करिए। दूसरे, मण्डल आयोग की रिपोर्ट में यह सामान्य विचार व्यक्त किया गया है अथवा सिफारिश की गई है कि भूतपूर्व अपराधी जन-जातियों तथा खाना बदोशी जनजातियों का दर्जा दिया जाए। सन 1967 में दो बार अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जन-जातियां, संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए गए थे। बाद में उन्हें संसदीय प्रवर समिति को भेजा गया था दुर्भाग्यवश, उन पर चर्चा करने से पूर्व संसद भंग कर दी गई। आप इतना ही क्यों नहीं कर देते। ऐसा करने से उन्हें शान्ति मिलेगी। जो वास्तव में पद दलित हैं।

श्री पी. वेंकटसुब्बय्या : मैंने सभा से पहले ही अनुरोध किया है कि कुछ असंगतियां है। और तमिलनाडु जैसे कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश कुछ राज्यों में पिछड़े वर्गों वाले काफी क्षेत्र हैं। कई कदम उठाए गए हैं और अधिकांश लोगों को इसमें शामिल कर लिया गया है।

कुछ असंगतियाँ हैं। उदाहरण के लिए आन्ध्र प्रदेश का मामला लीजिए। मण्डल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार डूमरा पूजारा, बडो पूजारा को अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में माना गया है। किन्तु उन्हें आन्ध्र प्रदेश की सूची में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के रूप में दिखाया गया है। अतः ये कुछ ऐसे कारण है जिन पर बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार करना होगा और मुख्य मंत्रियों के विचार भी जाने गये हैं। कुछ राज्य सरकारों ने अपने पिछड़े वर्ग आयोग की नियुक्ति की है। उदाहरण के लिए, आन्ध्र प्रदेश ने अपना पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्ति किया है।

हमें विभिन्न राज्य सरकारों से उनके विचार प्राप्त हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हमने यह सोचा कि अब समय आ गया है जब हमें रिपोर्ट को जनता के समक्ष उसकी राय जानने के लिए रखना पड़ेगा।

इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखा गया है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : माननीय मंत्री ने अभी-अभी यह कहा है कि मण्डल आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें लगभग 43 जातियों को शामिल किया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि आन्ध्र की कौन-सी जातियों को वर्ग की सूची में शामिल किया गया है। मुझे मालूम हुआ है कि काम्मा और रेड्डी तथा ब्राह्मण जाति के लोगों को भी पिछड़े लोगों के रूप में शामिल किया गया है।

श्री पी वेंकटसुब्बय्या : यह सत्य है कि कुछ मामलों में राजपूतों और कायस्थों को पिछड़े

समुदाय के रूप में शामिल किया गया है। शायद मेरे माननीय मित्र यह ठीक ही कह रहे कि ऐसा वहां पर भी हुआ है।

प्रो मधु दंडवते : मण्डल आयोग की रिपोर्ट सरकार को बर्ष 1989 में प्रस्तुत की गई। वर्ष 1982 में इसे सभा पटल पर रखा गया। वर्ष 1984 में, आज यह घोषणा की जा रही है कि इसे हम लोक मत प्राप्त करने के लिए भेज रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या आप चार वर्ष तक इसे निजी मत के लिए घुमाते रहे और अब इसे आप लोकमत के लिए भेज रहे हैं। श्री राठौर के पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए जो आपने एक मात्र दलील दी है वह यह कि ऐसी कई जातियां और समुदाय हैं जिन्हें कुछ लोगों के अनुसार समुचित रूप से शामिल नहीं किया गया है और कुछ को निकाल दिया गया है-इस विशेष मुद्दे पर आप पुनर्विचार करना चाहेंगे। परन्तु मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि इन जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, मण्डल आयोग ने अपनी सिफारिशों में पहले से ही एक प्रावधान कर दिया है कि उन सभी जातियों और समुदायों की सामयिक समीक्षा की जायेगी। जो पहले से ही पिछड़े वर्गों में शामिल हैं ताकि यदि कोई त्रुटिया हो गई हों। तो उन्हें ठीक किया जा सके और यदि कुछ जातियों को शामिल करना है तो उन्हें भी शामिल किया सके। अत: निहित प्रावधान होने से, क्या यह सच नहीं है कि यह एक साफ दलील है।

जो आप अपनी देरी को छुपाने के लिए दे रहे है ? आपने कहा है कि यह जान बूझकर कर देरी नहीं की गई है। मैं मान लेता हूं कि आप द्वारा की गई चार वर्ष की देरी एक स्वभाविक देरी हैं। शायद, इस गति से कार्य करने की आपकी आदत बन गई है कि चार वर्ष तक आपके द्वारा सभी कार्यों को खटाई में डाल दिया जाता है। यदि आम चुनाव ठीक समय पर किए जाते हैं तो उनके होने में अब कुछ ही महीने रह गए हैं। मुझे डर है कि संसद अर्थात लोक सभा भंग कर दी जाएगी। और संभवत: अगामी लोक सभा तक कार्यान्वियन हेतु इस रिपोर्ट पर बिल्कुल विचार नहीं किया जाएगा।

और, इसलिए क्या आप हमें यह आश्वासन देंगे कि लोकसभा भंग होने से पहले, आने वाले चुनावों से पहले, इन सब कठिनाइयों का आप हल निकालेंगे और इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे कि रिपोर्ट में ही सामायिक समीक्षा की गुंजाइश है, और इस लिए त्रुटियों पर चिन्ता किये बगैर आप मण्डल आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित करेंगे।

श्री पी. वेंकटसुब्बय्या : मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट कोई सर्व सम्मत रिपोर्ट नहीं है मैं यह केवल दलील देने की खातिर ही नहीं बता रहा हूं जहाँ तक मण्डल आयोग की रिपोर्ट का सम्बन्ध है आयोग में भी एक विगत टिप्पणी की गई थी। इसके अलावा प्रत्येक राज्य सरकार का अपना मानदन्ड है और उन्होंने अपना पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया हुआ है।

जहां तक सरकार की बात है, हम बहुत उत्सुक हैं यदि हम उत्सुक न होते तो हम मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन न बुलाते और उनके विचारों को प्राप्त न करते। यह मामला मंत्रिमंडल सचिव की समिति को न भेजा होता। यह सब बातें न हुई होती।

यदि माननीय सदस्य कोई राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं। जहां तक सरकार का संबंध है, सरकार यह कार्य कर रही है।

प्रो० मधु दण्डवते : हम पंजाब और कश्मीर की बात करते हैं। क्या वह भी राजनीतिक लाभ की बात है।

श्री पी. वेंकटसुब्बय्या : माननीय सदस्य को अपनी अलंकृत भाषा में बह जाने की आदत है। मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा। वह सरकार के नेक इरादे पर किसी कोई प्रायोजन होने का आरोप नहीं लगा सकते।

प्रो० मधु दण्डवते : "राजनीतिक उद्देश्य" का आरोप लगाना क्या अलंकृत भाषा नहीं है। (व्यवधान) हमें तो छोड़िये, क्या आप उत्तर से संतुष्ट हैं? आप अपनी खुशी अथवा नाखुशी जाहिर कीजिए।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मंडल कमीशन की अनुसंशाओं को लागू करने के सम्बन्ध में विभिन्न डेट्स पर दिए गए सरकार के जवाबों को देखने से लगता है कि यह कहावत बहुत माकूल है कि मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों ज्यों दवा की। शुरू में सरकार ने यह इम्प्रेशन दिया कि वह कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने जा रही है। उसके बाद उसने कहा कि हम मुख्य मंत्रियों की राय ले रहे हैं। फिर उसने कहा कि एक कैबिनेट सब-कमेटी बनाई जा रही है। आज उसने यह जवाब दिया है कि इस मामले को पब्लिक ओपीनियन जानने के लिए भेजा जा रहा है। मंत्री महोदय ने कहा है कि बैकवर्ड क्लासिज के बारे में स्टेट गवर्नमेंट्स के अलग-अलग क्राइटेरिया हैं। राज्यों में कमो-बेश यह रिजर्वेशनहै और उनके अपने अपने क्राइटेरिया हो सकते हैं। लेकिन मंत्री महोदय जानते हैं कि मंडल कमीशनकी रिपोर्टका संबंध मुख्य रूप से केन्द्रीय सर्विसिज में रिजर्वेशन से है, केन्द्रीय सर्विसिज में किस तरह आरक्षण हो और किन लोगों के लिए हो, आदि। इस लिए इस बात पर हार्प करने से कोई फायदा नहीं है। मंडल कमीशन को सरकार ने ही एपायंट किया था—उसकी एपायंटमेंट राष्ट्रपति की अनुसंशा पर होती है—और उसने समय पर अपनी रिपोर्ट दे दी। सरकार ने बार बार इस सदन में कमिट किया है कि हम इस रिपोर्ट की इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा कि प्रो० मधु दंडवते ने कहा है, क्या मंत्री महोदय सदन को विश्वास में ले कर यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इस सदन के कार्य-काल में इम्प्लीमेंट किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : इसका वही जवाब है, जो उन्होंने पहले दिया है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सदन के कार्य-काल में उसको लागू किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब इसका जवाब दोबारा दे दें।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि इसे लोकमत जानने के लिए भेजा जा रहा है। इसके अलावा मैं और कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं।

प्रो० मधु दंडवते : क्या वे मण्डल आयोग की सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए एक और आयोग की नियुक्ति करेंगे ?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं देर से आया हूं । मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया है ।

श्री सेठी यहां बैठे हुए हैं । जब वह होम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इस बारे में जवाब दिया था ।

आप इन के जवाब को देखिये—इन्होंने मेरे प्रश्न के जवाब में चार बार कहा था—यह सक्रिय रूप से मेरे विचाराधीन है । आपने भी इनसे पूछा था—एक्टिव कन्सीड्रेशन का क्या मतलब होता है ? इन्होंने कहा था— बहुत जल्दी । चार साल बीतने के बाद अब ये कह रहे हैं कि पब्लिक-ओपीनियन के लिए भेजेंगे । इस रिपोर्ट की एक विशेष बात यह है कि मंडल कमीशन घर-घर गया था, सब सैक्शन्ज के लोगों से रिपोर्ट हासिल कर के यहां पर रिपोर्ट दी थी, अब आप क्या पब्लिक-ओपीनियन फार्म करेंगे ? प्रधान मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं, यह हिन्दुस्तान के 85 प्रतिशत लोगों के जीवन-मरण का सवाल है । या तो आप इस के इम्प्लीमेंटेशन की घोषणा कीजिए या फिर हम लोग भी पोलिटीकली डील करेंगे, झक मार कर आप को इस रिपोर्ट को लागू करना पड़ेगा, चाहें आज कीजिए या कल कीजिए । इस लिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं...

श्री राम प्यारे पनिका : यह असंसदीय है । मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : उन्हें अपने शब्द वापस लेने होंगे ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : झक-मारना अनपार्लियामेंट्री नहीं है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : झक मछली को कहते हैं, पहले मछली मारेंगे फिर काम करेंगें ।

श्री राम विलास पासवान : मैं सरकार से सीधा प्रश्न करना चाहता हूं—सरकार चार साल तक क्या करती रही, अब तक क्या पब्लिक ओपीनियन कायम किया है । आप किस तरह का पब्लिक ओपीनियन कायम करने जा रहे हैं, पिछले चार सालों में क्या पब्लिक ओपीनियन कायम किया ?

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : महोदय, हमने जो कदम उठाए हैं, उनके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है । मैंने सारा मामला विस्तारपूर्वक बता दिया है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य द्वारा धमकी देने का कोई तुक नहीं है । हम भी उनकी धमकी का मुकाबला राजनीतिक ढंग से कर सकते हैं, हम क्षमा नही मांग रहे हैं । पिछड़ी जातियों को ऊंचा उठाने के लिए हमने सब कुछ किया है । हम किसी धमकी से डरते नहीं हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो उन्होंने कहना था वह उन्होंने कह दिया है। इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूं?

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में इस को लागू कर दिया है, तब आप क्या पब्लिक ओपीनियन कायम करना चाहते हैं। कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, बिहार ने इस को लागू कर दिया है, तमाम स्टेटों ने लागू किया हुआ है, आप क्या पब्लिक ओपीनियन कायम करना चाहते हैं ?

श्री बी. डी. सिंह : प्रधान मंत्री जी बैठी हुई हैं। इन के जवाब ने कनफ्यूजन क्रिएट कर दिया है—

श्री राम विलास पासवान : 4 साल से इन्होंने क्या किया—यह मेरा स्पेसिफिक प्रश्न था ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं ? आप मुझसे और क्या आशा करते हैं? इन्हींने सारा लेखा–जोखा बतला दिया।

श्री राम विलास पासवान : प्रधान मन्त्री जी बैठी हुई हैं। पिछले चार सालों में इन्होंने क्या किया ?

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : सरकार को या तो 'हां' करनी चाहिए या 'ना'। पिछले चार सालों में प्रधान मंत्री जी ने इसके लिए क्या किया ?

श्री बी. डी. सिंह : प्रधान मंत्री जी इस बारे में क्यों नहीं कहती हैं ? इनके जवाब से कनफ्यूजन क्रिएट हो गया है।

श्री राम विलास पासवान : आप ने तीन बार इस पर पार्लियामेंट में डिस्कसन करवाया···व्यवधान···पार्लियामेंट का समय क्यों बर्बाद किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूं।

श्री सी. टी. दंडपाणि : वे किस लिए लोक मत प्राप्त कर रहे हैं। वे यह बतायें।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : मैं आपको बताऊंगा कि हम लोकमत क्यों प्राप्त कर रहे है··· (व्यवधान)···मैं उत्तर दे रहा हूं।

समस्या यह है कि आयोग ने एक मापदन्ड तैयार किया परन्तु सूची तैयार करते समय उसको नही अपनाया है। ऐसा इस लिए किया गया कि जब मापदन्ड तैयार किया गया—

(व्यवधान)

श्री पी. वेंकटसुब्बया : कृपया मेरी बात सुनिए ।

(व्यवधान)

श्री सी. टी. दंडपाणि : सरकार लोक मत प्राप्त करने के लिए कितना समय लेगी । वे इस संबंध में कहें । यह केन्द्रीय सरकार की रिपोर्ट है । आपको इस बारे में कहना ही होगा ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : चार साल में इन्होंने क्या किया है । आप डिबेट पर डिबेट करवाते जाएं—

अध्यक्ष महोदय : मैं इसमें क्या कर सकता हूं ।

श्री जगपाल सिंह : आप तो डिबेट करवा रहे हैं लेकिन डिबेट्स का रिजल्ट क्या निकला ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा आप क्यों कर रहे हैं । जोर से बोल रहे हैं और एक दूसरे को थ्रेटम कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को क्यों गुमराह किया । होम मिनिस्टरने क्यों**···बोला ।

श्री सी. टी. दंडपाणि : सरकार को 'हां' या 'न' कहना चाहिए । मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं । आप इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

प्रो. मधु दंडवते : मुझे एक अनुरोध करना है । सरकार की कठिनाई यह है कि सूचा में कई नाम जोड़ दिए गए और कई नाम उसमें से निकाल दिए गए हैं । परन्तु मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि कुछ अवधि के बाद सूची की समीक्षा करने के लिए रिपोर्ट में स्वयं एक प्रावधान है । इसलिए किसी के साथ अन्याय होने का खतरा नहीं है । कुछ वर्षों के बाद प्रत्येक सूची की समीक्षा की जाएगी । माननीय मंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया है । क्यों?

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : मण्डल आयोग ने सिफारिशें करते समय कुछ मापदण्ड रखे थे किन्तु सिफारिशों को कार्यान्वित करते समय उन मापदण्डों का पालन नहीं किया गया । नतीजा यह हुआ कि कुछ समुदाय छूट गए । वे सूची में नहीं है । उनको शामिल नहीं किया गया है । अतः ऐसा सोचा गया कि लोक मत, इन समस्याओं का समाधान कर देगा और सरकार को जानकारी हो जाएगी ।

श्री राम विलास पासवान : चार साल तक आप क्या कर रहे थे ।

**अध्यक्षपीठ के आदेश से कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठिए ।

श्री राम विलास पासवान : आप ने तीन बार डिस्कशन करवाया और होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि "इट इज अन्डर माई कन्सिड्रेसन" और अब आप **रूल आउट** कर रहे हैं ।

श्री ए० नीला लोहिमा दसन नाडार : इस मुद्दे पर आप अपनी शक्ति से बाहर जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जो जी चाहे कर सकते है ।

श्री रामविलास पासवान : मैं आप की लिमिटेशन को समझता हूं । हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री इस समय यहां पर हैं ।

इस्पात की मांग और उत्पादन में अन्तर

*45 **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात की मांग और उसके उत्पादन में कोई अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस्पात का भंडार बढ़ता ही जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस्पात आयात करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) (क) से (घ) : अनुमान है कि वर्ष 1984-85 में तैयार कार्बन इस्पात की मांग लगभग 90 लाख टन होगी। इसकी तुलना में देश में कार्बन इस्पात का उत्पादन लगभग 88 लाख टन होने का अनुमान है। इस्पात की कुछ श्रेणियों के उत्पादन में गिरावट आने की संभावना है लेकिन कुछ अन्य श्रेणियों का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होगा । इस्पात की विभिन्न मदों की देशीय मांग तथा सप्लाई के अन्तर को पूरा करने के लिए माध्यम अभिकरण की मारफत लगभग 5 लाख टन तैयार कार्बन इस्पात का आयात करने की संभावना है । अनुमान है कि देशीय मांग से फालतू लगभग 2.6 लाख टन इस्पात की मदों का निर्यात किया जाएगा । वर्ष 1984-85 में निर्यात के लिए 1.8 लाख टन तैयार कार्बन इस्पात के पोतलदान के लिए करार कर लिए गए हैं ।

(ग) जी नहीं । इसके विपरीत आंतरिक बिक्री के स्टाकयार्डों में इस्पात का स्टाक जो 1 अप्रैल, 1984 को 7 लाख टन था, जुलाई, 1984 में घटकर 6.5 लाख टन रह गया है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि 'इस्पात की कुछ श्रेणियों के उत्पादन में गिरावट आने की सम्भावना है·····इस्पात की विभिन्न मदों की देशीय माँग तथा सप्लाई के अन्तर को पूरा करने के लिए माध्यम अभिकरण की मार्फत लगभग 5 लाख टन तैयार कार्बन इस्पात का आयात करने की सम्भावना है···

माननीय मंत्री ने बताया है कि इस्पात की कुछ श्रेणियों के उत्पादन में गिरावट आई है। में इस्पात की उन श्रेणियों के नाम जानना चाहता हूं और उनके उत्पादन में कितनी गिरावट आई है और इसका कितना मूल्य है। इस्पात की कौन सी श्रेणियों का निर्यात होने जा रहा है ? और क्या निर्यात से हमारे देश को लाभ होगा अथवा हानि होगी और निर्यात के कारण कितना लाभ अथवा हानि होगी ? मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री एन. के. पी. साल्वे : ऐसी विभिन्न वस्तुएं हैं जिन्हे हम बनाते हैं जैसे कि सलाखें, छड़ियां, ढांचे; पत्तियां, एच. आर. शीटें, सी. आर. शीटें, विद्युत शीटें, टीन की प्लेटें आदि। इनमें से कुछ की कमी पड़ने की संभावना है और उन्हें हमें आयात करना पड़ेगा।

जहां तक अन्य प्रश्न का संबंध है, कि निर्यात की जा रही वस्तुओं से हमें कितना लाभ अथवा हानि हो रही है; सरकार लाभ और हानि का अलग से लेखा तैयार नहीं करती किन्तु सामान्य तौर पर हम यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि निर्यात की जा रही वस्तुओं के कारण हमें नकद हानि न हो।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : भारतीय इस्पात प्राधिकरण को वर्ष 1983-84 के दौरान कितनी नकद हानि होगी ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : आप कुल हानि के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : हां।

श्री एन. के. पी. साल्वे: वर्ष 1982-83 के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण को 105.76 करोड़ रुपए की हानि हुई थी और वर्ष 1983-84 के दौरान अनंतिम अनुमान है—यह हानि 200 करोड़ रुपए से कुछ ही अधिक है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मेरा दूसरा अपूरक प्रश्न यह है। उत्तर में जो गिरावट की बात की गई है क्या वह अर्थव्यवस्था और उद्योग में मन्दी के कारण आई है। कई कारखानों को बन्द कर दिया जाता है और बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों, जैसे हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची और एम. एम. सी., दुर्गापुर ने अपना उत्पादन कम कर दिया है। परन्तु कुछ समय बाद संभवतः मांग बढ़ सकती है। अतः इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए भविष्य के लिए योजना बनाना आवश्यक है। मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य में इस्पात की मांग को पूरा करने के लिए क्या इस्पात मन्त्री का दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए आधुनीकरण और विस्तार कार्यक्रम को स्वीकृत और उसे कार्यान्वित करने का विचार है और यदि हाँ तो यह योजना कब चालू की जाएगी और यह कब पूर्ण होगी ? मैं माननीय मन्त्री से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री एन.के.पी.साल्वे : प्रोद्योगिकी का विकास करने और वर्तमान समेकित इस्पात संयंत्रों को आधुनिक बनाने को उच्चतम प्राथमिकता दी जा रही है। माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं—क्यों कि मैंने यह सूचना परामर्शदात्री समिति की बैठक में दी है—कि जहां तक दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र का संबंध है, इसके आधुनीकरण के कार्यक्रम को स्वीकृति देने का कार्य बहुत ही

अग्रिम अवस्था में है और संभवत: शीघ्र ही इसे स्वीकृत कर दिया जाएगा। जैसे ही स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी हम कार्यक्रम को कार्यान्वित करना आरम्भ कर देंगे और जैसा माननीय सदस्य ने बताया है कि आधुनिक और उन्नत प्रोद्योगिकी के वर्ष 1983-84 के दौरान 6 लाख टन के वास्तविक उत्पादन के मुकाबले, बिक्री करने योग्य इस्पात का उत्पादन 137 लाख टन तक होने की आशा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय सदस्य ने अभी यहाँ कहा कि उप्पादन में काफी गिरावट आई है।...

श्री एन. के. पी. साल्वे : नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुछ वस्तुओं के उत्पादन में...

श्री एन० के० पी० साल्वे : मैंने यह नहीं कहा कि 'काफी'

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने ऐसा सोचा कि चूंकि काफी गिरावट आई थी अत: सरकार काफी हानि उठा रही थी। चूंकि काफी गिरावट नहीं आई है तो आपकी हानि भी, मेरे विचार से काफी नहीं होगी।

फिर भी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उत्पादन में आई वर्तमान गिरावट को आंशिक रूप से पूरा करेगी और इस्पात के मूल्यों में हाल ही में घोषित इस 15 प्रतिशत वृद्धि द्वारा कुछ हद तक हानि भी पूरा करेगी और सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की हानि को कम करने की इच्छा से किस हद तक मुल्यों में वृद्धि करने का विचार है। क्योंकि जहां तक श्री जे. आर. डी. टाटा का संबंध है, उन्होंने पिछले सप्ताह ही समाचार पत्र में बयान दिया है कि इस्पात मूल्यों में इस 15 प्रतिशत वृद्धि से इस वर्ष उनकी कम्पनी को लाभ में 78 करोड़ रुपए की वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।

इसलिए स्पष्ट रूप में यह उनके फायदे के लिए नहीं किया गया है वह पहले ही 59 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं और अब 78 करोड़ रुपए का मुनाफा कमायेंगे**.....

किन्तु जहाँ तक सरकारी क्षेत्र का संबंध है 25 प्रतिशत वृद्धि संयंत्र की हानि में कितनी कमी करने में सहायक होगी ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : अगर माननीय सदस्य महोदय वित्त पर बोल रहे हैं तो काश उन्होंने मुझे इस विषय पर कुछ कहने का मौका दिया होता।

मैंने पहले कहा था कि 90 लाख टन की अनुमानित मांग के मुकाबले हम 8.80 लाख टन उत्पादन करने जा रहे हैं। इसलिए अनुमानित माँग और उत्पादकता लक्ष्य में कोई बहुत अधिक फर्क अथवा अन्तर नहीं है।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जहां तक भारी हानि का संबंध है, यह एक पूर्णतया भिन्न अध्याय है । परन्तु अगर माननीय सदस्य आंकड़ों को समझना चाहते हैं तो मेरे विचार से वह तुरन्त ही समझ जायेंगे कि हमारे विरुद्ध इस तरह के लांछन लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्ष 1983-84 में मूल्यों में वृद्धि होने के फलस्वरूप, जबकि अनुमानित वृद्धि 164 करोड़ रुपए थी, उत्पादन लागत में वृद्धि तथा राजस्व लेखों में ऋण की राशि 231 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई । अगले वर्ष यानि कि 1984-85 में उत्पादन लागत में अत्यधिक वृद्धि होने की आशा है और मूल्यों में वृद्धि से सिर्फ इस उत्पादन लागत में इस वृद्धि की आंशिक रूप से क्षति पूर्ति होने की संभावना है । आखिर कार, जहां तक आदान का संबंध है, काफी मदों पर मूल्य के संबंध में हमारा कोई नियंत्रण नहीं है और हम अधिक मूल्य चुकाते हैं, अगर उत्पादन लागत प्राप्त नहीं होती है इसका परिणाम होगा हानि । तीन इस्पात संयंत्र हैं जो कि श्री इन्द्रजीत गुप्त हम सबसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं ।...

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें इतना अधिक परिश्रम करने की जरूरत नहीं है । मैंने उनसे पूछा है उस मामले में क्यों मूल्यों में वृद्धि हुई है । अगर इससे सम्पूर्ण मूल्य ढांचे पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो इसे क्यों बढ़ाया गया जिससे देश में केवल मुद्रा स्फीति में ही वृद्धि होगी ।

श्री एन० के० पी० साल्वे : कम से कम 250 करोड़ रुपए तक हम अपने घाटे को कम करने में समर्थ होंगे । अगर बी. आई. सी. पी. द्वारा जिस मूल्य की सिफारिश की गई है वह हमें दिए गए होते तो हमें 1000 करोड़ रुपए का मुनाफा होता । मैं इस प्रश्न के जवाब को स्पष्ट करना चाहूंगा । अगर हम उत्पादन लागत को प्राप्त करने के लिए मूल्य वृद्धि नहीं करते हैं, जोकि आदान के उच्च दामों के कारण बढ़ती जा रही है तो यह देश के व्यापक हित में ही होगा । अन्यथा जे. जी. सी है । जे.जी. सी. पर कोई नियन्त्रण नहीं है जिससे मूल्य निर्धारित होते हैं और मुनाफा कमाने के लिए आसानी से मुल्यों को निर्धारित किया जा सकता था । अत: अगर हम घाटा उठा रहे हैं तो यह विभिन्न सामाजिक दायित्वों के कारण है, अर्थात यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में मूल्य वृद्धि के कारण देश की अर्थ-व्यवस्था संकट अथवा बाधा में न पड़े ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : माननीय मन्त्री जी ने बी.आई.सी.जी. की सिफारिशों पर बोलने के लिए कठिन परिश्रम किया है और बी. आई.सी. जी. की सिफारिशों को मन्जूर न करके उन्होंने थोड़ी सी दया दिखाई है । (क) क्या वे बी. आई. सी. जी. की सिफारिशों को सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? (ख) क्या मुझे अथवा सभा को वह बताने की कृपा करेंगे कि कोकिंग में समय की क्षति को रोकने के बारे में उन्होंने क्या कदम उठाए हैं । विभिन्न प्रकार के कोयला इस्तेमाल करने, कर्मचारी-प्रबन्ध में टाटा की तुलना में सरकारी उपक्रमों में होने वाली हानि प्रबन्ध व्यवस्था और बी. आई. सी. जी. की सिफारिशों में निर्दिष्ट अन्य बातों के सम्बन्ध में उन्होने क्या उपाय किए हैं ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : जब मैं बी. आई. सी. जी. की सिफारिशों का हवाला दिया तो इसमें यह तथ्य भी प्रकट किया कि उन्होंने कुछ आदर्श मापदण्ड रखे हैं और अगर यदि सिर्फ उन आदर्श मापदण्डों का पालन किया जाये तो हम काफी उच्च मूल्य प्राप्त कर सकते हैं ।

मेरे कहने का अभिप्राय यही है इससे अधिक या कम कुछ नहीं।

विभिन्न प्रक्रियाओं से होने वाले नुक्सान का जहां तक संबंध है यह सच है कि हमारे कोकिंग कोयले में बहुत अधिक मात्रा में राख होने की वजह से गर्म-धातु बनाने की प्रक्रिया में बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है।

जहां तक टाटा का सम्बन्ध है, उनकी अपनी रक्षित खानें हैं। उन्हे यहां तक कि एक टन कोयले का भी आयात नहीं करना पड़ता है और उनके कोयले में राख की मात्रा भी हमारे मुकाबले 17 से 18 प्रतिशत से अधिक नहीं होती है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : अगर आप समरूप करते हैं तो आप कोकिंग कोयले का भी पूल क्यों नहीं बनाते ताकि निजी क्षेत्र मुनाफा कमा सके और सरकारी क्षेत्र सिर्फ हानि उठा सकें।

श्री एन० के० पी० साल्वे : यह एक दम भिन्न प्रश्न है। यह प्रश्न के कार्यक्षेत्र से बाहर है। प्रश्न संख्या 45 क्षमता से संबंधित है। वह कह रहे हैं कि हम टाटा को अपने संसाधनों के साथ मिलाने के लिए मजबूर क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि मुझे उनके लिए सूचना देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : अगर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अन्तर्निहित आरोप है तो मैं कार्यवाही वृत्तान्त को देखूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किसी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं।

अध्यक्ष महोदय : तो ठीक है। क्योंकि यह मेरे ध्यान में लाया गया था। मैं इसे देखूंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आरोप नहीं लगाया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 46।

तालचेर भारी पानी संयंत्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण विशेष उपकरणों की सप्लाई

*46. **श्री रशीद मसूद**
प्रो० अजीत कुमार मेहता } : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या तालचेर भारी पानी संयंत्र जिसके लिए डिजाइन और बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण उपकरण एक पश्चिम जर्मनी की फर्म ने सप्लाई किए थे, उनके खराब और दोषपूर्ण डिजाइन के कारण उन्हें अनुपयुक्त पाया गया है और क्या यह संयंत्र, भारी जल का उत्पादन नहीं कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ;

(ग) उस संयंत्र पर अब तक कितना व्यय हुआ है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा; अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज जी पाटिल) : (क) जी नहीं। संयंत्र को चालू करने के लिए किए गए सीमित परीक्षणों के दौरान कुछ तकनीकी कमियों का पता चला है तथा उन कमियों को दूर किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) संयंत्र पर अब तक हुआ व्यय, जिसमें अस्थगित भुगतान व्यवस्था पर लगा ब्याज भी शामिल है, लगभग 62 करोड़ रुपए हैं।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : अध्यक्ष जी, प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि संयंत्र को चालू करने के लिए परीक्षणों के दौरान कुछ टेक्निकल कमियों का पता चला है तथा उन कमियों को दूर किया जा रहा है। मैं यहां पर संयंत्र वर्क्स मैनेजर का गोपनीय पत्र उदधृत कर रहा हूं।

तालचरे संयंत्र वर्क्स मैनेजर की गोपनीय रिपोर्ट मैं उदधृत करता हूं। एच. डब्ल्यू. जी./ताल/55100/387;

> "चार विभिन्न अवस्थाओं में निक्षेप संरचना परीक्षण किया गया है। जिससे मालूम पड़ता है कि वायुमण्डलीय दबाव पर माप का प्रयोग करते हुए परिवात-ताप में भी असंस्तृता संश्लिष्ट गैस को गुजारने से 65 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तरल चक्र संचालन से निक्षेप संरचना सिद्ध होती है।"

इसमें आगे लिखा है :—

> "व्यापक फेरबदल किए बगैर संयंत्र चालू नहीं हो सकता है। चूंकि इन सब समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक फेर-बदल का स्वरूप और विवरण स्पष्ट नहीं है···

अध्यक्ष महोदय : क्या आप पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं ? आप प्रतिवेदन में से पढ़ रहे हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : वह अपनी याददाश्त ताजा करने के पश्चात पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : मैं तल्चर संयंत्र के वर्क्स मैनेजर के गोपनीय पत्र में से उदधृत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय आप : पूरक प्रश्न पूछिए। पूरक-पूरक है। अगर आप पढ़ते जायेंगे तो यह पढ़ने वाला पूरक प्रश्न हो जाएगा।

प्रो० मधु दण्डवते : इसे सम्पूरक के रूप में स्वीकार कीजिये।

अध्यक्ष मोहदय : इसे सम्पूरक न मानिए।

प्रो० अजित कुमार मेहता : यह संयंत्र बाड थर्मल अमोनियां हाइड्रोजन एक्सचेंज पर आधारित है। इस आधार पर संसार में आज तक कहीं भारी पानी का उत्पादन नहीं किया गया है और न कहीं किया जा रहा है। इसके बारे में प्लांट्स मैनेजर का कहना है कि बिना मेजर चेंज किए हुए संभव नहीं है कि इससे उत्पादन हो सके।

एटोमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ने एक समझौता किया जिसके कोलेबोरेशन में इस संयंत्र का निर्माण हुआ है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है, प्रश्न की तलाश में आप खो गए हैं।

(व्यवधान)

प्रो० अजित कुमार मेहता : दूसरा समझता किया जिसके अनुसार "उधे-चम्भ" की जिम्मेदारी एक अक्टूबर 1948 को समाप्त हो रही है। इनके पास अपना कोई डिजाइन नहीं है और न ही कोई ऐसा आधार है कि कैसे इस संयंत्र को मोडीफाइ किया जाए ? ऐसी परिस्थिति में एक अक्टूबर 1984 के बाद क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : इनका सवाल इतना मिक्स हो गया है कि मैं कुछ सुन सका हूं और कुछ नहीं सुन सका। हम लोगों ने उसको कमीशन करने का काम शुरू किया है और अक्टूबर 1984 के बाद उससे हैवी वाटर प्रोड्यूस करेंगे और उसका उपयोग करेंगे।

(व्यवधान)

प्रो० अजित कुमार मेहता : उस कारखाने से अभी तक एक बूंद भी हैवी वाटर प्रोड्यूस नहीं हुआ हैं उसका डिजाइन भी डिफेक्टिव साबित हो चुका है। इस बारे में मैंने गोपनीय पत्र का भी उल्लेख किया है। किस आधार पर आप कमीशन करने जा रहे है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैंने अभी इस ऑगस्ट हाऊस में खड़े होकर यह कहा है कि 1984 के बाद हम हैवी वाटर निकालकर उसका उपयोग करेंगे। पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। जो लोग इसमें जानकारी रखते हैं, उनके साथ डिसकशन करने के बाद ही मैं कह रहा हूं। कौन-सा गोपनीय लेटर इन्होंने पढ़ा है, उसका मुझे पता नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले गोपनीय पत्र का उल्लेख किया है, क्या वह गलत है ?

(व्यवधान)

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं सम्मानीय सदस्य को इसकी जो टैक्नीकल बातें हैं, वह पूरी तरह से अपने चैम्बर में, अपने टेक्नीशियन्स के साथ समझा दूंगा। मैं यह बता देना चाहता हूं कि जो टेक्नोलाजी हमारी है, उसके आधार पर हैवी वाटर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा हमारे टेक्नोलाजिस्ट्स का कहना है। इसीलिए हमारा पूरा विश्वास है।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं तल्चेर भारी पानी संयंत्र कब से कार्य करना शुरू कर देगा, क्या भारी पानी के संबंध में हम आत्म-निर्भर होंगे। यदि नहीं तो आत्म-निर्भर होने में क्या कमी रहेगी ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : उस संयंत्र के चालू करने के पश्चात् हम भारी पानी उत्पन्न करने में समर्थ होंगे परन्तु सिर्फ तल्चर सयंत्र से प्राप्त भारी पानी हमारी कुछ मांगों को पूरा कर पायेगा। हमारे पास कुछ और भी संयंत्र हैं जहां पर हम भारी पानी का उत्पादन कर रहे हैं और हम महसूस करते हैं कि भारी पानी के उत्पादन के लिये प्रतिष्ठानित क्षमता से हम अपनी मांगों को पूरा करने में समर्थ होंगे।

श्री नीरेन घोष : महोदय, कुछ दिन पूर्व समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि परमाणु ऊर्जा विभाग···विद्युत संयंत्रों की स्थापना के मामले में निर्धारित कार्यक्रम से पिछड़ गया है और लागत में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। अब इस तल्चर संयंत्र के मामले में परमाणु ऊर्जा इसके तकनीशियनों को यह आशा है कि वे भारी पानी का उत्पादन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कर सकेंगे। परन्तु अन्य तकनीकी विशेषज्ञों की यह निश्चित धारणा है कि यह संयंत्र निर्धारित कार्यक्रम के दो वर्ष बाद उत्पादन प्रारम्भ कर सकेगा। अब यह प्रश्न उठता है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए क्या यह देश के लिए कुछ लाभप्रद भी होगा या नहीं क्योंकि ये अत्यधिक मात्रा में विद्युत उत्पादन करने के लिए स्थापित किये गये हैं। एक दृष्टि-कोण यह भी है कि पर्यावरण को खतरा हो जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये परमाणु खर्जा संयंत्र सफेद हाथी हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर कई बार चर्चा हो चुकी है और वे इसका उत्तर भी दे चुके हैं। आप केवल उसी प्रश्न को दोहराते जा रहे हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल :—

महोदय, यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि परमाणु से ऊर्जा पैदा करने के लिए आवश्यक प्रोद्योगिकी विश्व में आसानी से उपलब्ध नहीं है। जब यह उपलब्ध थी, हमने प्राप्त की। परन्तु हमारे लिए जब बाहर से प्राप्त करना संभव नहीं रहा तब हमने इस प्रोद्योगिकी को पैदा करने की अपनी योग्यता पर भरोसा किया और प्रोद्योगिकी का इस्तेमाल किया और सौभाग्यवश हमारे वैज्ञानिक और प्रोद्योगिकी खेद हमारे लिए यह प्रोद्योगिकी पैदा करने में और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत पैदा करने में सफल रहे। अब, बढ़ती लागत और विलम्ब का जहां तक संबंध है, वे अचानक प्रोद्योगिकी उपलब्ध न होने के कारण उत्पन्न हुई अप्रत्याशित परिस्थितियों का परिणाम हैं। और इसलिए आवश्यकता हमारी अपनी योग्यता पर निर्भर करती है। परन्तु अब हम परमाणु

ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रोद्यौगिकी प्राप्त करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। परन्तु जहां तक इस प्रकार की प्रोद्यौगिकी और इस प्रकार की विद्युत पैदा करने की संभावना का संबंध है, हम यह अनुभव करते हैं कि हम इनका प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं जिससे देश में मानव मात्र के लिए पर्यावरण संबंधी खतरा उत्पन्न न हो जहां तक लागत का संबंध है, हम यह अनुभव करते हैं कि हम इसे लागत में लाभ अर्थात कम लागत पर उत्पन्न कर सकते हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : महोदय, कुछ समय पूर्व श्री बहुगुणा ने टाटाओं और बिरलाओं के नाम लिए थे। आप कृपया कार्यवाही वृतान्त को देखिए और यदि आपको यह आपत्तिजनक लगे तो इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दीजिए।

(व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : इन्होंने मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाए हैं। महोदय आप कार्यवाही वृतान्त को देखिए और इससे संबंधित हिस्से को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस संबंध में पहले ही बता चुका हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : महोदय, हमें देखना है कि वह टाटाओं की ओर से बोलते हैं या स्वयं अपनी ओर से।

(व्यवधान)

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : महोदय, सी. पी. एम. के एक माननीय सदस्य ने अभी इसे सफेद हाथी बताया है। महोदय, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारम्भ किया गया था और अब इसका प्रभावी उपयोग हो रहा है। मैं मानवीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस विचार को छोड़ रहे हैं और यह कहेंगे कि यह सफेद हाथी नहीं है। इस देश में अगर कोई सफेद हाथी है तो वह विपक्षी दल है जिसे इस सम्मानित सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री शिवराज वी० पाटिल : हम इस विचार से सहमत नहीं हैं कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम एक सफेद हाथी है।

अध्यक्ष महोदय : वह इसे लाल हाथी कहना पसन्द करेंगे।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी विस्तारित दल के सदस्यों की संयुक्त बैठक

(¥) 47. **श्री जो. वाई. कृष्णन**
श्री एन. ई. होरो } क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा गठित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों विस्तारित दल के सदस्यों की एक संयुक्त बैठक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के

विकास के लिए सातवीं योजना नीति पर चर्चा करने के लिए की गई है;

(ख) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त प्रगति की भी समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार कार्य की प्रगति से संतुष्ट है; और

(घ) यदि नहीं, तो देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्तर को उठाने के लिए कौन-कौन से सक्रिय कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) (1) अनुसूचित जातियों और (2) अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए सातवीं योजना नीति को अन्तिम रूप देने हेतु दो कार्य दल स्थापित किए हैं। प्रत्येक कार्यदल की अभी तक तीन बार बैठकें हुई हैं।

(ख) कार्यदलों की इन बैठकों में, जिनका मुख्य कार्य सातवीं योजना के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये नीति तैयार करना है, अनुसूचित जातियों के लिये विशेष कम्पोनेंट योजना और अनुसूचित जनजातियों के लिये जनजातीय उप योजना के कार्यान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई है।

(ग) तथा (घ) विशेष कम्पोनेंट योजना और जनजातीय उपयोजना कार्यान्वित कर रहे राज्य और संघ शासित क्षेत्र अधिकतर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित, जनजातीय परिवारों को काफी संख्या में आर्थिक और शैक्षित विकास से संबंधित कार्यक्रमों के अन्तर्गत ला सके हैं जिनमें आधारभूत संरचनात्मक विकास पर यथोचित बल दिया गया है। नीति में तथा कार्यान्वयन की किस्म में और सुधार करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। कार्य दलों द्वारा इस संबंध में विशिष्ट सिफारिशें किए जाने की आशा है।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर स्पष्ट नहीं है कि क्या सरकार छठी योजना में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से सन्तुष्ट है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि सातवीं योजना के लिए अब तक किन स्पष्ट सिफारिशों तक आप पहुंचे हैं ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : जहां तक छठी योजना का संबंध है, सरकार यह अनुभव करती है कि लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया गया है और केन्द्रीय योजना की सहायता से विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन किया गया है।

जहां तक सातवीं योजना का संबंध है, सातवीं योजना के लिए नीति-निर्धारित करने हेतु दो कार्यदल नियुक्त किए गए हैं। एक दल अनुसूचित जातियों के विकास के बारे में है और दूसरा अनुसूचित जनजातियों के विकास के बारे में है।

इन कार्य दलों का मुख्य उद्देश्य छठी योजना के दौरान नीति के कार्यान्वयन से प्राप्त हुए अनुभव के प्रकाश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए नीति निर्धारित करना है।

(व्यवधान)

छठी योजना के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु अपनाई गई नीति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के त्वरित विकास हेतु बनाए गए निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण मुद्दों का मिश्रण थी :

(एक) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना-राज्य और केन्द्रीय मंत्रालय,

(दो) राज्यों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता,

(तीन) राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगम और इन निगमों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता ।

मैं पहले ही बता चुका हूं कि सातवीं योजना में सरकार का इरादा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की गति को तेज करना है । इस कार्य में कई राज्य सरकारें लगी हुई हैं और छठी योजना अवधि में व्यापक विकास हेतु योजना बनाई गई थी और इन कार्यक्रमों के कार्यान्वियन हेतु राज्य सरकारों को पहले ही केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ।

सातवीं योजना में, यह प्रधानमंत्री के आर्थिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण मद है मद संख्या 7 हैं । इस मामले में न केवल राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार सम्मिलित हैं बल्कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने इन गतिविधियों की पुनरीक्षा और इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए ठोस कदम उठाये हैं ।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : छठी योजना का कार्यान्वियन राज्यों और सरकारी उपक्रमों पर निर्भर करता है । हमारा अनुभव यह है कि इन तमाम वर्षों में कार्यान्वियन सफलता पूर्वक नहीं किया गया है । इनमें त्रुटियां रही हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि राज्य सरकारें और उपक्रम योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित नहीं करते तो सरकार क्या कदम उठाएगी ।

श्री वेंकटसुब्बय्या : गृह मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा निरन्तर पुनरीक्षा की जाती रही है । अतः जहां कहीं कार्यान्वयन में त्रुटियां होती हैं हम संबंधित राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि ये त्रुटियां दूर हों ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : हम यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है । क्या केन्द्र सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि केरल में, जहां स्वयं मुख्य मंत्री इस काम को देख रहे हैं, 4 करोड़ रुपये की योजना राशि व्यपगत हो रही है । आप यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह राशि व्ययगत न हो क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री वेंकटसुब्बय्या : हम निश्चय ही केरल सरकार से सम्पर्क स्थापित करेंगे और देखेंगे कि हम अपनी ओर से क्या कर सकते हैं । हम यह प्रयास करेंगे कि यह राशि व्यपगत न हो ।

श्री सन्तोष मोहन देव वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार योजना आयोग द्वारा जब धनराशि दी जाती है तो मैदानी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों को 70 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में और 30 प्रतिशत राज सहायता के रूप में लेनी होती हैं जब कि आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले, आदिवासियों को 90 प्रतिशत आर्थिक सहायता के रूप में और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में लेनी होती है। इसे दृष्टि में रखते हुए उत्तर-पूर्वी राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने पिछली बैठक में योजना आयोग प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें यह कहा गया था कि मणिपुर, असम, अरूणाचल प्रदेश और अन्य क्षेत्रों के मैदानी इलाकों में आदिवासी रहते हैं जिनके बारे में इसी प्रकार विचार किया जाना चाहिए। इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री पी वेंकटसुब्बय्या : इस समय में कुछ नहीं कह सकता परन्तु यदि मुख्य मंत्रियों की ओर से इस प्रकार का कोई ज्ञापन दिया गया है तो इस पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा।

श्री सत्यनारायण जाटिया अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के बारे में सरकार क्या विचार करती है, यह तो पिछले वर्षों की प्रगति से मालूम होता है। पिछले महीने गृह-मंत्रालय द्वारा सातवीं योजना पर बात करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसकी सूचना संसद-सदस्यों को इस प्रकार से पहुंचाई गई कि जिस दिन बैठक थी उसके बाद सदस्यों को सूचना प्राप्त हुई सरकार ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मीटिंग की सूचना देने मे इतनी कंजूसी बरतती है तो आगे कार्यक्रम लागू करने में क्या स्थिति होगी, यह विचारणीय प्रश्न है ?

सरकार ने जो जवाब दिया है कि कार्यदलों का मुख्य कार्य सातवीं योजना के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए नीति तैयार करना है और जनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पोनेन्ट प्लान योजना और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातिय उपयोजना के कार्यान्वन की विस्तृत समीक्षा के क्या निष्कर्ष हैं ?

सरकार ने यह भी कहा है कि नीति में तथा कार्यान्वियन की किस्म में सुधार करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं, मंत्री महोदय बताये कि ये प्रयास स्पैसेफिक क्या हैं ?

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : जैसा कि मैं कह चुका हूं, हमारे कार्यक्रम के अनुसार पुनरीक्षा की गई।

श्री राम विलास पासवान : मंत्री महोदय, क्या जवाब दे रहे हैं ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : ये छठी योजना के कार्यान्वियन के लक्ष्य हैं। हमारा लक्ष्य एक करोड़ अनुसूचित जातियों के परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर आने में सहायता करना था परन्तु उपलब्धि 4 वर्षों में केवल 70 लाख रही है और अभी एक वर्ष शेष है। जहां तक अनुसूचित जनजातियों का सम्बन्ध है, 57 लाख परिवारों की तुलना में उपलब्धि चार वर्षों में 30 लाख रही हैं।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: जो अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री पी. वेंकटसुब्बय्या : वह जानना चाहते हैं कि पुनरीक्षा क्या परिणाम प्राप्त हुए। छठी योजना में उपलब्धि के बारे में जो पुनरीक्षा की गई है, मैं उन्हें दे रहा हूं।

श्री भीखा भाई : मैं माननीय मंत्री महोदय से आदिवासी उपयोजना (ट्राइब्ल्स सब-प्लान) के बारे में जानना चाहता हूं और उनसे यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि उस उप-योजना की भांति पुन: बनाना होगा। आदिवासी उप-योजना एक क्षेत्र मूलक योजना हैं जबकि संघटक योजना लाभ-मूलक योजना है। क्या सरकार ने कार्यकारी दलों के प्रतिवेदन की पुनरीक्षा करते समय इस पहलू पर विचार किया है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रंगीन और श्वेत-श्याम टी० वी० किटों का आयात

*42. **श्री नवीन रावणी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी स्वामित्व वाले इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नोलोजी डेवलपमेंट कार्पोरेशन, (ई०टी०टी०डी०सी०) द्वारा लघु एककों द्वारा पुर्जे जोड़कर टेलीविजन निर्माण हेतु पचास हजार रंगीन और तीन लाख श्वेत श्याम टी०वी० आयात करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी विदेशी फर्म से इस बारे में कोई समझौता हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या स्वदेशी उद्योग पर इसका कोई प्रभाव पड़ा हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (घ) : जी, नहीं। रंगीन अथवा श्याम तथा श्वेत, किसी भी प्रकार के दूरदर्शन सेटों के लिए किटे आयत करन का कोई प्रस्ताव नहीं है। जो संघटक-पुर्जे देश में बनाए नहीं जाते हैं केवल उन संघटक-पुर्जों का आयात करने का प्रस्ताव है यह आयात भी आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार ही किया जाएगा। इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रोद्यौगिक विकास निगम लिमिटेड ने हमारे रंगीन दूरदर्शन उद्योग को रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों की आपूर्ति करने के लिए रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के विदेशी-विननिर्माताओं के

साथ आपूर्ति-करार किए हैं। आज की तारिख तक, कुल 8.2 लाख रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों की आपूर्ति के लिए 5 विदेशी फर्मों को क्रयादेश दिए गए हैं। उनके साथ करार किए गए हैं।

चूंकि, देश में रंगीन पिक्चर ट्यूबों विनिर्माण नहीं किया जा रहा है, इसलिए इन आयात पर आधारित आपूर्ति-करारों का पिक्चर-ट्यूबों के स्वदेशी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि इसके विपरीत इस देश के लिए एक प्रमुख नए उपभोक्ता, इलेक्ट्रानिक-उत्पाद के रूप में, रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों का उत्पादन कराके, ऐसी रंगीन पिक्चर ट्यूबों के आयात से प्रत्येक रंगीन दूरदर्शन सेट के लिए लगभग 600 रुपये मुल्ये के इलेक्ट्रानिक संगटक-पुर्जों के स्वदेशी-उत्पादन तथा आपूर्ति में वृद्धि हो हो रही है।

इस्पात के मुल्यों में वृद्धि

*44 **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस्ताप के मूल्यों में हाल में की गई वृद्धि का राज्यों के औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) क्या इस बारे में पहले राज्यों से चर्चा की गयी थी ;

(ग) क्या इस बारे में पहले राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करने का विचार है: और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (एन० के० पी० साल्वे) : (क) लोहे तथा इस्पात के मुल्यों में वृद्धि की घोषणा मुख्य उत्पादकों की संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा की गई थी। इस सम्बन्ध में संयुक्त संयंत्र समिति ने उत्पादन लागत, घरेलू मांग और सप्लाई की स्थिति, खुले बाजार के मूल्यों, इंजीनियरी साज-सामान के निर्यातकों की सहायता हेतु धन एकत्र करने की आवश्यकता तथा अन्य सम्बद्ध और पहलुओं और लोहे और इस्पात के मूल्यों का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों आदि जैसी बातों को ध्यान में रखा था। लोहे और इस्पात के मूल्यों में वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर मामूली प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

लघु इस्पात कारखाने तथा पुनर्वेलक अपने उत्पादकों के मूल्य स्वयं निर्धारित करते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) : जी, नहीं। लोहे और इस्पात के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है।

पंजाब में उग्रवादियों द्वारा मारे गये लोगों के परिवारों को सहायता

*48 **श्री राम लाल राही** : क्या गृह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार पंजाब में उग्रवादियों द्वारा मारे गये बेगुनाह लोगों के परिवारों को सहायता रही है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि की सहायता दी गई है और कितने मामलों में सहायता दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

गृहमंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) (क) : जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) : 1982-83 से 13-7-84 तक 111 व्यक्तियों के परिवारों को 10-28 लाख रुपए की सहायता दी जा चुकी है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शीर्ष अधिकारियों की बैठक

*49. प्रो० मधु दण्डवते
श्रीमती प्रमिला दंण्डवते } : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात और खान के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शीर्ष अधिकारियों की हाल ही में एक बैटक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो आमंत्रित और भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है; और

(ग) चर्चा में क्या निर्णय लिये गये ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) : "जी हां" इस्पात और खान मंत्रालय में खाद विभाग के अधीन सरकारी उपक्रमों और राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों की यह कॉफ्रेंस थी । कांफ्रेंस में भाग लेने सूची संलग्न विवरण दी गई है ।

(ग) बैठक में सरकारी उपक्रमों और संघठनों के प्रमुखों ने 1983-84 के कार्यों की समीक्षा समीक्षा, अपने-अपने उद्यमों/संगठनों की 1984-85 के लिए कार्ययोजना तथा अगले 4 वर्षों के लिए कार्यवाही नीति का प्रस्तुती किया । इन प्रस्तुतियों, उन पर हुई चर्चा तथा लिये गये निर्णयों का एक दस्तावेज तैयार किया है, जो 1984-85 और के लिए उनकी उत्पादन एवं लाभकारित से संबंधित संदर्भ ग्रन्थ के रूह में होगा यह । दस्तावेज अनुश्रवण और पुनरीक्षण के लिए आधार भी प्रस्तुत करता है ।

प्रमुख अधिकारियों का सम्मेलन भाग लेने वालों

की सूची-खान विभाग

1. श्री एन. के. पी. साल्वे	मंत्री
2. श्री आर. पी. बाग	मंत्री के निजी सचिव
3. श्री एम. एल. गुप्ता	मंत्री के निजी सचिव
4. श्री ए. के. चिन्नप्पा	मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव
5. श्री पी. के. बासु	सचिव
6. श्री एन. के. पांडा	अपर सचिव
7. श्री डी. एन. घोष	अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार
8. श्री अनुपम दर	संयुक्त सचिव
9. श्री जे. ए. चौधरी	संयुक्त सचिव
10. श्री वी. के. थापर	संयुक्त सचिव
11. श्री सी. पी. एस. नायर	सलाहकार
12. श्री एम. एल. मजूमदार	निदेशक
13. श्री आर. पी. राय	निदेशक
14. श्री ए. पी. तिवारी	निदेशक
15. श्री डी. के. आचार्य	निदेशक
16. श्रीमती उर्मिला गुप्ता	निदेशक
17. श्री पी. मतिलाल	निदेशक
18. श्री बी. के. चतुर्वेदी	लेखा नियंत्रक
19. श्री आर. एस. वी. सुब्रमण्यन	उप वित्त सलाहकार
20. श्री डी. डी. गुप्त	उप सचिव
21. श्री जे. एस. श्रीधरन	उप सचिव
22. श्री एफ. सी. नाहरवार	उप सचिव
23. श्री पी. एल. केलकर	अवर सचिव
24. श्री एच. एल. अत्री	अवर सचिव
25. श्री जे. बी. मुनिराजुलू	अवर सचिव

26. श्री के. पी. वी. राघवन	अवर सचिव
27. श्री सी. एल. कलसी	सूचना अधिकारी

भाग लेने वालों की सूची-सरकार तथा अन्य एजेंसियां

1. श्री मुहम्मद फजल	सदस्य (उद्योग), योजना आयोग
2. श्री बादल राय	सलाहकार (योजना समन्वय), योजना आयोग
3. श्री नितिन देसाई	सलाहकार (परियोजना अनुमोदन) योजना आयोग
4. श्री आर. पी. बिल्लीमोरिया	अध्यक्ष, पी. ई. एस. बी.
5. श्री सी. एम. जैन	संयुक्त सलाहकार (उत्पादन) लोक उद्यम ब्यूरो
6. श्री बी. स्वामीनाथन	सलाहकार (वित्त) लोक उद्यम ब्यूरो
7. श्री एस. वरदाराजन	सचिव (विज्ञान और प्रौद्योगिकी)
8. श्री पी. के. लाहरी	संयुक्त सचिव (कोयला)
9. श्री एस. जेड. कासिम	सचिव (महासागर विकास)
10. श्री ओ. पी. सचदेव	संयुक्त सलाहकार (खनिज) योजना आयोग
11. श्री वी. सुब्रमण्यन	उप सचिव (योजना वित्त)
12. श्री एस. सी. ढींगरा	संयुक्त सचिव (भारी उद्योग)
13. श्री बी. के. गुप्ता	आयुक्त, कर अनुसन्धान
14. श्री एन. एस. मुखर्जी	संयुक्त सचिव (वित्त) आर्थिक कार्य मामले विभाग
15. श्री टी. एस. रत्नम	सलाहकार (वाणिज्य) लोक उद्यम ब्यूरो
16. श्री एम. वी. अथरेया	निदेशक, हिन्दुस्तान जिंक लि.
17. श्री पिरथीपाल सिंह	प्रबन्ध सलाहकार, आई. टी. आई., नई दिल्ली
18. श्री आर. मेहता	निदेशक, पर्यावरण विभाग

19. डा. उमेश	रक्षा मंत्रालय
20. श्री आई. एम. आगा	सलाहकार (उत्पादन), लोक उद्यम ब्यूरो

उपक्रमों तथा संगठनों में भाग लेने वालों की सूची

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड :

1. श्री एम. वी. एन. आर. शेषगिरी राव	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री एम. ए. खान	निदेशक (परिचालन)
3. श्री एस. राय	निदेशक (वित्त)
4. श्री आर. सी. बाहरी	कार्यकारी निदेशक, आई. सी. सी.
5. श्री एस. बोस	वित्त सलाहकार
6. श्री टी. एम. सी. मेनन	महाप्रबन्धक (समन्वय)

भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड

7. श्री के. वी. बी. पन्तुलू	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
8. श्री पी. एस. राव	निदेशक (ओ. एण्ड पी.)
9. श्री एस. एम. मूर्ति	निदेशक (वित्त)
10. श्री पी. एस. गुप्ता	महाप्रबंधक (पी.)
11. श्री एस. एस. नन्दी	महाप्रबंधक (योजना)
12. श्री एस. के. दासगुप्ता	प्रमुख (कारपोरेट योजना)

भारतीय खान ब्यूरो :

13. श्री डी. एन. भार्गव	महानियंत्रक
14. श्री सुरेश चन्द	आर. सी. ओ. एम.
15. श्री एम. मुखर्जी	आर. सी. ओ. एम.

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड :

16. श्री पी. डी. गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
17. श्री श्रीनिवास राव	निदेशक (वित्त)
18. श्री पी. ए. के. शेट्टीगर	निदेशक (तकनीकी)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण :

19. श्री एस. के. मुखर्जी	महानिदेशक
20. श्री पी. रोहमिंगथंगा	वरिष्ठ उप महानिदेशक (पी.)
21. श्री एस. एस. रोय चौधरी	वरिष्ठ उप महानिदेशक (एफ.)
22. श्री डी. पी. ढोंढियाल	वरिष्ठ उप महानिदेशक (ओ. पी.)
23. श्री एन. के. मुखर्जी	उप महानिदेशक (ओ. पी.)

सिक्किम खनन निगम :

24. श्री बी. बी. बनर्जी	प्रबन्ध निदेशक
25. श्री थापा	एस.ए. ओ.

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड :

26. श्री आर. के. कपूर	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
27. श्री ए. सी. वधवान	निदेशक (एस. ओ. पी.)
28. श्री एम. दत्ता	निदेशक (एम. ओ. पी.)
29. श्री ओ. पी. शर्मा	महा प्रबन्धक (वित्त)
30. श्री जी. आई. कृष्णामूर्ती	महा प्रबन्धक (एम. आई. एस.)
31. श्री बी. आर. ठुकराल	महा प्रबन्धक

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड :

32. श्री के. वी. बी. पन्तुलू	प्रबन्धक निदेशक
33. श्री एस. एच. आजाद	निदेशक (परियोजनाए)
34. श्री वी. राधाकृष्णन	महा प्रबन्धक (वित्त)
35. श्री एस. सतपथी	सलाहकार (तकनीकी)
36. श्री आर. एन. गुप्ता	मुख्य अभियन्ता (यान्त्रिक)
37. श्री एम. एम. सभरवाल	निदेशक (अंश कालिक)
	अध्यक्ष, बाटा इण्डिया ।

खनिज सर्वेक्षण निगम लिमिटेड :

38. श्री महीप सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
39. श्री यू. सी. मेहरा	मुख्य (वाणिज्यिक)
40. श्री बी. बी. नदगीर	मुख्य (लेखा तथा लेखा परीक्षा-अधिकारी

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कालोनी बनाने के लिए दिए गए ऋण की वसूली और वापसी

50. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में कालोनी बनाने के लिए दिए गए ऋण की कुल कितनी राशि, ऋण माफ किए जाने तक ऋण लेने वालों से वसूल की जा चुकी थी ;

(ख) क्या वसूल की गई उक्त धनराशि वापस करने का निर्णय किया गया था और यदि हां, तो अब तक कुल कितनी धन राशि वापस की गई है ;

(ग) सरकार का कब तक पूरी धनराशि वापस कर देने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वेंकटसुब्बय्या) : (क) अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार जून, 1981 तक जब कालोनीकरण योजना के अन्तर्गत अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आबादकारों को स्वीकृत की गई ऋण की राशि को और उस पर उपार्जित सूद सहित माफ करने का निर्णय लिया गया, ऋण लेने वालों से 3, 63, 896.73 रु. की धन राशि वसूल की गई थी।

(ख) यह भी निर्णय किया गया था कि पुराने आप्रवासी जो भारत में 31 मार्च, 1958 से पहले आये थे, के मामले में, उनके द्वारा वापिस की गई ऋण की धन राशि चाहे वह पूर्ण अथवा आंशिक है, वापस की जाएगी। ऐसे आबादकार ऋण प्राप्त कर्त्ताओं की संख्या 176 है। अब तक 82 आबादकारों को 63,368.27 रु. की धन राशि वापस की गई है।

(ग) तथा (घ) शेष 94 आबादकारों को 1,04,337.20 रु. की धन राशि देना संभव नहीं है क्योंकि उनमें से 30 आबादकारों की मृत्यु हो चुकी है और अन्य में से अधिकांश ने भू-सम्पत्तियों को बेचने के पश्चात बस्ती छोड़ दी है। मृतक ऋण प्राप्त कर्त्ताओं के मामले में उनके वैध, उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है ताकि वे धन राशि वापिस लेने का दावा कर सकें। कुछ मामलों में वैध उत्तराधिकारी उपलब्ध नहीं है।

इस्पात के मुल्यों में वृद्धि

*52 **के० ए० राजन**
श्री भीम सिंह } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : हाल ही में इस्पात के मुल्यों में 15 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गई थी ;

(ख) : यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) : क्या 182-83 और 1983-84 में भी में मुल्यों वृद्धि की गई थी ;

(घ) : यदि हाँ तो तत्संबंधी का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) : क्या इस प्रकार बार-बार मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप निर्माण, आवास औद्योगिक विकास को आघात पहुंचेगा ;

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पी० साल्वे) : (क) और (घ) : (क) से (घ) : लोहे तथा इस्पात के मुख्य उत्पादकों की संयुक्त संयन्त्र समिति वे 12 जून, 1983 को लोहे और इस्पात के मुल्यों में 15 प्रतिशत की औसत वृद्धि की घोषणा की थी। वर्ष 1982-83 1983-84 तथा सभी लोहे तथा इस्पात के मुल्यों में वृद्धि की गई थी। लोहे तथा इस्पात की प्रतिनिधिक श्रेणियों में इस परिवर्तनों का ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

(ङ) और (च) संयुक्त संयन्त्र समिति "सेल" "इस्को" और "टिस्को" के सर्वतोसखी इस्पात कारखानों द्वारा उत्पादिन लोहे और इस्पात की कुछ चुनी हुई श्रेणियों के मुल्यों निश्चित करती है। मुल्य निश्चित करते समय संयुक्त संयंत्र समिति उत्पादन लागत, घरेलू मार्ग और सप्लाई, खुले बाजार के भाव, इंजीनियरी साज-समाज के निर्यातकों की सहायता के लिए धन जुटाने की आवश्यकता तथा अन्य सम्बन्धित बातों को, जिनमें लोहे और इस्पात के मुल्यों का अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव भी शामिल है, ध्यान में रखती है। लोहे और इस्पात के मूल्यों में वृद्धि का अर्थ व्यवस्था पर मामूली प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली छड़ों और गोल छड़ों तथा देश के कुछ भागों में छत डालने के काम आने वाली जस्ती जालीदर चादरों के मामले में संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा की मूल्य-वृद्धि 15 प्रतिशत की औसतन वृद्धि से कम है।

विवरण

लोहे तथा इस्पात के संयुक्त संयंत्र समिति के रेल पर्यन्त मूल्य (रुपए/टन)

	1.4.1982 पूर्व से	1.4.82 से	2.4.82 से	23.30.82 से	1.4.83 से	24.7.83 से	22.6.84 से
1	2	3	4	5	6	7	8
कच्चा लोहा (एल०एम० ग्रेड-4)	1425	1425	1650	1750	1855	2010	2390
प्लेटें							
5-10 मि०मी०	3500	3525	3900	4150	4310	4360	5230
10 मि०मी० से अधिक	3500	3525	4200	4450	4610	4710	5650

1	2	3	4	5	6	7	8
संरचनात्मक	3095	3120	4000	4100	4260	4260	5110
बिलेट/आर०सी०							
स्केवर	3645*	3670*	3550	3500	3660	3660	4000
ब्लूम	3015*	3040*	3100	3000	3160	3300	3640
स्लेब	3415*	3440*	3200	3340	3500	3500	3840
छड़े तथा गोल छड़ें							
10 मि०मी० तक	4495*	4520*	4580	4730	4890	4790	4900
10 मि०मी० से 25 मि०							
मी० से अधिक	4025*	4050*	4040	4180	4340	4340	4650
जस्ती सादी चादरें क्वायल							
1.6 से 1.0 मि०मी०	5770	5795	5795	5796	5055	6155	6660
1.0 से .63 मि०मी०							
से पतली	6825	6850	6850	6850	7010	7210	7800
जस्ती नालीदार चादरें/क्वाइल							
1.6 से 1.0 मि०मी०	5770	5795	5795	5795	5055	6155	6660
1.0 से .63 मि०मी							
से पतली	6855	6880	6880	6880	7040	7260	7850
गर्म वेलित क्वायल							
3.15 मि०मी० और							
उससे कम	3805	3830	4100	4100	4260	4460	5160
3.15 मि०मी० से							
अधिक तथा 5 मि०मी०							
से कम	3805	3830	3830	3830	3990	4300	5000
गर्म वेलित चादरें							
1.0 से 1.0 मि०मी०तक	4745	4770	4770	4770	4930	5030	5705
1.6 मि०मी० से							
पतली	5245	5270	5270	5270	5430	5530	6205

1	2	3	4	5	6	7	8
ठंडे वेलित क्वायल							
1.6 से 1.0 मि०मी०	5310	5335	5335	5335	5495	5495	6595
1.0 मि०मी० से पतली	5585	5610	5610	5610	5770	5770	6925
ठंडी वेलित चादरें							
1.6 से 1.0 मि०मी०	5375	5400	5400	5400	5560	5560	6670
1.0 मि०मी० से पतली	5655	5680	5680	5680	5840	5840	7000

† इस अवधि में इन मदों के मूल्य उत्पादकों ने स्वयं निश्चित किए थे और उनकी घोषणा भी उन्होंने स्वयं की थी न कि संयुक्त संयंत्र समिति ने ।

व्यावसायिक विशेषज्ञों में असन्तोष

54* हेमवती नन्दन बहुगुणा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान व्यावसायिक विशेषज्ञों में, उच्च स्तरीय पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों में उन्हें छोड़ देने के कारण, व्याप्त व्यापक असन्तोष की भावना की ओर दिलाया गया है; और यदि हां, तो बिभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्राप्त किए गए अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या श्रम अनुसंधान संस्थान, रक्षा अध्ययन,संस्थान सांख्यिकी विभाग, रोम स्थित एग्रिकल्चर अटेची, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि मंत्रालयों के सर्वोच्च अधिकारियों आदि के मामले में ऐसा हुआ है, और यदि हां, तो सरकार की इस नीति के कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार मंत्रिमंडल की वैज्ञानिक सलाहकार समिति से इस मामले की जांच करने को कहेगी ।

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री पी. वेंकटसुब्बय्या : (क) तथा (ख) : भारत सरकार के अधीन वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियां सामान्यत: विभिन्न संगठित सेवाओं जैसे अखिल भारतीय सेवाओं और व्यावसायिक सेवा में से की जाती हैं । वरिष्ठ स्तर के पदों पर नियुक्तियां करने के लिए ऐसे पदों की विशिष्ट अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उत्कृष्ट वैज्ञानिकों/टेक्नोक्रेट/अर्थशास्त्रियों आदि पर भी विचार किया जाता है चूंकि प्रमुखत: तकनीकी स्वरूप के अधिकांश मंत्रालयों/विभागों के सचिव/अपर सचिव पहले से ही टेक्नोक्रेट हैं । और इसलिए व्यावसायिक कर्मचारी वर्ग के बीच असन्तोष का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता । इसके अतिरिक्त, संगठित सेवाओं के विभिन्न व्यावसायिक संवर्गों में शामिल वरिष्ठ पद संबंधित व्यावसायिक/तकनीकी सेवाओं के सदस्यों द्वारा ही भरे जाते हैं । कृषि अधीन रोम कृषि अटेची पद पर नियुक्त के मामले को छोड़कर प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित विभागों के संबंध में हमारी जानकारी में कोई शिकायतें अथवा अभ्यावेदन नहीं लाए गए हैं । इस पद के संबंध में यह निर्णय किया गया था कि इस पद से लिए किसी तकनीकी या वैज्ञानिक विशेषता की आवश्यकता नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गंगा को शुद्ध रखने की परियोजना

***55 श्री नरायण चौबे**
श्रीमती जयन्ती पटनायक } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गंगा को प्रदूशण से मुक्त रखने के लिए "आपरेशन गंगा" नामक एक योजना तैयार कर रही है, जैसा कि 14 जून, 1984 के "टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ हैं ;

(ख) यदि हां तो, तो उक्त योजना का क्या ब्यौरा है ;

(ग) योजना का "कार्यान्वित करने पर कितनी लागत आएगी और इससे क्या परिणाम निकलने की आशा है ;

(घ) क्या गंगा के जल के दूषित होने का मुख्य कारण घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट को गंगा में छोड़ना है ; और

(ङ) उक्त योजना किस तरीके से गंगा में अपशिष्ट को चहाने से रोकेगी ?

श्री प्रधान मंत्री (श्री मती इन्दरा गांधी): (क) तथा (ख) यद्यपि "आपरेशन गंगा" कोई वशिष्ट योजना नहीं है फिर भी गंगा में प्रदुषण, जो कि मुख्यता घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्टों के कारण होता है, को कम अरने के लिए अनेक उपाय उठाए जा रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति तथा स्वछता (1981-90) दशक में मलजल तथा सफाई के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी के शहरों में शत प्रतिशत जनसंख्या को तथा द्वितीय श्रेणी के शहरों में 50 प्रतिशत जनसंख्या शामिल करने का प्रस्ताव है । मुख्यतया राज्य सरकारों द्वारा अनिवार्य प्रवाधाना बनाए जाने हैं।

केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रबोर्ड तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने गंगा बेसिन में उपचार सुविधाएं सुलभ करने के लिए 214 बड़े मझले उद्योगों को मनाया है ।

कुछ शहरों में उठाए जाने वाले विशिष्ट बपायों का ब्यौरा नीचे दिया गया है ।

इलाहाबाद

1. अपशिष्ट जल के बहाव को मल-जल फार्म में गिराने के लिए एक प्राथमिक योजना प्रगति पर है ।
2. उत्तर प्रदेश जल निगम गंगा तथा यमुना में जल प्रदूशण के नियत्रंण के लिए एक योजना तैयार कर रहा है ।

वाराणसी

1. उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा पहले ही निर्मित पम्पिंग स्टेशन के रख-रखाव/प्रचालन, कानिया पम्पिंग स्टेशन के पुनर्गठन तथा अन्य पम्पिंग स्टेशनों का पुनरूद्धार कार्य के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं ।

2. राज्य सरकार द्वारा शवों कागंगा नदी में दाह को रोकने के लिए विधुत शवदाह गृह के निर्माण के बारे में विचार किया जा रहा है।

कानपुर

1. राज्य सरकार के साथ परामर्श से उत्तर-प्रदेश प्रदूशण नियत्रण बोर्ड ने कानपुर नगर में चर्म शोधक कारखानों से होने वाले प्रदूषण के नियन्त्रके लिए एक योजना (स्कीम) बनाई हैं।

कलकत्ता

2. विश्व बैंक की सहायता से, कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण की कूड़े-कचरे तथा मलजल की 100 प्रतिशत उपचार तथा निपटान की एक-योजना है।
गैर-पारम्पनिक ऊर्जा श्रोत विभाग मल-जल अपशिष्टों से वाराणसी, इलाहबाद, कानपुर हरिद्वार तथा ऋषिकेश में जैव-गैस बनाने कीं एक योजना बना रहा है।

राज्य सरकारों को प्रदूषण नियन्त्रण के लिए कार्यकारी योजना में बनाने में सहायतार्थ केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्र बोर्ड ने 8 राज्यों के संबंधित प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डोके साथ मिलकर गंगा बेसिन के प्रदूषण की एक बेसिन उप-बेसिन सूची बनाई है।

इसके अतिरिक्त, ऊपर, मध्य तथा नीचे तथा रीच में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के माध्यम से गंगा के सम्न्वित पर्यायरणीय अध्यन के लिए एक शोध परियोजना प्रारम्भ की गई है। इसी बीच, प्रस्तावित अन्त: विषयात्मक अध्ययय प्रदूषण की प्रकृित तथा भौतिक रासायनिक स्थिय पर इसके अनुप्रभाए नदी की उत्पादकता तथा परिस्थिति की सन्निहित करते हैं।

(ग) अनुमोदित शोध योजना (स्कीम) पर लगभग 114 लाख रुपयों का परिव्यय होगा। गंगा के मध्यस्थ क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की शोध योजराओं (स्कीमस्) का अनुमोदन किया जाना है।

(घ) जी हां।

(ड़) प्रश्न के पैरा (क) तथा (क्ष) में उल्लिखित उहाय, पूर्ण होने पर, आजकल, गंगा में प्रवेश हो रहे प्रदुशण भार को काम करने केसहायता प्रदान करेंगें। शोध अध्यन प्रदूषण कच करने के उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने में मदद करेंगें।

राष्ट्रीय एकता परिषद् और इसकी उप-समितियों की आगामी बैठकें

*56. **श्री मोहम्मद असरार अहमद**
श्री भाऊसाहिब थोरट } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय एकता परिषद् और इसकी उपसमितियों की आगामी बैठकें कब करने का प्रस्तावहै ; और

(ख) परिषद् द्वारा विशेषकर साम्प्रदायिक हिंसा फैलने से रोकने के लिए अब तक क्या कार्य किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पो० वेंकटसुब्बय्या) : (क) राष्ट्रीय एकता की अन्तिम बैठक हाल ही में 21-1-1984 को हुई थी। परिषद् और उसकी उप-समितियों की अगली बैठक के लिए तारीखें अभी निर्धारित नहीं की गई हैं।

(ख) परिषद और उसकी समितियां स्वयं व्यापक रूप से राष्ट्रीय एकता का प्रबोधन करने और साम्प्रदायिक शांति बनाये रखने का कार्य करती रही है। अतीत में परिषद और उसकी समितियों के विचार-विमर्शों के अनुसरण में और साम्प्रदायिक घटनाओं से प्राप्त अनुभव के आधार पर राज्य सरकारों को साम्प्रदायिक हिंसा फैलने से रोकने तथा साम्प्रदायिक शांति बनाये रखने के लिए व्यापक मार्गदर्शी निदेश दिये गये हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी कम करना

*58. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी को कम करने के लिए तीन वैकल्पिक नीतियों का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो वैकल्पिक नीतियां क्या हैं ;

(ग) सरकार ने इन नीतियों के बारे में क्या निर्णय लिया है ; और

(घ) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के आत में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की अनुमानित संख्या कितनी होगी तथा सरकार द्वारा निश्चित की गई नीति के फलस्वरूप सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में यह संख्या कितनी होगी ?

योजना मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के नीति दस्तावेज के अनुसार, गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत को वर्ष 1994-95 तक कम करके 10 प्रतिशत किया जाएगा। छठी और सातवीं योजना के अन्त तक गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के यथातथ्य अनुमान अभी तैयार नहीं किए गए हैं। गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के वर्ष 1983-84 के अन्त तक कोई अनुमान तैयार नहीं किए गए हैं।

धार्मिक स्थानों का राजनैतिक प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग करने के विरुद्ध कानून बनाना

*59. **श्री के. मालन्ना**
श्री रामावतार शास्त्री } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धार्मिक स्थानों का राजनैतिक प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग करने के विरुद्ध कानून

बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वह विधान कब लाया जाएगा ?

गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) (क) से (ग) सरकार द्वारा किसी ऐसे विधान पर विचार नहीं किया जा रहा है । लेकिन राष्ट्रीय एकता परिषद को उप-समिति के विचाराधीन राजनैतिक दलों के लिए आचार संहिता में स्वेच्छा से ऐसा दुरुपयोग न करने की सलाह दी गई है ।

धार्मिक छुट्टियों को समाप्त करना और शनिवार तथा रविवार को छुट्टी घोषित करना

*60. **श्री आर० आर० भोले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1983-84 और 1984-85 में कितनी छुट्टियों की घोषणा की है ;

(ख) उनमें से कितनी छुट्टियां, हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, बौद्धों और अन्य धर्मों से संबंधित हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार धर्म-निरपेक्ष होने के नाते सभी धार्मिक छुट्टियों को समाप्त करने और सभी शनिवार और रविवार छुट्टी घोषित करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए वर्ष 1983 और 1984 की छुट्टियों की एक सूची विवरण 1 और विवरण 2 के रूप में संलग्न है । छुट्टियों की घोषणा कलैण्डर वर्ष के आधार पर की जाती है ।

(ख) 16 छुट्टियों की संरचना इस प्रकार है :—

I. राष्ट्रीय छुट्टियां 3

1. गणतन्त्र दिवस
2. स्वतन्त्रता दिवस, और
3. महात्मा गांधी जन्म दिवस ।

II. अल्पसंख्यक समुदायों की छुट्टियां 8

(केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में अनिवार्यत: मनाई जाती हैं ।)

ईसाई	1.	गुड फ्राइड
	2.	क्रिसमस
जैन	1.	महावीर जयन्ती

बौद्ध	1.	बुद्ध पूर्णिमा
मुसलमान	1.	ईद-उल-फितर
	2.	ईद-उल-जुहा
	3.	मुहर्रम
सिक्ख	1.	गुरुनानक जन्म दिवस ।

III. बहुसंख्यक समुदायों की छुट्टियां 5

(क) 1. दीपावली
2. दशहरा

केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में अनिवार्यत: मनाई जाती है ।

(ख) जहां तक इस समुदाय के लिए 3 अन्य छुट्टियों का संबंध है, ये छुट्टियां दिल्ली/नई दिल्ली के कार्यालयों के मामले में कार्मिक विभाग द्वारा तथा दिल्ली से बाहर के कार्यालयों के मामले में संबंधित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा वर्षानुवर्ष आधार पर स्थानीय महत्व के निम्नलिखित 12 अवसरों में से चुनी जाती हैं :—

दशहरा, होली, जन्माष्टमी, राम-नवमी, महा शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी[विनायक चतुर्थी, मकर संक्रान्ति, रथ यात्रा, ओणम, पोंगल, श्रीपंचमी/वसन्तपंचमी, विशु/वैशाखी के लिए एक अतिरिक्त दिन ।

फिर भी, केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक, वाणिज्यिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों जैसे संगठनों में 16 छुट्टियां मनाई जाएंगी जिनमें 3 राष्ट्रीय छुट्टियां अनिवार्य होंगी। अन्य 13 अवसरों का निर्णय संबधित प्रतिष्ठान या संगठन द्वारा वर्षानुवर्ष आधार पर लिया जाएगा ।

(ग) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

विवरण 1

भारत सरकार की 1983 की छुट्टियों की सूची

क्रम सं०	छुट्टियों का नाम	तारीख	शक संवत	सप्ताह का दिन
1.	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी	माघ 6, 1904	बुधवार
2.	होली	29 मार्च	चैत 8, 1905	मंगलवार
3.	गुड फ्राइडे	1 अप्रैल	चैत 11, 1905	शुक्रवार
4.	महावीर जयन्ती	25 अप्रैल	बैशाख 5, 1905	सोमवार
5.	बुद्ध पूर्णिमा	26 मई	ज्येष्ठ 5, 1905	वृहस्पतिवार

6.	*ईद-उल-फितर	12 जुलाई	आषाढ़ 21, 1905	मंगलवार
7.	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त	श्रावण 24, 1905	सोमवार
8.	जन्माष्टमी	31 अगस्त	भाद्र 9, 1905	बुधवार
9.	*ईद-उज्जहा (बकरीद)	18 सितम्बर	भाद्र 27, 1905	रविवार
10.	महात्मा गांधी जन्म-दिवस	2 अक्तूबर	आश्विन 10, 1905	रविवार
11.	दशहरा (महा अष्टमी)	14 अक्तूबर	आश्विन 22, 1905	शुक्रवार
12.	दशहरा (विजय दशमी)	16 अक्तूबर	आश्विन 24, 1905	रविवार
13.	*मुहर्रम	18 अक्तूबर	आश्विन 26, 1905	मंगलवार
14.	दीवाली (दीपावली)	4 नवम्बर	कार्तिक 13, 1905	शुक्रवार
15.	गुरु नानक जन्म दिवस	20 नवम्बर	कार्तिक 29, 1905	रविवार
16.	क्रिसमस दिवस	25 दिसम्बर	पौष 4, 1905	रविवार

*चांद दिखाई देने के आधार पर परिवर्तन की शर्त ।

विवरण 2

भारत सरकार की 1984 की छुट्टियों की सूची

क्रम सं०	छुट्टियों का नाम	तारीख	शक संवत	सप्ताह का दिन
1.	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी	माघ 6, 1905	बृहस्पतिवार
2.	होली	17 मार्च	फागुन 27, 1905	शनिवार
3.	महावीर जयन्ती	13 अप्रैल	चैत्र 24, 1906	शुक्रवार
4.	गुड फ्राइडे	20 अप्रैल	चैत्र 31, 1906	शुक्रवार
5.	बुद्ध पूर्णिमा	15 मई	बैशाख 25, 1906	मंगलवार
6.	*ईद-उल-फितर	1 जुलाई	आषाढ़ 10, 1906	रविवार
7.	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त	श्रावण 24, 1906	बुधवार
8.	जन्माष्टमी	20 अगस्त	श्रावण 29, 1906	सोमवार
9.	*ईद-उज्जहा (बकरीद)	6 सितम्बर	भाद्र 15, 1906	बृहस्पतिवार
10.	महात्मा गांधी जन्म दिवस	2 अक्तूबर	आश्विन 10, 1906	मंगलवार

11.	दशहरा (महा नवमी)	3 अक्तूबर	आश्विन 11, 1906	बुधवार
12.	दशहरा (विजय दशमी)	4 अक्तूबर	आश्विन 12, 1906	बृहस्पतिवार
13.	*मुहर्रम	6 अक्तूबर	आश्विन 14, 1906	शनिवार
14.	दीवाली (दीपावली)	24 अक्तूबर	कार्तिक 2, 1906	बुधवार
15.	गुरु नानक जन्म दिवस	8 नवम्बर	कार्तिक 17, 1906	बृहस्पतिवार
16.	क्रिसमस दिवस	25 दिसम्बर	पौष 4, 1906	मंगलवार

*चांद दिखाई देने के आधार पर परिवर्तन की शर्त।

बोकारो स्टील लिमिटेड में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की भर्ती में अनियमितता

435. **श्री पीयूस तिरकी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो स्टील लिमिटेड में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की भर्ती में अनियमितता की सूचना मिली है ;

(ख) यदि हां, तो अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) बोकारो स्टील लिमिटेड में जनवरी 1981 से आज तक भर्ती किए गए विकलांग व्यक्तियों की संख्या और प्रतिशत क्या है।

(घ) बोकारो स्टील लिमिटेड के प्रबन्धक मंडल के पास जिन विकलांग व्यक्तियों के मामले विचाराधीन हैं उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) बोकारो स्टील लिमिटेड में विकलांग कर्मचारियों को पदोन्नति और अन्य सुविधाओं के मामले में क्या प्राथमिकताएं दी जाती हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) बोकारो इस्पात कारखाने में श्रेणी "ग" के पदों पर शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों की भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था है। जनवरी, 1981 से जून, 1984 तक इस कारखाने में श्रेणी "ग" में लगे शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों की संख्या तथा प्रतिशत इस प्रकार है :—

वर्ष	वर्ष के दौरान बोकारो में लगे शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों की संख्या	श्रेणी "ग" में लगे व्यक्तियों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान श्रेणी "ग" में लगे कुल व्यक्तियों के संदर्भ में शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों का प्रतिशत
1981	16	2927	0.55
1982	47	2391	1.96
1983	8	2545	0.31
1984 (जून, 84 तक)	2	382	0.52

(घ) शारीरिक रूप से अपंग निम्नलिखित 9 व्यक्ति नियुक्ति की नामिका में है : उपयुक्त रिक्तियां उपलब्ध न होने के कारण अभी तक इनको नौकरी की पेशकश नहीं की जा सकी है :—

क्रम संख्या	नाम	विकलांगता
	सर्वश्री	
1.	जी० ठाकुर	दाहिना हाथ खराब है
2.	ए० के० झा	बायीं टांग खराब है
3.	पी० एन० पाठक	बायां हाथ खराब है
4.	यू० के० झा	बायीं टांग खराब है
5.	ए० कुमार	दाहिना हाथ खराब है
6.	आर० चरन	बहरापन
7.	आर० एन तिवारी	बायीं टाँग खराब है
8.	जे० मेहतो	दोनों टांग खराब हैं
9.	वी० के० झा	बायीं टांग और बायां हाथ खराब है ।

(ङ) शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों की पदोन्नति में कोई आरक्षण अथवा प्राथमिकता देने की कोई व्यवस्था नहीं है । फिर भी, कारखाने के अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध सभी सुविधाओं के अलावा शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएं पाने के पात्र हैं :—

(i) विकलांग तथा अन्धे नियमित को मूल वेतन के 10 प्रतिशत के हिसाब से सवारी भत्ता दिया जाता है । शर्त यह है कि इसकी राशि एक महीने में 75 रुपये से अधिक

नहीं होगी। (यह सीमा 9.12.83 से लागू है, इस तारीख से पहले मासिक सीमा 50 रुपये थी)।

इसी प्रकार जिन कर्मचारियों की नजर 3/60 से कम है अथवा जिनकी दूरबीन से देखने (फील्ड विजन) की नजर 10 से कम (दोनों आंखों की नजर) है वे इस भत्ते के हकदार हैं। जो कर्मचारी पहले से सेवारत हैं उनके लिए यह व्यवस्था 19 मई, 1984 से लागू है। उन कर्मचारियों पर, जिन्हें इस प्रकार की नियोग्यता बाद में हुई है, समक्ष चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित करने पर नियोग्यता की तारीख से, यह व्यवस्था लागू होगी। जो कर्मचारी स्थानीय यात्रा के खर्चे की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं वे इस भत्ते/विशेष भत्ते/परिवहन सहायता के पात्र नहीं हैं।

(ii) डाक्टरी इलाज के नियमों के अन्तर्गत विकलांगता के उपकरण खरीदने के लिए पेशगी मिल सकती है। इसकी प्रतिपूर्ति उस हालत में की जाएगी जब किसी कारणवश कम्पनी उन उपकरणों को न खरीद सके। वर्तमान प्रणाली के अनुसार उन कर्मचारियों को बनावटी अंगों की लागत की प्रतिपूर्ति की जाती है जिन्हें ड्यूटी पर रहते चोट लग जाए।

वर्ष 1981 से अब तक
पंजाब में मारे गए/घायल हुए लोगों की संख्या

437. **श्री सूरज भान** : क्या गृह मन्त्री पंजाब में पंजाब आंदोलन के दौरान मारे गए व्यक्तियों को दिए गए मुआवजे अब तक के बारे में 28 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5152 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 से आज तक पंजाब में कुल कितने लोग मारे गए और कितने घायल हुए ;

(ख) पंजाब में पुलिस/अर्ध-सैनिक/सैनिक कर्मचारियों और आतंकवादियों की गोली से मारे गए अथवा घायल हुए लोगों को सरकार द्वारा दिए गए/दिए जाने वाले मुआवजे का का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तो उसके क्या कारण हैं ;और

(घ) पंजाब में नष्ट हुई संपत्ति के लिए दिए गए/जाने वाले मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) यह स्पष्ट नहीं है कि क्या प्रश्न में पंजाब आन्दोलन से संबंधित व्यक्तियों सहित पंजाब आन्दोलन के दौरान 1981 के बाद की सभी प्रकार की घटनाओं में पंजाब में मारे गए और जख्मी हुए सभी व्यक्तियों के बारे में पूछा गया है। विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख और ग) : उपलब्ध सूचना के अनुसार पंजाब सरकार द्वारा 1982-83 से 13-7-1984 तक मारे गए व्यक्तियों के 111 मामलों में 10,28000 रु. और जख्मी व्यक्तियों के 183 मामलों में 3,79,500 रु. की वित्तीय सहायता दी गई है। इसमें पुलिस कार्मिकों के परिवारों को उन पर लागू विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत दी गई राशि सम्मिलित नहीं है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इस्पात का लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन

439: **श्री अजित बाग** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार और संयंत्र-वार, विभिन्न इस्पात संयंत्रों के लिए उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और संयंत्र इस्पात का क्या उत्पादन हुआ ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार देश में इस्पात की कितनी मांग थी ;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार इस्पात का कुल कितना आयात किया गया ; और

(ङ) क्या कोई निर्यात किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री (एन० के. पी. साल्वे) : (क और ख) : सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के गत तीन वर्षों के उत्पादन-लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन के आंकड़े इस प्रकार हैं :

(हजार टन)

	1981-82		1982-83		1983-84	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तकिक	लक्ष्य	वास्तविक
तप्त धातु						
भिलाई इस्पात कारखाना	2742	2377	2820	2330	2200	2124.1
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	1291	1023	1320	1056	1060	977.5
राउरकेला इस्पात कारखाना	1559	1336	1490	1203	1120	1150.0
बोकारो इस्पात कारखाना	2600	2192	2800	2194	2275	2275.1
इस्को	938	800	940	912	888	843.6

सेल	9130	7728	9370	7695	7543	7370.3
टिस्को	1840	1774	1840	1793	1840	1745.7
कुल	10970	9502	11210	9488	9383	9116.0
इस्पात पिंड						
भिलाई इस्पात कारखाना	2414	2115	2202	2130	1800	1837.3
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	1142	930	1056	952	850	806.2
राउरकेला इस्पात कारखाना	1646	1203	1285	1144	1064	1087.7
बोकारो इस्पात कारखाना	2050	1793	1956	1829	1650	1680-8
इस्को	758	600	656	624	628	542.9
सेल	8010	6641	7155	6679	5992	5654.9
टिस्को	1940	1956	1940	1946	1940	1973.0
कुल	9950	8597	9095	8625	7932	7927.9
विक्रेय इस्पात				योजनागत		
भिलाई ईस्पात कारखाना	1965	1818	1865	1838	1460	1574.4
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	910	782	868	812	658	602.4
राउरकेला इस्पात कारखाना	1225	1091	1001	992	838	862.4
बोकारो इस्पात कारखाना	1600	1472	1534	1529	1275	1288.0
इस्को	600	488	532	500	500	443 8
सेल	6300	5651	5800	5671	1731	4771.0
टिस्को	1550	1605	1550	1620	1550	1626-0
कुल	7850	7256	7350	7291	6281	6397.0

(ग) संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा गत तीन वर्षों के लिए देश में इस्पात की मांग के बारे में लगाया गया अनुमान इस प्रकार है—

(आंकड़े मिलियन टन में हैं)

वर्ष	मांग
1981-82	10.520
1882-83	9.800
1983-84	9-918

(घ) गत तीन वर्षों में "सेल" द्वारा माध्यम अभिकरण के रूप में आयात किए गए इस्पात के आंकड़े इस प्रकार हैं—

(आकड़े मिलियन टनों में हैं)

वर्ष	मांग
1981.82	1.05
1982-83	1.32
1983.84	0.57

(ङ) चालू वर्ष में जून, 1984 के अन्त तक 18,058 टन तार छड़ों का निर्यात किया गया है। 162.000 टन इस्पात निर्यात करने के आर्डर कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन आर्डरों में प्लेट, तार छड़, बिलेट, ठंडे वेलित क्वायल और संरचनात्मक शामिल हैं।

441. श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और दिल्ली के कौन-कौन से जिले बांगलादेश से आए लोगों की घुसपैठ से प्रभावित हुए हैं;

(ख) इस समय इनमें से प्रत्येक जिले में बांगला देशवासियों की अनुमानित संख्या कितनी है ;

(ग) उनके विषय में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उनमें से कितनों ने प्रत्येक जिले में अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा लिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री. पी. वेंकटसुब्बैय्या) (क) विशेष रूप से सभी सीमावर्ती जिले घुसपैठ से प्रभावित हैं।

(ख) घुसपैठियों के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1980, 1981, 1982 और 1983 (अक्तूबर, 1983 तक) के दौरान असम और बंगलादेश में कुल 40292 घुसपैठियों का पता लगाया गया था तथा उनको वापिस भेजा गया था।

(ग) ओर (घ) : 25 मार्च 1971 ,को अथवा उसके बाद अवैध रूप से आए हैं। पता लगने पर उनको वापिस भेजा जाएगा। क्या उनमें से किन्हीं लोगोंने अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा लिए हैं इसके संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए केन्द्रीय कार्यक्रम

442, **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के परामर्श से कुछ केन्द्रीय सरकारों ने ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनसे छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं और इस प्रयोजन के लिए उन राज्यों ने क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में ऐसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं;और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) एक सूची विवरण के रूप संलग्न है।

(ग और घ)—जी हां, श्रीमान। 1 मई, 1984 तक 7.011 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों और लगभग 1.145 लाख अनुसूचित जनजाति परिवारों की आर्थिक सहायता की गयी।

विवरण

1/1 योजना लक्ष्य की सूची नाम	परिवारों की संख्या अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
1. आंध्र प्रदेश	7,50,000	50,000
2. असम	1,14,000	2,00 429
3. बिहार	10,48,000	2,00,000
4. गुजरात	2,36,000	3,50,000
5. हरियाणा	1,60,000	—
6. हिमाचल प्रदेश	86,000	43,749
7. जम्मू और कश्मीर	—	—

8. कर्नाटक	5,30,000	15,500
9. केरल	2,38,000	16,000
10. मध्य प्रदेश	7,00,000	6,18,000
11. महाराष्ट्र	8,54,000	उ. न.
12. मणिपुर	2,686	उ. न.
13. उड़ीसा	4,00,000	5,14,794
14. पंजाब	4,19,000	—
15. राजस्थान	5,00,000	50,000
16. सिक्किम	3,400	उ.न.
17. तमिलनाडु	9,17,000	19,000
14. त्रिपुरा	25,526	उ.न.
19. उत्तर प्रदेश	15,00,000	3,100
20 पश्चिम बंगाल	11,12.000	1,08,275
21. चन्डीगढ़	151	—
22. दिल्ली	40,000	—
23. गोवा दमन और दीव	—	1,500
24. पाण्डिचेरी	9,000	—
25. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	3,700

"नाल्को" के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र

44. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नाल्को" में कार्यरत कर्मचारी संघों की समन्वय समिति ने एक मांग पत्र प्रस्तुत किया है जिनमें उन्होंने अपनी मांगों को 28 जून, 1984 तक पूरा करने के लिए कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या है और अधिकारियों ने उस पर क्या कारवाई की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) नाल्को कर्मचारी यूनियनों की समन्वय समिति ने एक मांगपत्र पेश किया था। लेकिन उस मांगपत्र में मांगों को पूरा करने के लिए 28 जून, 1984 तक की शर्त नहीं है।

1. नाल्को कर्मचारियों के वेतनमान 5. 4. 1981 से अन्य समान सरकारी उपक्रमों के वेतनमानों के अनुरूप दिया जाये।

2. कर्मचारियों को नगर में आने की तारीख से भी मूल भत्ते के 30 प्रतिशत की दर से मासिक मकान किराया भत्ता, खनन/शिविर भत्ता, भुवनेश्वर में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नगर प्रतिपूर्ति भत्ता, खराब मोसम प्रतिपूर्ति भत्ते का भुगतान किया जाये।

3. बृह पदोन्नति पदों, गैर प्रशासी श्रेणियों प्रतिनियुक्ति की रोक-थाम, प्रशिक्षण सुविधाओं तथा गैर प्रशासी कर्मचारियों के लिए अवकाश लाभ प्रशासी वर्ग के समान करने के लिए नियमों को उदार बनाया जाये ; शिकायत कमेटी का गठन किया जावे ; गैर प्रशासनिक कर्मचारियों को प्रशासी वर्ग की तरह ही सवारी भत्ता, परिवहन मदद रियायती दरों पर कैन्टीन सुविधाओं तथा जीवन-बीमा की सुविधाएं सुलभ की जाए और परियोजना भत्ते का विस्तार किया जाये।

प्रबंधक और यूनियन प्रतिनिधियों के बीच 24 फरवरी, 1984, 28 और 29 जून, 1984 को मांगपत्र के मुद्दे पर द्वितीय विचार विमर्श हुआ तथा अगला विचार-विमर्श 30 जुलाई 1984 को होना हैं।

पंजाब पुलिस में विभिन्न सम्प्रदायों के लोगों का प्रतिनिधित्व

445. **श्री बालसाहिब विखे पाटिल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या पंजाब पुलिस में विभिन्न सम्प्रदाय के लोगों का समानुपाती प्रतिनिधित्व नही है ;

(ख) पंजाब की जनसंख्या का गठन किस प्रकार है और पंजाब पुलिस में इस समय उनका प्रतिनिधित्व कितना है ;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की है कि अनुपात बराबर रहे ;

(घ) क्या सरकार विचार कुछ योग्य भूतपूर्व सैनिकों को पुलिस में भर्ती करने का है ताकि राजनैतिक दलों द्वारा उनके अवसरों का शोषण न किया जा सके ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ) पुलिस राज्य का विषय है जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा आंकड़ें संकलित नहीं किए जाते हैं।

रंगीन टी. वी. सेटों के निर्माण के लिए कुछ फर्मों को लाइसेंस जारी किया जाना

446. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ फर्मों को रंगीन टेलीविजन सैटों के निर्माण हेतु लाइसैंस जारी किए हैं ; और

(ख) यदि हां तो उत्पादन क्षमता आर लागत आदि के बारे में ब्यौरा क्या है और यह खुले बाजार में कब तक आ जाएंगें ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम. एस: संजीव राव) : जी हां,

(ख) : देश में रंगीन दूरर्शन सेटों का उत्पादन पहले ही शूरू हो गया है जहां तक इनके उत्पादन तथा क्षमता के ब्यौरों का संबन्ध है, ये संकलित किए जा रहे हैं।

भारतीय वन सेवा और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग प्रशिक्षार्थी अधिकारी परीक्षाएं आयोजित करना

451. **श्री लाला राम केन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय वन सेवा तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की प्रशिक्षार्थी-अधिकारी परीक्षाओं को आयोजित करने की तारीख 22 जुलाई, 1984 निश्चित की गई है ;

(ख) क्या इससे पहले भी कभी अखिल भारतीय स्तर की दो परीक्षाएं एक ही दिन आयोजित को गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो अब इन परीक्षाओं को एक साथ कराने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : (क) से (ग) : संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय वन सेवा परीक्षा और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आयोजित तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग प्रसिक्षार्थी अधिकारी परीक्षा—दोनों ही 22 जुलाई, 1984 को हुई थी।

संघ लोक सेवा आयोग पूरे वर्ष अलग-अलग तारीखों में विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करता है। परीक्षाओं का वार्षिक कार्यक्रम बहुत पहले तैयार कर लिया जाता है और उसे सारे देश में विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों/बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों/शैक्षिक संस्थाओं आदि में परिचालित कर दिया जाता हैं ताकि वे अपने द्वारा आयोजित विभिन्न शैक्षिक/प्रतियोगिता परीक्षाओं की यदि कोई हों तो तारीखें उपयुक्त रूप से समायोजित कर ले, जिससे कि इन परीक्षाओं की तारीखों का आयोग परीक्षाओं की तारीखों से टकराव न हो। आयोग के वर्ष 1984 की परीक्षाओं के कार्यक्रम की प्रतियां विभिन्न विश्व विद्यालयों, राज्य लोक सेवा आयोगों आदि को अगस्त, 1983 में ही परिचालित कर दी गई थीं। इसके बावजूद भी, आयोग की किन्हीं परीक्षाओं की तारीखों के अन्य संस्थाओं/संगठनों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं की तारीखों के साथ टकराव होने की संभावना से पूरी तरह इन्कार नहीं किया जा सकता।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को कुछ उम्मीदवारों से इस आशय की सूचना पहले ही प्राप्त हो गई थी कि वे प्रशिक्षार्थी अधिकारी परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे और वे यह परीक्षा बाद

की किसी तारीख में देने के इच्छुक हैं। ऐसा पता चला है कि ऐसे उम्मीदवारों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग उनके लिए एक अन्य परीक्षा आयोजित करने के ब्यौरे तैयार कर रहा है।

सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं लाया गया है जबकि पहले कभी अखिल भारतीय स्तर की दो परीक्षाएं एक साथ आयोजित की गई हों।

भारतीय पुलिस द्वारा प्रयोग किये जाने वाले उत्पीडक तरीके

452. **श्री टी. एस. नेगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एमनेस्टी/इण्टरनेशनल" की रिपोर्टों में भारत का नाम उन देशों में दिखाया गया है जिनमें उत्पीड़क तरीके प्रयोग में लाये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों का पूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाये जाने वाले उत्पीड़क तरीकों के बारे में उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर, अपराध कबूल करवाने के लिए उत्पीड़क तरीकों का रोजमर्रा के तरीकों के रूप में प्रयोग बन्द करने के लिए कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) "टार्चर इन एटीज" शीर्षक की एमनेस्टी इण्टरनेशनल की एक रिपोर्ट में भारत का उल्लेख है।

(ख) नकसलवादियों की हत्याएं, पुलिस हिरासत में मृत्युएं, झूठी मुठभेड़ो में मृत्युएं, भागलपुर जेल में व्यक्ति अन्धे किए जाने और कुछ अन्य मामलों का उल्लेख किया गया है।

(ग) अपराधों की जांच पड़ताल के दौरान उत्पीड़न के तरीकों का किसी प्रकार आश्रय लेने पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा नाराजगी जाहिर की गई है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह दी है कि वे पुलिस को ऐसे तरीकों को छोड़ देने और जांच के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के लिए कहें।

रेडियो रिसीवरों के निर्माण में कमी

453. **श्री मनमोहन टुडू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में "रेडियो रिसीवर" के निर्माण में कमी आई है ; और

(ख) यदि हां, तो किस वर्ष से और उसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1983 के दौरान 60 लाख रेडियो रिसीवरों का उत्पादन हुआ था जबकि वर्ष 1982 में 71 लाख रेडियो रिसीवरों का उत्पादन किया गया था। कम उत्पादन अनेक कारणों से हुआ था। उदाहरणतया कुछ रेडियो विनिर्माता फैक्टरियों में कई महीने तक तालाबंदी रही तथा एक प्रमुख संघटक पुर्जा निर्माता कम्पनी में भी कई महीनों तक तालाबंदी रही थी।

यह भी संभव है कि दूरदर्शन के संभावित व्यापक प्रसार ने भी इसकी मांग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला होगा।

पंजाब में उग्रवादियों के मामलों से निबटने के लिए विशेष अदालतें/न्यायाधिकरण

454. **श्री ए. के. राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों के मामले से निबटने के लिए विशेष अदालतें/न्यायाधिकरण बनाए जाएंगे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) उग्रवादियों से प्रभावित क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अध्यादेश, 1984 (1984 का 9) जिसको 14 जुलाई, 1984 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया था, के उपबन्धों के अनुसार पंजाब में तीन विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। अध्यादेश की प्रतिलिपियां 23 जुलाई, 1984 को सदन के पटल पर रखी गई थी।

राजस्थान की क्षेत्रोन्मुख आदिवासी उप-योजना

456. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान आदिवासी उपयोजना का मुख्य जोर क्षेत्र विकास पर है तथा यह लोगों के निजी लाभ पर नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो आदिवासी लोगों की हालत सुधारने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे; और

(ग) सरकार द्वारा क्षेत्रोन्मुख लक्ष्य की बजाए लाभ प्राप्तकर्ता-उन्मुख लक्ष्य अपनाए जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने छठी योजना के दौरान आदिवासी विकास के लिए निम्नलिखित चार मुख्य लक्ष्य अपनाए थे :—

(i) लाभ प्राप्त कर्त्ता परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के विचार से कृषि, बागवानी, पशुपालन, वानिकी, लघु उद्योग आदि के क्षेत्र में उनके उत्पादकता स्तरों को बढ़ाने के लिए परिवार उन्मुख लाभ प्राप्त कर्त्ता कार्यक्रमों को शुरू करना।

(ii) भूमि अन्तरण, रुपये। उधार देने, ऋण बंधन, वानिकी आदि के क्षेत्र में आदिवासियों के शोषण को समाप्त करना।

(iii) मानव साधन विकास के साथ शिक्षा पर मूल क्षेत्र के रूप में बल दिया गया है।

(Iv) विकास के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त आधारभूत संरचना का सृजन। चूंकि गरीबी को कम करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है अतः राज्य सरकार को परिवार उन्मुख योजनाओं के लिए अधिक धनराशि निर्धारित करने और उनको सख्ती से कार्यान्वित करने की सलाह दी गई है ताकि अनुसूचित जनजाति के 50 प्रतिशत परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके।

सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को वाणिज्य रोजगार प्राप्त करने के लिए अनुमति दिया जाना

457. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सेवा पेंशन नियमों के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रीय सेवा श्रेणी "क" के किसी सरकारी कर्मचारी ने, जिसने सेवा-निवृत्ति के समय 2500/- रुपये वेतन या इससे अधिक वेतन लिया था, नियम 10 के अन्तर्गत वाणिज्यिक रोजगार प्राप्त करने के लिये आवेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन लोगों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इसकी अनुमति दी गई तथा उक्त अधिकारियों को किस प्रकार के वाणिज्यिक रोजगार की अनुमति प्रदान की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार के जो सेवा निवृत्ति अधिकारी सेवा निवृत्ति के समय 2500 रु० या इससे अधिक वेतन ले रहे थे और जो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 10 से शासित होते हैं उनके द्वारा सेवा निवृत्ति के बाद प्राप्त किए गए वाणिज्यिक रोजगार के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण।

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार)

(1.7.82 से 30.6.84 तक की अवधि के बारे में)

क्रम सं०	सेवा-निवृत्त अधिकारी का नाम	सेवा-निवृत्ति के समय धारित पद	उस वाणिज्यिक रोजगार की प्रकृति, जिसके लिए अनुमति दी गई थी
1.	2	3	4
1.	श्री एम. वी. वेंकेटेसन	सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग	जल प्रबन्ध तथा सिंचाई अध्ययनों के क्षेत्र में परामर्शी कार्य
2.	श्री सी. एस. स्वामीनाथन	सचिव, खान	मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (प्रा०) लि० के बोर्ड में अंशकालिक निदेशक
3.	श्री ओ. वी. कुरुविल्ला	अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	अध्यक्ष, संयुक्त भारत फाइनेंस कार्पोरेशन (प्रा०) लि० बम्बई
4.	श्री एस. एस. शफी	मुख्य योजनाकार, नगर तथा ग्राम योजना संगठन	दार-अल हंसदा, जद्दाह में योजन समन्वयका
5.	श्री एच. एन. अग्रवाल	भारतीय दूर संचार सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में लेवल-1	इलेक्ट्रोनिक्स तथा दूर संचार इंजीनियर्स संस्थान दिल्ली में सहायता सचिव
6.	श्री जे. एस. मार्या	महा निदेशक, सड़क विकास	मैसर्स कंस्ट्रक्शन इण्डिया लि० नई दिल्ली में परामर्शी कार्य
7.	श्री के. एन. भूटानी	सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	मैसर्स बर्माको फैब्रिकेटर्स (प्रा०) लि० के निदेशक मण्डल में निदेशक
8.	श्री जे. एस. कोहली	मुख्य अभियन्ता लेवल-1) मिलीटरी इन्जीनियरिंग सर्विस	मैसर्स सदर्न इन्जीनियर्स एण्ड कैरियर्स (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता में महा प्रबन्धक

1	2	3	4
9.	श्री सी. एस. गौरी-शंकरन	सदस्य, आर्डिनेन्स फैक्ट्रीज बोर्ड	मैसर्स ट्रावनकोर रेयन लिमिटेड, मद्रास में कार्यकारी निदेशक
10.	श्री के. के. धर	निदेशक, निरीक्षण योजना तथा प्रकाशन, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	मैसर्स वैस्टन इलेक्ट्रोनिक्स नई दिल्ली में उप महाप्रबंधक
11.	कु० अमृता ग्रोवर	भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में लेवल-1 पद	मैसर्स एजेक्स बिजनिस सर्विसेस लिमिटेड नई दिल्ली में वित्तीय परामर्श-
12.	श्री टी. के. शरण	सलाहकार, निर्माण, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो	परियोजना निर्माण में परामर्शी कार्य
13.	श्री जे. डी. ए. जान	भारतीय दूर-संचार सेवा	प्रबन्धक (प्रशासन), डाइनर्स क्लब आफ इण्डिया (प्रा०) लिमिटेड, बंगलौर
14.	डा. एच. एन. सेठना	प्रधान सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	मैसर्स टाटा सन्स लि० में निदेशक
15.	श्री पी. एल. गुरनानी	सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग	जल इन्जीनियरी में परामर्शी कार्य
16.	श्री मनजीत सिंह	संयुक्त महा नियंत्रक, लेखा, वित्त मंत्रालय	मैसर्स टाटा परामर्शी सेवाओं में परामर्शी कार्य
17.	श्री एम. एम. मेहता	भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में लेवल-1 पद	मैसर्स भानु इन्डस्ट्रीज (प्रा०) लिमिटेड, हिसार में कार्यकारी निदेशक
18.	श्री के. डी. बाली	इन्जीनियरी सदस्य दिल्ली विकास प्राधिकरण	इन्जीनियरी क्षेत्र में परामर्शी कार्य

1	2	3	4
19.	श्री पी. के मलिक	संयुक्त सचिव कम्पनी कार्य विभाग	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का कार्य
20.	श्री के. एस. भटनागर	सचिव, कम्पनी कार्य विभाग	कारपोरेट लॉ में चैम्बर प्रेक्टिस
21.	श्री जी द्वारकानाथन	भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में लेवल-11 पद	सदर्न पेट्रो-कैमीकल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड में उपाध्यक्ष (वित्त)
22.	श्री एच. एस. कृष्णास्वामी	सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग	जल संसाधन बिकास के क्षेत्र में परामर्शी कार्य

अल्पसंख्यकों संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त पैनल की रिपोर्ट

458. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह संसद के इस सत्र के दौरान उच्च शक्ति प्राप्त पैनल (डा. गोपाल सिंह की अध्यक्षता में) की रिपोर्ट तथा उस पर की गई कार्यवाही की प्रति सभा पटल पर रखेंगे; और

(ख) विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

बाड़मेर, राजस्थान में लिगनाइट के भण्डार

459. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाड़मेर जिला, राजस्थान के कपूरांडी गांव में लिगनाइट का पता लगाने के लिए मैसर्स मिनर्लस एक्सप्लोरेशन लिमिटेड द्वारा व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी मात्रा में तथा किस किस्म के लिगनाइट के भण्डारों का पता लगा है ;

(ग) क्या कारपोरेशन ने इस संबंध में एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या परियोजना रिपोर्ट की प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) खनिज गवेषण निगम राजस्थान के बाड़मेर जिले के कपूरांडी इलाके में लिगनाइट निक्षेपों का विस्तृत गवेषण कर रहा है ।

(ख) निगम द्वारा किए गए अब तक के कार्य के आधार पर इस क्षेत्र में लगभग 40-50 मि० टन लिग्नाइट भंडारों का अनुमान लगाया गया है ।

(ग) और (घ) विस्तृत गवेषण का नाम अभी जारी है और इसलिए पूर्ण परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार नहीं की गई है ।

आन्ध्र प्रदेश में वन्य जीवन

463. **श्री अनन्त रामुलु मल्लू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जून, 1984 के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि आन्ध्र प्रदेश के एजेंसी-क्षेत्रों में वन्य जीवों का अब बिजली से शिकार किये जाने का का नया खतरा उत्पन्न हो गया हैं क्योंकि चोरी छिपे शिकार करने वालों ने बन्दूकों, भाले तीरों, जालों तथा मचानों को छोड़कर विद्युत प्रेषक तारों का उपयोग करके पशुओं को बिजली का करंट लगाकर शिकार करना शुरू कर दिया है ;

(ख) क्या इस घृणित कार्य के लिए झीलों और तलाबों को चुना है जहां पशु अधिकतर रात के समय अपनी प्यास बुझाने जाया करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का विचार वन्य-जीवन के संबंध कुछ सुरक्षात्मक उपाय करने का है ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सुल्तानपुरी और मायापुरी में लगी आग में मारे गये लोग

464. **श्री जगपाल सिंह**
प्रो. अजित कुमार मेहता
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री
श्री त्रिलोक चन्द्र } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में सुल्तानपुरी और मायापुरी दिल्ली की झुग्गियों में लगी भयंकर आग में अनेक व्यक्ति मरे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस इस मामले में क्या कार्यवाही की हैं ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : 21-5-1984 को सुल्तानपुरी में आग लगने की घटना घटी जिसमें 5 व्यक्तियों की जानें गई और 8 व्यक्ति जलने से जख्मी हुए। उसके बाद 29-5-1984 को कीर्तिनगर औद्योगिक क्षेत्र, टिम्बर मार्किट (मायापुरी रिंग रोड चौराहा में आग लगी जिसमें 978 झुग्गियाँ पूरी तरह जल गई। इस घटना में एक लड़के की जलने के कारण मृत्यु हो गई।

(ग) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार आग की घटनाओं के संबंध में पुलिस ने दो मामले दर्ज किए हैं और दोनों मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है। इन दो घटनाओं में उपराज्यपाल ने भी अपर जिला मजिस्ट्रटों द्वारा मजिस्ट्रेरिल जांच करने के आदेश दिए हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेटों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

दिल्ली प्रशासन ने भी मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों और जख्मी व्यक्तियों और अन्य प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता दी है।

राज्यों द्वारा 20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यन्वयन

465. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के राज्यों से 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपना-अपना प्रतिवेदन भेज दिया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसा न करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं और उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सभी राज्य 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित मासिक प्रगति रिपोर्ट भेज रहे हैं, यद्यपि कुछ राज्यों से रिपोर्टें देर से प्राप्त होती हैं। त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्यों की जून, 1984 की प्रगति रिपोर्ट संलग्न है। [**ग्रथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 8466/84**] त्रिपुरा से अप्रैल, 1984 से और उसके बाद के महीनों की रिपोर्ट प्रतिक्षित है।

रेलवे और लारियों के लिए विदेशी सहयोग से इलेक्ट्रानिक इनमोशन वे ब्रिजेज के उपयोग की अनुमति

466. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे और लारियों के लिए विदेशी सहयोग से "इलेक्ट्रानिक-इनमोशन वे ब्रिजेज" हेतु कुल कितने आवेदन अभी भी सरकार द्वारा मंजूर किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये आवेदन कौन-कौन सी भारतीय कम्पनियों अथवा फर्मों के हैं तथा मूलत: किन देशों म सहयोग से वे कार्य कर रही हैं ;

(ख) क्या सरकार भारतीय स्थितियों के संदर्भ में इन परियोजनाओं और सहयोग करने वाले देशों की खोजों को अधिकतम लाभ और इनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन से बाहरी देश अथवा सहयोगकर्ता हैं जो इस प्रकार के इलेक्ट्रानिक इनमोशन वे ब्रिजेज के सर्वोत्तम निर्माता हैं तथा भारतीय कम्पनी और उन विदेशी सहयोगकर्ता, दोनों का विवरण क्या है ; और

(घ) इस प्रकार की किसी परियोजना को मंजूरी देने में कितना समय लगेगा ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राय) : (क) इस समय कोई आवेदन ऐसा नहीं है जिस पर सरकार द्वारा अनुमोदन दिया जाना है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस रेंज के उत्पादों की कुछ वस्तुएं अत्यन्त विशिष्ट स्वरूप की हैं जो इसके प्रयोगकर्ताओं की विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप हैं किन्तु आम प्रयोजन की प्रणालियां स्वीडन, ग्रेट-ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका आदि में बनाई जाती हैं। यह पता चला है कि स्वीडन में आशिया-ए. बी., टेल्युव ए. बी. आदि जैसी कुछ कम्पनियों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित कर ली है ।

(घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिक्किम में नागरिकता विहीन लोगों का बसना

468. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में कुछ नागरिकता विहीन लोग बस गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे नागरिकताविहीन लोगों की संख्या कितनी है तथा सरकार का विचार उन्हें नागरिकता के अधिकार देने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अधीन 16 मई, 1975 को एक आदेश जारी किया गया था जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि 26 अप्रैल, 1975 (वह तारीख जिसको सिक्किम भारत संघ का 22वां राज्य बना था) से ठीक पहले प्रत्येक वह व्यक्ति, जो सिक्किम प्रजा विनियम 1961 के अधीन सिक्कम की प्रजा था, को भारत का नागरिक समझा जाएगा । जो व्यक्ति 1961 के उक्त विनियम के अधीन पंजीकृत नहीं किए गए थे या इस प्रकार पंजीकृत किए जाने के पात्र नहीं थे उन्हें नागरिकताविहीन माना जा सकता, जब तक कि उनका किसी अन्य राष्ट्रीयता के लिए कोई दावा न हो ।

ऐसे व्यक्तियों के दावों पर नागरिकता अधिनियम, 1955 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है ।

1984-85 के लिए पश्चिम बंगाल की वार्षिक योजना को अंतिम रूप देना

471. **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या पश्चिम बंगाल को वर्ष 1984-85 की वार्षिक योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) पश्चिम बंगाल की वार्षिक योजना 1984-85 को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने योजना के जिस आकार के लिए अनुरोध किया है उस आकार के कहीं नजदीक मात्रा में संसाधनों की उपलब्धता के बारे में उक्त सरकार योजना आयोग को संतुष्ट नहीं कर सकी है ।

साम्प्रदायिक दंगों के बारे में न्यायिक आयोगों की सिफारिशों

473. **श्री वसुदेव आचार्य**
श्रीमती सुशीला गोपालन } : गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970 से चार न्यायिक आयोगों, तथा 1968 के रांची के दंगों के बारे में न्यायमूर्ति रघुबीर दयाल आयोग, 1969 के अहमदाबाद के दंगों के बारे में न्यायमूर्ति जगमोहन रेड्डी आयोग 1970 के भिवण्डी दंगों के बारे में न्यायमूर्ति मेडोन आयोग और 1980 के जमशेदपुर के दंगों के बारे में न्यायमूर्ति जितेन्द्र नारायण आयोग ने उक्त चार प्रमुख, साम्प्रदायिक दंगों के बारे में विस्तार से जांच की थी जिन्होंने देश को हिला कर रख दिया था :

(ख) क्या इन आयोगों ने साम्प्रदायिकता के कैंसर से जूझने के लिए बहुआयामी कार्यवाही करने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं :

(ग) यदि हाँ, तो इन सिफारिशों का सार क्या है ; और

(घ) इन वर्षों में इन सिफारिशों पर आधारित कार्यवाही कार्यक्रम तैयार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) इस जांच आयोगों को केन्द्र सरकार ने नियुक्त नहीं किया है । जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) में यह व्यवस्था है कि संबंधित सरकार, अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त जांच आयोग की रिपोर्ट, यदि कोई हो, इस पर की गयी कार्रवाई के ज्ञापन सहित, संबंधित सरकार को आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 6 महीने के भीतर लोक सभा या जैसा भी मामला हो, राज्य विधान परिषद के समक्ष रखेगी । अत: विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त जाँच आयोग की रिपोर्ट केवल संबंधित राज्य विधान परिषद में विभिन्न राज्य सरकारों को प्रस्तुत करनी होती है ।

केरल में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव

474. **श्री पी. के. कोडियन** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु विकिरण से संरक्षण [प्रबंधी [संगठन] के नेतृत्व [में सात संगठनों संगठनों के तत्वधान में, हाल ही में कोचीन में हुई एक गोष्ठी में प्रधान मंत्री को ज्ञापन दिया गया था जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि केरल ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को त्याग दिया जाए ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त संगठनों द्वारा अपनी मांग के समर्थन में दिए गए ज्ञापन के मुद्दों का अध्ययन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) ज्ञापन में दिया गया मुख्य तर्क यह था कि केरल घनी आबादी वाला राज्य है और क्योंकि प्राकृतिक विकिरण की मात्रा पश्चिमी देशों में होने वाले विकिरण की मात्रा से अधिक है, इसलिए केरल में एक परमाणु बिजली घर लगाना उचित नहीं है ।

(ग) तथा (घ) स्थल-चयन-समिति परमाणु बिजली घरों के लिए स्थलों का चुनाव करते समय भू-वैज्ञानिक परिस्थितियों, सामान्य जल-विज्ञान, भूकम्प तथा मौसम विज्ञान संबंधी परिस्थितियों और जनसंख्या के घनत्व, भूमि के उपयोग के स्वरूप और किसी भी प्रकार की संभावित दुर्घटना की स्थिति में उत्पन्न हो सकने वाले विकिरण के प्रभावों जैसी पर्यावरण से संबंध रखने वाली बातों को ध्यान में रखती है ।

ए. ए. एस. यू. और ए. ए. जी. एस. पी. पर प्रतिबंध

475. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह**
श्री रवीन्द्र वर्मा
श्री बापू साहिब परूलेकर } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने आल असम स्टूडेंटस यूनियन और आल असम गणसंग्राम परिषद् पर प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश की है :

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं :

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है : और

(घ) राज्य सरकार ने किन बातों के आधारों पर उन पर पाबन्दी यगाने की सिफारिश की है ?

गृह मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं, श्रीमान ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

विशाखापतनम में वायु और जल प्रदूषण

477. **श्री के. ए. स्वामी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और उसके चारों ओर स्थित अव्यवस्थित औद्योगिक स्कूलों द्वारा वायु और जल का किस सीमा तक प्रदूषण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रदूषण करने वाले उद्योगों का पता लगाया गया है ;

(ग) यदि हां तो प्रदूषण की इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां, ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसको राज्य में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवार तथा नियन्त्रण) अधिनियम 1981 का क्रियान्वयन सौंपा गया है, वह प्रमुख तथा समझौते (मध्यम) प्रदूषण उद्योगों को आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण सुविधायें स्थापित करने के निर्देश दे रहा है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्ष 1984 में अनुसूचित जातियों के लोगों की हत्याएं

478. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दौरान (जून, 1984 तक) देश में राज्यवार कितने अनुसूचित जातियों के लोगों की हत्याएं की गई : और

(ख) इस प्रकार की हत्याओं को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) राज्य सरकार द्वारा यथासूचित, 1984 के दौरान अनुसूचित जातियों की हत्याओं के मामलों की संख्या का विवरण ।

क्रम सं०	राज्य का नाम	1984 में सूचित किए गए हत्याओं के मामलों की संख्या	सूचना किस अवधि तक
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	फरवरी तक
2.	बिहार	5	जनवरी तक
3.	गुजरात	3	अप्रैल तक
4.	हरियाणा	शून्य	मई तक
5.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	जून तक
6.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	फरवरी तक
7.	कर्नाटक	7	मई तक
8.	केरल	1	फरवरी तक
9.	मध्य प्रदेश	39	अप्रैल तक
10.	महाराष्ट्र	3	अप्रैल तक
11.	उड़ीसा	2	अप्रैल तक
12.	पंजाब	3	मई तक
13.	राजस्थान	5	मई तक
14.	तमिलनाडु	1	अप्रैल तक
15.	उत्तर प्रदेश	92	मई तक
16.	पश्चिम बंगाल	शून्य	फरवरी तक

टिप्पणी : (1) असम के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(2) अन्य राज्यों के विषय में सूचना शून्य है।

(ख) अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए एहतियाती, निवारात्मक, दण्डात्मक और पुर्नवास उपायों के विषय में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त इस मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को भेजे गए हैं।

इलेक्ट्रानिक पुर्जे उद्योग द्वारा
अच्छे किस्म के माल का उत्पादन न किया जाना

479

497. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि।

(क) क्या स्वदेशी इलेक्ट्रानिक्स कलपुर्जे उद्योग को अनेक प्रकार की शिकायतें दिए जाने के बावजूद भी वह प्रतियोगात्मक मूल्य पर अच्छे किस्म के माल का उत्पादन करने में असमर्थ है•

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन निर्माणकर्ताओं को सुधारने का है जिन्हें ऐसी रियायतें मिली हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) (क) : जी, नहीं ।

(ख) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रविरोधी तत्वों और पंजाब के उग्रवादियों के बीच सम्बन्ध

480

488. **श्री पी. राजगोपालनायडू** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रविरोधी तत्वों और पंजाब के उग्रवादियों के बीच किसी प्रकार के संबंध होने की जानकारी है : और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी वेंकटसुब्बय्या) (क) से (ख) : सरकार के पास इस बात पर विश्वास करने का कारण है कि पंजाब में सिख उग्रवादियों और जम्मू व कश्मीर में सिख उग्रवादियों तथा जम्मू व कश्मीर में अन्य राष्ट्रविरोधी तत्वों के बीच सम्बन्ध है ।

खनन और खनिज (नियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन

482. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन और खनिज (नियमन और विकास) अधिनियम, 1957 पुराना और निष्प्रभावी हो गया है ;

(ख) क्या उन्होंने कहीं यह आश्वासन दिया था कि वे वर्षाकालीन सत्र में एक संशोधन विधेयक पुनः स्थापित करेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो यह विधेयक, सभा में कब तक पुनः स्थापित कर दिए जाने की आशा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) अधिनियम में गम्भीर कमियां और विसंगतियां हैं और इसलिए इन्हें दूर करने के लिए अधिनियम में अनेक संशोधनों पर विचार हो रहा है ।

(ख और ग) : विधेयक संसद में शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए कार्यवाही चल रही है। खान विभाग ने इस बारे में अपने इरादे की संसदीय कार्य विभाग को पहले ही सूचना दे दी है।

आधारभूत उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि किए जाने पर चर्चा

484. **श्री आनन्द पाठक : क्या योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद में इस्पात आदि जैसे आधारभूत उद्योगों के लिए कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि किए जाने जैसे मामलों पर चर्चा आवश्यक है ताकि विभिन्न एजेंसियाँ उसे स्वीकार कर लें ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अब ऐसा करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8467/84]**

इसे देखने से यह पता चलेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्यों में राष्ट्रीय योजना के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करना और तैयार करना है जिसमें योजना के लिए संशाधनों का मूल्यांकन करना शामिल है। इस्पात आदि जैसे मूल उद्योगों के लिए कच्चे माल की कीमत का अवयव, केन्द्रीय और सरकारों राज्य दोनों ही के सरकारी उद्योगों से संसाधन जुटाने से संबंधित व्यापक अभ्यासों में आजाता है। ये ब्यौरे राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों के परामर्श से योजना आयोग द्वारा तैयार किए जाते हैं, और योजना के लिए उपलब्ध संसाधनों की समग्र स्थिति के संबंध में सहमत आधार पर राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रस्तुत किए जाते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद में वास्तविक प्रशासनिक और नीति निर्णयों पर विचार-बिमर्श नहीं किया जाता है।

दुर्गापुर, राउरकेला और बर्नपुर इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

485. **श्री विजय कुमार यादव**
श्री चिरन्जी लाल शर्मा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्गापुर, राउरकेला और बर्नपुर इस्पात के संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां तो योजना का क्या ब्यौरा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) (क) और (ख) :

जी, हाँ। दुर्गापुर, राउरकेला और बर्नपुर के इस्पात कारखानों के नवीनीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन की योजनाओं पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और इस काम में काफी प्रगति हो चुकी है।

इन प्रस्तावों से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होने की सम्भावना है :

— कच्चे माल, मध्यवर्ती तथा तैयार उत्पादनों की क्वालिटी में सुधार रखने के लिए प्रौद्योगिक उन्नयन,

— कच्चे माल तथा ऊर्जा की यूनिट कंजम्पशन में कमी,

— धातुकर्म कोयले जैसे दुर्लभ कच्चे माल का संरक्षण,

— उत्पादकता में सुधार,

— अधिक मूल्यवान किस्म के इस्पात का उत्पादन तथा इस्पात कारखानों की अर्थक्षमता में सुधार।

पंजाब की कार्यवाही के दौरान पंजाब से बाहर मारे गए और गिरफ्तार हुए उग्रवादी

486. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री
श्री दौलत राम सारण } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब की कार्यवाही के दौरान पंजाब से बाहर कितने उग्रवादी मारे गये और कितने गिरफ्तार किए गए : और

(ख) पंजाब में और पंजाब से बाहर गिरफ्तार किए गए लोगों में से कितने व्यक्ति अभी जेलों में हैं और कितने लोगों को रिहा कर दिया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब में आन्दोलन करने वाले संगठनों के नेताओं की गिरफ्तारी

487 **श्री कमल नाथ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में आन्दोलन करने वाले संगठनों में शामिल कितने नेता अब तक नजरबन्द किये गए हैं।

(ख) क्या उग्रवादियों को गिरफ्तार करने हेतु तलाशियाँ अभी भी जारी हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) पंजाब में आन्दोलन करने वाले विभिन्न संगठनों के बाइस (22) नेता नजरबन्द किये गये।

(ख) जी हाँ, श्रीमान।

राजस्थान परमाणु ऊर्जा (सयत्र) की इकाई-1 की दोषपूर्ण स्थिति

488. **श्री दौलतराम सारण**
श्री बुद्धि चन्द्र जैन } : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयन्त्र की 235 मेगावाट की इकाई-I कब दोषपूर्ण स्थिति में कार्य कर रही है और यह ईकाई कितने समय तक बंद पड़ी रही है ; और

(ख) ईसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है तथा इस को पुन: चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा यह इकाई कितने समय में कार्य करना शुरू कर देगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट दिसम्बर, 1973 से वाणिज्यिक स्तर पर काम करता रहा है । इसे इसकी एक एंड-शील्ड की मरम्मत के लिए 4-3-1982 से बंद रखा गया है।

(ख) यदि यह यूनिट 60% क्षमता-गुणक पर करता रहता तो इसमें लगभग 1150 मिलियन यूनिट बिजली पैदा हो सकती थी। एंड-शील्ड की मरम्मत करने और यूनिट को यथा-शीघ्र फिर से चालू करने का प्रयास किया जा रहा है ।

स्वर्ण मन्दिर में उग्रवादियों के एकत्र होने के पहलुओं की जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो-आसूचना ब्यूरों का गठन

490. **श्री बी. वी. देसाई**
श्री दिगम्बर सिंह } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1984 में सैनिक कार्यवाही के दौरान सेना द्वारा पकड़े गये हथियारों के भंडार सहित स्वर्ण मन्दिर परिसर में उग्रवादियों के जमा होने के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय संयुक्त केन्द्रीय जाँच ब्यूरो आसूचना ब्यूरो के दल का गठन किया गया है :

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को जांच की रिपोर्ट मिल गयी है :

(ग) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(घ) उनके द्वारा दिये गये सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) थाना अमृतसर कोतवाली में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख, 121, 121 क, 122, 123, 124 क, 153 क, 153 ख, 333, 307, 302 शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5(3) के तहत उग्रवादियों सहित अनेक व्यक्तियों के विरुद्ध, राज्य के

विरुद्ध युद्ध छेड़ने, स्वर्ण मन्दिर परिसर में व्यक्तियों, शस्त्र, गोला बारुद और विस्फोटक पदार्थ एकत्रित करने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त होने के कारण एक मामला दर्ज किया गया है।

मामला जांच पड़ताल के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है। जांच पड़ताल प्रगति पर है।

कलकत्ता विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1984 पर सहमति

492. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने हाल ही में पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1984 केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ और राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिए जाने के लिए भेजा है :

(ख) क्या सरकार ने इसे राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिए जाने हेतु अपनी मंजूरी दे दी है : और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार ने मई, 1984 में राष्ट्रपति के विचारार्थ कलकत्ता विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984 को भेजा था न कि कलकत्ता विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1984।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) विधेयक सरकार के विचाराधीन है।

खानाबददोश जनजाति गाड़िया लुहार

493. **श्री दीन बन्धु वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खानाबददोश जनजाति गाड़िया लुहार की राज्यवार जनसंख्या क्या है, और

(ख) उनमें से कितने लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) केवल उन्हीं समुदायों के संबंध में अलग से गणना की जाती है जिसको अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, खानाबदोश जनजाति गाड़िया लुहार की संख्या बताना संभव नहीं है क्योंकि इस समुदाय को कभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(ख) मतदाताओं की सूची वार्ड के आधार पर रखी जाती है न कि समुदाय-वार आधार पर। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची संबंधित राज्य सरकार द्वारा रखी जाती है, भारत सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

सरकारी क्षेत्र के अल्यूमीनियम संयंत्र हेतु बिजली उत्पादक संयंत्रों का ठेका

494. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के अल्यूमीनियम संयंत्र के लिए 65 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले चार संयंत्रों की सप्लाई करने के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित किए बिना ठेका एक ब्रिटिश कम्पनी को दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1982 में खान विभाग के अधीन सरकारी उपक्रम भारत एल्यूमिनियम कम्पनी को अपने कोरबा एल्यूमिनियम कम्पलैक्स हेतु 285 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 270 मेगावाट (67.5 मेगावाट प्रति यूनिट के हिसाब से 4 यूनिट) के गृहीत बिजलीघर को "टर्न-की" आधार पर भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड की क्षमता को अपना कर स्थापित करने सम्बन्धी मूल प्रस्ताव पर धन की तंगी के कारण अमल नहीं किया जा सका। इसलिए पावर प्लांट की "टर्न-की" आधार पर ब्रिटिश सरकार के वित्तीय अनुदान प्रस्ताव तथा सरकार समर्थित साख से जोड़कर सप्लाई और स्थापना हेतु ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की गई। इस आधार पर यह काम काम ब्रिटेन की मै० जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी टरबाइन जनेरटर्स फर्म को सौंपने का निर्णय किया गया है।

अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए अधिकरण

496. **श्री भुवनेश्वर भूशन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 और अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) नियम, 1984 के अन्तर्गत गठित कुल अधिकरणों में इस समय कितने अधिकरण कार्य कर रहे हैं और विशिष्ट रूप से यह बताया जाए कि (एक) प्रत्येक अधिकरण को गठित करने की तारीख (दो) अधिकरणों के चैयरमैनों के नाम (तीन) अधिकरणों की बैठकों के स्थान (चार) अधिकरणों का अधिकार क्षेत्र क्या क्या है तथा साफ तौर पर यह भी बताया जाए कि अवैध प्रवासियों का पता लगाने के संबंध में उक्त अधिकरणों द्वारा अब तक क्या प्रगति प्राप्त की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम 1983 के तहत असम सरकार ने प्रारम्भ में 20 अधिकरणों की स्थापना की है। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इस समय सभी 20 अधिकरण कार्य कर रहे हैं। हालांकि अपेक्षित संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हुई है। राज्य सरकार ने उपयुक्त अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिनके तहत पहले से नियुक्त न्यायाधीशों को, शेष अधिकरणों के क्षेत्राधिकार में आने वाले कार्यों को देखने के लिए शक्तियां दी गयी हैं।

(I) सभी 20 अधिकरण, असम सरकार द्वारा 29 अक्तूबर, 1983 को जारी की गई अधिसूचना के तहत गठित किए गए हैं।

(II), (III) और (IV) : अधिकरणों के नाम, मुख्य कार्यालय, और अधिकरणों के क्षेत्राधिकार की क्षेत्रीय सीमाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं। असम सरकार से 7.7.1984 को प्राप्त सूचना के अनुसार, कुल 732 मामलों की जांच अवैध प्रवासी (अधिकरणों का अवधारण) नियम 1984 के तहत पुलिस अधीयक्षक द्वारा किए जाने के निदेश दिए गए थे। इनमें से, 112 मामलों के संबंध में जांच पूरी कर ली गई है और 91 मामले अधिकरणों को भेजे गए हैं।

विनरण

क्रम सं०	अध्यक्ष का नाम	मुख्य कार्यालय	क्षेत्राधिकार की सीमाएं
1	2	3	4
1.	श्री जे. पी. सक्सेना	गोहाटी	कामरूप जिले की गोहाटी सब-डिवीजन
2.	श्री जे. पी. सक्सेना	नलबारी	कामरूप जिले की नलबारी और रांगिया उपमण्डल
3.	श्री एस. एन. कल्ला	बारपेटा	बारपेटा जिला
4.	श्री डी होता	नोगांव	नौगांव जिले का नौगांव उपमण्डल
5.	श्री डी. होता	मोरीगांव	नौगांव जिले का मोरीगांव उपमण्डल
6.	श्री डी. होता	होजई	नौगांव जिले का होजई उपमण्डल
7.	श्री डी. होता	दिफू	करबी आंगलोग और उत्तरी कछार पहाड़ी जिला
8.	श्री एस. एम. पिसोलकर	उत्तरी लखीमपुर	लखीमपुर, जिले का उत्तरी लखीमपुर उपमण्डल
9.	श्री एस. एम. पिसोलकर	धेमजी	लखीमपुर, जिले का धेमजी उपमण्डल
10.	श्री एस. एम. पिसलोकर	जोनई	लखीमपुर जिले का जोनई उपमण्डल
11.	श्री एस. एम. पिसलोकर	डिब्रूगढ़	डिब्रूगढ़ जिले के डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और सादिया उपमण्डल
12.	श्री एस. एम. पिसोलकर	जोरहाट	जिला जोरहाट के जोरहाट और गोलाघाट उपमण्डल और सिबसागर जिले के सिबसागर और चरैदयू उपमण्डल
13.	श्री बी. एन. जैन	तेजपुर	सोनितेपुर जिला
14.	श्री बी. एन. जैन	मंगलदोई	दारंग जिला

1	2	3	4
15.	श्री एल. आर. कोहली	सिल्चर	कछार जिले का सिल्चर उपमण्डल
16.	श्री एल. आर. कोहली	हैलाकंदी	कछार जिले का हेलाकंदी उपमण्डल
17.	श्री एल. आर. कोहली	करीमगंज	करीमगंज जिला
18.	श्री पी. रामकृष्ण	धुब्री	धुब्री जिला
19.	श्री एस. एन. कल्ला	कोकराझर	कोकराझर जिला
20.	श्री पी. रामकृष्ण	गोलपाड़ा	गोलपाड़ा

दिल्ली पुलिस द्वारा उप-निरीक्षक की लिस्ट "एफ" (एक्जीक्यूटिव) में पदोन्नति

497. **श्री आर. एन. राकेश** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष 1980-81 में पहली बार लिस्ट "एफ" (एक्जीक्यूटिव) में पदोन्नति के लिए विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षातकार आयोजित किए गए थे :

(ख) यदि हां, तो जिस्ट "एफ" (एक्जीक्यूटिव) में पदोन्नति के लिए कुल कितने उप-निरीक्षकों को सफल घोषित किया गया और उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध कितने उप-निरीक्षक हैं :

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी सफल उम्मीदवारों को सूची के अन्त में स्थान दिया गया है : और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की वरीयता निर्धारित करने के लिए 40 पाइन्ट रोस्टर का पूर्णत: कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) दिल्ली पुलिस (पदोन्नति और स्थायीकरण) नियम 1980 के लागू होने के बाद पदोन्नति सूची "एफ" (एक्जीक्यूटिव) बनाने के लिए आयोजित की गई यह पहली सीमित विभागीय परीक्षा थी।

(ख) सूची में 130 उप-निरीक्षकों को शामिल किया गया है। इन से 16 अनुसूचित जाति के और 4 अनुसूचित जनजाति के हैं।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तीन उम्मीदवारों के अतिरिक्त सभी को सूची के अन्त में रखा गया है।

(घ) अन्त में रखे गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को एक्सटेंडिड जोन आफ कंसिडरेशन में से चुना गया है। आरक्षित पदों पर उनकी पदोन्नति के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक

498. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए वर्षों से पड़ा हुआ है :

(ख) यदि हां, तो इसे अविलम्ब सहमति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) विधेयक के कुछ उपबन्धों पर मांगे गए स्पष्टीकरण पश्चिम बंगाल सरकार से मई, 1984 में प्राप्त हो गए हैं और इन पर सरकार विचार कर रही है ।

परमाणु ईंधन तैयार करने के लिए नए तरीके की खोज

499. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ईंधन तैयार करने के लिए एक नया तरीका खोजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान ओम प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) तथा (ख) आशा है कि फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर कुछ महीनों में चालू हो जाएगा । इस रिऐक्टर में किए गए अध्ययनों का परिणाम अंतत: यह होगा कि थोरियम को काम से लाया जा सकेगा और यूरेनियम-233 की ब्रीडिंग की जा सकेगी । तथापि, ईंधन सामग्री की ब्रीडिंग की यह विधि कोई नई खोज नहीं है ।

फैरो-मेगनीज प्लांट, उड़ीसा द्वारा किया गया प्रदूषण

304. **श्री हरिहर सोरन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रदूषण और जल प्रदूषण संबंधी अधिनियम का उल्लघंन करने वाले उद्योगों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में जल और वातावरण को प्रदूषित करने वाले ऐसे औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जिला केउंझर, उड़ीसा के जोड़ा क्षेत्र में टाटा द्वारा संचालित फेरो मेगनीज प्लांट द्वारा कितना प्रदूषण किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे औद्योगिक एककों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) नव स्थापित उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगभग 80 इकाइयों का पता लगाया है जिन्होंने आवश्यक उपचार संयंत्रों की व्यवस्था नहीं की हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) हाल ही में बोर्ड ने सिर्फ टिस्को (टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी) फेरो मेंगनीज प्लान्ट से सहमति प्राप्त की है, तथा इस पर बोर्ड द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

मध्य प्रदेश में बाघ संरक्षण परियोजनाएं

505. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितनी बाघ संरक्षण परियोजनाएं स्थापित की गई है ;

(ख) उनमें से प्रत्येक परियोजना कहां-कहां पर स्थित है ;

(ग) क्या वर्ष 198 -84 में मध्य प्रदेश में रहने वाले बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(घ) यदि हां, तो मध्य मध्य प्रदेश में बाघों की वर्तमान संख्या कितनी है ; और

(ङ) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) दो।

(ख) (1) मांडला/बालघाट जिलों में कान्हा टाईगर रिजर्व ।

(2) बस्तर जिले में इन्द्रावती टाईगर रिजर्व ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) हाल ही के अखिल भारतीय बाघ गणना (1984) के अनुसार मध्य प्रदेश में निम्न 786 बाघ हैं :—

वयस्क—

नर	—	255
मादा	—	364
लिंग का पता नहीं	—	37
उप वयस्क/शावक	—	130
कुल	—	786

दैतारी और विजयनगर में इस्पात संयन्त्रों के विकास की योजना

506 **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या उड़ीसा के दैतारी और कर्नाटक के विजयनगर में दो नए इस्पात संयंत्रों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी योजनाओं का विकास करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) : यदि हां, तो आर्थिक रूप से लाभकारी योजनाओं का विकास करने के क्या आधार हैं ;

(ग) इन नए इस्पात संयन्त्रों की स्थापना करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है : और

(घ) : इन नए इस्पात सयन्त्रों की शीघ्र स्थापना को कार्यन्वित करने संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) (क) : जी, हां ।

(ख) से (घ) : उत्पादन तथा परियोजना की स्कीमें देश में उपलब्ध कच्ची सामग्री की क्वालिटी तथा उसकी उपलब्धि तथा अनुमानित मांग और सप्लाई की स्थिति के आधार पर बनाने का प्रस्ताव है । चूंकि देश में उपलब्ध कोककर कोयले की स्थिति गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों दृष्टियों से सन्तोषजनक नहीं है, इसलिए उड़ीसा में दैतारी स्थान पर तथा कर्नाटक में विजयनगर के स्थान पर लगाए जाने वाले नए इस्पात कारखानों में इस्पात का उत्पादन करने हेतु लागत की दृष्टि से सर्वाधिक मितव्ययी तथा उपयुक्त प्रौद्यिगिकी का चयन करने के लिए कई वेकल्पिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जा रहा है जिससे कोककर कोयले के इस्तेमाल से बचा जा सके । द्रव तप्त धातु का उत्पादन करने के लिए नई प्रक्रियाओं का विशलेषण किया गया है । इन प्रक्रियाओं में कोककर कोयले का इस्तेमाल नही किया जाएगा । प्रथम दृष्टि में इनमें तीन प्रक्रियाओं विश्लेषण परिणाम अर्थक्षमता की दृष्टि से उत्साहवर्द्धक हैं इन प्रक्रियाओं का बड़ी बारीकी से-अध्ययन किया जा रहा है ताकि इन दोनों नए इस्पात कारखानों के लिए लागत की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चयन किया जा सके ।

दोनों इस्पात कारखानों के लिए भूमि-अर्जन, मिट्टी की जाँच धरातल सर्वेक्षण, भू-भौतिकी अन्वेषण, कच्ची सामग्री सम्बन्धी अन्वेषण तथा परीक्षण आदि जैसे निर्माणपूर्व तथा प्रारम्भिक कार्य शुरू किए गए हैं ।

इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1982 में सरकारी क्षेत्र में दो नई कम्पनियों तापत: विजयनगर स्टील लिमिटेड तथा नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का गठन किया गया था ।

पूर्वी तथा पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में आंतकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस को प्रशिक्षण

508 **श्री उमाकान्त मिश्र** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पूर्व और पश्चिम सीमावर्ती राज्यों में आँतकवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस करने तथा-उन्हें-प्रशिक्षण देने की कोई योजना तैयार की जा रही है और

(ख) सरकार द्वारा उन राजनैतिक दलों और व्यक्तियों जो आँतकवादियों साम्प्रदायिक और विघटनकारी तत्वों का प्रोत्साहन दे रहे हैं की गतिविधयों को रोकने के लिए क्या कारवाई किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) तथा (ख) : ऐसी कोई योजना नहीं है। फिर भी सरकार ने अर्द्ध-सैनिक के लब रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड खड़े करने का निर्णय किया है जिनसे देश में आतंकवादी तत्वों से कारगार ढंग से निपटाने की आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त अब भी आवश्यक होगा आतंकवादियों और साम्प्रदायिक तथा विघटन-कारी तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए स्थानीय कानूनों का आश्रय लिया जाएगा।

विशाखापत्तनम इस्पात संयन्त्र की लागत में वृद्धि

509. **श्री रवीन्द्र वर्मा** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम इस्पात संसंत्र की मूल अनुमनित लागत और क्षमता कितनी हैं ;

(ख) विभिन्न समय पर इसकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है और इसकी लागत का नवीनतम अनुमान क्या है ;

(ग) लागत में इस वृद्धि के कारण और औचित्य क्या हैं ; और

(घ) सरकार का विचार लागत में वृद्धि विशेषकर विदेशी मुद्रा अंश को किस प्रकार पूरा करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) (क) और (ख) आरम्भ में विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना की अनुमानित लागत (वर्ष 1979 की प्रथम तिमाही के मूल्यों के आधार पर) 2256 करोड़ रुपये थी। परियोजना की अनुमोदित वार्षिक क्षमता 34 लाख टन द्रव इस्पात का उत्पादन करने की थी और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

परियोजना के लागत अनुमानों में वर्ष 1981 में संशोधन किया था और वर्ष 1981 की चौथी तिमाही के मूल्यों के आधार पर इस परियोजना का संशोधित अनुमान 3897.28 करोड़ रुपये था, जिसे वर्ष 1982 में सरकार ने अनुमोदित कर दिया था। वर्ष 1981 की चौथी तिमाही से लेकर मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए परियोजना की पूंजीगत लागत के लिए संशोधित लागत अनुमानों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) वर्ष 1679 की प्रथम तिमाही के मूल्यों के आधार पर मूल अनुमानों पर सरकार द्वारा विचार करते (वाद अनुमोदित) समय बताया गया था कि वृहत संशोधित विस्तृत परियोजरा रिपोर्ट के आधार पर लागत के पक्के अनुमान तैयार करने होंगे। तदनुसार परियोजना के लिए बृहत संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर, जो वर्ष 1681 की चौथी तिमाही में प्रवर्तमान मूल्यों के आधार पर तैयार की गई थी, वर्ष 1982 में लागत अनुमानों में संशोधन किया गया था। लागत अनुमानों में वृद्धि मुख्यत: मूल्यों में वृद्धि तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने उदा-हरणार्थ-7 मीटर ऊंची कौक ओवन बेटरी लगाने, प्रत्येक बैटरी में कोक ओवनों में वृद्धि करना और 65 की वजाय 67 ओवन रखना, को को शुष्क प्रक्रिया से बुझाने, वेल-लेस चार्जिग की:

सुविधाओं सहित 3200 घन मीटर की बड़े आकर की धमन भट्टियां लगाना तथा रज्जित विद्युत संयन्त्र (जिसका रूपांकन इस प्रकार किया जाएगा जिससे परिचालन लागत कम हो और परिचचालन में स्थिरता हो) की क्षमता में वृद्धि करने के कारण हुई है।

(घ) लागत में वृद्धि (विदेशी-मुद्रा की लागत भी शामिल है) की पूर्ति भारत सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए बजट में रखी गई धन राशि से की जाएगी।

उड़ीसा में आदिवासी विकास कार्यक्रमों पर पुनर्विचार

510 श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न आदिवासी विकास कार्यक्रमों की क्रियान्वित के बारे में पुनर्विचार किया है :

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा में क्रियान्वित को गयी आदिवासी विकास कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट पर पर भी पुनर्विचार किया गया है : और

(ग) उड़ीसा में छठी पंचवर्षीय योजना में अब तक (वर्ष-वार) विभिन्न आदिवासी विकास योजनाओं के अन्तर्गत शामिल किए गए कार्यों का ब्योरा क्या है और कितने आदिवासी लाभान्वित हुए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री श्री राम दुलारी सिन्हा (क) और (ख) : योजना आयोग और गृह मन्त्रालय, राज्यों जनजाति विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समय समय पर और विशेष रूप से जनजाति उप-योजना को अतिम रूप देते समय समीक्षा करते हैं। मन्त्रालय द्वारा उड़ीसा सहित सभी राज्यों के संबंध में 20 सूत्री कार्यक्रम की मद संख्या 7 के अन्तर्गत की गयी प्रगति की विशष्टि समीक्षा मासिक आधार पर की जाती है। गृह मन्त्रालय द्वारा राज्यों में जनजाति विकास कार्यक्रम की त्रैमासिक समीक्षा भी की जाती है।

(ग) उड़ीसा में वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान विभिन्न आय प्रजनन कार्यक्रमों के अन्तर्गत क्रमश : 57, 285, 83, 700, 97, 673 और 118066 अनुसूचित जनजाति परिवारों को आर्थिक सहयाता प्रदान की गयी। राज्य सरकार ने 1984-85 के दौरान निर्धनता विरोधी कार्यक्रमों के अन्तर्गत, 1, 44, 221 अनुसूचित जनजाति परिवारों की सहायता का लक्ष्य रखा है।

पंजाब में स्वतंत्रता सेनानियों के आवेदनों का सत्यापन

511 501 श्री जी० एस० निहाल सिंह वाला क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में 1 मई, 1980 से 31 मार्च, 1984 के बीच स्वतंत्रता सेनानियों के पेशन-आवेदनों का सत्यापन करने के लिए कोई जिलास्तरीय अथवा राज्य स्तरीय परमर्शदात्री समिति गठित की गई थी: यदि हां तो कब : और

(ख) उसके लिए किसी वैकल्पिक अधिकारी की नियुक्त की गयी थी और यदि नहीं, तो उन आवेदनों के सम्बन्ध में, जो उपरोक्त अवधि के दौरान प्राप्त हुए थे और जो 1 अगस्त,1980 से पूर्व लम्बित थे: स्वतन्त्रता सेनानियों के दावों का सत्यापन करने के लिए क्या प्रणाली अपनायी गयी थी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : (क) राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे सम्मान पेंशन के लिए दावों की संवीक्षा करने में सहायता के लिए स्वततंत्रता सेनानियों की राज्य स्तर पर सलाहाकार समिति बनाएं। पंजाब सरकार द्वारा अभी तक ऐसी कोई समिति नहीं बनाई गई है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे लोकप्रिय सरकार के बहाल होने के बाद समिति के गठन पर विचार करेंगे।

(ख) राज्य स्तर की सलाहाकार समिति न होने के कारण राज्य सरकार द्वारा तत्संबंधी सरकारी रिकर्डों और अन्य उपलब्ध साक्ष्य के संदर्भ में सत्यापन किया जा रहा है।

हरियाणा में बदरपुर की खानों का राष्ट्रीयकरण

513. **श्री अनवार अहमद** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में हरियाणा की फरीदाबाद और गुड़गांवा जिलों में स्थित बदरपुर (लाल बजरी) की खानों का राष्ट्रीयकरण करने का है ; और

(ख) यदि हाँ तो सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई जा रही नीति का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)

(क) और (ख) : इस तरह का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में "वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांटस" की स्थापना

515. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अपने जल तथा जल और वायु प्रदूषण अवरोधक पर नियंत्रण करने के अपने कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में कुछ "वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांटस" (कचरे का उपयोग करने वाले संयंत्र) की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कचरा उपयोग संयंत्रों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्थापित करने का प्रस्ताव हैं; और

(ग) ऐसे प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) तथा (ग) : वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक संयुक्त औद्योगिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना के प्रयास किए जा रहे है। केन्द्रीय बोर्ड ने एक योजना तैयार की है

जिसे आंशिक रूप से उद्योग निदेशालय (दिल्ली प्रशासन) और आंशिक रूप से लाभ भोगी उद्योगों द्वारा वित्तपोषित किए जाने का प्रस्ताव है। संयंत्र के लिए भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मुफ्त दी जानी है। खाका तैयार होने के पश्चात कार्य को दिल्ली जल आपूर्ति तथा मलजल निवटान उपक्रम द्वारा धरोहर कार्य के रूप में निष्पादित किया जाना है।

अंतरिक्ष उड़ान के लिए अमेरिका का प्रस्ताव

517. **श्री अमरसिंह राठवा**
श्री एन. ई. होरो } : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका ने भारत से अंतरिक्ष की उड़ान के प्रस्ताव की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी : (क) तथा (ख) संयुक्त राज्य अमरीका की राष्ट्रीय वैमानिकी तथा अंतरिक्ष प्रशासन (नासा), एक औपचारिक नीति का निर्माण कर रहा है, जिसमें लागत प्रतिपूर्ति किए जाने योग्य, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली (एस. टी. एस.) के प्रमुख नोतभार ग्राहकों को एस.टी.एस. की उड़ानों में अपने नोतभार विशेषज्ञों का चयन करने और उनका उपयोग करने की स्वीकृति का प्रावधान होगा। नासा की नीति का मसौदा अंतरिक्ष विभाग को प्राप्त हो गया है। यद्यपि कोई औपचारिक लिखित प्रस्ताव नहीं है, अंतरिक्ष विभाग को सलाह दी गई है कि एस.टी.एस/इन्सैट-I सी. की उड़ान में एक भारतीय नोतभार विशेषज्ञ की उड़ान के लिए, भारत सरकार के प्रस्ताव का अमरीका-नासा स्वागत करेगा।

(ग) तकनीकी, संविदात्मक, तथा वित्तीय पहलुओं सहित सभी संबंधित पहलुओं को दृष्टि से मामले की जाँच की जा रही है। इसके पूर्ण होने पर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

1981 की जनगणना में जनसंख्या के आंकड़े

518. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1981 की जनगणना के विभिन्न धर्मों और भाषाई समूहों की जनसंख्या के आंकड़े प्राप्त हो गए हैं और उन्हें प्रकाशित कर दिया गया है :

(ख) यदि हां, तो इन आंकड़ों को किस तारीख को प्रकाशित गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इनके किस तारीख तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है और विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) (क) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1981 की जनगणना के अनुसार विभिन्न धर्मों की जनसंख्या के जनगणना आंकड़े इस वर्ष के अन्त तक उपलब्ध होने की संभावना है। भाषाई समूहों के आँकड़े 1985 के आरम्भ में उपलब्ध होने की संभावना है।

सारणियों पर कार्यवाही करने के लिए कार्यालय स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध न होने के अतिरिक्त कुछ कार्यालयों में हड़ताल और संगणक प्रक्रिया के लिए आँकड़ों की प्रविष्टियों हेतु सीधा आंकड़ा प्रविष्टि पद्धति के उपलब्ध होने में विलम्ब होने के कारण देरी होती है। क्योंकि बहुत अधिक सारणियों पर कार्य किया जाना है।

विदेशी राष्ट्रिको को भारतीय नागरिकता दिया जाना

519. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, 30 जून, 1984 तक, कितने विदेशी राष्ट्रिकों को उनके अनुरोध पर भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है ;

(ख) क्या सरकार के पास स्वीकृति के लिए कोई आवेदन पत्र अभी तक विचाराधीन है और कितने आवेदन-पत्र (एक) तीन साल से अधिक (दो) दो साल से अधिक (तीन) एक साल से अधिक की अवधि से लम्बित पड़े हैं ; और

(ग) सभी मामलों पर किस तारीख तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) 1.7.1981 से 30.6.1984 तक की अवधि के दौरान नागरिकता अधिनियम, 1955 के विभिन्न उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा 1098 व्यक्तियों को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया था। (इन आंकड़ों में भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं है जिनको भारत में राज्य प्राधिकरणों और विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा उस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है।)

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास एक वर्ष से अधिक अवधि का कोई मामला लम्बित नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों की जांच करने के लिए गठित की गई जांच समिति

520. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीत पुलिस सेवा के अधिकारियों और सभी पुलिस कर्मियों को जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की गई है ; और

यदि हां, तो जांच समिति कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) पुलिस प्रशासन सहित पंजाब में प्रशासन तंत्र को समीक्षा करने और उसको सुदृढ़ बनाने के लिए सुझाव देने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।

(ख) समिति को अपनी रिपोर्ट के अन्दर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

पंजाब और असम में मारे गये/घायल हुए लोगों की संख्या

521. श्री सूरज भान
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में और पंजाब में राष्ट्रपति शासन के दौरान और उससे पहले भी वहाँ के आन्दोलन से सम्बन्धित कितने लोग मारे गये/घायल हुए ;

(ख) इस अवधि के दौरान वहां की सरकारी और गैर-सरकारी संपत्ति को कुल कितना नुकसान हुआ है ;

(ग) क्या नुकसान का मुआवजा दिए जाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) नुकसान का अनुमान लगाने और मुआवजे की अदायगी करने के लिए क्या प्रक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) असम राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार मई, 1983 तक 3561 आदमी मारे गये और 3742 व्यक्ति जख्मी हुए/उन पर हमला किया।

4.8.82 से, जब से अकाली मोर्चा प्रारम्भ हुआ था, 3.6.84 तक पंजाब में हिंसक घटनाओं में 410 व्यक्ति मारे गये और 1180 से अधिक जख्मी हुए।

(ख) से (घ) असम से संबंधित अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

पंजाब के विषय में अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

असम से सम्बन्धित प्रश्न के भाग (ख), (ग) तथा (घ) से सम्बन्धित सूचना

(ख) हालांकि कुल नुकसान की सही मात्रा बताना कठिन है, 15 जून, 1982 तक अकेले पेट्रोलियम और उर्वरक क्षेत्र में हुई क्षति 1272 करोड़ रुपये की है। रेल के आवागमन में अवरोध के कारण रेलवे को यात्रियों के आवागमन में सामान्य कमी के अलावा 32 करोड़ रुपये की वित्तीय हानि हुई। राज्य सरकार को राजस्व में 45 करोड़ रुपये की हानि हुई। अनेक परियोजनाओं में विलम्ब हुआ जिसके कारण लागत में वृद्धि हुई। गत वर्ष के दंगों के परिणामस्वरूप 51818 निजी मकान, 107 स्कूल भवनों, 138 अन्य सार्वजनिक भवनों/स्थानों और 1598 पुलों को क्षति पहुंचाई गई/नष्ट किया गया जिसके लिए राज्य सरकार ने 61.40 करोड़ रुपये की सहायता का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) : गत वर्ष के दंगों के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए भारत सरकार ने अब तक 59-71 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई है।

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल पर सीमा शुल्क से छूट

524 **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रानिक उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल पर सीमा शुल्क से छूट देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इलेक्ट्रानिक हिस्से-पुर्जों के निर्माण के लिए जिन मदों को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है उनके सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (डा०एम०एस० संजीवी राय) (क) तथा (ख) : जी हां, । इस संबंध में ब्यौरे सभा-पटल पर दिनांक 18 अगस्त, 1983 को रखे जा चुके हैं । वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा दिनांक 6 जून, 1984 को जारी की गई अधिसूचना की प्रतिलिपि संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 8468/84]

विभिन्न प्रकार के संघटक-पुर्जों के विनिर्माण में कई प्रकार की कच्ची सामग्रियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं । सरकार की यह नीति है कि विभिन्न उपस्करों के विनिर्माण के लिए आवश्यक सभी प्रकार के संघटक-पुर्जों का स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए ।

सोवियत संघ द्वारा भारत में दो परमाणु शक्ति संयंत्र स्थापित करने की पेशकश

525. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अलूरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से दो परमाणु शक्ति संयंत्र स्थापित करने के बारे में सोवियत संघ द्वारा की गई पेशकश की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह पेशकश भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष की सोवियत संघ की सरकार के साथ हुई बातचीत के फलस्वरूप की गई है ; और

(ग) अध्यक्ष के सोवियत संघ के दौरे के समय वहां की सरकार के साथ जिन मामलों पर विचार-विमर्श हुआ थी, उसके क्या परिणाम निकले ।

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी : (क) भारत में एक परमाणु बिजली घर लगाने की सोवियत संघ की पेशकश के बारे में सोवियत संघ के सम्बन्धित प्राधिकारियों से बातचीत चल रही है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) दिसम्बर, 1983 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष की सोवियत संघ की यात्रा के दौरान इस पेशकश के तकनीकी, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं पर बातचीत हुई थी ।

सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र

526. **श्री सुभाष चन्द बोस अल्लूरी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में कितने इस्पात संयंत्र चल रहे हैं ।

(ख) उनमें से कितने विदेशी सहयोग से चल रहे है ; और

(ग) कितनी परियोजनायें अपने देश द्वारा स्वयं चलाई जा रही हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) निम्नलिखित इस्पात कारखाने सरकारी क्षेत्र में हैं—

1. भिलाई इस्पात कारखाना
2. बोकारो इस्पात कारखाना
3. राउरकेला इस्पात कारखाना
4. दुर्गापुर इस्पात कारखाना
5. सेलम इस्पात कारखाना
6. मिश्र इस्पात कारखाना
7. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी

इनके अलावा केन्द्रीय सरकार ने "सेल" की मार्फ़त विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लि० की इक्विटी पूंजी में 40 प्रतिशत पूंजी लगाई हुई है, शेष 60 प्रतिशत पूंजी कर्नाटक सरकार की है।

(ख) और (ग) : इन इस्पात कारखानों की स्थापना में आयातित उपस्करों और विदेशी सहायता का अंशदान भिन्न-भिन्न था । भिलाई और बोकारो को छोड़कर जहां क्रान्तिक क्षेत्रों में कुछ रूसी विशेषज्ञ सहायता कर रहे हैं ; शेष सभी कारखाने भारतीय विशेषज्ञों द्वारा चलाए जा रहे हैं ।

मिजोरम समस्या को हल करना

527. **श्री अर्जुन सेठी**
श्री चित्त महतो } क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम के मुख्यमन्त्री ने विद्रोहियों को मुख्य राष्ट्रीय धारा में लाने हेतु मिजोरिम समस्या का हल ढूंढने के लिए कुछ प्रयत्न किए हैं और केन्द्र से श्री लाल डेंगा को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या श्री लाल डेंगा, मिजोरम में बदली हुई परिस्थिति की वास्तविकता को मानने और शान्तिपूर्ण हल में सहयोग देने के लिये सहमत है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) से (ग) : सरकार भारतीय संविधान के ढांचे के अन्तर्गत मिजोरम समस्या का कोई हल ढूंढने की इच्छुक है । परन्तु इस सम्बन्ध में मिजोरम के मुख्य मंत्री अथवा श्री लाल डेंगा से कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

राजधानी में चित्तरंजन पार्क और दक्षिणपुरी में जेबकतरों की गतिविधियां

528. **श्री एन0 ई0 होरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में दो प्रमुख बंगाली जनसंख्या वाली कालोनियों चितरजन पार्क और दक्षिणपुरी में कलकत्ता से आए लगभग 80-90 जेबकतरों की गतिविधियों पर ध्यान दिया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि जेबकतरे अपने आप को अधिक सुरक्षित अनुभव करते हैं क्योंकि यहां की दब्बू जनता पीड़ितों की सहायता करने से सामान्यत: डरती है और बड़ी-बड़ी जेबें भी काटने को मिलती हैं :, और

(ग) यदि हां, तो चैन खींचने लूट-पाट करने, लड़कियों को छेड़ने की बढ़ती हुई वारदातों और यहां तक कि राजधानी की बसों में बलपूर्वक लूटपाट करने के मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) : चालू वर्ष के पहले छ: महीनों के दौरान चित्तरंजन पार्क से जेब काटने के केवल दो मामले सूचित किए गए हैं और दक्षिणपुरी से कोई मामला सूचित नहीं किया गया है । इस क्षेत्र में कलकत्ता से आए जेबकतरों की गतिविधियां स्थानीय पुलिस के ध्यान में नहीं आई हैं ।

(ग) अपराधों को रोकने के लिए पुलिस टुकड़ियों को सामरिक महत्व के स्थानों पर तैनात किया गया है और रात्रि गश्त को कड़ा किया गया है । लड़कियों को छेड़ने और जेब तराशी को रोकने के लिए पुलिस कार्मियों को वर्दी में और सादा कपड़ों में चलती बसों और भीड़भाड़ वाले शापिंग सेन्टरों आदि में तैनात किया जाता है ।

नेल्को की उड़ीसा परियोजना

529. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या इस्पात और खान मंत्री नेल्को की उड़ीसा परियोजना का कार्य सुस्त गति से चलने के बारे में दिनांक 24 जून, को 1984 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस परियोजना के शुरू होने के समय से 3 वर्ष के भीतर-भीतर उसकी अनुमानित लागत दुगनी हो गई है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस परियोजना का छठी योजना अवधि के अन्त तक पूरा हो जाने का निर्धारित कार्यक्रम था, यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है तथा यह कब तक पूरी हो जाएगी और चालू हो जाएगी;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार तथा "नैल्को" प्राधिकारियों की आपसी सहमति और उनके द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस परियोजना में नियुक्ति के संबंध में उड़ीसा के लोगों को प्राथमिकता नहीं दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन0 बी0 पी0 साल्वे) (क) जी नहीं।

(ख) परियोजना को 1987-88 मे पूरा किये जाने का कार्यक्रम था। नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी के निर्माण कार्य के प्रगति के सम्बन्ध में परियोजना के लिए अधिकांश भूमि अधिगृहीत कर ली गई है और यह परियोजना प्राधिकारियों के कब्जे में है। विदेशी सलाहकारों से तकनीकी जानकारी और आधारभूत इंजीनियरी पैकेज प्राप्त हो गये हैं। अधिकाँश महत्वपूर्ण और दीर्घ कालिक सिविल निर्माण कार्य हेतु आर्डर देने का काम पूरा हो चुका है। ड्रिलिंग कार्य तथा ऊपरी सतह से मिट्टी हटाने का काम शुरू हो गया है। स्थलों पर आवश्यकतानुसार आधारभूत सुविधाएं जैसे साइट ग्रेडिंग, पहुंच सड़क, अस्थायी आवास, निर्माण जल और विद्युत सुलभ हैं। सभी परियोजना स्थलों पर निर्माण कार्य पूरे जोरों पर है।

(ग) और (घ) : केन्द्र सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, अधिकतम रू० 800/- मासिक वेतनमान के पदों पर भर्ती कम्पनी द्वारा स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यमों से की जा रही है। रोजगार कार्यालय किसी पद श्रेणी के बारे में "उपलब्ध नहीं" प्रमाण पत्र जारी करने पर रिक्तियों को स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाता है। प्रशासक और पर्यवेक्षक श्रेणी के पदों की भर्ती स्थानीय और अखिल भारतीय दोनों स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञापन के आधार पर करनी होती है। परियोजना के लिए अधिगृहीत क्षेत्रों से विस्थापितव्यक्तियों को नौकरी में प्राथमिकता दी जा रही है तथा अनुसूचित जन जातिके व्यक्तियों की भर्ती आरक्षण आदेशों के अनुसार की जा रही है।

असम में विदेशियों के मामलें पर आंदोलन

530. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में आंदोलन कारियों ने विदेशियों के मामले पर पुनः आंदोलन प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां तो असम समस्या को हल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है;

(ग) असम समस्या पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग करने वाले राजनैतिक दल का नाम क्या है;

(घ) क्या सरकार का उस दल की सलाह पर श्वेत पत्र जारी करने का विचार है; और

(ड़) यदि नहीं, तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) सरकार असम में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने और सार्थक वार्ता के आवश्यक रूप से निष्पक्ष परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए भरसक प्रयास करती रही है । किन्तु आन्दोलनकारी नेता प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर निश्चित प्रतिक्रिया व्यक्त करने में असफल रहे हैं । वक्तव्य में आन्दोलनकारी नेताओं के साथ वार्ता शुरु करने के लिए सरकार की उत्सुकता को दोहराया गया है यदि वे विदेशियों के मामले का स्थाई हल निकालने के लिए नए व्यवहारिक और उपयोगी प्रस्ताव रखे । सरकार ने अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम बनाया है। 24 मार्च, 1971 के बाद के अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए प्रारम्भ में 20 अधिकरण स्थापित किए गए हैं । आगे घुसपैठ को प्रभावी रूप से रोकने के लिए सीमा पर सतर्कता में और वृद्धि करने के लिए उपाय किए गए हैं । सारी सीमा पर कांटेदार तार लगाने और पार्श्वीय सड़क का निर्माण करने का कार्य शुरु कर दिया गया है ।

(ग) फारवर्ड ब्लाक, जनता पार्टी आदि के कुछ संसद सदस्यों ने लोक सभा में विचार-विमर्श के दौरान असम समस्या पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की थी ।

(घ) जी नहीं श्रीमान ।

(ड़) असम में विदेशी नागरिकों की समस्या पर संसद में और उसके बाहर अनेक अवसरों पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया है । विभिन्न मामलों पर सरकार का दृष्टिकोण भलीभांति ज्ञात है । अतः सरकार इस समय श्वेत पत्र जारी करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करती है ।

पंजाब में बन्दूकों के लाइसेंस जारी करना

531. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में हाल की घटनाओं के दौरान सामने आये तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पुलिस, सीमा शुल्क और सुरक्षा विभागों के उन अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की है जिन्होंने स्वर्ण मन्दिर में हथियारों को ले जाने की अनुमति दी थी;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि पंजाब में अत्यधिक घातक किस्म की बन्दूकों के लाइसेंस उदारतापूर्वक जारी किए गए हैं जब कि दूसरे राज्यों में असैनिक लोगों को घटिया किस्म की बन्दूकों को अपने पास रखने और प्रयोग के लिए बहुत कम लाईसेंस जारी किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार पंजाब में हथियारों के लाइसेंस देने पर तुरन्त प्रतिबंध लगायेगी ताकि ये हथियार फिर से उग्रवादियों के पास न पहुंच जायें; और

(घ) अब तक कुल कितने लाइसेन्स शुदा हथियार लौटाये गए हैं और पकड़-धकड़ के दौरान कितने हथियार पकड़े गए हैं तथा सरकार का विचार इन हथियारों के बारे में क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अडमान और निकोबार द्वीप समूह में गृह स्थलों का आवंटन

532. **श्री मनोरंजन भक्त**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन समितियों द्वारा कितने गृह स्थलों की सिफारिश की गई थी और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा कितने गृहस्थल आवंटित किए गए;

(ख) क्या उक्त स्थलों का वास्तविक कब्जा दे दिया गया है; यदि हां, तो कब तथा कितने स्थलों का ;

(ग) क्या सरकार को गृह निर्माण अनुदान प्रदान करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बया) (क) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान आवंटन समिति द्वारा कुल 2,431 मकान की सिफारिश की गई थी और वे आवंटित किए गए थे ।

(ख) आवंटितियों को दिए गए वास्तविक कब्जे के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

1981-82	शून्य
1982-83	705
1983-84	952

1984-84 के दौरान आवंटित किए गए कुल । 1726 स्थलों में से शेष 774 के संबंध में वास्तविक कब्जा देने की कार्रवाई की जा रही है ।

(ग) जी हां, श्रीमान ।

(घ) इस समय प्रशासन द्वारा मकान निर्माण के लिए कोई अनुदान नहीं दिया जाता है ।

राज्यों के विधेयकों को मंजूरी

533. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित कुछ विधेयक केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिए लम्बित पड़े है;

(ख) यदि हां, तो कब से और उनका राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(ग) इन्हें मंजूरी न देने के क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या): (क) जी हां, श्री मान।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न में दी गई है।।

(ग्रंथालय में रखा गया। संख्या एल.टी. 8469/84)

पंजाब प्रशासन में पुनर्गठन

535. **श्री के. राममूर्ति**
श्री चिरन्जीलाल शर्मा } क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 24 जून, 1984 को मद्रास में संवाददाता सम्मेलन में गृह राज्य मन्त्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पुलिस बल सहित समूचे पंजाब प्रशासन में किए गए पुनर्गठन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पंजाब ज पूजास्थलों को शस्त्रागार बनने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) : केन्द्रीय सरकार ने पंजाब में प्रशासनिक तंत्र की समीक्षा करने और उसे सुदृढ़ करने हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की है। समिति शस्त्रों के प्रयोग पर कारगर नियंत्रण रखने और अवैध शस्त्रों को बरामद करने के उपायों का भी सुझाव देगी और उपयुक्त कानूनों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में ऐसे परिवर्तनों की सिफारिश करेगी जो इस संबंध में आवश्यक हो सकते हैं।

समिति को दो महीने के समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

इलेक्ट्रॉनिक हिस्से-पुर्जों पर सीमा शुल्क संबंधी असंगति को दूर करना

536. **श्री के0 राममूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) वर्ष 1983 में दी गई एक मुफ्त सीमा शुल्क राहत के प्रभावी होने के फलस्वरूप कुछ इलेक्ट्रॉनिक हिस्से-पुर्जों और उत्पादों के मामले में सीमा शुल्क ढांचे में क्या क्या असंगतियां पैदा हो गई है; और

(ख) इन असंगतियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे जैसा कि इलेक्ट्रानिकी विभाग में केन्द्रीय उपमंत्री ने 30 जन, 1984 को इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्टस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की 16 वीं वार्षिक आम सभा में संकेत दिया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जा उद्योग के लिए वर्ष 1983 की सीमा शुल्क रियायत पैकेज के क्रियान्वयन के फलस्वरूप कुछ विसंगतियां सरकार की जानकारी में आई हैं। वे इस प्रकार हैं :-

(I) अन्त्य-उत्पादों के मूल्यों में कमी लाने के लिए निर्मित संघट-पुर्जों पर अगस्त, 1983 में सीमाशुल्क में कमी (158% से 75%) की गई थी । इसी प्रकार से, हमारे संघटक-पूर्जा उद्योग को बचाने के लिए इस क्षेत्र के लिए आवश्यक कच्ची-सामग्रियों पर जो 65% से 81% सीमा शुल्क लगता था, उसे बढ़ाकर 75 सामग्रियों पर 40% के समानस्तर तक, 10 सामग्रियों के मामले में 15% के समानस्तर तक, तथा 8 सामग्रियों के मामले में 0% के समानस्तर तक कर दिया गया था। तथापि, संघटक-पुर्जा क्षेत्र का विचार है कि कच्ची-सामग्रियों पर लगने वाले सीमाशुल्क में की गई कमी निर्मित संघटक-पुर्जों के मामले में हुई कमी के समानुपाती नहीं हैं तथा जिसके फलस्वरूप स्वदेशी संघटक-पुर्जे आयातित संघटक पुर्जों के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते हैं।

(ii) निम्नलिखित कुछ और वस्तुओं से सम्बन्धित ऐसे ही कुछ मामले सरकार की जानकारी में लाये गये हैं : इलेक्ट्रोमिकनिकल संघटक-पुर्जे, आडियो कैसेट रिकार्डरों के लिये टेप-डेक यांत्रिकी, डी. सी. मोटरें, प्लास्टिक फिल्में, मुद्रित परिपथ बोर्ड और इलेंक्ट्रान ट्यूबों के लिए ग्लास शेल्स।

(ख) सरकार सीमा शुल्क सम्बन्धी ढांचे में व्याप्त उपर्युक्त विसंगतियों में सुधार लाने के लिए उन पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को अनुच्छेद 340 के अंतर्गत सुविधाएं

537. श्री उत्तर राठौर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को मुख्य राष्ट्रीय धारा के साथ लाने के लिये संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत सुविधाए दी जानी थी ; और

(ख) यदि हां, तो संविधान के लागू होने से अब तक इस मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) :

(क) और (ख) : भारत सरकार ने अनुच्छेद 340 के अधीन दो आयोग नियुक्त किये थे। 1953 में नियुक्त किया गया कालेलकर आयोग पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था। उसने अपनी रिपोर्ट में 2,399 समुदायों की एक सूची तैयार की जिन्हें अन्य पिछड़े वर्ग माना जाय और उसने सरकारी सेवाओं तथा तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाओं में कुछ प्रतिशत पदों को आरक्षित करने की सिफारिशे की। उसने व्यापक सिफारिशें भी की, जिनमें महिला-कल्याण, खादी तथा ग्रामोद्योग, भूमि सुधार, भूदान आदि जैसे क्षेत्र आते हैं। कालेलकर आयोग की रिपोर्ट सर्वसम्मत नहीं थी। इसे की गई कार्यवाही के ज्ञापन के साथ 3 सितम्बर, 1956 को संसद में रखा गया था। आरक्षण तथा अन्य पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने जैसी सिफारिशें स्वीकार्य नहीं थी। सरकार ने 1961 में निर्णय किया कि पिछड़ापन निर्धारित करने के लिये जाति के बजाय आर्थिक परीक्षण लागू करना वेहतर होगा। यह राज्य सरकारों का काम है कि वे जो सही तथा उचित इस तरह की कार्यवाही करे। बहुत से राज्य सरकारों ने संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के परन्तुकों के अधीन अन्य पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाने के प्रयोजन के लिये उनको सूचियां अधिसूचित कर दी हैं। इस प्रकार विश्वविद्यालयो सहित शैक्षिक संस्थाओ में पदों तथा सीटों में आरक्षण के संबंध में कालेलकर आयोग को सिफारिशें कुछ राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की गई है, जहां आवश्यक और संभव पाया गया।

दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग (मण्डल आयोग) जनवरी, 1979 में गठित किया गया था और उसने अपनी रिपोर्ट 31-12-1982 को प्रस्तुत की। रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन हैं।

राजधानी में अपराध

538. श्री रशीद मसूद
श्री त्रिलोक चन्द्र
श्री बी० डी० सिंह
श्री दौलत राय सारण
श्री अजित कुमार मेहता
श्री राजेश कुमार सिंह

: क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग गत छः महीनों के दौरान राजधानी में विशेषकर राहजनी, हत्या, और लूटमार की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष को इसी अवधि की तुलना में गत छः महीनों के दौरान अपराध हत्या, राहजनी और लूटपाट की कुल कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा राजधानी में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने और कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी0 वेंकट सुब्बय्या)

(क) और (ख) जनवरी से 30 जून, 1984 तक की अवधि और गत वर्ष इसी अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस को सूचित किये गए राहजनी, हत्या और लूटमार (डकैती) की घटनाओं की कुल संख्या नीचे दी गई हैं :

	1.1.1984 से 30.6.84 तक	1.1.1983 से 30.6.1983 तक
राहजनी	132	114
हत्या	137	132
लूटमार (डकैती)	13	14

एत वर्ष इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष से दौरान राहजनी और हत्या की घटनाओं में कुछ वृद्धि हुई है ।

(ग) दिल्ली में अपराध दर को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने विभिन्न उपाय किए हैं जैसे बाकी-टाकी शौर वायरलेस सेटों सहित सशस्त्र, गश्त, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम समेत कानून की विभिन्न धाराओं के अधीन ज्ञात अपराधियों और बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई, अपराध करने में अन्तर्गस्त वाहनों का पता लगाने के लिए उनको अकस्मात जांच करना, ज्ञात अपराधियों पर कड़ी नजर रखना, पुलिस टुकड़ियां तैनात करना, पड़ोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के अन्तरजिला बैठके आयोजित करना ताकि अपराधियों के संबन्ध में समन्वित कार्रवाई और उचित आसूचना एकत्र करना सुनिश्चित हो सके। जन-शक्ति और उपकरणों के सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस की विभिन्न आवश्यकताओं की निरंतर समीक्षा की जाती है। दिल्ली पुलिस की क्षमता में सुधार करने के लिए समय-समय पर कर्मचारियों और उपकरणों में वृद्धि की जाती है ।

गंगानगर (राजस्थान) में सिख उग्रवादियों की गिरफ्तारी

539. **श्री एम0 राम गोपाल रेड्डी**
श्री राम विलास पासवान } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जून, 1984 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि राजस्थान में गंगानगर में पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत में प्रवेश करने वाले 30 सिखों के एक दल को गिरफ्तार किया है;

(ख) क्या वे पाकिस्तान में आतंक फैलाने का प्रशिक्षण लेने के बाद भारत में प्रवेश कर रहे थे या यहां के आतंकवादियों के साथ उनके सम्बन्ध थे ।

(ग) इस घटना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी0 वेंकट सुब्बय्या)

(क) सरकार ने समाचार देखा है ।

(ख) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पुंछ सीमा क्षेत्र से उग्रवादियों का पाकिस्तान में भाग जाना

540. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**
श्री राम विलास पासवान
श्री बाला साहिब (बिखे) पाटिल } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : विरवे

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जून, 1984 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कुछ उग्रवादी जम्मू और कश्मीर में पूंछ सीमा क्षेत्र से पाकिस्तान में भाग गये :

(ख) उन्हें किन परिस्थितियों में जाने दिया गया : और

(ग) क्या सरकार इस प्रकार भाग जाने वाले उग्रवादियों को रोकने और उन्हें पकड़ने के लिए सीमा पर कड़ी चौकसी कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. (बेंकटसुब्बय्या) वेंकट सुब्बय्या

(क) से (ग) सरकार को समाचार की जानकारी है । सरकार को सूचना प्राप्त हुई है कि सिक्खों का एक दल जम्मू क्षेत्र में पुंछ की सीमा क्षेत्र से पाकिस्तान में चला गया है । इस क्षेत्र में गश्त को और अधिक गहन कर दिया गया हैं और सुरक्षा उपाय सख्त कर दिए गए हैं ।

राजधानी में घोषित मुजरिमों का स्वतंत्र रूप से आना जाना

541. **श्री नारायण चौबे**
श्री मूल चन्द डागा } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5000 अपराधी जिन्हें मुजरिम घोषित कर दिया गया है, दिल्ली शहर में स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं जैसा कि दिनांक 14 जून, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं : और

(ग) उन अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी. बेंकटसुब्बय्या)

(क) और (ख) 20 जून, 1984 को 5311 व्यक्तियों को मुजरिम घोषित किया गया था । इनमें से 3956 व्यक्ति जमानत तोड़ कर फरार थे । यह कहना सही नहीं है कि वे शहर में स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं । स्थानीय पुलिस हमेशा उनकी तलाश में रहती है । पिछले 6 महीनों में 140 घोषित मुजरिम गिरफ्तार किए गए हैं ।

(ग) जब कोई अभियुक्त जमानत तोड़कर फरार हो जाता है तो न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 446 के तहत कार्रवाई की जाती है। घोषित मुजरिम को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं।

सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र को दूरसंचार उपकरणों का निर्माण करने की अनुमति देने की नीति

542 54. **श्री अमर सिंह राठवा** :- क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र को देश में दूरसंचार उपकरणों को निर्माण करने की अनुमति देने की निति घोषित की है :

(ख) यदि हां, तो क्या गैर-सरकारी क्षेत्र का कोई एकक इसके लिए आगे आया है; और

(ग) ऐसे एककों के नाम क्या है तथा ऐसे उपकरणों का निर्माण करने हेतु लाइसेन्स मंजूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) (क) जी, हां।

(ख) : जी, हां।

(ग) : ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई का नाम	**मद**
(i) **अनुमोदन के संस्तुत मामले**	
1. भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड, हैदराबाद (आवेदन पत्र दिनांक 10 अप्रैल, 1984)	पी. सी. एम. मल्टीप्लेक्स उपस्कर 500 टर्मिनल प्रतिवर्ष
2. भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड, हैदराबाद (आवेदन पत्र दिनांक 18 अप्रैल, 1984)	उच्च आवृत्ति, अति उच्च आवृत्ति पराउच्च आवृत्ति के फीड सहित एण्टीना क्षमता का विस्तार 250 350 संख्या तक प्रतिवर्ष।
3. भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड, हैदराबाद (आवेदन पत्र दिनांक 26 अप्रैल, 1984)	उच्च शक्ति के ध्वनि प्रवर्धक। क्षमता का विस्तार 10 से 100 संख्या तक प्रतिवर्ष।

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई का नाम	मद
4. कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद (आवेदन पत्र दिनांक 2 मई 1984)	सहायक लाइन प्रणाली सहित पी.सी. एम. उपस्कर ।
5. भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड, हैदराबाद (आवेदन पत्र दिनांक 26 मई, 1984)	अंकीय एस. सी. पी. सी. प्रणाली 50 प्रणालियां प्रतिवर्ष ।

(ii) **अस्वीकृति के लिए संस्तुत मामले :**

1. गुजरात औद्योगिक पूंजी निवेश निगम लिमिटेड अहमदाबाद (आवेदन पत्र दिनांक 21 मई, 1984)	अंकीय ट्रांसमिशन उपस्कर
ऐसे मामले जिन पर इलेक्ट्रानिकी विषयक	आयोग द्वारा अनुमोदित विस्तृत नीति

(iii) **ढांचे के आधार पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाना है**

1. आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रानिक विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद (आवेदन पत्र दिनांक 6 जनवरी 1984)	इलेक्ट्रानिक इन्टरकाम उपस्कर । 2000 संख्या प्रतिवर्ष ।
2. मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास लिमिटेड, भोपाल (आवेदन पत्र दिनांक 26 अप्रेल 1984)	उच्च क्षमता के इलेक्ट्रानिकी केन्द्रीय एक्सचेज एक लाख लाइनें प्रतिवर्ष ।
3. मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम लिमिटेड, भोपाल । (आवेदन पत्र दिनांक 26 अप्रैल 1984)	इलेक्ट्रानिक पी- ए. बी. एक्स. की बिबिध श्रेणियां । एक लाख लाइने प्रतिवर्ष
4. मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम लिमिटेड, भोपाल । (आवेदन पत्र दिनांक 27 अप्रैल 1984)	गाहक टेलीफोन उपकरण 2.5 लाख संख्या प्रतिवर्ष
5. कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगम लिमिटेड (आवेदन पत्र दिनांक 2 मई 1984)	इलेक्ट्रानिक दूर मुद्रक 8000 संख्या प्रतिवर्ष ।

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई का नाम	मद
6. भारत इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड, बंगलौर : (आवेदन पत्र दिनांक 8.5.84)	इलेक्ट्रानिक बेतार उपस्कर तथा सहायक उत्पाद
7. कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर । (आवेदन पत्र दिनांक 31.5.84)	टेलीफोन ट्रांसड्यूसर कैपसूल 15 लाख सेट प्रतिवर्ष
8. मेसर्स ऐन्ड्यूयूल एन्ड कं0 लि0 कलकत्ता । (आवेदन पत्र दिनांक 13.6.84)	मल्टीचैनल रेडियो वार्षिक क्षमता 12 करोड़ : ०)
9. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक एवं पूंजीनिवेश निगम लि0 बम्बई । (आबेदन पत्र दिनांक 15.6.84)	अंकीय इलेक्ट्रानिक स्विचन प्रणाली । 5 लाख लाइन प्रतिवर्ष
10. हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम लि0, शिमला । (आवेदन पत्र दिनांक 12.7.84)	(1) इलेक्ट्रानिक पी. ए. बी. एक्स. 1.25 लाख प्रतिवर्ष । (2)एनालान टेलीफोन,इलेक्ट्रानिक को टेलीसेट 1.25 लाख प्रतिवर्ष ।
11. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक एवं पूंजीनिवेश निगम लि0, बम्बई । (आवेदन पत्र दिनांक 13.7.84)	(1) अंकीय टेलीफोन उपकरण 4 लाख नग प्रतिवर्ष । (2) अंकीय टेलीफोन प्रतिस्थापनकिट 1 लाख नग प्रतिवर्ष ।

लिमिटेड

कुद्रेसुख आयरन और कम्पनी (लिमिटेड) में चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति

545. **श्री के० मालन्ना :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जून, 1984 के "बिजनैस स्टैन्डर्ड" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि 650 करोड़ रुपए की विशाल कुद्रे सुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड को अभी आगामी कुछ और समय तक बिना शीर्ष अधिकारियों के रहना होगा क्योंकि भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति ने कंपनी के लिए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त करने के सरकारी उद्यम चयन बोर्ड के प्रस्ताव को एक बार फिर अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कुद्रेसुख आयरन और कंपनी लिमिटेड के मुख्य प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति कब तक किए जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री (एन० के. पी. साल्वे) (क) जी, हां।

(ख) कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लि० में प्रबन्ध निदेशक के पद के लिए एक अधिकारी का चयन कर लिया गया है और उन्हें नियुक्ति की पेश-कश की जा चुकी है ; आशा है वे शीघ्र ही यह पद ग्रहण कर लेगें।

भारतीय नागरिकों द्वारा अपने नामों से पहले और बाद में जाति सूचक/व्यवसाय सूचक शब्दों का प्रयोग

546. **श्री आर० आर० भोले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय का कोई कानून अथवा सरकारी स्वरूप है जिसके अनुसार भारतीय नागरिकों को अपने नामों के पहले अथवा बाद में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनसे उनकी जाति अथवा जातिगत व्यवसाय का बोझ पड़ता हो ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सरकारी संकल्प जारी करने अथवा कानून घोषित करने का है जिससे किसी व्यक्ति को जो अपने नामों से पहले अथवा बाद में ऐसे शब्दों का प्रयोग करने पर उसको किसी सुविधा, लाभ अथवा सेवा से वंचित किया जा सके ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) जी नहीं श्रीमान। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

"मिनी" और "माइक्रो" कम्प्यूटरों का निर्माण

548. **श्री के० लक्कप्पा**
श्री धर्मदास शास्त्री } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कम्प्यूटरों के मूल्यों को कम करने के तरीके और साधनों की जांच करने का कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो मिनी और माइक्रो कम्प्यूटरों का निर्माण करने के लिए कितनी और कौन-कौन सी फर्मों को लाइसेंस दिए गए ;

(ग) उन फर्मों का वार्षिक उत्पाद कितना है ; और

(घ) सरकार किस तरीके से इन फर्मों की सहायता कर रही है ताकि कम्प्यूटरों के मूल्यों को कम किया जा सके ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम. एस. संजीव राव) : (क) तथा (घ) जी, हां। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने देश में कम्प्यूटरों की कीमतों को घटाने की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। इस सम्बन्ध में जो उपाय किए गए हैं, उनमें कम्प्यूटर के विनिर्माण में लगने वाले पूंजीगत माल, कच्ची सामग्री/संघटक पुर्जों पर सीमा-

शुल्क में कटौती करना सरणीबिद्ध आयात के माध्यम से थोक मात्रा में आयात करना तथा जिन यूनिटों को पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है उनकी क्षमताओं में वृद्धि करके उन्हें और व्यवहार्य बनाना आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटरों के क्षेत्र में जिनमें मिनी/माइक्रो प्रोसेसरों पर आधारित प्रणालियां शामिल है, जिन 140 पार्टियों को अनुमोदित किया गया है उनमें बढ़ती हुई प्रतियोगिता के कारण कम्प्यूटरों की कीमतों में और भी गिरावट आने की सम्भावना है।

(ख) मिनी/माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित प्रणालियों सहित कम्प्यूटरों के विनिर्माण के लिए संगठित तथा लघु उद्योग, दोनों क्षेत्रों में लगभग 140 यूनिटों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ग) वर्ष 1983 में कम्प्यूटरों का कुल वार्षिक उत्पादन लगभग 78 करोड़ रुपए रहा है।

सोलर इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीटर का विकास

549. **श्री के० लकप्पा**: क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक सोलर इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीटर विकसित किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त सोलर इन्डस्ट्रियल प्रोसेस हीटर की मुख्य विशेषताएं क्या है ; और

(ग) सोलर इन्डस्ट्रियल प्रोसेस हीटर उद्योगों के लिए कहां तक और किस तरीके के बेहतर और लाभप्रद होंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) सौर औद्योगिक प्रोसेस हीटर की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

1. यह हीटर औद्योगिक प्रोसेस हीटर अनुप्रयोग में 150-200 डिग्री सी के कार्यरत तापमान के बीच 10 किलोवाट उच्चतम (ताप के रूप में) क्षमता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है।

2. इसमें सूर्य पथ प्राप्त करने की स्वयं ट्रैकिंग प्रणाली है।

(ग) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन. पी.एल.) द्वारा अभिकल्पित हीटर, प्रचलित तेल गैस, कोयले या विद्युत चालित पानी गर्म करने वाले हीटरों के पूरक का कार्य करने में समर्थ होगा और इसके द्वारा इस प्रकार के नवीकरण न किए जा सकने वाले ऊर्जा स्रोतों की बचत होगी।

नेशनल सिलिकान फैसेलिटी के लिए विदेशी सहयोग

550. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक्स विभाग ने 200 टन नेशनल सिलिकान फेसिलिटी के लिए अमरीकी की डोकार्निंग कैमिकल्स के साथ सहयोग करने का निर्माण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) जी, हां । इलेक्ट्रानिकी विभाग ने डो कार्निंग कारपोरेशन मिचिगन, संयुक्त राज्य अमेरिका की मैसर्स हेमलॉक सेमीकण्डक्टर कारपोरेशन, मिचिगन, संयुक्त राज्य अमेरिका नामक एक सहायक कंपनी के साथ राष्ट्रीय सिलिकन सुविधा के लिए 200 टन प्रतिवर्ष की क्षमता के पालिसिलिकन संयंत्र के बारे में एक तकनीकी सहयोग करार को अन्तिम रूप दिया है । सहयोग संबंधी करार 8 वर्षों तक लागू रहेगा । इसके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ हेमलॉक द्वारा प्रक्रिया संबंधी तकनीकी जानकारी तथा मूलभूत इंजीनियरी की आपूर्ति की जानी है । संयंत्र की विस्तृत इंजीनियरी, उपस्करों की खरीद तथा स्थापना तथा तकनीकी भवन के निर्माण से संबंधित सभी कार्यकलाप, उपयोगिता की स्थापना आदि कार्य इंजीनियर्स इण्डियन लिमिटेड नामक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक कम्पनी द्वारा किए जाने हैं । प्रक्रिया संयंत्र के लगभग 70 प्रतिशत उपस्करों का उत्पादन स्वदेश में ही किया जाना है ।

मल्टीपल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कनेक्टरों आदि का निर्माण

551. **प्रो. रूप चन्द्र पाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश डिजीटल स्विचिंग प्रणाली में प्रयोग होने वाले मल्टीयल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कनेक्टरों इरेडिक टाइप रिलेज और स्विचों आदि के निर्माण में आत्मनिर्भर हो रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उसकी सप्लाई, माँग को पूरा कयने के लिए पर्याप्त हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए संबधित उद्योग की सहायता देगी ;

(घ) यदि हा, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रायल में उपमंत्री (डा एम० एम० संजीवी राव) : (क) और (ख) जी नहीं । अंकीय स्विचन प्रणालियों में उपयोग में लाये जाने वाले विभिन्न किस्मों के बहुमुद्रित परिपथ बोर्ड कनेक्टरों, रिलों व स्विचों का देश में विनिर्माण नहीं किया जा रहा हैं ।

(ग) से (ड़) फ्रेंच सहयोग के माध्यम से विनिर्मित की जाने वाली अंकीय इलेक्ट्रानिक स्विचन प्रणालियों के लिए आवश्यक संघटक-पुर्जों का स्वदेशी उत्पादन कराने के लिए एक कार्य दल गठित है, जिसमें संचार मंत्रालय, भारतीय टेलीफोन उद्योग तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं।

1. इस कार्यदल के विचाराधीन विषय नीचे दिये अनुसार हैं :-

(i) उन विभिन्न संघटक पुर्जों का पता लगाना जिनके लिए स्वदेशी क्षमता स्थापित करने की जरूरत है।

(ii) तेजी से स्वदेशी उत्पादन करने के लिए मदवार विशिष्टताएं तैयार करना।

(iii) उन सभी व्यवसायिक ग्रेड के संघटक पुर्जे, जिन पर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होने का अन्दाजा लगाया गया है, के क्षेत्र में तेजी से स्वदेशी-क्षमता स्थापित करने के लिए निश्चित समयसीमा के साथ क्रियान्वयन की नीति सुझाना।

2. कार्यदल ने नीचे दिए अनुसार संघटक पुर्जों का पता लगाया है:-

(i) जहाँ प्रौद्योगिकी के पूर्ण-आयात की जरूरत है।

(ii) जहां अंकीय स्विचन प्रणालियो में उपयोग में लाये जाने वाले संघटक पुर्जों की मांग को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी-आधार को उन्नत बनाने की जरूरत है।

इन प्रौद्योगिकी-अन्तरालों को दूर करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

साम्प्रदायिक दंगे

553. **श्री रामामतार शास्त्री**
श्री जी. एम. बानतवाला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 मई, 1984 से अनेक राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में साम्प्रदायिक दंगे होते रहते हैं।

(ख) यदि हां, तो राज्यों-केन्द्रशासित क्षेत्रों के नाम और अन्य ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) उक्त दंगो में मारे गये लोगों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है और मृत व्यक्ति किन-किन समुदायों के थे;

(घ) इन साम्प्रदायिक दंगों के कारण क्या थे और इन दंगों के पीछे कौन से तत्व कार्यरत थे ;

(ङ) इस संदर्भ में कितने लोग गिरफ्तार किये गये और उनके विरुद्ध की गई कारवाई का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन दंगो में जिन लोगों के जानमाल की हानि हुई है, उन्हें सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(छ) क्या इन दंगो के सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ज) क्या इसमें किसी विदेशी शक्ति हाथ होने का संदेह है ; और

(झ) इन दगो को रोकने के लिए क्या उपाय किये हैं ? राज्यमंत्री

गृह मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) 1 मई, 1984 से मुख्यत: महाराष्ट्र राज्य में साम्प्रदायिक दंगे हुए।

(ग) इन दंगों में हिन्दू और मुसलमान दोनों के 278 लोग मारे गये।

(घ) दंगो के तात्कालिक कारण उत्तेजक लेख और भाषण थे।

(ड.) इन दंगो के सम्बन्ध में 12,601 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(च) महाराष्ट्र सरकार ने अब तक 30 लाख रु० की वित्तीय सहायता दी है।

(छ) केन्द्रीय सरकार ने इन दंगो की कोई जांच नही की है।

(ज) विदेशी हाथ होने के किसी स्पष्ट सबूत की सूचना प्राप्त नही हुई है।

(झ) राज्य सरकार को समय-समय पर साम्प्रदायिक प्रगति बनाए रखने के लिए कारगर कार्यवाही करने की सलाह दी गई है और प्रशासनिक कार्यवाही के लिए उनको दिशा निर्देश भी भेजे गये हैं। टेली विजन

टलीविजन उद्यमियों का लघु क्षेत्र के एककों के अन्तर्गत पंजीकरण

554. **श्री भीखा भाई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उद्यमियों ने, जिन्हें ओखला औद्योगिक क्षेत्र (इलेक्ट्रानिक फंक्शनल एरिया), नई दिल्ली में प्लाट अवटित किए गए हैं ब्लैक एण्ड व्हाइट टी. वी., रेडियो टेप रिकार्ड/कार कैसेट प्लेयर्स एककों का लघु क्षेत्र एकक के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और यदि हां, तो प्रत्येक आवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या इन उद्यमियों को फैक्ट्रियां दो वर्ष के भीतर चालू करनी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इनको लघु क्षेत्र के उद्योगों के अन्तर्गत बिना बारी के पंजीकृत करने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं क्योंकि इनके द्वारा प्लाटों का कब्जा लेने के बाद इस समय पहले ही 9 महीने बीत चुके हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) जी, हां। पंजीकरण के लिए सात आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से छह आवेदन-पत्रों को अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जबकि पंजीकरण के लिए सातवां आवेदन-पत्र उद्योग निदेशक, दिल्ली को 12 जुलाई, 1984 को प्राप्त हुआ था।

अन्तर्राष्ट्रीय आतंक वादी की गिरफ्तारी

555. **श्री जगपाल सिंह**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में पालम हवाई अड्डे पर एक अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी जिसे भारत के प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति की हत्या का कार्य सौंपा गया था, गिरफ्तार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हथियारों की तस्करी करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी

556. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह**
श्री रवीन्द्र वर्मा
श्री बापू साहिब परुलेकर } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के साथ लगी देश की सीमा पर हथियारों की तस्करी के संबंध में पिछले दो वर्षों में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ; और

(ख) उन्हें दिए गए दण्ड का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गृह मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवाओं से सम्बद्ध अधिकारियों और कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट पंजिकाओं का रखरखाव

557. **हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 24 अगस्त, 1983 और 18 जनवरी, 1984 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/43/80-सी एस-11 के अनुसार, केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा से संबद्ध अधिकारियों और कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट पंजिकाओं का रखरखाव उनके संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा किया जाता है जो उनके स्थायी कारण पदोन्नति और दक्षता रोध पार करने आदि संबंधी कार्यवाही करने की उत्तरदायी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी होने के नाते, गृह मंत्रालय ने सभी संबंधित सहायकों/उच्च श्रेणी लिपिकों/अवर श्रेणी लिपिकों और आशुलिपिकों को गोपनीय रिपोर्ट पंजिकाओं का रखरखाव अपने अधिकार में ले लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यह मंत्रालय इन अनुदेशों को कब तक कार्यान्वित कर देगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रशासनिक सुविधाओं के अभाव में नई पद्धति को कार्यान्वित करना संभव नहीं है ।

गोपनीय पंजिकाओं के रखरखाव का कार्य संभालने वालों को विशेष वेतन दिया जाना

558. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय के उन अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर विशेष वेतन स्वीकृत किया जा रहा था जो गोपनीय पंजिकाओं के रखरखाव संबंधी कार्य को संभालते थे ;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान कितने अधिकारियों को उक्त विशेष वेतन, दिया गया तथा इनमें से कितने अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा खगातार 3 वर्ष या अधिक समय तक प्राप्त किये गए विशेष वेतन को उनके गोपनीय वैयक्तिक सहायक/सहायक के पद पर कार्य करते हुए उच्च पद पर पदोन्नति प्राप्त करने पर उनके वेतन निर्धारण के समय विचार में लिया गया था ;

(ग) क्या सम्बंधित अधिकारियों की पदोन्नति के समय उक्त विशेष वेतन को उनके वेतन में जोड़ना वैध था ;

(घ) क्या उन सम्बंधित अधिकारियों के वेतन से इस विशेष वेतन को हटा दिया गया है जिनके वेतन में यह विशेष वेतन उनकी पदोन्नति के समय जोड़ दिया गया था ; और

(ड.) यदि नहीं, तो उन्हें विशेष वेतन प्राप्त करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ड.) गत पांच वर्षों के दौरान गृह मंत्रालय संवर्ग के तेरह अधिकारियों को गोपनीय पंजिकाओं के रखरखाव के लिए विशेष वेतन दिया गया था । इनमें से 4 अधिकारी तीन वर्ष से अधिक समय से विशेष वेतन प्राप्त कर रहे थे । इनमें से केवल एक अधिकारी को जब वह विशेष वेतन प्राप्त कर रहा था, पदोन्नत किया गया था और उसके मामले में उच्च ग्रेड में वेतन निर्धारण के प्रयोजन के लिए विशेष वेतन को विचार में लिया गया था । इस मामले में निम्न पद में प्राप्त वेतन और विशेष वेतन तथा उच्च ग्रेड में देय वेतन के बीच अन्तर के समान वैयक्तिक वेतन देकर विशेष वेतन को इस शर्त पर संरक्षित किया गया था कि वैयक्तिक वेतन बाद की वेतन बढ़ोत्तरी में समाविष्ट हो जाएगा । यह विषय से संबंधित आदेशों के अनुसार है ।

गृह मंत्रालय में तदर्थ सहायकों की नियमित आधार पर पदोन्नति

559. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मन्त्री मंत्रालय में उच्च श्रेणी लिपिकों को सहायकों के रूप में पदोन्नति के बारे में दिनांक 4 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6326 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सभी तदर्थ सहायकों को जिन्हें 1983 के दौरान पदोन्नत किया गया था प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के पूरा होने पर गृह मंत्रालय में 29 दिसम्बर, 1983 से नियमित आधार पर पदोन्नत कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं और कार्मिक तथा प्रशासनिक प्रभाग द्वारा तथा सुधार जारी किए गए 29 दिसम्बर 1983 को जारी अनुदेशों के अनुसार सभी तदर्थ-सहायकों को कब तक नियमित आधार पर पदोन्नत कर दिया जाएगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) तारीख 29-12-1983 को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार दीर्घावधि के आधार पर सहायकों के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र गृह मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा संवर्ग के 49 उच्च श्रेणी लिपिकों को अब तक सहायकों के रूप में तदर्थ आधार पर पदोन्नत कर दिया गया है। 1983 के दौरान तदर्थ आधार पर पदोन्नत किए गए 2 व्यक्तियों समेत इनमें से 12 व्यक्तियों को अब प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दीर्घावधि आधार पर नियुक्त कर दिया गया है। शेष तदर्थ सहायकों में से अधिकांश के मामले अब विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए हैं और उनको दीर्घावधि आधार पर नियुक्त किए जाने के आदेश शीघ्र ही जारी किए जाने की आशा है।

सातवीं योजना के दौरान इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

560. **श्रीमती जयन्ती पटनायक**
श्री नीरेन घोष } : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं योजना अवधि के दौरान इस्पात संयंत्रों को आधुनिक बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

(ख) क्या भारत सरकार की अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होनी है और वर्ष 1984-85 में प्राप्त होने की सम्भावना है ;

(ग) यदि हां, तो उन इस्पात संयंत्रों के नाम क्या हैं जिनको सातवीं योजना अवधि के दौरान आधुनिकीकरण कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए चुना गया है ;

(घ) उसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित करने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पो० साल्वे): (क) से (ङ) दुर्गापुर, राउरकेला और बर्नपुर के इस्पात कारखानों के नवीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन की योजनाओं पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और इस काम में काफी प्रगति हो चुकी है। इन योजनाओं को भावी योजनाओं (सातवीं पंचवर्षीय योजना भी शामिल है।) में कार्यान्वित करने की सम्भावना है। इन योजनाओं को स्वीकृति मिलने के पश्चात् ही इस बात का पता चल सकेगा कि ये योजनाएं कितने समय में कार्यान्वित की जाएंगी तथा इनकी अनुमानित लागत कितनी होगी आदि-आदि। इन प्रस्तावों से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होने की सम्भावना है :

—कच्चे माल, मध्यवर्ती तथा तैयार उत्पादों की क्वालिटी में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिक उन्नयन,

—कच्चे माल तथा ऊर्जा की यूनिट कंजस्पशन में कमी,

—धातुकर्म कोयले जैसे दुर्लभ कच्चे माल का संरक्षण,

—उत्पादकता में सुधार,

—अधिक मूल्यवान किस्म के इस्पात का उत्पादन तथा इस्पात कारखानों की अर्थक्षमता में सुधार।

दामन जोड़ी अल्यूमीनियम संयंत्र उड़ीसा का निर्माण और उत्पादन क्षमता

561. **श्रीमती जयन्ती पटनायक**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में नेशनल अल्यूमीनियम कम्पनी द्वारा लगाये जा रहे दामनजोड़ी अल्यूमीनियम संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) इसके द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन कब तक आरम्भ कर दिए जाने की संभावना है ; और

(ग) उक्त अल्यूमीनियम संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा करने में कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पो० साल्वे) : (क) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी (नाल्को), एक बहत एल्यूमिना/एल्यूमिनियम काम्पलेक्स का निर्माण कर रही है, जिसमें उड़ीसा के कोरापुट जिले में बाक्साइट खान तथा एल्यूमिनियम संयंत्र और हेलकनाथ जिले के अंगुल नामक स्थान पर एल्यूमिनियम प्रकाशक गृहीत बिजलीघर शामिल हैं। दामनजोड़ी स्थित एल्यूमिना संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 8 लाख टन एल्यूमीना की है, और अंगुल स्थित एल्यूमिनियम चद्रावक की क्षमता 2,8 लाख टन है।

(ख) एल्यूमिना संयंत्र के सितम्बर, 1986 में और एल्यूमिनियम के प्रद्रावक की दिसम्बर, 1986 में चालू हो जाने की आशा है ।

(ग) दामनजोड़ी एल्यूमिना संयंत्र और अंगुल स्थित एल्यूमिनियम प्रदावक की प्रगति संक्षेप में इस प्रकार है :—

—तकनीक और प्रत्याभूत तकनीकी पैकेज प्राप्त हो गये हैं ।

—अधिकांश भूमि प्राप्त कर ली गई है और वह परियोजना प्राधिकारियों के पास है ।

—आधारभूत सुविधाओं यथा—स्थल समनलन, पहुचमार्ग स्थायी आवास, निर्माण, निर्माण जल विद्युत आदि का कार्य स्थलों की जरूरतों के अनुरूप लगभग पूरा हो गया है ।

—स्थल कार्य तथा यथा आवश्यक और दीर्घ सुपुर्दगी के लिए अनेक उपकरणों के लिए आर्डर दिये जा चुके हैं । सिविल और संरचना कार्य शुरू हो गया है और निर्माण कार्य पूरे जोर पर है ।

जहाँ तक प्रगति के प्रतिशत का सवाल है एल्यूमिना संयंत्र के निर्माण में जून, 1984 के अन्त तक इंजीनियरी, आर्डर देने, टेंडर देने निर्माण और सुपुर्दगी तथा कंस्ट्रक्शन की प्रगति क्रमशः 70.5, 81.2, 86.0, 30.5, तथा 29.8 है । इसी प्रकार एल्यूमिनियम संयंत्र के संबंध में इंजीनियरी, आर्डर देने, टेंडर देने, निर्माण और सुपुर्दगी तथा निर्माण की प्रगति क्रमशः 75.0, 75.2, 78.7, 15.0 तथा 33.8 है ।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की उत्पादन क्षमता

562. **श्री के. ए. स्वामी**
श्री पी. राज गोपाल नायडू } : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की उत्पादन क्षमता कम की जाएगी और उसके फलस्वरूप इसका आकार भी कम किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं।

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.के. पी साल्वे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सांप्रदायिक दंगे

563. **श्री जयपाल सिंह कश्यप**
श्री अशफाक हुसैन } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दौरान देश में कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन दंगों में कुल कितने व्यक्ति मारे गए, घायल हुए और गिरफ्तार किए गए तथा कुल कितने मूल्य की संपत्ति नष्ट हुई ; और

(ग) भविष्य में ऐसे दंगे की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र (बम्बई, भिवन्डी, थाणे) कर्नाटक (बंगलौर, धारवाड़, हुबली) और पश्चिम बंगाल (किडेपोर) में सांप्रदायिक दंगे हुए ।

(ख) राज्य सरकारों की सूचना के अनुसार इन दंगों में 302 व्यक्ति मारे गए, 1052 घायल हुए, 13003 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 826.23 लाख रु० की संपत्ति की हानि हुई ।

(ग) शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की आवश्यकता के लिए राज्य सरकारों पर बार-बार जोर देकर कहा गया है । प्रशासनिक और आसूचना तंत्र सुप्रवाही बनाने और समाज-विरोधी तत्वों को गिरफ्तार करने, शस्त्र और गोला-बारूद को तलाश करने और जब्त करने और साम्प्रदायिकता को भड़काने वाले तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने जैसे उपायों के लिए उनको सुझाव दिए गए हैं । कुछ राज्यों को यह सुझाव भी दिया गया है कि वे साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में साम्प्रदायिक घटनाओं के कारणों का गहन अध्ययन करें । जब भी केन्द्रीय बलों के लिए अनुरोध किया जाता है तो वे राज्यों को उपलब्ध कराए जाते हैं।

भाभा एटोमिक रिसर्च सेन्टर में न्यूक्लियर रिएक्टर का काम न करना

564. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा एटोमिक रिसर्च सेन्टर में न्यूक्लियर रिएक्टर कुछ समय से ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है ; और

(ख) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके ठीक काम न करने के क्या कारण है तथा इस संबन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दक्षिण दिल्ली में बंगलादेश उच्चायोग के सामने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने की जांच

565. **श्री जयपाल सिंह कश्यप**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही दक्षिण दिल्ली में बंगलादेश उच्चायोग के सामने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से कुछ लोग मारे गए थे; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उन परिस्थितियों की जिनके कारण पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी, यदि कोई जांच कराई गई है, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं तथा इस मामले में सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या): (क) इस घटना में दो व्यक्ति मारे गए थे ।

(ख) विश्व हिन्दू परिषद के लगभग 250 कार्यकर्ताओं ने लिंग रोड, लाजपत नगर, पर स्थित बंगलादेश उच्चायोग के सामने 26-5-1984 को प्रदर्शन किया था । प्रदर्शनकारियों ने भड़काने वाले नारे लगाए और बंगलादेश के राष्ट्रपति का पुतला जलाया । फिर उन्होंने दरवाजा तोड़कर परिसर में घुसने का प्रयास किया । भीड़ गैर-कानूनी घोषित की गई और जब वे तितर-बितर नहीं हुए, तो प्रदर्शनकारियों को धकेला गया ।

प्रदर्शनकारियों ने उच्चायोग भवन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और परिसर में घुसने का एक और प्रयास किया । सहायक पुलिस उपायुक्त, लाजपतनगर सहित 12 पुलिस कर्मी जख्मी हुए । इन परिस्थितियों में पुलिस के पास गोली चलाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था । थाना लाजपत नगर में भा. द. सं. की धारा 147/148/149/186/332/353/307 506/452/511/427 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है और जांच-पड़ताल चल रही है ।

अनुसूचित जाति सम्बन्धी विकास की गतिविधियों के समन्वय के लिए जिला/राज्य स्तर की समितियों की नियुक्ति

566 **श्री भाऊ साहब थोरट** :क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति सम्बन्धी विकास की गतिविधियों के समन्वय के लिए जिला स्तर पर समितियां या राज्य स्तर समितियां नियुक्त करने संबंधी केन्द्रीय सरकार की कोई योजना है ;

(ख) इस बारे में राज्यों को क्या मार्गदर्शी निर्देश दिए गए हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश में विशेष घटक योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कोई विशेष कानून बनाने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) : विशेष कम्पोनेन्ट योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए जो योजनाएं प्रत्येक क्षेत्र में विशेष कम्पोनेन्ट योजना में शामिल की जाती है उनका सन्तोषजनक कार्यान्वयन सुनिश्चित करना प्रत्येक क्षेत्र में प्रशासनिक तंत्र का उत्तरदायित्व है । विशेष कम्पोनेन्ट योजना पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से कई राज्यों संघशासित क्षेत्रों ने कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियां गठित की हैं । इस मन्त्रालय के कार्यदल की रिपोर्ट 1980-85 में ये अनुदेश दिए गए हैं कि जिला स्तर पर जिला मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में किसी समिति को विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की सावधिक पुनरीक्षा करनी चाहिए, प्रगति का मुल्यांकन करना चाहिए और समय पर अपेक्षित सुधारात्मक उपाय करने चाहिए ताकि सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम के समन्वय तथा आयोजन के पूर्ण कार्य में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त उपायुक्त/संयुक्त कलैक्टर के पद के किसी वरिष्ठ अधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट की सहायता की जानी चाहिए ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

आंध्र प्रदेश में
परमाणु ऊर्जा संयन्त्र की स्थापना का प्रस्ताव

569. **श्री पी. राजगोपाल नायडू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास आंध्र प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रस्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह संयन्त्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) : दक्षिणी क्षेत्र के बारे में, आन्ध्र प्रदेश जिसका एक भाग है, स्थल-चयन-समिति की रिपोर्ट मिल चुकी है और उसका अध्ययन किया जा रहा है ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के बारे में अध्ययन

570. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के, विशेष रूप से बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई व्यापक अध्ययन करवाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कितने प्रतिशत लोग अत्याधिक गरीबी में रह रहे है और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात कितना है; और

(ग) उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) सभी राज्यों में अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास का कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है। आम तौर पर यह मालूम है कि विशेष रूप से ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में काफी अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अत्याधिक आर्थिक अभाव से पीड़ित हैं। राज्यों ने विशेष कम्पोनेंट योजना और जनजातीय उपयोजना की नीति अपनाई है और गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के अनुपात और संख्या का अनुमान लगाया हैं। अधिकांश राज्यों में समस्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति जनसंख्या को गरीबी की रेखा से नीचे माना गया है।

(ग) राज्यों द्वारा उनकी वार्षिक योजना के कार्यों के भाग के रूप में विशेष कम्पानेंट योजना और जनजातीयउपयोजनाके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। राज्यों में इनको प्रत्येक वर्ष कार्यान्वित किया जाता है। इस प्रयास को केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता देकर और बढ़ावा दिया जाता है।

प्रत्येक राज्य के विशेष कम्पोनेंट योजना और जनजातीय उप-योजना परिव्ययों पर भी प्रतिवर्ष योजना आयोग में विचार विमर्श किया जाता है और उनको अन्तिम रूप दिया जाता है विशेष कम्पोनेंट योजना और जनजातीय उपयोजना स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से राज्यों का दौरा करते हैं।

प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों को जारी किए गए अनुदेश

571. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु, जल और भू-प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण विभाग ने निर्णय लिया है कि 18 प्रकार के उद्योग विभाग के साथ उनके विभाग की अनुमति प्राप्त करना भी आवश्यक होगा :

(ख) यदि हाँ, तो निर्णय का ब्यौरा क्या है और क्या उसकी प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(ग) यह निर्णय किस तारीख से और किस प्रकार कार्यान्वित किया गया है ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : जी हां।

(ख) ब्यौरा दर्शाने वाले एक प्रेसनोट सहित परिपत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8470/84]

(ग) यह निर्णय 22 जन. 1984 से लागू हुआ और इसके कार्यान्वियन की पद्धति संलग्न प्रैस नोट में दी गई है।

कुछ क्षेत्रों में छठी योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति

572. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें सरकार छठी पचवर्षीय योजना के अन्त तक अपने योजना लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगी।

(ख) क्या सरकार योजना लक्ष्यों को विशेषकर कृषि, ऊर्जा, इस्पात, बेरोजगारी और गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के क्षेत्र में प्राप्त करने में सफल होगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

योजना मत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) छठी योजना के माध्यावधि योजनां मूल्यांकन की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो संसद के सम्मुख पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। उस दस्तावेज के भाग 1 की सारणी 1 में 51 मुख्य वस्तुओं/सेवाओं में अनुमानित निष्पादन को बताया गया था। सामान्यत: ये अनुमान वही रहे हैं, जो मुख्य परिवर्तन हुए हैं, वे निम्न प्रकार से है :—

खाद्यान्नों में उत्पादन छठी योजना के अनुमानों के निकट अर्थात 154 मिलियन टन के करीब होने की आशा है, तिलहनों में भी उत्पादन के छठी योजना लक्ष्य के 110 लाख टन से बढ़ने की आशा है। 29.6 मिलियन टन के स्तर पर कच्चे पैट्रोलियम का उत्पादन छठी योजना लक्ष्य के स्तर से और मध्यावधि योजना मूल्यांकन के अनुमानित स्तर दोनों ही से बढ़ेगा। बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन मध्यावधि योजना मूल्यांकन में अनुमानित उत्पादन से कम होने की संभावना है, इसके अब लगभग 9 मिलियन टन होने की आशा की जाती है। बिजली के उत्पादन में लगभग 164 बिलियन के० डब्ल्यू०एच० उपलब्धि होने की आशा की जाती है। चीनी का उत्पादन भी मध्यावधि योजना मूल्यांकन अनुमान से मामूली सा ही कम हो सकता है।

(ख) और (ग) : जिन कारणों से छठी योजना के लक्ष्यों से निष्पादन के भिन्न होने की सम्भावना है उनकी विस्तृत समीक्षा, क्षेत्रकवार, मध्यावधि योजना मूल्यांयन में है। तब से, जैसा कि ऊपर बताया गया है, खाद्यान्नों तिलहनों और कच्चे पैट्रोलियम के संबंध में संभावताओं में सुधार हुआ है जबकि ऊपर बताए गए अन्य क्षेत्रों मेंकुछ कमी आई।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्वतीय राज्यों को उदार वित्तीय आवंटन

575. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य पत्र में पर्वतीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को

कठिन भौगोलिक स्थिति छितवरी हुई आवादी और जलवायु की परेशानियों आदि के कारण आने वाली कठिनाइनायों को ध्यान में रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई विशेष नीति बनाई गई है अथवा उदार वित्तीय आवटंन का प्रावधान किया गया है और दूरी, जनसंख्या-क्षेत्रफल आदि संबंधी मानदण्डों में क्या छूट दी गई है तथा विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण पर कितनी अधिक लागत आयेगी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या प्रावधान किए गए हैं ?

योजना मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : पहाड़ी क्षेत्रों के तत्वरित विकास के लिए छठी योजना के दौरान एक विशेष नीति बनाई गई है और उस पर अमल किया जा रहा है । इन क्षेत्रों के लिए, ऊंची निर्माण लागत को वहन करने के प्रावधान सहित उदार वित्तीय आवंटन किए हैं । दूरी, जनसंख्या, क्षेत्रफल संबंधी मनदण्डों में छूट निर्धारित की गई है । सातवीं योजना के लिए पहाड़ी क्षेत्र विकास से सम्बन्धित एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है, जिससे वर्तमान नीति की पुनरीक्षा करने औरअपेक्षीय परिवर्तन, यदि कोई हो, तो सुझाने की आशा की जाती है ।

नेशनल सेक्यूरिटी गार्ड का गठन

577. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों से व्यक्तियों का चयन करके नेशनल सेक्यूरिटी गार्ड नामक एक विशेष कार्य दल बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इसका काम देश में बढ़ते हुये आतंकवाद से निपटना होगा :

(ग) क्या यह निर्णय भी किया गया है कि आरम्भ में 25 बटालियन बनाई जाएगी, जिनमें प्रत्येक में 800 व्यक्ति होंगे ;

(घ) यदि हां, तो नेशनल सेक्यूरिटी गार्ड में व्यक्तियों की नियुक्ति के मानदण्ड क्या होंगे ;

(ङ) क्या विशेषज्ञों ने कहा है कि संगठित आतंकवाद से निपटने के लिए सेना अथवा सीमा सुरक्षा वल को बुलाना सदैव उचित नहीं है, और

(च) उक्त संगठन का कब तक गठन किए जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों को अर्ध-सैनिक बल के रूप में खड़ा करने का निर्णय किया हैं ।

(ख) इसका उपयोग देश में आतंकवाद का मुकाबला करने सहित आंतरिक सुरक्षा ड्यूटियों के लिए किया जाएगा ।

(ग) और (घ) ये मामले इस समय योजना व्यवस्था में होने के कारण अभी इन पर निर्णय किया जाना है ।

(ङ) यह सच है कि जहां तक संभव होता है राज्यों में केवल के. रि. पु. ब. को विधि व व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात करना होता है। परन्तु आपवादिक परिस्थितियों में जब के.रि. पु. ब. पूर्णतः व्यस्त है और जब राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की तत्काल आवश्यकता पूरी करनी होती है तो आंतरिक सुरक्षा ड्यूटियों के लिए कभी भी. सु. बल और सेना को भी तैनात करना आवश्यक हो जाता है।

(च) जितनी जल्दी संभव होगा, उतनी जल्दी।

पंजाब में की गई सैनिक कार्यवाई को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश जारी करना

578. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय गृह मन्त्रालय ने पंजाब में आतंकवादियों के विरुद्ध की गई सैनिक कारवाई को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों को सतर्क रहने का अनुरोध करते हुए निर्देश जारी किए थे ;

(ख) यदि हां तो इस कार्यवाही का कौन-कौन से राज्यों में असर हुआ था और किन-किन राज्यों में सरकारी कार्यवाई के विरुद्ध प्रदर्शन किए गए थे

(ग) क्या पंजाब के अनेक पड़ौसी राज्यों में भी अनेक उग्रवादी पाए गए थे ;

(घ) इस अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकारों ने क्या कदम उठाए थे।

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को इस संबन्ध में सहयोग दिया है; और

(च) यदि हां, तो अन्य राज्यों से भी ऐसे उग्रवादियों का किस हद तक सफाया कर दिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (च) पंजाब में उग्रवादियों और आतंकवादियों की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सभी राज्य सरकारों को सावधान कर दिया गया था और इस सम्बन्ध में निगरानी रखने का अनुरोध किया गया था। सम्बन्धित राज्य सरकारों ने कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं।

पंजाब में सैनिक कार्यवाही के दौरान और उसके बाद जम्मू और काश्मीर राज्य में उग्रवादियों का सक्रिय होना

580. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून1984 में पंजाब में सेना की कार्यवाही के दौरान तथा कार्यवाही के बाद जम्मू और कश्मीर रज्य में उग्रवादी काफी सक्रिय रहे थे,

(ख) यदि हां, तो क्या बिभिन्न ऐजेन्सियों से यह सुनिश्चित हो गया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य विदेशी एजेसियों द्वारा इन उग्रवादियों को छापामार प्रशिक्षण देने का प्रमुख केन्द्र था ;

(ग) क्या वहां इन हिंसक घटनाओं के दौरान अनेक पाकिस्तानियों को पकड़ा गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उस राज्य से उग्रवादियों का सफाया करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है अथवा उस समय क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना नहीं है ।

(ग) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे ऐसे तत्वों से कानून के अधीन कारगर ढंग से निपटे ।

उग्रवादियों की गिरफ्तारी

582. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) पजाब और देश के अन्य भागों में आज तक कितने उग्रवादी गिरफ्तार किए गए ;

(ख) क्या इनमें विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है ।

(ग) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या कुछ उग्रवादियों ने विदेशों में सेना जैसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की बात स्वीकार करी है ; और

(ङ) यदि हां तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पंजाब में आंतकवादियों की सहायता करने वाले पुलिस अधिकारियों का पता लगाना

583. **श्रीमती विद्या चैन्नुपति** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कया सरकार ने उन पुलिस अधिकारियों का पता लगाया है, जो पंजाब में आतंकवादियों की सहायता कर रहे थे ;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध कारवाई की गई है और उनकी संख्या कितनी है तथा उनके द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) सुरक्षा दलों द्वारा

पकड़े गये आतंकवादियों और संदिग्ध उग्रवादियों के कार्यों की जांच पड़ताल की जा रही है। यदि ऐसे तत्वों के साथ किसी पुलिस अधिकारी के संबंध पाए जाएंगे, तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

विजय नगर इस्पात संयंत्र में कुकिंग कोल के उपयोग को रोकने के लिए तकनीकी

584. **श्री चिरंजी शर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्नाटक में विजय नगर इस्पात संयंत्र में इस्पात के निर्माण में कोकिंग कोयले के प्रयोग को रोकने हेतु कम लागत वाली बढ़िया प्रौद्योगिकी की खोज कर रही है और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन. के. पी. साल्वे): (क) जी हां,।

(ख) कई अध्ययनों से यह सिद्ध हो गया है कि देश में विद्यमान परिस्थितियों में, विशेषरूप से कोककर कोयले की क्वालिटी घटिया होते, संसाधनों की कमी तथा इसके स्रोतों की दूरी और लोहे तथा इस्पात की मांग और सप्लाई की स्थिति को देखते हुए विजयनगर (जिसे कोककर कोयले की सप्लाई के लिए दुरस्थ स्थित स्रोतों पर निर्भर करना पड़ेगा) में धमन भट्टी प्रक्रिया पर आधारित इस्पात कारखाना लगाने पर काफी अधिक खर्च आएगा और इससे भारी हानि होगी इसलिए कई वैकल्पिक प्रक्रियाओं का जिसमें कोककर कायले का इस्तेमाल नहीं किया जाता है , अध्ययन किया गया है।

इनसे तीन प्रक्रियाओं को, जो प्रथम दृष्टि में आकर्षक प्रतीत होती है, गहराई से अध्ययन किया जा रहा है जिससे कर्नाटक में लगाए जाने वाले इस्पात कारखाने में इस्पात का उद्घाटन करने हुतु लागत की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त तथा मितव्ययी प्रौद्यागिकी का चयन किया जा सके आशा है कि एक उपयुक्त योजना शीघ्र ही बना ली जाएगी।

उड़ीसा की प्राइज प्रोजेक्ट को हुआ आघात

585. **श्री के० प्रधानी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 24 जून 1984 के नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले इन्डियन एक्सप्रेस में "उड़ीसा प्राइज प्रोजेक्ट सफर्स सैटबैक" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं तथा उन्होंने स्थिति को ठीक करने और उड़ीसा में "नाल्को" परियोजना का समय पर कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की है ;

(ग) क्या "नाल्को" बन्धक इस परियोजना के कारण गत तीन वर्षों के दौरान वहां से

हटाए एए प्रत्येक परिवार में से कम से कम एक व्यक्ति को कोरापुट जिले में रोजगार और आवास देने के वायदे को पूरा न कर सकने के साथ-साथ उनके पुनर्वास के कार्य में भी असफल रहे हैं;

(घ) इस प्रकार के विस्थापित आदिवासी परिवारों की संख्या कितनी है; और

(ङ) इस प्रकार के विस्थापित आदिवासी परिवारों को रोजगार तथा आवास प्रदान करने और उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) और (ख) : उठाए गए मुद्दे परियोजना कार्यान्वयन, परियोजना लागत भर्ती नीति, निदेशकों की तब्दीली और कर्मचारी यूनियनों की मांगों को लेकर थे। निर्माण कार्यक्रम का दृढ़ता से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्यों की प्रगति पर उच्च स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है ताकि बाधाओं और समस्या क्षेत्रों का पता लगाकर उनका समाधान किया जा सके। निर्माण कार्य पूरे जोरों पर है।

परियोजना व्यय पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। खर्च में वृद्धि अनिवार्यतः आय मूल्य वृद्धि तथा कार्यक्षेत्र संबंधी परिवर्तनों, सीमा शुल्क और ब्याज देयताओं के कारण है।

नाल्को भर्ती के मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी नियमों का पालन कर रही है। जहां तक निदेशक स्तर की रिक्तियों का सम्बन्ध है, निदेशक (परियोजना) तथा कार्यकारी निदेशक (कार्मिक) के पदधारियों ने पहले ही कार्यभार संभाल लिया है और निदेशक (वित्त) की नियुक्ति भी अधिसूचित की जा चुकी है। कर्मचारी यूनियन की समन्वय समिति ने एक मांगपत्र प्रस्तुत किया है। इन मांगों पर प्रबन्धन द्वारा यूनियन के साथ बातचीत की जा रही है।

(ग) से (ङ) दामनजोड़ी में अनुसूचित जाति के 266 परिवारों सहित 581 परिवारों के विस्थापित हो जाने की सम्भावना है। रिक्तियों की संख्या और उनकी अनुपयुक्तता को देखते हुए नाल्को का कार्यक्रम प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक स्वस्थ व्यक्ति को रोजगार देने का काम 20 जून, 1984 तक नाल्को द्वारा दामनजोड़ी सैक्टर में अकुशल श्रेणी पदों पर 49 स्थानीय विस्थापित व्यक्तियों को और 5 अर्द्धकुशल श्रेणी पदों पर सीधे ही रोजगार दिया जा चुका है। 999 स्थानीय व्यक्ति विभिन्न ठेकेदारों के पास काम कर रहे हैं। विभिन्न ठेकेदारों के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण दिए जाने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है ताकि उन्हें रोजगार के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। भूमि के लिए मुआवजा तथा प्रत्येक विस्थापित परिवार को अपने निजी मकान बनाने के लिए 2500 रुपये की अदायगी के अलावा, उनकी सहायता के लिए 90 अस्थायी कामचलाऊ शेडों का भी निर्माण किया गया है।

साम्प्रदायिक दंगे संबंधी जांच आयोगों की रिपोर्टों के अध्ययन के लिए एक पृथक कक्ष का गठन

587. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या हाल के वर्षों के दौरान बार-बार हुए साम्प्रदायिक दंगों की घटनाओं को देखते हुए

केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा सहित विभिन्न जांच आयोगों और न्यायिक पैनलों की रिपोर्टों का अध्ययन करने के लिए तथा राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा उन रिपोर्टों पर की गई कार्यवाही को देखने के लिए एक पृथक कक्ष का गठन करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार

591. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा छठी योजना अवधि के दौरान भिलाई इस्पात संयन्त्र के विस्तार के लिए क्या-क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं;

(ख) विस्तार कार्यक्रम पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) भिलाई इस्पात संयंत्र में आरम्भ किये गए विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) (क) से (ग) : भिलाई इस्पात कारखाने की इस्पात पिण्ड की वार्षिक क्षमता 25 लाख टन से बढ़ाकर 40 लाख टन की जा रही है । इस पर 1600.5 करोड़ रूपए की लागत आएगी । प्लेट मिल का भारी प्लेट सैक्शन और प्रथम शियर लाइन विद्युत संयन्त्र की पहली और दूसरी इकाई और आक्सीजन संयन्त्र चालू कर दिए गए हैं । एल डी कन्वर्टरशाप, निरन्तर ढलाई की कर्मशाला और भारी प्लेट मिल की शेष सुविधाएं वर्ष 1984 और 1985 में उत्तरोत्तर उपलब्ध हो जायेंगी । दूसरे चरण की सुविधायें, जिनमें नवम कोक ओवन बैटरी, सातवीं धमन भट्टी और सम्बद्ध सुविधायें शामिल हैं, 1986-87 में उपलब्ध होने की संभावना है ।

इस विस्तार योजना पर 30 जून, 1984 तक 1381.75 करोड़ रुपए (आंकड़े अस्थाई हैं) खर्च हो चुके हैं ।

मध्य प्रदेश में खनिज भण्डार

592. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1983-84 में मध्य प्रदेश में खनिज भण्डारों की गहन खोज के लिए कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश में खनिज भण्डारों का पता लगाने के कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च की गई है : और

(ग) मध्य प्रदेश में जिन खनिजों का पता लगा है उनका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री. एन. के. पी. साल्वे)

(क) मध्य प्रदेश में भूवैज्ञानिक और खनिज सर्वेक्षण का काम 1983-84के फील्ड सीजन में राज्य के भूतत्व और खनन निदेशालय तथा भारतीम भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने शुरू कर दिया है ?

(ख) भारतीय भूगैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1983-84 के वित्त वर्ष में 11·36 लाख रु० खर्च किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इसी अवधि में 113.80 लाख रु. खर्च किए हैं।

(ग) बस्तर, रायपुर, रायगढ़, दुर्ग और राजनन्दगांव जिलों में बाक्साइट, लोहा, सैलखडी खनिज मिट्टी, कोयला, चूना पत्थर,डोलोमाइट और राकफास्फेट तथा आधार धातुओं के होने का पता चला है। इसके अलावा सीधी जिले में धानखोरी और खिरखिरी इलाके के पास बैराइट होने का भी संकेत मिला है।

पांच सितारा होटलों में अधिक पूंजी निवेश

593. **श्री पी. जे. कुरियन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हाल ही में यह घोषणा की है कि यह भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा पांच सितारा होटलों में अधिक पूजी निवेश के विरुद्ध है ;

(ख) क्या योजना आयोग ने ऐसे पूजी निवेश का कोई अध्ययन किया है जिसमें सरकार को कोई वित्तीय लाभ नहीं प्राप्त हुआ था ;

(ग) क्या यह संभव है कि लगातार घाटे में चल रहे कुछ हाटलों को बेच दिया जाय ताकि सरकार को कुछ पैसा मिल जाय। और

(घ) भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा होटलों के निर्माण के लिए योजना आयोग के नवीनतम दिशा निर्देश क्या हैं ?

योजना मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :(क) जी नही, ।

(ख) जी, नहीं। फिर भी, सभी बड़ी परियोजनाएं के वास्तविक प्रचालनात्मक और वित्तीय निष्पादन की, संबंधित मन्त्रालयों से परामर्श द्वारा योजना आयोग द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ग) भारतीय पर्यटन विकास निगम की परियोजनाएं आमतौर पर संबर्धनात्मक और विकासात्मक स्कीमें और इसलिए पर्यटन उद्योग को उनके समग्र योगदान को ध्यान में रखते हुए उनके निष्पादन को दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है।

(घ) होटल निर्माण से नीति की दस्तावेजों में बताया गया है.।

उड़ीसा में "बाक्साइट" के भण्डार

595 **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के किन-किन जिलों में "बाक्साइट" के भण्डार पाए गए हैं;

(ख) 31 मार्च, 1984 तक सर्वेक्षण दल द्वारा बलानगीर जिले में 'बाक्साइट' के कितने भंडारों का पता लगाया गया है, और

(ग) उड़ीसा के उपर्युक्त जिले में 'बाक्साइट' के उचित उपयोग के लिए क्या कदम उठाएं गए है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री श्री (एन० के. पी. साल्वे) :

(क) उड़ीसा के बोलनगीर, सम्बलपुर, कालाहांडी, कोरापुर, फूलबनी, क्योंझर, सुन्दरगढ़ जिलों में बाक्साइट भंडार पाये गए हैं ।

(ख) बोलनगीर और सम्बलपुर जिलों की सीमा पर गंधमार्दन में लगभग 207 मिलियन टन धातु ग्रेड बाक्साइड भन्डारों का अनुमान लगाया गया है ।

(ग) सरकार ने बोलनगीर जिले में गंधमार्दन बाक्साइट निक्षेपों के विकास के लिए भारत एल्यूमिनियम कम्पनी को मंजूरी दे दी है, जिससे कोरबा एल्यूमिनियम कारखानों को 0.6 मिलियन टन बाक्साइट की हर साल पूर्ति की जाएगी । बाक्साइट खान का विकास चल रहा है ।

किसान मोर्चा लाहौर (1939) और अकाली आन्दोलन (1922) में भाग लेने वाले को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

597. **श्री. एस. निहाल सिंहवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह जानकारी है कि मोर्चा शुरू का बाग,1922"(अकाली आन्दोलन और किसान मोर्चा लाहौर के अपराधियों को छः महीने पहले ही छोड़ दिया गया था;

(ख) क्या सर्वश्री गंगाराव सिंह सुपुत्र साधूसिंह गांव रोड़ेवाला, मंगल दास सुपुत्र श्री राम गांव कोकीवाला, (अमृतसर) बेहल सिंह सुपुत्र गोविन्द राम गांव पतंरा; (पटियाला) (किसान मोर्चा अपराधी) और गुरबकस सिंह उर्फ राम सिंह, गांव डोबेलिया (अमृतसर) (गुरु का मोर्चा अपराधी) के पेंशन योजना 1980 के अन्तर्गत पेंशन के आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकृत कर दिए गए हैं कि वे अपने साथ एक वर्ष की सजा भुगत रहे दो अपराधियों के शपथ पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं,

(ग) यदि हां, तो जब जेल के सभी साथी मर चुके हैं तो अपेक्षित सूचना कैसे दी जा सकती है ; और

(घ) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखकर कि जेल के सभी साथी मर चुके हैं, ऐसे मामलों पर-पुनः विचार कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या): (क) से (घ) सर्वश्री शिंगाड़ा सिंह, मंगलदास, बेहाल सिंह और गुरबक्स सिंह उर्फ रामसिंह के आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

जांच करने के बाद राज्य सरकार ने सूचित किया था कि उनके द्वारा काटी गई सजा के संबंध में दस्तावेजी लक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था किन्तु वे उसको प्रस्तुत नहीं कर सके। ऐसी परिस्थितियों में राज्य सरकार ने यह नहीं माना कि ये मामले स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत करने के लिए उपयुक्त थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए उनको स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत करना संभव नहीं था।

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में आग लगना

598. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में हाल में भीषण आग लग गई थी, जिससे सम्पत्ति और रिकार्ड को भारी नुकसान पहुंचा; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसे सुव्यवस्थित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) जी हां,।

(ख) अकादमी में 25 मई, 1984 को प्रात: भीषण आग लगी थी। अकादमी का मुख्य ब्लाक, जिसमें पुस्तकालय, रसोई घर, रसोई भण्डार, स्टोर, डाइनिंग हाल, लाउन्ज, गेस्ट रूम तथा निदेशक की आवास स्थित थे—पूर्णतया नष्ट हो गया है। पन्त ब्लाक के एक भाग को भी नुकसान पहुंचा है। तथापि भोजनालय तथा पुस्तकालय की सुविधाओं की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई हैं। अधिकारियों का भोजनालय अब एक इनडोर बैडमिंटन हाल में स्थापित कर दिया गया है और बगल में एक रसोई घर का निर्माण कर दिया गया है। हैपी वैली कम्पलेक्स के हाल को एक अस्थाई लाउन्ज में बदल दिया गया है। छोटे पैमाने पर पुस्तकालय सेवा प्रारम्भ कर दी गई है और पुस्तकालय तैयार करने का काम प्राथमिकता के आधार पर शुरू कर दिया गया है।

अकादमी के पुनर्निर्माण संबंधी क्रियाकलापों पर दृष्टि रखने के लिए निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय के अधिकारियों के एक योजना दल (प्लानिंग ग्रुप) का गठन किया गया है। शीघ्र पुनर्निर्माण के कार्यक्रम के निरीक्षण के लिए इस दल की बैठक नियतकालिक आधार पर होती रहती है। तत्कालिक स्वरूप की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राशि मंजूर कर दी गई है।

पश्चिम बंगाल में सेनेकिन इस्पात संयंत्रों का कार्य निष्पादन सुधारने के उपाय

603. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित इस्पात संयंत्रों की वित्तीय स्थिति तेजी से बिगड़ने के क्या कारण हैं ; और

(ख) समेकित इस्पात संयंत्रों, विशेष रूप से उनके जो पश्चिम बंगाल में है, के वस्तुगत और वित्तीय कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में "सेल" को घाटा हुआ है । वर्ष 1983-84 में "सेल" के कारखानों को हुई वास्तविक हानि का पता तभी चलेगा जब इस वर्ष का हिसाब-किताब अन्तिम रूप से तैयार हो जाएगा ; "सेल" को हुई हानि का मुख्य कारण यह है कि वास्तविक वसूली लागत में हुई वृद्धि की तुलना में कम होती रही है, जैसाकि अगले पृष्ठ पर तालिका में दिखाया गया है :—

(सभी आंकड़े करोड़ रुपयों में हैं)

	1980-81	1981-82	1982-83
पिछले वर्ष की तुलना में "सेल" की बिक्री में हुई वसूली में अनुमानित वृद्धि (इस्पात तथा कच्चा लोहा) पिछले वर्ष की तुलना में लागत में वृद्धि	125	319	231
—कच्चा माल, स्टोर फालतू पुर्जे, बिजली	124	232	199
—वेतन तथा मजूरी	29	42	57
—रख-रखाव	.3	10	3
—मूल्यह्रास	-1	9	9
—ब्याज	15	11	78
उपर्युक्त मदों के बारे में पिछले वर्ष की तुलना में लागत में हुई कुल वृद्धि	170	304	346

(ख) उत्पादन में कमी मुख्यत: बिजली की सप्लाई पर लगाए गए प्रतिबन्धों और देशीय कोककर कोयले की घटिया क्वालिटी तथा अपर्याप्त उपलब्धि के कारण हुई है । सप्लाई करने वाले संगठनों के सहयोग से बिजली तथा बढ़िया किस्म के कोककर कोयले की सप्लाई में सुधार करने के लिए प्रयास किए जा रहे है । इस्पात कारखाने विद्युत उत्पादन की अपनी सीमित क्षमता से अधिकाधिक बिजली पैदा करने के प्रयास कर रहे हैं । दीर्घावधि उपाय के रूप में बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई के इस्पात कारखानों में बिजली पैदा करने की अतिरिक्त इकाइयां लगाई जा रही है ।

अलीपुर चिड़िया घर कलकत्ता में पशुओं की संख्या

604. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अलीपुर चिड़िया घर, कलकत्ता में पशुओं की संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार चिड़िया घर को और अधिक पशु उपलब्ध करके स्थिति को सुधारने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह)

(क) तथा (ख) चिड़ियाघरों तथा राष्ट्रीय उद्यानों में पशुओं की संख्या में जन्म और मृत्यु तथा हस्तांतरण एवं प्राप्ति के कारण परिवर्तन हो सकता है । अलीपुर प्राणीउद्यान कलकत्ता में पशुओं की संख्या के बारे में उपर्युक्त कारणों पर नियत-कालिक मतभेद हो सकते हैं ।

(ग) और (घ) चिड़िया घर, पशुओं को देश तथा विदेश में अन्य चिड़ियाघरों से आदान प्रदान करके प्राप्त करते हैं , इसके अलावा, पशु संबन्धित राज्यों के अन्य प्राणी क्षेत्रों से भी समय-समय पर उपलब्ध होते हैं । केन्द्र सरकार देश तथा विदेश के चिड़ियाघरों के साथ समन्वित आदान प्रदान प्रस्तावों के द्वारा अलीपुर राष्ट्रीय उद्यान के लिए देश के बाहर के चिड़ियाघरों के साथ दो आदान-प्रदान प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं ।

सातवीं योजना में प्रशिक्षण और रोजगार गारंटी योजनाएं

605. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग में कुछ विशेषज्ञों द्वारा यह संकेत दिया जा रहा है शिक्षितों को रोजगार प्राप्त करने का विश्वास यहीं रह गया है जिससे उद्देश्य हीनता और विघटनकारी प्रवृत्तियां बढ़ रही है ;

(ख) क्या आयोग में यह विचार बढ़ रहा है कि देश में शैक्षणिक और प्रशिक्षण पद्धतियों के परिणाम सरकारी और निजी क्षेत्रों में बाजार आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है और इसके परिणामस्वरूप मानव बल पूंजी बेकार जा रही है ।

(ग) क्या योजना आयोग का विचार सातवीं योजना में मानव बल पूंजी का बेकार जाने से रोकने के प्रयत्न के रूप में छात्रवृत्ति और रोजगार गारंटी सहित नए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)

(क) और (ख) सातवी पंचवर्षीय योजना की नीति में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को रोजगार की और विकास की शिक्षा से अधिक प्रभावी रूप से सम्बद्ध करने की आवश्यकताओं को स्वीकारा गया है और जन शक्ति आयोजना के अनुरूप माना गया है है ।

(ग) और (घ) यद्यपि इस समय छात्रवृत्तियां देने और नौकरी की गारंटी देने संबंधी नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, फिर भी सातवीं योजना की नीति में जनशक्ति की निर्धारित महत्वपूर्ण कमी वाली श्रेणियों और उभर रहे नए कौशल के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं के संगठन और जनशक्ति की मांग को पूरा करने सम्बन्धी विद्यमान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पुनर्विमुखीकरण की परिकल्पना की गई है।

कृषि क्षेत्र में कम्प्यूटर सुविधा

606 **श्री मनमोहन दुडु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में कम्प्यूटर प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की है ;-

(ख) यदि हाँ, तो इस क्षेत्र में कब तक ऐसे कम्प्यूटर प्रदान कर दिए जाएंगे ; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा. एम. एस. संजीवी रव) : (क) से (ख) तथा (ग) : कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित ऐसी परियोजनाओं को हाथ में लिया गया हैं, जिनमें कम्प्यूटर की सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाता है।

1. कृषि क्षेत्र सूखा-ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी. पी. ए. पी.), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.), जैसी परियोजनाओं पर कम्प्यूटरों की सहायता से निगरानी रखी जाती है।

2. गुजरात राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग की प्रौद्योगिकी विकास परिषद की एक परियोजना के अन्तर्गत प्रयोगात्मक स्तर पर एक जिला सूचना प्रणाली बनाई जा रही है।

3. वर्ष-1970-71 के लिए "कृषि संगणना को कम्प्यूटरीकृत किया गया तथा वर्ष 1975-के लिए" इनपुट सर्वेक्षण" को कम्प्यूटरीकृत किया गया।

4. 'आपूर्ति योजना" नामक एक राष्ट्रव्यापी ऊर्वरक वितरण योजना को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

5. राजस्थान नहर परियोजना, चम्बल कमान क्षेत्र विकास परियोजना आदि जैसी विशेष योजनाओं को न केवल इनपुट-आउटपुट पर निगरानी रखने, अपितु नहर के प्रबन्ध की दृष्टि से भी कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

6. भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (आई. ए. एस. आर. आई.) कम्प्यूटर के लिए किया जा रहा है।

स्वर्ण मंदिर परिसर से प्राप्त राजनीतिज्ञों अधिकारियों, आदि के पत्र

607. **श्री ए० के० राय**
श्री वाल साहिब पाटिल } क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण मंदिर परिसर में से ऐसे अनेक पत्र मिले हैं, जो सरकारी अधिकारियों, राजनीतिज्ञों आदि ने अपने नाम, हत्यायें सूची (हिट लिस्ट) से निकालने के लिए उग्रवादी नेताओं के नाम भेजे थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है और ऐसे कितने पत्र मिले हैं ;

(ग) पत्र लिखने वालों का श्रेणीवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार उग्रवादी नेताओं के नाम पत्र भेजने वाले ऐसे अति विशिष्ट व्यक्तियों का ब्यौरा प्रकाशित करेगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) अभी तक ऐसे कोई पत्र नहीं मिले हैं ।

(क) से (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते

रजाधानी में बहुमंजिला इमारतों में आग

608 **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम्** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले दो वर्षों के दौरान बहुमंजिला इमारतों में आग लगने की कितनी घटनाएं हुई हैं ।

(ख) ऐसे भवनों का ब्यौरा क्या है, इनमें किस प्रकार का और कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है और संबंधित संस्थाओं को कितना नुकसान उठाना पड़ा ;

(ग) प्रत्येक मामले में आग लगने के कारण क्या है ;

(घ) क्या इमारतों के अन्दर धूम्रपान भी आग लगने के कारणों में से एक कारण है; और

(ड़) यदि हां तो क्या सरकार इमारतों के अन्दर धूम्रपान पर प्रतिबंध लायेंगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) : 6 जून, 1983 को नई दिल्ली में राजेन्द्र प्लेस के 14 मंजिले गोपाल टावर में विध्वंसकारी आग लगी थी । प्रशासन द्वारा क्षति और संबंधित संस्थानों को हुई हानि के सही ब्यौरों का मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

(ग) यह आग एक वैल्डिंग मशीन से चिंगारी निकलने कारण लगी जो बिना परिचारक के भूतल पर रखी हुई थी ।

(घ) इस भवन में नहीं ।

(ड़) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अखिल भारतीय सेवाओं के कार्यकरण की पुनरीक्षा

609. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम्** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के चयन तैनाती स्थानान्तरण और कार्यकरण की पुनरीक्षा संबंधी कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) (क) तथा (ख) : अखिल भारतीय सेवाओं के के कार्यकरण के सभी पहलुओं की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक होता है नीति तथा नियमों में परिवर्तन कर दिया जाता है । यह निर्णय किया गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की आयु-सीमा वर्ष 1985 की परीक्षा से, 28 वर्ष से घटा कर 26 वर्ष कर दी जाए ताकि अधिकारियों को सेवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रभावी ढंग से ढाला जा सके । अखिल भारतीय सेवाओं की सीधी भर्ती के कोटे में "बाह्य" व्यक्तियों के 50% विद्यमान कोटे को बढ़ाकर 66-2/3% किया जा रहा है ताकि किसी संवर्ग में पदोन्नत अधिकारियों सहित "बाह्य" तथा "अन्तरिक" व्यक्तियों के बीच प्राय: । का अनुपात रह सके ।

स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अपनी नौकरी खो देने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बहाल किया जाना

610. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के उन सभी कर्मचारियों को जिनको स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था और जिन पर भविष्य में रोजगार प्राप्त करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था ।स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रतिबन्ध उठा लिए जाने के कारण गृह मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार बहाल कर दिया गया पुन: नौकरी पर ले लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो केवल वह व्यक्ति जिन्हें स्वतंत्रता के पश्चात् पुनर्नियुक्त नहीं किया गया था रोजगार जीविका के साधन खोने के इस मामला खंड को इस आधार पर निष्प्रभावी बना देते हैं कि इस खंड के अन्तर्गत पेंशन दिये जाने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा ; और

(ग) "स्वतन्त्रता सेनानियों के आवेद पत्र में इस खंड को क्यों शामिल किया गया है, जिससे हजारों व्यक्ति आवेदन करने के लिए प्रेरित हुए और सभी संबंधितों का समय और शक्ति बर्बाद हुई ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : (क) जुलाई 1949 में अनुदेश जारी किए गए थे जिनमें उन भूतपूर्व सहकारी कर्मचारियों को कुछ राहत दी गई थी जिनको उनके देश भक्ति के कार्यों अथवा उनके द्वारा स्वतन्त्रा संघर्ष में भाग लेने के लिए दंडित किया गया था । अन्य रियायतों के साथ ऐसे सभी भूतपूर्व सरकारी कर्मचारियों को पुनर्नियुक्त पर प्रतिबन्ध हटा

लिया गया था। सभी भूतपूर्व सरकारी कर्मचारियों द्वारा इन रियायतों का लाभ प्राप्त करने के बारे में सही सूचना इस लम्बे समय के बाद मालूम नहीं है।

(ख) तथा (ग) ऐसे स्वतन्त्रता सेनानी जिनको सेवा बर्खास्त/हटा दिया गया था अथवा जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और बाद में उनको पुनर्नियुक्त/बहाल कर दिया था और गया वेतन तथा पेंशन समेत लाभ दिए गए हैं, सम्मान पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि अयोग्यताओं जिनको वे शिकार हुए थे, के बारे में उनको पहले ही राहत दे दी गई थी ;

12.00

श्री के. लकप्पा (टुमकुर) : कर्नाटक में कई एक सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया है और वहां की सरकार प्रभावहीन हो गई है। कर्नाटक के मुख्यमन्त्री यहां आकर राज्य के पैसे का अपव्यय कर रहे हैं, वह राज्य के हितों की सेवा (नहीं) कर रहे हैं। नहीं

(व्यवधान)

आपको गृह मन्त्री से कहना चाहिए कि वह एक वक्तव्य दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वहां पर स्टेट एसेम्बली है, वह इसको देखेगी।

प्रो. के. के. तिवारी (बक्सर) : आपने जम्मू और कश्मीर पर चर्चा की अनुमति दी है। कर्नाटक में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि केन्द्र का हस्तक्षेप जरूरी है। वहां की सरकार अस्तव्यस्त हो गई है। मन्त्रियों ने त्यागपत्र दे दिए हैं, वहां कोई सरकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय मेरा मुद्दा यह है कि———।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कांस्टीट्यूशन है और कांस्टीट्यूशनल प्रोसीजर्ज हैं। वहां पर एसेम्बली है और गवर्नर हैं। वे इसको देखेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : बम्बई में, भिवन्डी में और देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। अभी भी हैदराबाद में साप्रदायिक दंगा चल रहा है। इस पर चर्चा केलिए कुछ वक्त दिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष

अध्यक्ष महोदय: एक ही बात को बार-बार दोहराने से क्या फायदा है? मेरे पास डिसकशन के सब पायन्ट्स हैं। एक ही दिन में उन सब पर डिसकशन नहीं हो सकता। उनपर बारी-बारी डिसकशन हो सकता है। जब उन सब पर डिसकसशन होगा, तो फिर झगड़ा किस बात का है?

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : कम्यूनल राइट्स पर डिसकशन करवाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप न कानून पढ़ते हैं न नियम पढ़ते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में मुझसे बात कर लें। मैं यहां कभी नहीं बताऊंगा।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न उठाना चाहता हूं, वह इस सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित है। कल दोनों सदनों में पंजाब सम्बन्धी श्वेत पत्र चर्चा हुई थी। विरोधी दलों के सदस्यों ने उस चर्चा का श्रीगणेश किया था। लेकिन टेलीविजन पर राष्ट्रीय प्रसारण के अन्तर्गत 9 बजे जो समाचार दिए गए उनमें विरोधी दल के किसी सदस्य के किसी भाषण का उल्लेख नहीं था।—(व्यवधान)—क्या टेलीविजन और रेडियो केवल सत्तारूढ़ दल का प्रचार करने के लिए हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) हमारे विचारों को रेडियो पर प्रसारित क्यों नहीं किया गया?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे केवल अपनी आवाजों को सुनने में रुचि रखते हैं। मैं क्या कर सकता हूं

श्रीसत्य साधन चक्रवर्ती : उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। सूचना और प्रसारण मन्त्री को अवश्य स्पष्टीकरण देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह ऐसा कर सकते हैं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं,—

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गंभीर बात होती है, उसका समाधान होता है और सम धन—

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : सदन की कार्यवाही भी नहीं दी जाएगी तो बाहर हमारे साथ क्या होता होगा यह आप अन्दाज लगा लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहता हूं, आप ने मुझे लिख कर नहीं भेजा, आप ने मुझे टेलीफोन पर कहा और अब भी कह रहे हैं । तो मैंने आप के कहने के बाद फौरन इन को कांटैक्ट किया कि आप जानकारी प्राप्त करिए और मुझे बताइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर शोर करने से कोई काम हो सकता है तो आप कर लीजिए । अगर आप इतना जोर से बोलने से काम संभाल सकते हैं तो मैं चुप कर जाता हूं, फिर आप संभाल लीजिए । लेकिन यह बात तो बात के तरीके से होगी और तरीके से काम होगा । बाबा घर में आएगा कोई तो दरवाजा खोलना ही पड़ेगा ।

यह मैं उन को बोला भी था । उन्होंने लिख कर भी नहीं दिया, जबानी बात की और मैंने फौरन उनसे बात की । लिख कर देंगे तो मैं वैसे ही उनको बोल दूंगा ।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने पूछताछ की थी और मुझे बताया गया है कि हमारे भाषण अच्छे नहीं होते इसलिए उन्हें शामिल नहीं किया जाता । इसलिए आप उन्हें दोष नहीं दे सकते ।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : अध्यक्ष महोदय, अधिवेशन आरम्भ होने से पहले आपने मुझे आज सुबह इस बारे में कहा था । मैंने इस बुलेटिन को मंगवाना है । मैं इसे देखूंगा । मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी इस प्रकार की कोई भी मंशा नहीं है । हम जहां तक सम्भव हो सकता है निष्पक्ष रहने की कोशिश कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह मंशा का प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है कि क्या हो रहा है ।...

(व्यवधान)

श्री एच. के. एल. भगत : अगर आप एक सामान्य आरोप लगा रहे हैं तो मैं इसका स्पष्ट शब्दों में खंडन करता हूं । हम पक्षपात नहीं कर रहे है । जहां तक इस बुलेटिन का संबन्ध है मैं इसको पढ़ूंगा ।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : चूंकि हमारे भाषणों का प्रचार नहीं किया गया, इसलिए क्या वह संबन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि पता कर लेने दीजिए, फिर बात कर लेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फिर वही बात। बैठिए आप। किसी बात का समाधान करने दीजिए। शोर करने से क्या फ़ातदा है ? आप क्यों ऐसा करते हैं ?

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : इनका बस चले तो आप का भी नाम न आए।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : नव बुद्ध धर्मावलम्बी और अनुसूचित जाति के सदस्य मराठावाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अम्बेदकर विश्वविद्यालय करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस सभा को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। वे इस मामले को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। डा. अम्बेदकर ने इस देश के लिए काफी कार्य किए हैं। कम-से-कम उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय होना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पनिका।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री पनिका को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं हरिकेश बहादुर, कभी तो थोड़ा सा डेकोरम बरत लिया करिए। जवान आदमी जरूर हैं। आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) : आप हम लोगों को कहते हैं, उन को कहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन को भी कह रहा हूं और आप को भी कह रहा हूं। ऐसा करने से किसी को कोई फायदा होता हो तो कहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुन लीजिए। बैठ जाइये आप। दोनों ही साइड करते हैं कोई कसर नहीं रखता। यहां सभी एक जैसे लगते हैं।

बात यह कहने की है, थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो मालूम होगा कि कोई फायदा नहीं होता इसका।

मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैंने इनको यह कहा था कि मेरे पास शिकायत आई है, आप फैक्टस पता कीजिए। आप भी मुझे जो कहेंगें वही मैं होम मिनिस्टर को कह सकता हूं।

प्रो. के. के. तिवारी : आप कृपाकर इनसे कहें कि कि कर्नाटक में गवर्नमेंट फेल हो गई है।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमान, कर्नाटक में कोई सरकार ही नहीं है। इसलिए हम गृहमन्त्री से एक वक्तव्य चाहते हैं। पर एक संवैधानिक स्थिति है

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता आप यहां पर कैसे लोग हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं केवल कह सकता हूं और सिफारिश कर सकता हूं। मैं केवल, अपने माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को उन तक पहुंचा सकता हूं, उसी प्रकार मैं आप द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को पहुंचा दूंगा। मैं केवल यही कर सकता हूं।

प्रो के. के. तिवारी : धन्यवाद, श्रीमन।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : श्रीमन्, मैं जानता हूं कि काश्मीर के बाद क्या उनकी 'हिट लिस्ट' में कर्नाटक का नाम है?...

(व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : मैंने कामर्स मिनिस्टर के खिलाफ रेलों के सिलसिले में नोटिस दिया है···

अध्यक्ष महोदय : आपको जवाब दिया है, फिर भी आप आकर बात कर लें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं आपका निष्कर्ष चाहता हूं, जवाब नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास आइए, बतला दूंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आपने मुझे बुलाया नहीं।

अध्यक्ष महोदय : वह आपका चेम्बर है, मेरा नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मुझे पता नहीं चला कि आपने क्या फैसला किया ?

अध्यक्ष महोदय : आप आ जाइए, बात कर लेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : श्रीमान्, मैं आपका व सभा का ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले यानि कल पेश किए गए वित्त आयोग के व्याख्यात्मक ज्ञापन की ओर दिलाना चाहता हूं। इस देश के इतिहास में पहली बार ··

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे लिख कर दे दीजिए, करवा देता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : श्रीमन, मैंने वही बात लिखकर दी है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे लिखकर दे देना।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमन, मैं केवल आधा मिनट लूंगा । ऐसा पहली दफा हो रहा है कि वित्त आयोग की सिफारिशें···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा क्यों करते हैं ? जब आपके पास नियम हैं और आप लिखकर अपनी बात कह सकते हैं, तो आप ऐसा तरीका क्यों अपना रहें हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमन, मैं केवल एक निवेदन कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको यह निवेदन नियमों के अन्तर्गत ही करने की अनुमति दूंगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमन, मैं आपको सूचना दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : तब आप सूचना दीजिए और मैं आपका अनुमति दूंगा । श्री सोमनाथ जी, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं···

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह अग्रिम सूचना है ।

अध्यक्ष महोदय : जब आपको ही सभा की कार्यवाही चलानी है तो मेरे बैठने की आवश्यकता ही क्या है? जैसी आपकी मर्जी ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वित्त आयोग की सिफारिशें हमें उपलब्ध करायी गयी हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वेंकटसुब्बय्या ।

18

12.24

पटल

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अ

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : मैं श्री पी. वेंकटसुब्बय्या की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ .—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी (संस्करण) :-

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (काडर-संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1984, जो 5 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 430 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चोथा संशोधन नियग 1984, जो मई 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 431 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर-संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1984, जो 19 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 476 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1984, जो 19 मई 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 477 में प्रकाशित हुए थे ।

(पाँच) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पाँचवा संशोधन नियम 1984, जो 19 मई, 1984 के भारत के राजपत्र मे अधि-सूचना संख्या सा०का०नि०. 478 में प्रकाशित हुए थे ।

(छह) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) पाँचवा संशोधन विनिमम 1984 जो 19 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 479 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 1984, जो 30 जून 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 646 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 1984 जो 30 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 647 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) सातवाँ संशोधन नियम, 1984, जो 7 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 690 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (काडर-संख्या का नियतन) सातवाँ संशोधन विनयम, 1984, जो 7 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 691 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) संशोधन नियम, 1984 जो 14 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 741 में प्रकाशित हुए थे ।

ग्रन्थालय में रखी गयी ; देखिए संख्या एल. टी. 8424/84]

(2) पंजाब राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम 1984की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, दण्ड प्रक्रिया विधि (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 1) की एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण) जो 23 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल. टी. 8424/84]

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :-

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा. का. नि. 468 (अ), जो 23 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 1 सितम्बर, 1983 की अधिसूचना संख्या 257/83- सी. शु. में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि निर्यात देयता की अवधि को 8 वर्षों से घटाकर 5 वर्ष किया जा सके।

(दो) सा. का. नि. 486 (अ), जो 2 जुलाई 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे। तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 नवम्बर, 1980 की अधिसूचना संख्या 215- सी. शु. में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि विसकोस स्टेपल फाइबर, पर 40 प्रतिशत मूल्यानुसार के मूल सीमा शुल्क को कम करके 25 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जाएगा।

ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल. टी. 8426/84

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूकी एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) सा. का. नि. 344 (अ) से 349 (अ) तक जो 11 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक-एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनका आशय विशेष उत्पाद शुल्कों से मौजूदा छूट को जारी रखना है।

(दो) सा. का. नि. 350 (अ) जो 11 मई 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनका आशय उच्चतर उत्पादन के लिए उत्पाद शुल्क प्रोत्साहन संबंधी मौजूदा योजना को जारी रखना है।

(तीन) सा. का. नि. 351 (अ) जो 11 मई 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनका आशय 1 मार्च 1984 की अधिसूचना संख्या 55/84 के उ. शु. 60/84-के उ. शु. 64-84- के उ. शु. और 65-94 के उ. शु. को रद्द कर दिया है।

(चार) सा. का. नि. 352 (अ) से 354 (अ) तक जो 11 मई 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुएथे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो वित्त विधेयक 1983 के अधिनियम बनने के कारण परिणाम परिवर्तन करते हैं।

(पांच) सा. का. नि. 355 (अ) जो 11 मई 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे। तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो 28 फरवरी 1965 की अधिसूचना संख्या 24-65 के उ. शु. 10 अगस्त 1971 की अधिसूचना संख्या 162।71 के उ. शु. 1 मार्च 1974 की अधिसूचना संख्या 41-74 के उ. शु. और 16 मार्च 1976 की अधिसूचना संख्या 86-76 के उ. शु. को रद्द करती है।

(छः) सा. का. नि. 412 (अ) जो 28 मई 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनका आशय ताम्बे के पाइपों और ट्यूबों तथा उनके खोलों और ब्लैंकों पर उदग्रहनेय मूल उत्पाद शुल्क को मूल्यानुसार 28 प्रतिशत से घटाकर मूल्यानुसार 20 प्रतिशत करना है।

(सात) सा. का. नि. 416 (अ) से 417 (अ) तक जो 29 मई 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 13 नम्बरव 1976 की अधिसूचना संख्या 174-76-के उ. शू. और 275।76 के उ. शु. में कतिपय संशोधन किया गयाहै ताकि उन सभी शॉडों बूलन फैबिक पर उत्पाद शुल्क में कमी की जा सके जिनका मूल्य 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर से अधिक न हो।

(आठ) सा0 का0 नि0 430 (अ) से 417 (अ) तक, जो 29 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनका आशय नई कागज मिलों को 24 अप्रैल, 1981 की अधिसूचना संख्या 108/81-के0 उ0 शु0 के अन्तर्गत उपलब्ध उत्पाद शुल्क राहत संबंधी योजना में कतिपय परिवर्तन करना है।

(नौ) सा0 का0 नि0 433 (अ), जो 6 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 13 नवम्बर, 1982 को अधिसूचना संख्या 275/82 के0उ0शु0 में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि कॉट यार्न और सेल्युलोजिक स्पन यार्न के बारे में मूल उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर को घटाया जा सके।

(दस) सा0का0नि0 455 (अ), जो 16 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 मार्च, 1984 को अधिसूचना संख्या 70]84 के0उ0शु0 में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि स्क्रैप अथवा अपशिष्ट से पुन: संसाधित अथवा उत्पादित प्लास्टिक सामग्रियों के मामले में उत्पाद शुल्क से छूट उस अवस्था में ही दी जाए जब ऐसा पुन: संसाधन अथवा उत्पादन भारत में ही किया गया हो।

(ग्यारह) सा0 का0 नि 461 (अ) जो 21 जून 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए

थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा 3 मई, 1969 की अधिसूचना संख्या 116/69-के0 उ0 शु में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि पूर्ण छूट प्राप्त दवाइयों की सूचीमें पेटेंट अथवा स्वत्वाधिकार वाली उन दवाइयों को भी शामिल किया जा सके, जिनमें वे अवयव होते हैं:—(क) डाक्सिसाइक्लीन, उसके लवण और ऐस्टर; (ख) एरिथ्रोमाइसीन, उसके लवण और ऐस्टर; और (ग) मेबेंडाजोल।

(बारह) सा0 का0 नि0 494 (अ), जो 6 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 17 जुलाई 1982 की अधिसूचना संख्या 202/82-के0 उ0 शु0 रद्द किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल. टी. 8427/84] 8427/84

श्री राम बिलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कल भी मिला था और आग्रह किया था—उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 11 शेड्यूल्ड कास्टस के लोगों की हत्या हुई है। यह बहुत गम्भीर मामला है। आप वहां पर संसदीय दल भेजें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको दस दफा कहा है। मेरे भाई, मैंने कल भी कहा था कि हम डिस्कशन करवा रहे हैं। कितनी दफा कहलवाओगे या मेरे को कोई ऐसा जादू बतला दो कि सब एक साथ करवा दूं।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : श्रीमन्, क्या आप मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दे पर चर्चा की अनुमति देने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप कार्य मन्त्रणा समिति में हैं, आप फैसला करेंगे। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं। अगर समय निकलता है तो, इस पर चर्चा हो सकती है।

12 म० प०

राज्य-सभा से सन्देश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 23 जुलाई, 84 को हुई अपनी बैठक में

पारित कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 1984 की एक प्रति सलग्न करने का निदेश हुआ है।"

———

राज्यसभा द्वारा यथापारित,
कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 1984

महासचिव : श्रीमन्, मैं राज्यसभा द्वारा यथापारित कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 1974 सभा पटल पर रखता हूं।

———

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, हम लोग जो साउथ एवेन्यू में रहते हैं, वहां सुबह साढ़े छः गजे से 9 बजे तक और शाम को साढ़े छः बजे से 9 बजे तक पानी आता है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : पूरी दिल्ली में ऐसा है।

अध्क्षय महोंदय : आप लिख कर दे दीजिए, मैं उन को कह देता हूं।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एडजार्नमेंट मोशन दिया है, असम के इलैक्टोरल रोल्ज के रिवाइज करने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आसू और गण सग्राम परिषद के लोग यहां आए हुए हैं, प्रधान मन्त्री जी से भी मिले हैं। जनवरी में चुनाव होने वाले हैं लेकिन इलैक्टोरल रोल्ज के रिवीजन का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

अध्यक्ष **महोदय** : नहीं अनुमति नहीं है।

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण मामला है और मुझे अपनी पूरी बात कहने दीजिए क्योंकि उधर के लोगों पर रूल लागू नहीं होता और हमारे ऊपर होता है।

अध्यक्ष महोदय : सारों पर होता है। यह कानून बना ही इसलिए है कि आप इसे मानें।

श्री मंगल राम प्रेमी : दो जनपदों में झगड़ा हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा और इस लिए मैं यह कहने के लिए यहां आया हूं। हरिजनों की जमीन हड़पी जा रही है —

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तो स्टेट गवर्नमेंट का मामला है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नही है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेट गवर्नमेंट का मसला है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। वे व्यर्थ ही ऐसा कर रहे हैं।

(व्यवधान)**

12-16 म. प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

77वां प्रतिवेदन

श्री जी. लक्ष्मनन (मद्रास उत्तर): मैं गैर सरकारी सदस्यों के बिधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 77वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक दफा नही दस दफा बताया है। आप अतिक्रमण कर रहे है और चुरी बात कर रहे हैं। आप को जरा समझ होनी चाहिए कि कहां किसका अधिकार है। यह स्टेट गर्वनमेंट का सब्जेक्ट है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट का सबजेक्ट नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा है, वह मेरी अनुमति के बिना कहा है।

(व्यवधान)**

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जी०नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं गृह मन्त्री जी से हैदराबाद में हो रहे सांप्रदायिक दंगों के बारे में एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम लोग सांप्रदायिक दंगों के बारे में चर्चा करने की अनुमति दे रहे हैं। आप फैसला कर दें कि स्पीकर की आवश्यकता है या नहीं। अगर मेरी बात नहीं मानते हैं तो और कोई दूसरा स्पीकर बना लो। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : हम लोगों की बात भी सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : तरीके से सुनाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बिल्कुल अतिक्रमण कर रहे हैं। मैं यह सब बातें बिल्कुल नहीं सुनूंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : अध्यक्ष जी, आपकी बात हमारी सिर आंखों पर है। आप हमारा निवेदन सुन लीजिए। आप ने यह कहा कि यह मामला यहां का नहीं है राज्य अधिकार का है। हरिजनों की जमीन छीनी जा रही है और माइनोरिटीज और हरिजनों पर जो अत्याचार हुए हैं, उन पर हाऊस में बहस हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आप एक बात यह समझ लीजिए कि बहस जनरल टोपिक पर होती है। स्पेसीफिक मामले को लेकर अगर अतिक्रमण करना चाहेंगे, तो नहीं कर पाएंगे।

इसमें संदेह नहीं, कि यह एक विशिष्ट मामला है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जब बैलची में मर्डर हुई, तो वह मामला यहां पर उठाया गया था और जब उत्तर प्रदेश में मामला हुआ, तो वह उठाया गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह तो मैं एलाऊ कर रहा हूं। अगर आप होने न दें, तो मैं क्या कर सकता हूं। हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि यह विषय केन्द्र का नहीं है मैंने रोका कब है लेकिन एक स्पेसीफिक सबजेक्ट को लेकर आप यहां पर बहस नहीं कर सकते।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : हम एजोर्नमेंट मोशन दे रहे हैं और इस इशू पर पहले भी एर्जनैंट मोशन इस सदन में मंजूर हो चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने रोका कब है।

(व्यवधान)**

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वह ऐसा व्यर्थ ही कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा है, उसका एक भी शब्द कार्यवाही वृतांत में सम्मिलिखित नहीं किया जाएगा। मैंने उनको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं उसकी अनुमति नहीं हूंगा। वह राजधानी एक्सप्रैस के समान पूरे वेग के साथ बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई कठपुतली नहीं हूं। मैं अध्यक्ष हूं। मुझे अध्यक्ष के अधिकार मिलने ही चाहिए।

अध्यक्ष महोदय) : सारा कानून अपने हाथ में ले लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गलत किया हे। अगर ऐसा किया है तो बुरा किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं। व्यवस्था का एक ढंग होता है और अगर आप नहीं चलने देते हैं, तो दूसरी बात है।

जीवन बीमा निगम विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का बढ़ाया जाना

श्री मूलचन्द डागा (पाली)—मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा जीवन बीमा कारबार के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों को अधिक प्रभावी सिद्ध को दृष्टि से भारतीय जीवन बीमा निगम के विघटन के लिए और उक्त कारबार को अधिक प्रभावी रूप से चलाने के लिए अनेक निगमों की स्थापना के लिए तथा उससे संबंधित या उनके अनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक, संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय 14 अगस्त, 1984 तक और बढ़ाती है।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) और कितना समय आप लेंगे ? उसको भी अभी पास कर देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : मैं और अधिक समय नहीं चाहता। उस समय तक मैं अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा सुझाव है कि उनको समय दिया जाय ।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी दफा डागा जी सदन के सामने आ रहे हैं कि इस समिति का समय बढ़ाया जाए। पहले स्वयं डागा जी ने इस तरह के प्रस्ताव का स्वयं विरोध किया है । मैं चाहता हूं कि डागा जी एक ही दफा इतना समय ले लें जिससे कि समिति की अच्छी तरह से रिपोर्ट आ सके । बार-बार समय बढ़ाने से तो आपकी साख भी गिरती है क्योंकि इस तरह के प्रस्ताव का आपने स्वयं ही इस सदन में विरोध किया है । आप एक बार ही पूरा समय ले लें, बार-बार आप समय न लें ।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष जी, हमारी ड्राफ्ट रिपोर्ट को एप्रूव करते समय अगर हमारे माननीय सदस्य कोई डिसेन्टिंग नोट देंगे तो उसके लिए भी समय चाहिए । हमारे पास 700 मेमोरेण्डम आये थे, उनको और बाद में विटनेसिज को हमने एग्जामिन किया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा जीवन बीमा कारबार के राष्ट्रीय करण के उद्देश्यों की अधिक प्रभावी सिद्धि की दृष्टि से भारतीय जीवन बीमा निगम के विघटन के लिए और उक्त कारबार को अधिक प्रभावी रूप से चलाने के लिए अनेक निगमों की स्थापना के लिए तथा उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपलब्ध करने वाल विधेयक, सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय 14 अगस्त, 1984 तक और बढ़ाती है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस समिति का समय बढ़ाने प्रस्ताव के बारे में अधिक नहीं जानना चाहता हूं । यह ठीक है और सदन ने उसका अनुमोदन कर दिया मैं इस बहस से केवल आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं और यदि आवश्यक हुआ तो मुझे इस बात को औपचारिक रूप से उठाना पड़ेगा और यह कहते हुए मुझे खेद है कि इस संयुक्त प्रवर समिति में सभापति ने प्रेस वक्तव्य दिए हैं जिसमें उन्होंने इस समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के बारे में सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की है, यद्यपि उनको गोपनीय रखा जाना चाहिए था । और मैं नहीं समझता कि सभापति का यह कार्य है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसको सभापत्रों में प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था ।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने संवाददाताओं के समक्ष कोई वक्तव्य नहीं दिया । पहले ही इसका खंडन कर चुका हूं । यह गलत बात है । मैं इससे इन्कार करता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन्होंने यह कहा था सभी लोग इस विधेयक को समर्थन करते हैं किन्तु

केवल मजदूर संघ इसके विरोध में हैं। क्या सभापति का यही कार्य है कि वह यह सब बातें कहें।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील मैत्रा ने मुझे इससे पहले भी इसके बारे में बताया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह प्रवर समिति सभापति की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात की कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित कर दूंगा कि अंतिम प्रतिवेदन से पहले कोई भी बात समाचारपत्रों तक नहीं जानी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : मैं इस बात से कई बार इन्कार कर चुका हूं।

12.25 म. प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बकाया किश्तों का शीघ्र भुगतान करने की आवश्यकता

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की चार किश्ते, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 अप्रैल तथा 1 मई 1984 से देय हैं। जिनके भुगतान में अनावश्यक विलंब हो रहा है।

अप्रैल के बाद भी महंगाई लगातार बढ़ रही है। कोई भी आवश्यक वस्तु ऐसी नहीं है जिसके मूल्य में वृद्धि नहीं हुई हो। प्रैस ट्रस्ट के समाचार के अनुसार सभी वस्तुओं के लिए (1970-71 को आधार आंकड़ा 100 माना जाए) सरकारी थोक मूल्य सूचकांक पिछले हफ्ते के 336.0 (अस्थायी) की तुलना में अब बढ़ कर 338.0 (अस्थायी) हो गया है। इससे यह स्पष्ट है कि, सभी वस्तुओं के खुदरा मूल्यों में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि 35 लाख सरकारी कर्मचारियों के महगाई भत्ते की बकाया राशि का और किस्त बकाया पड़ गया है।

ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारियों में असंतोष का होना स्वाभाविक है। कर्मचारी महीनों से घोषित चार किस्तों की बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर महीनों से आंदोलन चला रहे हैं। 24 अप्रैल को वे वित्त मंत्री के निवास स्थान तथा देश के सभी प्रमुख नगरों में सामूहिक प्रदर्शन कर चुके हैं। अभी 31 जुलाई, 1984 को केन्द्रीय कर्मचारी वेतन बहिष्कार दिवस मनाने जा रहे हैं। इनका आंदोलन आगे भी बढ़ सकता है।

अतः भारत सरकार के वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध होगा कि वह महंगाई भत्ते का बकाया चार किस्तों के नगद भुगतान की घोषणा कर उनके असंतोष को दूर करें।

(दो) पश्चिम बंगाल के हुगली और हावड़ा जिलों में बाढ़ को रोकने हेतु दामोदर घाटी निगम की जल भन्डारण क्षमता बढ़ाने की परियोजनाओं को स्वीकृति देने की आवश्यकता

श्री चित्त बसु (बारसाट) : प्रत्येक वर्ष, वर्षा ऋतु में, दामोदर घाटी निगम के मैदान और पंचेत बांधों केजलाशयों का फालतू पानी बहने के कारण आने वाली बाढ़ बंगाल के लोगों; विशेषकर जलक्रान्ति से हुंगली और हावड़ा जिले के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि दामोदर घाटी से बाढ़ की स्थिति समाप्त करने की वृहद योजना आंशिक रूप से ही कार्यान्वित हुई है।

तेनेसी घाटी निगम में श्री डब्ल्यू० एल० बूर्दीन, जिन्होंने दामोदर घाटी वृहद योजना तैयार की थी, का विचार कुल मिलाकर सात बहुउद्देशीय बाँध निर्मित कराये जाने का था। अब तक कुल मिलाकर मैथान, पंचेत, तिलैया और कोंनार पर केवल चार बांध बनाये गये हैं। तेनुघार के पांचवे जलाशय पर बाढ़ नियन्त्रण का कोई कार्य नहीं किया गया है।

यद्यपि श्री बूर्दीन ने 29.15 लाख एकड़ फीट बाढ़ जल भण्डार के लिये योजना बनाई थी, सैद्धान्तिक रूप से चार बाढ़ नियन्त्रण जलाशयों से केवल 15 लाख एकड़ फीट पानी ही रोका जा सकता है। मौजूदा बांधों का अपवाह क्षेत्र लगभग 7.63 लाख एकड़ फीट है, जो उनकी अभीष्ट क्षमता का लगभग आधा है। 1971 में, श्री के. बी. श्री निवास राव की अध्यक्षता में गठित समिति ने पाया कि निचली घाटी में जल निकासी की क्षमता 60,000 क्यूसेक भी नहीं है जो श्री बूर्दीन द्वारा अनुमानित बहाव की ठीक 30 प्रतिशत है।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि दामोदर घाटी निगम की भण्डारण क्षमता को बढाने के लिए परियोजनाओं को अविलम्ब स्वीकृति प्रदान की जाये।

(तीन) चांदीपुर (उड़ीसा) स्थित रक्षा मन्त्रालय के प्रूफ एण्ड एस्टेबिल्समेंट डिपो में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता

श्री अर्जुन सेठी (भड़क) : अभी हाल के महीनों में रक्षा मन्त्रालय के चांदीपुर जिला बालासोर [उड़ीसा] के प्रूफ और एस्टेबिल्समेंट डिपो में चोरी के अनेक मामले प्रकाश में आये यद्यपि सरकार ने इस सदन में यह आश्वासन दिया था कि इस प्रकार के मामलों की पुनरावृति नही होगी ओर दोषी व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिया जाएगा। हाल ही में यह रिपोंट मिली है कि टैंक भेदी गोले 2 मई, 1984 से उस स्थान से गायब है। किन्तु प्राधिकारियों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को 24 मई तक नहीं दी गई।

जब यह घटना स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई तब प्रथम सूचना रिपोंट कटक के डी. आई. जी. (आसूचना) के पास दर्ज कराई जिसने जाँच के लिये बालासोर को लिखा। परन्तु इस मामले से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। यद्यपि

यह राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण मामला है तथापि चांदीपुर में ऐसे मामले सामान्य हैं और आये दिन होते रहते हैं।

हालांकि सरकार ने चांदीपुर को केन्द्र मानकर इसके आस-पास के स्थानों को राष्ट्रीय क्षेत्र में रखने का निर्णय लिया है, तथापि इस क्षेत्र में सुरक्षा प्रबंध को मजबूत बनाने के लिए जब तक कदम नहीं उठाये जायेंगे तब तक अभीष्ट लक्ष्य और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बना रहेगा। अतः इस दिशा में शीघ्र कदम उठाये जायें।

(चार) अलफी का कोचीन पत्तन के एक सहायक पत्तन के रूप में विकास

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : नियम 377 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित व्यक्तव्य देता हूं :

कोचीन के एक प्रमुख पत्तन के रूप में विकसित होने से पूर्व केरल का अलफी पत्तन देश के महत्वपूर्ण पोताश्रय पत्तनों में से एक था ! जब से कोचीन एक प्रमुख पत्तन के रूप में विकसित हो गया है तब से अलफी पत्तन के यातायात में भारी गिरावट आई है।

यह पत्तन दक्षिण कोचीन से लगभग 43 किमी० की दूरी पर स्थित है और इस पत्तन पर सितम्बर से मई की अवधि के दौरान माल संभार की सारी सुविधायें उपलब्ध हैं। इस पत्तन पर माल को जहाज से गोदामों तक ले जाने के लिये पोतघाट हैं जहाँ विद्युत चालित क्रेने, ट्राली लाइने और ट्रालियाँ, नौका तथा रस्सी मौजूद हैं। किन्तु यातायात में कमी हो जाने के कारण ये सब सुविधायें लगभग बेकार सी रहती हैं।

कोचीन बन्दरगाह पर भीड़ भड़ रहती हैं। इस समय यह बन्दरगाह खाद्यानों, उर्वरकों सीमेंट और उस क्षेत्र को प्रेषित किये जाने वाले अन्य माल के आयात का प्रबंध करता है जो पहले अलफी पत्तन द्वारा किया जाता था। इस यातायात का थोड़ा सा भाग यदि अलफी पत्तन को दे दिया जाय तो कोचीन पत्तन पर भीड़ कम हो जाएगी।

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा गठित एक कार्यकारी दल ने अलप्पी पत्तन को चीन बन्दरगाह का एक सहायक बन्दरगाह बनाने की जोरदार सिफारिश की थी और यह सुझाव दिया था कि इस पतन को राष्ट्रीय पत्तन विकास कार्यक्रम के रूप में विकसित किया जाय।

इसलिए में सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार अलफी को कोचीन पतन के एक सहायक पतन के रूप में विकसित करने की घोषणा करने के लिए शीघ्र कदम उठाये।

(पांच) उड़ीसा के तलचर कोयला क्षेत्रों और आई. बी. घाटी कोयला क्षेत्रों को कोल इण्डिया लिमिटेड की एक पृथक सहायक कंपनी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन लाने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित वक्तव्य देती हूं:—

देश में कोयले का जितना उत्पादन होता है उसका लगभग 3 प्रतिशत कोयला उड़ीसा में उत्पादित होता है। राज्य में तालचेर और आई. बी. घाटी कोयला क्षेत्र में जो कोयला क्षेत्र है वह क्षेत्र लगभग 3000 वर्ग कि.मी. का है। अब तक कोयला क्षेत्र के केवल 10 प्रतिशत भाग का पता चल सका है और कुल मिलाकर 58 000 लाख टन कोयला संसाधन उपलब्ध है। हाल के अन्वेषण से तालचेर क्षेत्र की मौजूदा खान क्षेत्रों के पश्चिम में कोयले की मोटी परत के होने का पता चला है। सुन्दरगढ़ जिले के गोपालपुर के आसपास भारी मात्रा में कोयले के संसाधनों के उपलब्ध होनु का निश्चित संकेत मिला है। इनमें से अधिकांश कोयला संसाधन ऐसे हैं जिन्हें आसानी से निकाला है जा सकता और कोयले के अनुपात से उन पर कम भार पड़ेगा।

चूंकि उड़ीसा में जो कोयले के संसाधन उपलब्ध हैं वे निश्चित रूप से ताप्तीय श्रेणी के हैं, इसलिए इन कोयला संसाधनों को विकसित करने तथा उपयोग में लाने के कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किन्तु व्यवहारिक रूप से यह देखा गया है कि उड़ीसा के कोयला संसाधनों के विकास की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है। उड़ीसा के कोयला क्षेत्र विकास की ओर पूरा ध्यान न दिए जाने का मुख्य कारण यह है कि तालचेर कोयला क्षेत्र और आई. बी. कोयला क्षेत्र दो अलग-अलग कम्पनियों के अधीन चल रहे हैं। मेरा यह अनुरोध है कि उड़ीसा के कोयला संसाधनों के व्यवस्थित और शीघ्र विकास के लिए तथा उनके समन्वय और उनकी कार्य कुशलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के दोनों कोयला उत्पादन क्षेत्रों को कोल इण्डिया लिमिटेड की एक पृथक सहायक कम्पनी के प्रशासनिक नियन्त्रण में रखा जाय जिसका मुख्यालय उड़ीसा हो।

छः बुनकरों को कम मूल्यों पर कच्चा माल देने तथा उनके माल को सरकारी अभिकरणों के द्वारा खरीदने की आवश्यकता

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में बुनकरों के समक्ष भीषण आर्थिक संकट व्याप्त हो गया। सूत की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के कारण हथकरघा उद्योग संकट में पड गया है और अनेक बुनकर परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। पिछले चार माह में सूत की कीमतों में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि होने बुनकरों को कमरतोड़ महंगाई का सामना करना पड़ रहा हैं। सूत के मूल्यों के साथ ही केमिकल्स के भी मूल्य बढ़ गये हैं। मूल्यों में इस वृद्धि को प्रभावशाली तरीके से तत्काल रोका जाना अति आवश्यक है अतः सरकार से मेरी मांग है कि सूत और केमिकल्स के मूल्यों में वृद्धि का रोका जाय और सूत की कीमत को भी कम किया जाय। सरकार को चाहिए कि बुनकरों को सस्ते मूल्य पर सूत और केमिकल्स उपलब्ध कराये और इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयाप्त संख्या में सेल्स डिपो खोले जाने चाहिए साथ ही बुनकरों द्वारा तैयार किए गए कपड़ों को सरकार द्वारा ही खरीदे जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उन्हें अपने माल का उचित मूल्य मिल सके। सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में बनने वाले सूत का 75 प्रतिशत भाग हथकरघा उद्योग के लिए सुरक्षित कर दिया जाना चाहिए और उन कारखानों की उत्पादन क्षमता भी बढ़ा दी जानी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजपुर): अध्यक्ष पीठ से जो कुछ भी पढ़ा जाता है वह सरकार के लिए निदेश होता है।

मधु राजपुर

हरीशकुमार गंगवा (पीलीभीत) क्योंकि आपने इनके बदले पढ़ दिया इसलिए ये तो प्रिविलेज्ड पोजीशन में हो गये।

अध्यक्ष महोदय : वह एक माननीय सदस्य हैं और सभा के सेवक के रूप में वह मेरा कर्तव्य है।

सात। अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड दरभंगा के रामेश्वर नगर कारखानों के कागज संदर्भ में उत्पादन पुन: आरंभ करने की आवश्यकता

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, अशोक पेपर मिल्स लिमेटेड की रमेश्वर नगर इकाई को बिहार के दरभंगा नामक स्थान पर आयातित सयन्त्रों से लुगदी और कागज दोनों ही बनाने के लिए स्थापित किया गया था बाद में जन-मत की और उस क्षेत्र तथा बिहार राज्य के महत्वपूर्ण हितों की अवहेलना करके लुगदी बनाने वाले संयन्त्र को असम स्थानन्तरित कर दिया गया। अब, गत दो वर्षों से भी अधिक समय से कागज संयंत्र को भी बन्द कर दिया गया है, रक्षित विद्युत संयंत्र निष्क्रिय हो गया है और कर्मचारियों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि चिथड़ो से चलाये जाने वाले लुगदी संयंत्र और रक्षित विद्युत इकाई के प्रस्ताव को भी कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार देश को तो कीमती कागज से हाथ धोना पड़ रहा है, कर्मचारियों को अपनी मजदूरी और उत्तरी बिहार के पिछड़े क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाई के चालू रहने के लाभ से वंचित किया जा रहा है संसद में लगातार उठाए गए प्रश्नों से भी मामला टस से मस नहीं हुआ हैं। दरभंगा में 29 जुलाई, 1984 को पूर्ण बन्द था और इस शान्तिपूर्ण बन्द को आयोजित करने के लिए 55 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

अत: मैं उद्योग मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कागज संयन्त्र में फिर से उत्पादन शुरू करने के लिए, चिथड़ा-लुगदी संयंत्र और रक्षित विद्युत इकाई को स्थापित करने के लिए तुरंत कदम उठाए जिससे नियमित उत्पादन और पेपर मिल कर्मचारियों को सभी बकाया राशि का तुरंत भुगतान किया जा सके।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

12.37 म.प.

(आठ) कोयला खान श्रमिकों की हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता

श्री वासुदेव आचार्य (बंकुरा) : महोदय, कोल इण्डिया लिमिटेड में, आवश्यक सेवा (बनाए रखना) अधिनियम को सभी प्रकार की हड़तालों पर पाबन्दी लगाने के लिए लागू कर दिया कर दिया गया है। इससे तो श्रमिक वर्ग सरकार से और भी विमुख हो जायेंगे। जबकि कोल इण्डिया, समस्याओं को हल करने के लिए कोयला उद्योग हेतु संयुक्त द्विपक्षीय समिति बुलाने से भी इन्कार कर रहा है, इस पाबन्दी से कोयला खाने को नुकसान होगा जो कि सर्वाधिक खतरनाक और कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं और अकेले उन्होंने ही कोल

इण्डिया में कोयले के उत्पादन को लगभग 120 टन तक बढ़ा दिया है। वास्तव में कोल इण्डिया की संयुक्त द्विपक्षीय समिति की अब तक एक भी बैठक नहीं बुलाई गई है। इसे राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-3 के खण्ड 101 का उल्लंघन बताया गया है, जिस पर 11 नवम्बर, 1983 को हस्ताक्षर किए गए थे। कोयला मजदूरों के कल्याण से सम्बद्ध राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 3 के अनेकानेक खण्डों को लागू नहीं किया गया है और इसलिए कोल इण्डिया लिमिटेड के कोयला मजदूरों को 4 और 5 जून, 1984 को हड़ताल करनी पड़ी और अब मजदूर कोल इंडिया लिमिटेड में अनिश्चितकालीन हड़ताल की योजना बना रहे हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह हस्तक्षेप करे जिससे कि हमारे देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में स्थिति पर काबू पाया जा सके।

(नौ) छात्रों को नियंत्रित मूल्यों पर अभ्यास पुस्तिकाएं और पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने तथा स्कूलों में प्रवेश के लिए दान लिए जाने पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान देश के सभी प्रान्तों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की अत्यन्त दयनीय परिस्थिति की ओर ले जाना चाहता हूं। विद्यार्थियों के सामने नए सत्र में प्रवेश की समस्या है। साथ ही आज किताबों, कापियों का भी देश में काफी अभाव हो गया है। सस्ते मूल्य का कागज उपलब्ध कराकर कापियों के निर्माण की भी व्यवस्था है किन्तु इस व्यवस्था में व्यापक भ्रष्टाचार फैल गया है। परिणाम-स्वरूप किताब और कापियों की बनावटी कमी आ गई है।

जुलाई से सभी स्कूल, कालेज खुल गए हैं। पढ़ाई भी तेजी से प्रारम्भ हो गई है लेकिन बाजार में कापियों और पुस्तकों का अभाव सबको हताश कर रहा है।

पाठ्य-पुस्तकों पर डेढ़ सौ प्रतिशत और दो सौ प्रतिशत तक ब्लैक हो रहा है। अभिभावक परेशान हैं, साधारण परिवार के लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकने में असमर्थ हैं।

छात्रों के प्रवेश की भी एक समस्या हो गई है। स्कूलों में लम्बे दान लिए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी अव्यवस्था कभी देखने और सुनने को नहीं मिली। अतः मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि अविलंब किताबों और कापियों का ब्लैक करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए और विद्यार्थियों को सस्ते मूल्य पर किताबें और कापियों को उपलब्ध कराया जाए तथा साथ ही छात्र-छात्राओं के प्रवेश के लिए दान और चन्दा की राशि लेना जुर्म करार कर शिक्षा-मन्दिरों को पवित्र बनाया जाए।

(दस) परादीप बंदरगाह के विकास की आवश्यकता

श्री ब्रजमोहन महन्ती (पुरी) : महोदय, यद्यपि उड़ीसा का परादीप बन्दरगाह देश के प्रमुख बन्दरगाहों में से एक है, परन्तु इसकी हालत ठीक नहीं है। इसका हानि और लाभ का लेखा उत्साहवर्द्धक नहीं हैं और माल की उतराई और चढ़ाई क्षमता से कहीं कम हो रही है।

बन्दरगाह में याद भर गई है और भाव विद्यमान गहराई 25 से 26 फुट तक पहुंच गई है। जल-यानों की संख्या को बन्दरगाह सम्भाल नहीं पाता है, जिससे पत्तन को भारी हानि हो रही है। पत्तन प्राधिकरण द्वारा गाद निकालने के लिए जो प्रबन्ध किए गए हैं, वे बहुत ही अपर्याप्त है। गाद निकालने वाला एक यन्त्र खरीदने के लिए पत्तन अधिकारियों ने वित्तीय अनुमति प्रदान करने सरकार से अनुरोध किया था जिसको स्वीकार नहीं किया गया है। पत्तन में कम गहराई के कारण, अनेक जलयान नत छः मास में वापिस लौट गए हैं।

उड़ीसा का विकास बहुत कुछ परादीप बन्दरगाह के स्वस्थ एवं सही प्रगति पर निर्भर करता है। उड़ीसा की अर्थव्यवस्था बन्दरगाह से आन्तरिक रूप से जुड़ी हुई है, परन्तु बन्दरगाह की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। परादीप बन्दरगाह को विकास और क्षमता के वांछित स्तर तक लाने के लिए तात्कालिक प्रयास आवश्यक हैं।

(ग्यारह) मुसलमानों तथा पिछड़ी जातियों के लिए सेवा में भर्ती हेतु कद में रियायत देने की आवश्यकता

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : माहतरम, हिन्दुस्तानी फौज में सिपाही की भर्ती के लिए राजपूत, अहीर, जाट और गूजर बिरादरियों की ऊंचाई 170 से० मी० मुकरर थी और मांगी जाती थी। उनके अलावा दूसरी कोमों की ऊंचाई 164 से० मी० लेकिन अब गिजार्ड कमी की वजह से लोगों लोगों लम्बाई कम होने लगी जिसकी वजह से मंद दर्जा वाला चारों कोमों के लिए जरूरी ऊंचाई (कद) को घटाना तो दुरुस्त है। मगर जिन कोमों के लिए पहले 164 से0मी0 ऊंचाई फौज में भर्ती होने के लिए जरूरी थी, उनकी भी फौज में भर्ती की जरूरी ऊंचाई घटानी चाहिए थी। मगर सरकार ने बजाय उन सबके साथ रियायत करने के बाकी सब कौमों की फौज में भर्ती की जरूरी ऊंचाई 167 से०मी० बढ़ा दी है, जो उन कौमों के साथ ज्यादती है। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि जहां उसने गूजर, जाट, राजपूत, अहीर की फौज में भर्ती की ऊंचाई कम की है, वहां यह सहूलियत दूसरी कौमों को भी दी जाए। मसलन हरिजन और दूसरी पिछड़ी बिरादरियां और मुसलमान ताकि उनके साथ इन्साफ हो।

12.42 अ.प.

पंजाब आन्दोलन संबंधी श्वेतपत्र पर चर्चा

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम पंजाब आन्दोलन से सम्बन्धित श्वेत-पत्र पर आगे विचार करते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, आपकी पूर्वानुमति से, इससे पहले कि आप अगले वक्ता को बुलाएं, मैं केवल आधे मिनट का समय लूंगा। मैं कल समयाभाव के कारण, वे चार छोटे सुझाव नहीं रख सका, जो मैं सरकार को देना चाहता था और उनकी प्रतिक्रिया

जानना चाहता था। मैं इन चार सुझावों को पढ़कर सुनाता हूं।

पंजाब राज्य के जख्मों पर मरहम लगाने और वहां पर सामान्य स्थिति पैदा करने के लिए, मैं स्वर्ण मन्दिर परिसर से सेना की वापसी का सुझाव देता हूं।

उग्रवादियों द्वारा मारे गये सभी लोगों के सगे-सम्बन्धियों को वित्तीय सहायता देना, जो जवान मारे गये और उन भक्तों के परिवार वालों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाए जो इस संघर्ष में मारे गये।

कार-सेवा के बारे में मतभेद समाप्त करना जिससे कि सिखों में और आगे घुसपैठ न हो तथा प्रेस-सेंसर समाप्त करना ; और

अन्त में, फिर से, नये सिरे से बातचीत आरम्भ करके पंजाब संकट को हल किया जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : क्या मैं भी अपने सुझाव दे सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने वह सब कल लिखित में दिया था, वह तो वे सुझाव देना चाहते थे जो वे समयाभाव में नहीं दे सके। वह उन्हें स्पष्ट करना चाहते थे और मैंने विशेषरूप से उन्हें अनुमति दे दी।

श्री वाई० बी० चव्हाण।

श्री यशवन्तराव चव्हाण (सतारा) : उपाध्यक्ष महोदय, हम इस सदन में, पंजाब आन्दलन से सम्बन्धित श्वेत-पत्र पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे अनेक महत्त्वपूर्ण और अच्छे भाषण सुनने का सौभाग्य मिला है। मैं वाद-विवाद में अपना भी विनम्र सहयोग देना चाहूंगा।

संयोग वश जिस श्वेत-पत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं, वह एक तरह से उस देशभक्त, साहसी सिख समुदाय के बारे में है, जिसने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया। मुझे उनके साथ स्वतन्त्रता संग्राम क्षेत्र और रक्षा क्षेत्र दोनों में ही रहने का सौभाग्य मिला है। जब मैं इस देश का रक्षा मन्त्री था तो मुझे सिख अधिकारियों और सिख जवानों से वास्ता पड़ा था। मैं तो कहूंगा कि भारत की स्वतन्त्रता में और उसे बनाए रखने में उनका सर्वश्रेष्ठ योगदान है। हम उनके योगदान को कभी भुला नहीं सकते हैं। दुर्भाग्य से, अब यह थोड़ा-सा विवाद-ग्रस्त हो गया है। हम एक बहुत ही कठिन और जटिल समय से गुजर रहे हैं। हमें ऐसी बात नहीं करनी या कहनी चाहिए। जो समस्या को और भी अधिक जटिल बना दे। मैं ऐसा समझता हूं।

परन्तु यह आवश्यक है कि इस चर्चा में इस विषय पर कुछ न कुछ बोला जाए। अतः मैं इस प्रश्न पर अपने विचार प्रकट करूंगा।

श्वेत-पत्र पर कल सभा के दोनों पक्षों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं।

मैं कहूंगा कि मैं श्वेत-पत्र से प्रभावित हुआ हूं। इसमें पंजाब की स्थिति के बारे में काफी जानकारी दी गई है।

यह समस्या के मूल तक पहुंचता है। यह अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि श्वेत-पत्र को मात्र घटनाओं का सूचीपत्र नहीं होना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : श्वेत-पत्र में केवल घटनाओं की सूची दी गई है। बस यही तो है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यदि आप प्रथम पृष्ठ से ही श्वेत-पत्र ध्यानपूर्वक पढ़ें तो, आप पायेंगे कि इसमें पंजाब समस्या के लिए जिम्मेवार कारणों का विश्लेषण किया गया है।

पहले इसमें बताया गया है कि आन्दोलन तो गत तीन वर्षों से चल रहा था और अकाली दल ने एक अनुचित रवैया अपनाया है। बातचीत निष्फल रही।

दूसरे, यहउल्लेख किया गया है कि देश में एक प्रकार का हिंसात्मक वातारण उत्पन्न करने की प्रवृत्ति जिसने पंजाब में उग्रवादी आन्दोलन को शह दी।

तीसरे, पंजाब में प्रशासन की निष्क्रियता का कारण पंजाब में ही व्याप्त स्थिति हो रही है।

मैंने इस सशस्त्र कार्यवाही से कुछ मास पूर्व पंजाब का दौरा किया था। मैं वहां पर अन्य बहुत से लोगों के चण्डीगढ़ के दौरे पर जाने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। और भी बहुत से लोग वहां गये थे। स्वयं मेरे प्रदेश के कुछ कांग्रेसी पंजाब के लोगों से सम्पर्क बनाए हुए हैं। मुझे उन बहुत से कांग्रेसियों से बातचीत करने का अवसर मिला है, जो कि निस्सन्देह मेरे ही दल के हैं। वे उस स्थिति के बारे में जानते हैं जो कुछ पंजाब के चारों ओर हो रहा है। सशस्त्र कार्यवाही से पूर्व मुझे इनसे मिलने और बातचीत करने का अवसर मिला था। जो कुछ उन्होंने मुझे बताया उससे मुझे यह लगा कि सिविल प्रशासन पूर्णत: अस्तव्यस्त हो चुका है।। यह बात ऐसी थी जो बिल्कुल स्पष्ट थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रशासन क्यों निष्क्रिय हो गया था ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रशासन इसलिए निष्क्रिय हो गया था और उसका मनोबल इसलिए गिर गया था क्योंकि पवित्र स्थान अकाल तखत संगठित रूप से हिंसा की जा रही थी जिसके कारण आम आदमी का एक प्रकार से मनोबल गिर गया था। जनता यह नहीं जानती थी कि यह सब हिंसा बच्चों की जा रही है। अनेक निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर किसी को भी मार सकता था और कुछ नहीं होता थी। अच्छे लोग, विद्वान लोग, स्वतन्त्र विचारधारा के लोग, व्यापारी आम आदमी मारे जा रहे थे और उनमें असहाय पन की भावना घर करती जा रही थी आप मुझे यह पूछ सकते हैं कि वे स्वयं को असहाय क्यों अनुभव कर रहे थे। मैं आप को बता सकता हूं कि टूटने की प्रक्रिया ऐसे

ही शुरू होती है। जब कोई देश टूटना आरम्भ होता है। इसी प्रकार से उसकी प्रक्रिया आरम्भ होती है। जहां आतंकवादी आन्दोलन आरम्भ होता है वहीं पर फासीवाद भी शुरू हो जाता है। सभी फासीवादी आन्दोलनों के पहले इसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां होती हैं।

सैनिक कार्यवाही से पहले, पंजाब प्रशासन में जिम्मेदार व्यक्तियों से मेरी बातचीत हुई थी और उन्होंने मुझे यह स्पष्ट बताया था कि स्थिति से सामान्य ढंग से निपटने का कोई तरीका नहीं है। यह एक ईमानदार तदयात्मक व्यक्तव्य है। मैं पंजाब प्रशासन में ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति से मिला हू और उन्होने कहा है, यह स्थिति है। किन्तु मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता।" मैं वापस आया और मैंने अपने विचारों से प्रधानमन्त्री को अवगत कराया। यह स्वाभाविक था कि वे एक प्रकार की मानसिक पीड़ा की स्थिति से गुजर रही थी, मैंने जब इस बारे में उन्हें बताया था किन्तु वे बिल्कुल शान्त थी वे इससे बिल्कुल विचलित नही थीं। उन्होने केवल एक ही वाक्य कहा, "कुछ भी प्राप्त कर पाने से पहले हमें कठिन समय से गुजरना होगा।" इस वाक्य से हमें यह पता चलता है कि वे कितनी मानसिक पीड़ा की स्थिति से गुजर रही थी और यह बहुत ठीक बात है। हुआ यह था कि प्रशासन का मनोबल गिर चुका था, राजनीति दलों का मनोबल पूर्णतया ढह गया था। अकाल तख्त में शस्त्रों से लैस बैठे कुछ सौ लोगों ने आसपास के लोगों में यह भावना भर दी थी कि पंजाब पर वही शासन कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से चीजे इस तरह से होती है अन्ततः नतीजा यह निकला कि न केवल प्रशासन का मनोबल कमजोर हो गया बाहर के राजनीतिक दलों का भी मनोबल गिर गया था, अकालीदल स्वयं निष्क्रिय हो गया था और श्री लोगोंवाल, श्री बादल तथा अन्य ने हर प्रकार से भिंडरावाले समूह के कैदी बन गए थे। पंजाब में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई थी; हम क्या करते हैं? हम इस प्रकार की स्थिति से कैसे निपटते हैं? प्रो० मधु दंडवते ने एक अत्यन्त सुन्दर शब्द का प्रयोग किया है -अलगाव'- सैनिक कार्यवाही के बाद, अलगाव की भावना आ गई है।" यह बड़ा फैशन का और सुन्दर शब्द है विशेष रूप से प्रोफैसर लोगों के लिए यह बड़ा फैशन का शब्द है। किन्तु इस घटना से पहले अलगाव से भी अधिक कुछ छटित हो गया था तथा इस विषय पर बोलते हुए उस पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है। जब इस प्रकार की बात वहाँ हुई....

प्रो० मधु दंडवते : मैं उस शब्द का प्रयोग कर अधिक प्रसन्न नहीं हुआ हूं। मुझे गहरा दुःख हुआ है जब मैंने यह कहा कि अलगाव की भावना पैदा हो गई है और यह तथ्य है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं आपको बता रहा था कि उस कार्यवाही से पहले अलगाव की भावना से अधिक कुछ हो गया था। मैंने कहा है कि मुझे अलगाव शब्द पसंद है, यह फैशन का शब्द है....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यद्यपि आप प्रोफेसर नहीं है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं प्रोफेसर नहीं हू। मुझे प्रसन्नता है कि मैं प्रोफेसर नहीं हूं।

यह स्थिति समूचे पंजाब में एक समूह के द्वारा उत्पन्न के गई थी और अगर ऐसी स्थिति को

जारी रहने दिया जाता; पूरा राष्ट्र अराजकल में डूब जाता। यह ऐसी महत्वपूर्ण बात है जिस पर ध्यान देना जरूरी है भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, सहज ढग से हमेशा कार्य करना सम्भव नही होता यह एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है इसमें अनेक गार कठार निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है।

ऐसे अवसर आते हैं जब कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं ; मेरा विश्वास है कि शासकों का काव्यपूर्ण मानस होना चाहिए क्योंकि जिनके काव्यपूर्ण दिमाग लेते हैं वे स्वयं से नाराज हो सकते हैं। मेरे लोकतांत्रिक शासकों के लिए स्वय से नाराज होना एक अच्छा गुण है। वापसी के बाद मैंने प्रधानमन्त्री को अपने विचार बताए "पंजाब में गृह युद्ध पूर्व की स्थिति बनी हुई है यदि स्थिति को इसी तरह से बने रहने दिया गया स्थिति बिल्कुल हाथ से निकल जाएगी। कुछ कार्य-वाही करनी होनी, कुछ तो करना पड़ेगा।

मैं जानता था कि वह कुछ करना एक कठोर निर्णय था और कठोर निर्णय लेने के लिए अपेक्षाकृत लम्बा समय लगता है। हो सकता है प्रधानमंत्री के मन में कुछ हिचकिचाहट रही हो. इस बात को मैं नहीं जानता। यह स्वाभाविक ही है कि जिन्हे सेना के प्रयोग सम्बन्धी निर्णय लेना होता है उन्हे मानसिक संताप से गुजरना पड़ता है, यह निर्णय बेमन से लिया गया था : अन्तत: ऐसा निर्णय लेना पड़ा। अन्तत: वह निर्णय ले लिया गया। मेरे विचार से इस निर्णय का भारत के स्वतन्त्रोतर इतिहास में महान योगदान है।

कुछ लोग कह सकते हैं कि इससे समस्या पैदा हो गई है। स्वाभाविक है कि इससे कुछ समस्या भी पैदा हो गई है। जब यह कार्यवाही की गई मैं महाराष्ट्र में अपने छोटे होम टाउन में था। सुबह के समाचार पत्रों में यह समाचार था और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि समाज के सभी वर्गों के लोग मुझे यह कहने आये कि कुछ अच्छा कार्य हुआ है।

आपने देश को बचा लिया।' मुझे इस निर्णय में कुछ नही करना था। किन्तु मैं आपको लोगों की भावनाओं के बारे में केवल पंजाब के ही नहीं समूचे देश की जनता की भावना के बारे में बता रहा हूं। आपको इस बारे में अनुभव करना चाहिए कि शेष देश में क्या होरहा है। यदि हम पंजाब में एक पवित्र स्थान को सशस्त्र किले के रूप में प्रयोग किए जाने की अनुमति देते हैं; अन्य राज्यों में भी ऐसा हो सकता है।

यह देश समस्याओं से भरा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा है यह विषय सयस्याओं से भरा हुआ है और जब इस प्रकार की समस्याओं से निपटना होता है तो उन्हे अत्यन्त स्पष्ट ढंग से निपटाना होता है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि बातचीत में विलम्ब किया गया था। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि यह प्रश्न बातचीत के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता था। मैं इसे अस्वीकार नहीं करता.....।

एक माननीय सदस्य: कोई अन्य समाधान नही था।

श्री यशवन्त राव चव्हाण: एक लोकतान्त्रिक समाज में कोई अन्य समाधान नहीं था।

बातचीत करनी पड़ती है। किन्तु मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अकालियों के साथ बात-चीत का मेरा अनुभव क्या रहा है। आप अपनी बातचीत करते हैं, विपक्ष की अपनी बातचीत होती है। मैंने इनमें से कुछ समस्याओं को निपटाने का प्रयास किया था क्यों कि चंडीगढ़ की समस्या दो दशक पुरानी है। यह अब पहली बार पैदा नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में शाह आयोग अपराधी हैं। उन्होंने सब से पहले हरियाणा को चन्डीगढ़ देने की सिफारिश की। सरकार इस निर्णय को देख भी नहीं सकी थी। उस समय मैं केबीनेट का सदस्य था। कुछ ही मिनटों में यह निर्णय किया गया कि शाह आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया जाए।

किन्तु कुछ समाधान तो खोजना ही था। मैं जानता हूं कि 1970 से जब प्रधान मन्त्री ने यह निर्णय दिया जो उन्होंने उनके लम्बी बहसों के बाद किया था, यह निर्णय दिया गया कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए। किन्तु हरियाणा के लोगों को बदले में कुछ मिलना चाहिए और इसलिए पंजाब के कुछ हिन्दी-भाषी दो हरियाणा को दिये जाते। गृह मंत्री होने के नाते या मुझे कहा गया कि मेरे निवास-स्थान पर बैठे दो मुख्य मन्त्रियों को मैं यह निर्णय सुनाऊं। एक अकाली मुख्य मन्त्री थे और दूसरे कांग्रेसी मुख्य मन्त्री। जब मैंने जाकर उन्हे बताया तो उन्होंने कहा' "हाँ," हम आपकी कठिनाइयों को जानते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि यह बड़ा अच्छा निर्णय है, किन्तु हमें यह मानना होगा क्योंकि हम जो चाहते हैं, वह हमें मिल गया हैं।"

अत: एक प्रकार से, एक प्रकार से ही क्यों, सभी प्रकार से पंजाब को चंडीगढ़ और हरियाणा को अबोहर और पग फाजिल्का देने सम्बन्धी निर्णय अकाली दल ने स्वीकार कर लिया था। किन्तु अब 14 वर्षों बाद हम यह देख रहें हैं कि अभी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। यह बात 1970 में हुई थी। अत: यह बहुत कठिन है।

हमने यह कहा है कि केवल बातचीत से समस्या का समाधान किया जा सकता हैं। किन्तु अकालियों के साथ वार्ता करना बहुत ही कठिन है क्यों कि उनके साथ बातचीत करना बहुत कठिन आर्य है .....(व्यवधान) मेरे विचार से विपक्ष का भी कुछ इस प्रकार का अनुभव होगा।

एक बहुत ही आधारभूत बात स्पष्ठ करनी होगी। वार्ता दो कारणों से कठिन हो गई निश्चय ही वार्ता करनी होगी। किन्तु वार्ता का कार्य (1) आतंकवादी ग्रुपों के विद्यमान होने और (2 आनन्दपुर साहिब संकल्प; अन्तत: जिसका संकेत भारत से अलग होना है, से कठिन और एक तरह से असम्भव हो गया है।

श्री रामविलास पासवान : आप लोगों का नेगोसियेशन तो भिण्डरावाले से चल रहा था।

श्री यशवंत राव चव्हाण : इसको छोड़िए। आपको तो यही आता है।

जब तक इन दोनों स्थितियों पर नियन्त्रण नही किया जाता और पूरी तरह नियन्त्रण नही किया जाता है, और जब तक आनन्दपुर साहिब संकल्प और निर्णय का त्याग नहीं किया जाता

और जब तक आतंकवादी समूहों पर पूर्ण नियन्त्रण नहीं किया जाता और उन्हें पंजाब के जन-जीवन से समाप्त नहीं किया जाता, वार्ता सफल नहीं होगी। और जब तक वार्ता सफल होने की विभावना न हो तब तक श्री दण्डवते द्वारा यहां-वहां से सेना हटाने के लिए दिए गए सुझावों को स्वीकार करना सरकार के लिए अत्यन्त कठिन होगा। यहां तक कि आज भी पंजाब से आने वाले लोग कहते हैं कि कुछ लोग वहां यह कह रहे हैं कि 'सेना को वहां से हटा दो फिर हम आपको देख लेंगे।' (व्यवधान)

1.00 म० प०

अब यह स्थिति है। अतः सेना कब हटानी चाहिए इस बारे में अत्यन्त सावधानी बरतनी होगी। क्या सेना केवल इसीलिए हटा लेनी चाहिए कि कुछ अकाली सेना हटाने के लिए कह रहे हैं? सेना वहां कोई आनन्द मनाने नहीं गई थी, यह वहां समस्या से निपटने के लिए और ढंग से निपटने के लिए गई थी। हमारे यहां लोकतान्त्रिक शासन है। सेना की केवल सीमित प्रभावी भूमिका है। इसकी भूमिका नागरिक प्रशासन की सहायता करना है। यही इसकी बुनियादी भूमिका है। और न केवल पंजाब में अपितु भिवन्डी, महाराष्ट्र में भी सेना बुलाई गई हैदराबाद में भी यही करना पड़ा था। किसी ने कहा था। मेरे विचार में प्रो. दण्डवते ने कहा था, कि सेना की अक्सर सहायता लेना एक भयंकर बात है। मैं ऐसा नहीं सोचता हूं क्योंकि भारत की सेना देशभक्त है। यह भारत का लोकतान्त्रिक अंग है। आप भारत की सेना की तुलना विश्व की सैनिक तानाशाही से नहीं कर सकते। सेना की लोकतान्त्रिक परम्परा होती है और पेशे से वे हमारे संविधान के प्रति अत्यन्त निष्ठावान होंगी। मुझे इस संबंध में कोई सन्देह नहीं है। परन्तु जब सेना बुलाना आवश्यक हो तब हमें बिना किसी हिचकिचाहट अथवा बिना किसी आशंका से इसे बुलाना चाहिए। मैंने महाराष्ट्र में जिम्मेवार व्यक्तियों को यह कहते सुना है कि यदि हम सेना बुलाने में एक दिन का भी विलम्ब कर देते तो स्थिति कई सप्ताह तक काबू में न आती। मैं यहां दंगों के बारे में बोल रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या पुलिस में कुछ गड़बड़ी है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं आप से सहमत हूं कि पुलिस संगठन में कुछ गड़बड़ी है। न केवल महाराष्ट्र के पुलिस संगठन में बल्कि सम्पूर्ण देश के पुलिस संगठन में कुछ गड़बड़ी है। तमाम देश के पुलिस संगठन में गड़बड़ी है। वे स्थानीय लोगों से निरन्तर सम्पर्क रखते हैं। स्थानीय लोगों में घुसपैठिए, तस्कर, समाज विरोधी तत्व और जनता विरोधी तत्व आते हैं और उन्हें उनसे निपटना पड़ता है। मैं इन दो स्थितियों के बारे में कह रहा था. जो अधिक महत्वपूर्ण हैं राजनीतिक दृष्टि से हमें अत्यन्त सावधान रहना होगा। कम से कम मेरी इस बारे में स्पष्ट राय है। अतः हमें इस बारे में स्पष्ट कुछ नहीं कहना चाहिए। हमारा यह स्पष्ट मत है कि यदि आतंकवादी हथियार प्राप्त कर रहे हैं और लोगों की हत्याएं कर रहे है तो इसको पूर्णतया नियन्त्रित करना आवश्यक है। मुझे यह कहते हुए अत्यन्त खेद है कि किसी भी जिम्मेवार अकाली नेता ने आगे आकर आतंकवादियों की निन्दा नहीं की हैं। लोग अकाली दल और अकाली स्थिति की बात करते है आप मुझे बताइए कि अकाली दल के किस नेता ने आगे बढ़कर इन बातों की निन्दा की है। यदि वे इसकी निन्दा करने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप उन्हें कैसे नियन्त्रित

करेंगे ? वे स्वयं भिंडरा वाले के बन्दी बन गए थे। मेरे विचार में वे शारीरिक रूप से भिंडरा वाले के बन्दी बन गए थे। और वे कुछ भी निर्णय नहीं ले सके। अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं। वे भिंडरांवाले के लोगों की ओर इस बात के लिए देखा करते थे कि इसे पसन्द करेंगे या नहीं। आप इस स्थिति को किस प्रकार नियन्त्रित करेंगे ? इसमें एक लम्बा समय लगेगा। यह एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का अत्यन्त सावधानी से पालन करना होगा। इस देश को एक होना होगा। मैं जनता और विपक्ष से अपील कर रहा हूं कि वे गलत बातों का समर्थन न करें।

यह न केवल शासक दल का बल्कि विपक्ष और भारतीय जनता का भी उत्तरदायित्व है। यदि हम इन दो बातों को नियन्त्रित नहीं कर सकते हैं ? तो हम क्या कर सकते हैं। आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव पर निर्णय के संबंध में हमने देश के विभिन्न भागों में चर्चा की है। हमें उसके बारे में किसी न किसी प्रकार इससे निपटना पड़ा है। हमें इससे लोकतान्त्रिक तरीके से निपटना पड़ा है। उड़ीसा महोदय आपके राज्य में हम इससे लोकतान्त्रिक तरीके से निपटे हैं। और हम सफल रहे हैं।

हम असम, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम आदि में ऐसी स्थिति से निपट रहे हैं। हमें आपके राज्य में इसी प्रकार निपटना पड़ा था। श्री दण्डपाणि जी में आपके लोगों की सराहना करता हूं ?

श्री सी. टी. दण्डपाणि (पोल्लाची) : 1965 में सेना द्वारा बीसियों लोग मारे गए थे। परिणामस्वरूप न वहां हिन्दी भाषा रही और न ही कांग्रेस शासन।

श्री यशवन्त राव चाव्हाण : मैं आपके लोगों की सराहना कर रहा हूं कि उन्होंने इससे लोकतान्त्रिक तरीके से निपटे।

अत: महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पृथकतावादी प्रवृत्तियों से कैसे निपटा जाए। इन पृथकतावादी प्रवृत्तियों से जनता को लड़ना होगा केवल सेना को नहीं। इनसे सभी स्तरों पर लड़ना होगा। आनन्दपुर साहब प्रस्ताव खतरे का संकेत है। और खतरे के इस संकेत की ओर ध्यान दिया जाना होगा।

मैं यह अवश्य कहूंगा कि काम चाहे कितना ही कठिन रहा हो सेना की कार्यवाही से पंजाब में आतंकवाद की कमर टूट गई है। यह एक ठोस तथ्य है। परन्तु हम इस बारे में लापरवाह नहीं रह सकते। इसकी अपनी प्रतिक्रियाएं होंगी। अत: हमें इस बारे में अत्यन्त सोच समझ कर कदम उठाना होगा। चूंकि आप लोग विपक्ष में और वह सब कहते हैं जो सरकार को पसन्द नहीं हैं, यह कोई तरीका नही है। यह एक राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है। आतंकवाद और पृथकतावादियों की गतिविधियों को नियंत्रित करना किसी दल विशेष का एकाधिकार नहीं है। यह प्रत्येक स्वतन्त्र भारतीय का उत्तरदायित्व वह चाहे इस ओर बैठा हो या उस ओर

हम यह सब कैसे करेंगे ? इस बारे में यदि कोई सुझाव है, मुझे आशा है जब श्वेत-पत्र पर चर्चा होगी तब इस बारे में सुझाव दिए जाएंगे क्योंकि श्वेत पत्र में इन दोनों बातों का उल्लेख

है। आतंकवाद न केवल शब्दों में बल्कि कार्यों में है और पंजाब के सभी भागों में व्यापक रूप से फैला है।

अन्त में, बताएं असफल क्यों रहीं ? विपक्ष ने यह बात कई बार कही है, मैं नहीं जानता उन्होंने क्यों कहा है, कि कुछ नहीं हुआ। परन्तु उन्होंने महसूस नहीं किया है कि आनन्दपुर प्रस्ताव वार्ताओं की सफलता की एक वास्तविक बाधा थी। एक बार उन्होंने कुछ कहा, दूसरी बार कुछ और तीसरी बार कुछ और। मेरी तो यह राय है कि जब तक वे यह पूर्ण वक्तव्य न दे दें कि वे अब आनन्दपुर प्रस्ताव पर अडिग नहीं हैं तब तक वार्ताओं से कोई लाभ नहीं होने वाला।

अत: ये दोनों बातें वास्तव में चुनौती हैं और इन दोनों का मुकाबला जनता के स्तर पर सरकार के स्तर पर और प्रत्येक स्तर पर अत्यन्त बहादुरी से करना होगा। जब तक हम यह नहीं करते तब तक कुछ सफलता नहीं मिलेगी। मुझे बस यही कहना है।
(1.08 म. प.)

इसके पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 10 मिनट म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.13 (०यप०)

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 10 मिनट म० प० पर पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले सेना के उन अफसरों और जवानों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपने अनमोल प्राणों की बलि चढ़ा कर और अपनी बहुमूल्य जानें जोखिम में डाल कर सिखों के पवित्रम तीर्थ और सभी भारतीयों के लिए श्रद्धा के स्थान श्री हरमिन्दर साहिब को आतंकवादियों से मुक्त किया और उसकी पवित्रता को पुन: कायम किया।

सेना को एक बड़ा कठिन और नाजुक दायित्व सौंपा गया था। उस दायित्वकी कुशलता और बहादुरी से निभाने के लिए सेना का अभिनन्दन किया जाना चाहिए। किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सेना मुख्य रूप से विदेशी शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए संगठित और सज्जित की गई है। अपने ही देशवासियों के विरुद्ध सेना का उपयोग एक अप्रिय कदम है जिसे यथासंभव टाला जाना चाहिए।

हरमिन्दर साहिब में सैनिक कार्यवाही के विषय में मुझे दो बातें कहनी हैं। पहली बात यह है कि किसी भी धार्मिक स्थान पर सेना भेजने का यह पहला और आखिरी मौका होना चाहिए। फिर कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए, नहीं आने देनी चाहिए कि हमें फिर अपनी सेना को अपने ही देशवासियों के खिलाफ किसी धर्म स्थान में कार्यवाही के लिए भेजना पड़े।

आखिर आंतरिक व्यवस्था की देखभाल करना पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस की सहायता के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस जा सकती है। बार्डर सिक्यूरिटी फोर्स की सहायता ली जा सकती है : पंजाब में ये तीनों दल विफल हो गए। इसका क्या कारण है? सेना बुलाने की नौबत क्यों आई?

पंजाब में ऐसी सरकार थी जिसे भंग करना पड़ा। विधान सभा भंग नहीं है मगर मूर्च्छित है। प्रशासन पंगु हो गया। पुलिस पक्षपात से पूर्ण हो गई - समाज बंट गया। दिलों में दरार पड़ गई। रोटी और बेटी के रिश्ते भी उन दरारों को बढ़ाने से रोक नहीं पा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल पाण्डे और भिण्डर ने स्तीफा दे दिया है। उससे नए सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब में कितने अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की गई। कितने अफसरों पर यह आरोप है कि वे आतंकवादियों के साथ मिले हुए थे? श्वेत पत्र इसके बारे में मौन है।

श्वेत पत्र प्रकाशित करने की मांग विरोधी दलों ने सबसे पहले की थी। हम चाहते थे कि श्वेत पत्र ऐसा हो कि पंजाब में आतंकवाद के उदय की सच्ची कहानी और कच्चा चिट्ठा देश के सामने आए। यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है कि अकाली आन्दोलन बाद में प्रारंभ हुआ, आतंकवाद ने पहले सिर उठाया। श्वेत पत्र में भी यह बात मानी गई है।

श्वेत पत्र समूचे सत्य का उदघाटन नहीं करता। यह अर्द्ध सत्य का उदघाटन करता है। पंजाब में आतंकवाद का उदय क्यों हुआ? उसे रोका क्यों नहीं गया? यह नौबत क्यों आने दी गई?

उपाध्यक्ष महोदय, अफसरों को दोष देने भर से काम नहीं चलेगा। गुनहगार हैं राजनीतिक नेता। गुनहगार हैं सत्ताधीश।

1980 से पहले भिन्डरावाले का कोई नाम नही जानता था। भिण्डर गांव का एक छोटा सा ग्रन्थी, जो गुरूबाणी का पाठ करने की शिक्षा दिया करता था, राजनीतिक मंच पर कैसे आया। वो आतंकवाद का सूत्रधार कैसे बना? उपाध्यक्ष महोदय, सेना भेजने का फैसला किया गया 1984 में 5-6 जून को। मैं 1980 की बात करना चाहता हूं। निरंकारी बाबा की हत्या की गई। हत्या एक षडयंत्र का परिणाम थी। हत्या दिल्ली में हुई थी। दिल्ली के उप राज्यपाल जगमोहन ने सितम्बर 5, 1980 को पंजाब के मुख्य मंत्री दरबारा सिंह को एक "सीक्रेट" 'मोस्ट इमीजिएट' 'डी. ओ.' लिखा। डी ओ नंबर था 287/एल जी।80 उसमें लिखा कि सी. बी आई निरंकारी बाबा की हत्या की जांच कर रही है। 20 व्यक्तियों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं। कुछ लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए हैं। लेकिन पत्र में शिकायत की गई कि पंजाब की पुलिस हमें कोई सहयोग नहीं दे रही। मैं पत्र का एक अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 'सबूत इकट्ठे किए गए हैं कि जिन बीस व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए है, और वे तीन व्यक्ति जिसके विरूद्ध वारंट

जारी किए गए हैं, वे या तो सन्त भिन्डरावाले के जत्थे से संबंधित हैं, या उसके निकट सहयोगी। सम्बन्धी हैं और उसके संरक्षण में छिपे हुए हैं। इसी कारण जिला अमृतसर की स्थानीय पुलिस मे नोटिस भेजने और वारन्ट पहुंचाने के लिए अनुरोध किया गया। अनुसूची में उल्लिखित दो अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दो और गैर जमानती वारन्ट प्राप्त किए जा रहे हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अधीन सन्त जरनैल सिंह भिंडरावाले के विरुद्ध नोटिस जारी करने जा रही है।"

फिर पत्र में शिकायत की गई है कि यहाँ से सी0बी0 आई0 द्वारा जारी किए गए नोटिसों पर कार्यवाही करना तो अलग रहा, वह नोटिस हमें वापिस भी नहीं किए जा रहे हैं और उन नोटिसों को लेने के लिए हम अपना एक आदमी भेज रहे हैं।

श्वेत पत्र में इस बात का उल्लेख है कि भिण्डरावाले को बाद में गिरफ्तार किया गया इस बात का उल्लेख नहीं है कि भिण्डरावाले को रिहा कर दिया गया। आगे जाकर है, लेकिन उस स्थान पर नहीं है, जहां होना चाहिए था।

पुराने मुख्य मन्त्री दरबारा सिंह ने कल राज्य सभा में बड़ा जोरदार भाषण दिया। उन्हें पता है, कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए कैम्प चलाए जा रहे हैं। पुराने मुख्य मन्त्री को पता है, मगर पुराने विदेश मंत्री को पता नहीं है। मुख्य मंत्री दरबारा सिंह कहते हैं कि मैं सबूत देने के लिए तैयार हूं। तो इसमें उसका समावेश क्यों नहीं है। अगर भारत सरकार के गृह सचिव पाकिस्तान का नाम ले सकते हैं तो भारत के गृह मंत्री नाम लेने में क्यों संकोच कर रहें हैं? उस सवाल की चर्चा अभी नहीं कर रहा हूं, उस पर बाद में आऊंगा।

पांच और छह जून की कहानी कोई गौरव की कहानी नहीं है। सेना को हमने बधाई दी है क्योंकि सेना वाले अपनी जान पर खेले हैं। सेना को राजनीतिक आदेश का पालन करना है। मगर, आज कठघरे में वे खड़े हैं जिन्होंने राजनीतिक आदेश दिया। यह परिस्थिति क्यों आने दी गई? भिण्डरावाले को पांच सितम्बर 1980 को क्यों गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जगमोहन के पत्र में वर्णित वाक्यों के आधार पर बाद में जब भिण्डरावाले को पकडा भी तो छोड़ दिया गया। भिण्डरावाले ने कहा मैं इस तारीख को, इस जगह और इस वक्त पकड़ा जाऊंगा। पकड़े जाने से पहले मैं स्वर्ण मन्दिर में स्नान करूंगा। पुलिस के अफसर भिन्डरावाले को स्वर्ण मन्दिर में स्नान के लिए ले गए। उन्हे पकड़ लिया और छोड़ दिया। निरकारी बाबा की हत्या के बाद सरकार ने भिण्डरावाले के रिश्तेदार और साथी तक नही पकड़े। भिण्डराबाले को हीरो किसने बनाया? अकाली निर्दोष नहीं है। किन्तु जो काम सरकार को करना चाहिए था, उसकी आशा अकालियों से कर रहे थे। प्रधान मन्त्री ने विरोधी दल के नेताओ से कहा कि अकालियों ने हमें नहीं बताया कि स्वर्ण मन्दिर में हथियार इकट्ठे हो रहे हैं। प्रो0 मधु दण्डवते ने पूछा, क्या सरकार को मालूम था? अकाली जब बतायेगें कि स्वर्ण मन्दिर में हथियार इकट्ठे हो रहे हैं तब सरकार को पता लगेगा वर्ना नहीं!

अकालियों को स्वर्ण मन्दिर के दुरुपयोग की निन्दा करनी चाहिए थी । अकालियों को आतंकवादियों के खिलाफ खुलकर आना चाहिए था । मुझे अकाली मित्रों से शिकायत है । लेकिन क्या इससे सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है ? भिण्डरावाले दिल्ली आए केन्द्र के वे दो मन्त्री कौन हैं, जिन्होंने दिल्ली में भिण्डरावाले के पैर छुए थे।.....(व्यवधान)

प्रो०के०के० तिवारी (वक्सर): यह गलत है ।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : यह सही हैं।...(व्यवधान)

भिण्डरावाले बम्बई तक गए और वहां से वापिस आ गए ।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । श्री अनबरासु जी आप कृपया बैठ जाइए। आपको जब अवसर मिलेगा, उत्तर दे देना । कृपया बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण चर्चा है । हमें शान्ति से चर्चा करनी चाहिए ।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : विपक्ष को तथ्य उजागर करने का अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें शान्ति से चर्चा करनी चाहिए ।

प्रो० मधु दण्डवते : विपक्ष को तथ्य उजागर करने का अधिकार है ओर हम यह पूरे जोर से करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेहरबानी कीजिए हम शन्ति से चर्चा करें ।

श्री ईश अनुबरासु (चिंगलपट्टु) : उन्हें उस मन्त्री का नाम बताने दीजिए जिसने यह किया है ।

एक माननीय सदयस्य : उन्हें उन शब्दों को वापस लेना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनबरासु, उन्होंने किसी मन्त्री का नाम नहीं लिया है । आप क्यों जोर दे रहे हैं ? यदि आप उनसे सहमत नहीं है तो बाद में उन्हें उत्तर दे सकते हैं ।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : इनको उन दो मन्त्रियों के नाम बताने चाहिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर मैं नाम बता दूंगा तो ये और भी शोर करेंगे । अब नाम नहीं बता रहा हूं तो इतना शोर है । मैं उनमें से एक नाम ऐसा ले दूंगा जिसके बारे में कहा जाएगा कि उनका यहाँ उल्लेख नहीं हो मकता ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी जी आपने जो कहा, ठीक है । आगे कहिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेहरबानी कीजिए। यह एक महत्वपूर्ण मामला है ;

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए सेना बुलाई जा सकती है। लेकिन सेना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए होनी चाहिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए नहीं होनी चाहिए। पंजाब में क्या हो रहा है ? पंजाब में समूचा शासन सेना द्वारा चलाया जा रहा है। क्या यह आवश्यक है ? क्या यह वांछनीय है ? क्या आप यह सही परम्परा डाल रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, एक पत्रकार थे जो अमृतसर मे 60 घण्टे तक कर्फ्यू में बन्द रहे : फिर उनसे कहा गया कि दिल्ली चले जाओ और पास लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर के यहां पहुचो। जब वे डिप्टी कमिश्नर के यहाँ पास लेने के लिए पहुंचे तो डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें पास तो दे दिया और जाते-जाते कहा कि उधर सेना के आफिसर बैठे हैं, उनके भी दस्तखत करा लेना। क्यों ?

राष्ट्रपति राज बहुत जगह लागू हो चुका है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए सेना भी बहुत जगह बुलाई जा चुकी है मगर ऐसा कहीं नहीं हुआ कि राज्यपाल से सलाहकारों में सेना के आफिसर को शामिल कर लिया जाए और उसे ला एण्ड आर्डर और जस्टिस जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंप दिए जाएं।

एक माननीय सदस्य : पंजाब के पहले और भी कई जगह ऐसा हो चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज आर्डर।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी स्वर्ण मन्दिर में कार सेवा का मामला आया। हम समझते थे कि कार सेवा इस तरह से चलाई जाएगी कि प्रधान मन्त्री का वह एलान कि हम हीलिंग टच लगाना चाहते हैं, पूरा किया जाएगा। लेकिन कार सेवा किस तरह से चल रही है। यह सब देख रहे हैं। यह घाव पर मरहम रखने का तरीका नहीं है। यह घाव को कुरेदने का तरीका है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

जब कार सेवा के बारे में गुरुद्वारे के नेताओं से, शिरोमणी गुरुद्वारे प्रबन्धक कमेटी के नेताओं से बातचीत हुई तो सरकार की ओर से राज्यपाल सतारावाला नहीं थे, एक्टिंग आर्मी चीफ को बुलाया गया और जनरल ओबेराय को तसवीर में लाया गया। क्या यह काम राज्यपाल सतारावाला नहीं कर सकते थे ?

मगर यह बात यहीं तक सीमित नहीं है।

बीमारी जम्मू-कश्मीर तक फैल गई है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्री जगमोहन ने जब उस दुर्घटनापूर्ण दिन श्री फारूक अब्दुल्ला को—

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : क्या अब हम जम्मू तथा काश्मीर की चर्चा कर रहे हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं उल्लेख कर सकता हूं। मैं इसका उल्लेख करूंगा। वह कश्मीर का उल्लेख करते रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपने तर्कों को उस चर्चा के लिए सुरक्षित रखेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह बीच में दिया गया हवाला है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आप किस नियम के अधीन यह कह सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप जम्मू तथा काश्मीर पर कोई उल्लेख करने से किस प्रकार रोक सकते है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी नहीं हुआ साहब।

(व्यवधान)

2.31 म०प०

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि सेना का गलत ढंग से उपयोग किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जब मुख्य मन्त्री को राज्यपाल ने बुलाया यह कहने के लिए कि आपका बहुमत खत्म हो गया, आप इस्तीफा दे दीजिए, तो राज्यपाल के पास सेना के एरिया कमान्डर बैठे हुए थे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह सरासर झूठ है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप क्या कह रहे है ? मैं दायित्व की भावना से बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं। मुझे बोलने दीजिए इसके बाद आप अपनी बात कह सकते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जब बोलेंगे तो जो आप गलत समझते हैं उसको रिफ्यूट करने का आपको पूरा चांस मिलेगा। उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय वाजपेयी जी मेरे कहने को गलत समझे। जो यह कह रहे हैं, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं एक मिनट की इजाजत चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुन लीजिए। उत्तेजना से क्या फायदा होगा ? मेरे कहने का अर्थ और भाव यह है···

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : अध्यक्ष जी, इनको आप पंजाब पर बोलने के लिए कहिए, कश्मीर पर नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे मत सिखलायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप बैठ जाइए। आपको रीयलाइज करना चाहिए कि डेकोरम भी कोई चीज है।

कश्मीर कोई बाहर का हिस्सा नहीं है। अगर कोई अनुचित बात होगी तो मैं रोकूंगा, कोई अनपार्लियामेंटरी बात होगी तो उसको भी रोकूंगा, ऐलीयेशन को भी रोकूंगा। लेकिन अगर कोइ अपने मन की बात या कोई आर्गूमेंट देता है तो उसका आप खंडन कर सकते हैं। यह बात है। अब आप बैठिए।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आप कृपया कार्यवाही वृत्तांत को देखें। उन्होंने 'झूठ' शब्द का इस्तेमाल किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, मैं ऐक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। माननीय वाजपेयी जी वरिष्ठ सदस्य हैं। यह जो कुछ कह रहे हैं उसके लिये मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं यह कहूं कि यह झूंठ है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कहता हूं कि सारा हिन्दुस्तान आता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय : एक ही बात है, कोई बात नहीं। कभी राम, कभी लक्ष्मण।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, स्वर्ण मन्दिर में सेना भेजे हुए करीब डेढ़ महीना होने आया, लेकिन पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां जारी हैं, हत्याओं का सिलसिला चल रहा है।

एक केन्द्रीय मन्त्री ने मुझे कहा, आप फिर कहेंगे कि नाम बताओं, उन्होंने कहा कि 500 आतंकवादी इस समय घूम रहे हैं, शिकारों की तलाश में।

एक माननीय संदस्य : दिल्ली में ?

अध्यक्ष महोदय : कहीं भी घूमते होंगे, चलिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसमें दिल्ली भी शामिल है ।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मगर आपके यहाँ तो सिर्फ गोसेवक जा रहे हैं, आप त्रिपाठी जी चिन्ता मत करिए ।

स्वर्ण मन्दिर में सेना भेजने से पहले परिस्थिति यह थी कि आतंकवादी अन्दर थे और पुलिस बाहर थी । आज स्थिति यह है कि फौज अन्दर है और आतंकवादी बाहर हैं ।

आतंकवाद ने एक नया आयाम ले लिया है । भाखड़ा नहर का दो बार काटा जाना, सैनिक कार्यवाही के बाद भी हवाई जहाज का अपहरण,

एक माननीय सदस्य : कहां से किया गया है ?

श्री अटल विहारी वाजपेयी : देश के ही एक भाग से किया गया ।

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : वह भी तो आप हीं लोगों ने करवाया ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैंने जो यह कहा,

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फिर वही बात ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, संक्षिप्तता समझदारी का परिचायक है। लेकिन मैं इतना ब्रीफ नहीं हो सकता कि एक वाक्य में अपने पूरे तात्पर्य को आप को समझा दूं ।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं बोल रहा हूं । वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं । मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करने दीजिए । श्री वाजपेयी जी ने केवल जिम्मेदार व्यक्ति है बल्कि इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं ।

यह बातअगर माननीय वाजपेयी जी अपना जाता जानकारी के आधार पर कहते- मैं कभी यह हिम्मत नहीं करता कि आप गलत कह रहे हैं । मुझे रिफ्यूट करना होता तो मैं बाद को करता । लेकिन यह बात आज अखबार में छपी है । मेरा कहना था कि यह अखबार में बिल्कुल गलत छपी है, झूठ छपी है ।

दूसरी बात, हम यहाँ काश्मीर की चर्चा नहीं कर रहे हैं, पंजाब की चर्चा कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : छोड़िये, कोई बात नहीं है। रैफरैंस आ जाता है । कभी कर्नाटक का

आ जाता हैं, कभी पंजाब का आ जाता है, कभी काश्मीर का आ जाता है, यह कोई बात नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हम यहां एक राष्ट्रीय संकट पर चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय संकट के अन्तर्गत पंजाब भी आता है और जम्मू-काश्मीर भी आता है।

अध्यक्ष महोदय, आतंकवादियों की संख्या घटी है या बढ़ी है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। आतकवादी मारे गये, पकड़े गये, मगर स्वर्ण मन्दिर में सेना भेजने से आतंकवाद की सैद्धान्तिक भूमिका, सैद्धान्तिक धरातलता को बल मिला है। अब इसे मानें या मानें यह अलग बात है।

आज समाज दो खेमों में बंटा हुआ है, जैसे ध्रुवीकरण हो गया हैं। बहुताश हिन्दुओं की समझ में नहीं आता।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बहुतांश हिन्दू यह समझने में असमर्थ हैं कि आखिर सिख भाई इतने नाराज क्यों हैं ? इन्होंने स्वयं स्वर्ण मन्दिर का दूरुपयोग नहीं रोका, स्वर्ण मन्दिर में हथियार इकट्ठे होने दिये, अपराधी इकट्ठे होने दिए, कार्यवाही की गई तो वह नाराज क्यों हैं ?

अध्यक्ष महोदय : सिखों ने कहां कर दिया ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दूसरी ओर स्थिति यह हैं कि सिख समुदाय की समझ में यह नहीं आ रहा कि गलती तो मुट्ठीभर आतंकवादियों ने की थी, सारे सिख समाज को क्यों सजा दी जा रही है, क्यों अपमानित किया जा रहा है ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल गलत।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं उनकी भावनाओं की बात कह रहा हूं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यह उनका मूल्यांकन है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या उन्होंने देशभक्ति का ठेका ले लिया है ? हमें भी इस देश से प्यार है।

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : आप उनको प्रोत्साहन देते हैं। आपने उनको प्रोत्साहित किया है। सुबूत देने के लिए तैयार हूं।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जी० एस० निहाल सिंहवाला : 'सिख' शब्द प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। 'अकाली' शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): उन्हें बोलने की अनुमति क्यों दी गई है? वह एक सिख नहीं हैं। क्या आपका आशय है कि वह एक सिख है।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वे महसूस करते हैं कि स्वर्ण मन्दिर में सैनिक कार्यवाही से उनका अपमान हुआ है।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : जी नहीं।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने यह तो नहीं कहा कि सारे सिख ऐसा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्री खुशवन्त सिंह कौन हैं? यह कांग्रेस (आई) के एक सदस्य हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो आप बैठ जाइए। मैं कुछ बातें अवश्य कहूंगा। यह सर्वोच्च मंच है। हमें अत्यन्त जिम्मेदार बनना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोचने के ढंग अलाहिदा-अलाहिदा हो सकते हैं। विचार अलग-अलग हो सकते हैं; लेकिन विचारों को इस तरह व्यक्त न करें, जिससे देश के लिए खतरा पैदा हो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप आरोपों का खंडन कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको कुछ बातों के बीच अन्तर करना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये कुछ व्यक्ति विशेष थे, जिनके खिलाफ एक्शन लेना था। यह एक्शन किसी समाज या समुदाय के खिलाफ नहीं है। हमें किसी को इसका फायदा नहीं उठाने देना है, वर्ना आने वाली नस्लें क्या कहेंगी।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, जब आप पीठासीन हों तो अपने राजनीतिक विचारों को मत व्यक्त कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह एक राजनीतिक मत है, यदि मैंने कोई राजनीतिक बात कही है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं केवल वही कहता हूं जो इस देश के संविधान से सम्बन्धित है। मैं केवल इसी बात से सम्बन्धित हूं।

मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यदि मुझे गलत समझा गया है तो मुझे इसके लिए खेद है।

मैं आज एक बात कहना चाहता हूं कि भगवान के लिए ऐसा मत करिए कि इसमें ऐसे बीज बोये जाएं। बस, इतनी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने स्पीकर की चेयर से कहा था सरकार को बहुत पहले एक्शन लेने के लिए।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइए।

श्री रामविलास पासवान : दो साल पहले आपने गवर्नमेंट से ऐक्शन लेने के लिए कहा था लेकिन कोई ऐक्शन नहीं लिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब भगवान के लिए आप बैठ जाइए।

प्रो के. के. तिवारी : (बक्सर) : महोदय, जो प्रो० दण्डवते ने कहा है वह अत्यन्त निन्दनीय है और पीठासीन अधिकारी पर अत्यन्त गम्भीर लांछन है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं प्रमाण पत्र नहीं चाहता हूं। मैं कुछ सिद्धान्तों पर अडिग हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं को इस सदन पर थोपना नहीं चाहता हूं। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि मैं इस सदन पर अपनी राजनीतिक इच्छा अथवा राजनीतिक विचारधारा नहीं थोपना चाहता हूं। यह सदन अपनी हिफाजत करने के लिए अत्यन्त सक्षम है। यह केवल मेरी विचारधारा थी। मैंने इस देश की भलाई और इसके भविष्य के लिए ही यह कहा था। यदि मेरे कोई मित्र आपत्ति करते हैं तो मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। कृपया जारी रखें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वाद-विवाद है। सदस्यों को सुनना चाहिये और उन्हें इस तरीके से बाधा नहीं डालनी चाहिये। वे दायित्व की

भावना से क्यों नहीं सुन सकते ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर जयपाल सिंह, भगवान के लिए आप अब चुप कर जाइये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे मित्र मेरी पूरी बात सुन लेते तो शायद वह इतने उत्तेजित नहीं होते । मैं यह कहने जा रहा था कि सैनिक कार्यवाही से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने राहत अनुभव की है, उन सब को सिख विरोधी या पंथ विरोधी नहीं समझा जाना चाहिए ।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : फिर वही बात ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं यह भी कहने जा रहा था कि जिन्होंने सेना भेजने का विरोध किया है उन सबको हम खालिस्तानी समझने की गलती न करें । भावनाएं भड़की हुई हैं । इसीलिए प्रधान मंत्री को हीलिंग टच की बात करनी पड़ी । मगर मैं पूछना चाहता हूं हीलिंग टच कहां है ? हीलिंग टच के दो अवसर थे । एक यह श्वेत पत्र का प्रकाशन था । अगर इसके प्रकाशन में ईमानदारी बरती जाती, अगर अप्रिय तथ्यों को सामने लाया जाता, उन तथ्यों से सरकार कटघरे में खड़ी होती तो होती तो बात कुछ समझ में आ सकती थी ।

अध्यक्ष महोदय : चीन के सवाल पर मैंने श्वेत पत्र प्रकाशित करने की मांग की थी । हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू थे । चीन और भारत के संबंधों पर जो श्वेत पत्र प्रकाशित हुआ उसमें एक ऐसी चिट्ठी थी कि जिससे यह साबित होता था कि चीन ने हमारी सीमा पर अतिक्रमण कर दिया है, मगर उस बात को संसद को नहीं बताया गया क्यों कि पंडित जी ने कहा कि इससे भावनाएं भड़क जाएगी, हम पहले आपस की बातचीत से यह मामला तय कर लें । इसी चिट्ठी के आधार पर मैं ने पंडित जी से कहा था कि आप ने देश को अन्धेरे में रखा है, आपने गलती की है और नेहरू जी ने कहा कि हां, मेरी गलती हुई है, मैं अपनी गलती मानता हूं । गलती मानने के लिए भी बड़प्पन चाहिए ।

यह श्वेत पत्र अधूरा हैं । मैं फिर कहना चाहता हूं कि आतंकवाद के पंजाब में उदय के लिए जिम्मेदार शक्तियों को, भिण्डरावाले को, 1980-1981 1982 और 1983 में राह पर लाने में प्रशासन की, जिस में राज्य सरकार शामिल हैं और केन्द्र सरकार शामिल है, विफलता—इसका इसमें उल्लेख नहीं है। ...(व्यवधान)...

क्या यह बात भी मैं देश के खिलाफ कर रहा हूं ?...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बीच में क्यों बोल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गुप्त बैठकों का उल्लेख किया गया । कल कहा गया कि गुप्त बैठकें प्रकट नहीं करनी थीं तो उन्हें गुप्त ही रहने दिया जाता । अगर बैठकें प्रकट कर दीं तो यह भी बता दीजिए कि उन बैठकों में क्या हुआ था ? सारी गुप्त बैठकों का इसमें भी उल्लेख नहीं है । इसमें सरदार स्वर्ण सिंह द्वारा किए गए प्रयत्नों का उल्लेख नहीं है । क्या कांग्रेस पार्टी ने

सरदार स्वर्ण सिंह को भी डिसओन कर दिया ? उन्होंने कोई प्रयत्न किए थे या नहीं किए थे ?

एक बैठक ऐसी हुई थी जिसमें अकाली दल के प्रतिनिधि शामिल थे और हमारे वित्त मंत्री शामिल थे । अलग अलग मंत्रियों ने अलग अटग ढंग से बातें की हैं . उस बैठक में यह समझौता हो गया था कि चंडीगढ़ को वोट दिया जायेगा। प्रधान मंत्री न्यूयार्क गई हुई थीं। प्रधान मंत्री के लौटने के बाद उसकी पुष्टि करने का फैसला हुआ था। बाद में वह बात आगे नहीं चली । मैं पूछना चाहता हूं—26 मई को क्या हुआ ? यह आखरी बैठक थी, उसके बाद सैनिक कार्यवाही हुई, उस बैठक में क्या हुआ ? कल भी हमने कहा था, आप अन्धेरे में क्यों रख रहे हैं ? अब कुछ बातें कही जा रही हैं, यह कहा जा रहा है कि अकाली किसी समझौते के लिए तैयार नहीं थे । उस दिन कौन सी बात हुई थी ? क्या सरकार की ओर से यह कहा गया कि चण्डीगढ़ हम पंजाब को दे देते हैं, चण्डीगढ़ के आसपास के लगे हुए कुछ गांव हरियाणा को मिलने चाहिये ? क्या अकालियों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया ? अकाली कहते है—नहीं, हमें प्रस्ताव स्वीकार था। इस सत्य का उद्घाटन कैसे हो ?

प्रधान मंत्री ने विरोधी दलों के नेताओं से कहा – अकाली यमुना नदी का मामला उठा रहे थे, यमुना नदी के पानी के बटवारे का मामला उठा रहे थे । अकाली कहते हैं—हम ऐसे मूर्ख नहीं थे, हम राम पेरियन राइटस की बात करते रहे थे । यमुना हरियाणा से निकलती है, हम यमुना की बात कैसे कर सकते थे । प्रधान मंत्री ने यह भी कहा कि अकाली दल इस बात पर जोर दे रहा था कि आनन्दपुर साहब के प्रस्ताव को सरकारिया कमीशन के पास सरकार भेजें, जब कि सरकार कहती थी कि कमीशन बन गया है' आप भेज दीजिये । अकाली इससे भी करते हैं । आप कह सकते हैं कि अकालियों पर विश्वास न करिये, प्रधान मंत्री पर विश्वास करिये । कांग्रेस के सदस्यों के लिये ऐसा करना आसान है, लेकिन हम इसको नहीं मानते । इसीलिये मैं कह रहा हूं कि गुप्त बैठक में जो हुआ, उसको प्रकट कीजिये ।

एक बात और—श्री दरबारा सिंह ने कल राज्य सभा में क्या कहा मैं उसका उल्लेख कर चुका हूं । श्वेत पत्र चुप है—विदेशी सम्बन्धों के बारे में कौन थे—खालिस्तान के समर्थक ? एक बात फैलाई जा रही है—

मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं—विदेश मंत्री से, लेकिन यहां विदेश मंत्री तो क्या प्रधानमंत्री भी नहीं हैं—

श्री धर्मवीर सिन्हा (बाड़) : विदेश मंत्री नहीं, गृह मंत्री से ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हां, गृह मंत्री से । चलिये, काम चलाऊ मंत्री हैं, देश को जहन्नुम में जाने दीजिये, काम चलेगा ।

अध्यक्ष महोदय, पंजाब के पुराने मुख्य मंत्री ने कहा हैं कि उनके पास सुबूत हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया । क्या वह सुबूत केन्द्रीय सरकार के

पास भी है ? अगर वह सुबूत है, तो इस श्वेत—पत्र में उस का समावेश क्यों नहीं है ? क्यों कूटनीतिक स्तर पर यह मामला कभी पाकिस्तान से उठाया गया ? कब उठाया गया, किस रूप में उठाया गया ? अगर पाकिस्तान भारत के नागरिकों को भारत में बगावत करने के लिये हथियार चलाने की शिक्षा देता हैं, तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ शत्रुता पूर्ण कार्यवाही करता है । पाकिस्तान के साथ इस स्थिति में कोई बात नहीं हो सकती । फिर नो—वार—पैक्ट कैसा ? फिर व्यापार और सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने की चर्चा कैसे हो सकती है ? जब हमने चीन के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने का फैसला किया, तो चीन से साफ कहा कि आप नागाओं को हथियार देते रहे हैं, चलाने की शिक्षा देते रहे हैं, आप इसे बन्द करने वाले हैं या नहीं ? चीन ने कहा—वह बात पुरानी हो गई है, आप उसको छोड़िये ।

हम पाकिस्तान से प्रेमलाप कर रहे हैं । अभी अभी भगत जी वहां होकर आये हैं । शाही कोफ्ता, बिरियानी खाकर अघा कर आये हैं । पाकिस्तान के अतिथि—सत्कार की वाहवाही करते आये हैं । हमारे पुराने विदेश मंत्री पाकिस्तान के विदेश मंत्री को हवाई जहाज में लेकर मालद्वीप गये थे । यह हाइजैकिंग के बाद की घटना है । यह दोहरी नीति नही चल सकती है, यह दोगुली नीति नहीं चल सकती है । अगर पाकिस्तान भारत को तोड़ने का षडयन्त्र कर रहा है तो प्रधान मंत्री सारी बात हमें बतलायें । चलिये, आप विरोधी दलों के नेताओं को ही बुलाकर विश्वास में लें ।

उस दिन जब सैनिक कार्यवाही के बाद हम प्रधान मंत्री जी से मिले, तो उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा । गृह सचिव ने कह दिया कि पाकिस्तान का हाथ है । श्वेत पत्र इस बारे में मौन है :

मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि सैनिक कार्यवाही के लिए 5 जून को क्यों चुना गया । 4 जून को गुरू अंगद देव जी का ज्योति—जोत समारोह था । बड़ी संख्या में गाँव से लोग गुरुद्वारे में आए थे दर्शन के लिए, स्नान के लिए, और गुरुवाणी, शब्द कीर्तन सुनने के लिए । बहुत से निरापराधी लोग मारे गए । हमारी सहानुभूति उनके साथ है । हमने कल उन्हे श्रद्धांजलि दी है लेकिन उनकी मौत को क्या टाला नहीं जा सकता था ? कहा यह जा रहा है कि 5 जून इसलिए जरूरी थी कि सरकार को ऊंचे सूत्रों से खबर मिली थी कि अगर 5 जून को सेना अन्दर नहीं भेजी गई, तो हरमिन्दर से स्वतन्त्र खालिस्तान का ऐलान कर दिया जाएगा और उस स्वतंत्र खालिस्तान को कुछ अरब देश मानेगें और कुछ पश्चिमी देश मानेगे ।

श्री जी० एस०निहालसिंह वाला (संगरुर) : 1 और 2 तारीख को 20 आदमी मारे गये अन्दर से गोली चलाकर और 3 तारीख को वे आन्दोलन करने वाले थे ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, मैं आप को बोलने की इजाजत दूंगा ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, कुछ समाचार पत्र नाम ले रहे है के० जी० बी० का । क्या उन्हे रूस से खबर मिली है ? मैं नहीं जानता कि इसमें कहां तक सच्चाई है लेकिन

अगर इसमें सच्चाई है, तो साफ कहिये और सदन को विश्वास में लीजिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं कार सेवा के बारे में कहना चाहता हूं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यह विवाद का विषय बन गया है। हम तो सोचते थे कि जो हो गया सो हो गया। सेना ने आतंकवादियों से हरमिन्दर को मुक्त करने के लिए कार्यवाही की और उसमें अकाल तख्त को क्षति पहुंची अब सिख पंथ की परम्परा के अनुसार उस अकाल तख्त का फिर से पुनर्निर्माण किया जाए और जो कार सेवा की जाए उसमें सब लोग शामिल हों। लेकिन यह मामला भी विवाद का मामला बन गया।

मैं पूछना चाहता हूं कि बाबा खड़क सिंह से जो बात हुई, वह क्यों टूटी ? क्या वह सच है कि सरकार स्वर्ण मन्दिर से सेना हटाने को तैयार हो गई थी और उस का जोर केवल इस बात पर था कि तोशाखाने में क्या है। वहां सेना रखना क्या जरूरी है ? दर्शनी ड्योढ़ी में सेना रखना क्या आवश्यक है। आप मन्दिर की रक्षा कीजिए और अवैध आदमियों को जाने से रोकिये। वहां हथियार क्यों जाएं ? गुरु द्वारा प्रबन्धक कमेटी का कहना है कि हम ने मान लिया था कि यहां केवल पारम्परिक हथियार मतलब यह कि तलवार और कृपाण ही आएगी और कोई हथियार नहीं आएगा। उन्होंने यह मान लिया था कि यहां अपराधियों को पनाह नहीं दी जाएगी।

यह बाबा संता सिंह कहां आ गये। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूं। अगर बाबा संतासिंह कार सेवा करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं, तो पहले बाबा खड़क सिंह से क्यों बात चली। क्या बाबा संता सिंह के साथ कोई समझौता हुआ है ? गुरुद्वारों का प्रबन्ध भविष्य में कैसे चलाया जाएगा, क्या इसके बारे में बाबा संता सिंह को कोई आश्वासन दिये गये हैं ? क्या यह सच नहीं है कि बाबा संता सिंह के खिलाफ भी पुलिस में मामले दर्ज हैं ?

अध्यक्ष महोदय, सैनिक कार्यवाही हो गई और उसके बाद हमने टेलीविजन पर देखा कि एक संत लाए गये। उन्होंने संत भिंडरावाला की बड़ी आलोचना की। हमने कहा कि बड़ी हिम्मत वाले हैं। थोड़े दिन बाद अखबार में पढ़ा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके यहां से बहुत से हथियार मिले है। मैं दोषारोपण करने के लिए भाषण नहीं कर रहा हूं।— (व्यवधान) ये मेरी भावना नहीं समझेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण उपसंहार की ओर ले जाता हूं। आजादी के 36 साल के बाद भी आज देश की एकता के ऊपर फिर से प्रश्नचिन्ह लग जाए, यह शासन चलाने वालों के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मजहब के आधार पर पाकिस्तान बना, वह बट गया। हमने मजहब को अपना आधार नहीं बनाया। हमने कहा कि हमारा देश धर्म – निरपेक्ष, सेक्युलर होगा। यह सभी धर्मों के मानने वालो के लिए होगा। फिर भी भारत बंटने के कगार पर आ गया है। क्या इसके लिए अकाली ही जिम्मेदार हैं और प्रधान मंत्री दूध की धुली हुई हैं ?

प्रधान मंत्री जी कहती हैं कि वे जहर पीने के लिए तैयार है। उनके हिस्से में अमृत आया है, जहर तो बाकी लोग पियेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि परमात्मा के लिए देश

की एकता की राजनीति का मुद्दा मत बनाइये, चुनाव का मुद्दा मत बनाइये। देश की एकता के साथ खिलवाड़ मत करिये। जो कुछ हो गया, उसको अब भूल जाएं और एक नये अध्याय का श्री गणेश करें। आखिर स्वर्ण मन्दिर में सेना कब तक रहेगी, पंजाब में सेंसर कब तक चलेगा? आप किसी भी हिस्से के चप्पे चप्पे पर फौज नहीं खड़ी कर सकते हैं। देश एक रहेगा तो किसी एक पार्टी की वजह से नही रहेगा, किसी एक व्यक्ति की वजह से एक नहीं रहेगा, किसी एक परिवार की वजह से नहीं रहेगा। देश एक रहेगा तो देश की 70 करोड़ जनता की देशभक्ति की वजह से रहेगा।

श्री जी. एस. निहालसिंहवाला (संगरूर) : स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं अपनी तकरीर शुरू करता हुआ, प्रधानमन्त्री जी का अति धन्यवादी हूं कि उन्होंने 5-6 तारीख को फैसला करके हिन्दुस्तान को टुकड़े-टुकड़े होने से बचाया और पंजाब के गुरुद्वारों को उन लोगों से आजादी दिलवाई। मैं तो यह भी कहूंगा कि पंजाब और पंजाब के बाहर के सिखों को प्रधानमन्त्री जी का शुक्रगुजार होना चाहिए। इसके आगे मैं उस सेना के जवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूं और हर सिख को भी यह कहूंगा कि वह भी करे जिन्होंने 6 तारीख को गुरुद्वारों से उन लोगों को निकाला जो हिन्दुस्तान के टुकड़े-टुकड़े करना चाहते थे। आखिर में मैं बाबा सन्ता सिंह जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जिम्मे यह नेक काम हाथ में लिया। एस० जी०पी०सी० की वजह से, अकालियों की वजह से गोल्डन टैम्पल का जो नुकसान हुआ उसको ठीक कराने और मुकम्मिल कराने की जिम्मेदारी बाबा सन्ता सिंह जी ने अपने हाथ में ली है।

स्पीकर साहब, यह बड़े अफसोस का इमकान है। इस सारे लम्बे अर्से में जो कुछ पंजाब में हुआ उस पर हर सिख का सिर शर्म से झुक जाता है। सिख चाहे अकाली हों या गैर अकाली हो, हमारे लिए हिन्दुस्तान में जो सबसे बुरी बात हुई है वह यह है कि हमारी नीयत पर शक हो रहा है या हुआ है इसकी वजह से हर सिख शर्मिन्दा है और हर सिख का सिर झुक जाता है।

स्पीकर साहब, पिछले ढाई-तीन साल के अर्से में कौन-सी बात है जो गुरुद्वारे में नहीं हुई। वाजपेयी जी हमारे सीनियर लीडर हैं और वे सब कुछ जानते हैं।

वो वक्त भी था जब ये बोलते थे। जब बे-गुनाह लोगों को, हिन्दुओं और सिखों को कत्ल किया जा रहा था। तब वाजपेयी जी और अन्य सभी दुःख का इजहार करते थे। मगर आज बिल्कुल अपनी सोच इन्होंने बदल ली है। सिर्फ एक तरफा चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे किसी को नहीं करना चाहिए। यह बहुत बद-किस्मती का मुकाम था जो दो तीन साल पंजाब में हुआ और जो लोगों के साथ बर्ताव हुआ।

स्पीकर साहब, कौन नहीं जानता कि गुरुद्वारों में किसका इन्तजाम होता है। एस०जी० पी.सी. सिक्खों की एक वाहिद जमात है जिसके जिम्मे यह काम लगाया हुआ है कि वह सिक्खों के धार्मिक स्थानों का इन्तजाम करे। इस हिन्दुस्तान में छोटा सा फिरका हम हैं। कुछ वजूहात की वजह से उस वक्त की सरकार ने हमारे लिए खास एक कानून बनाया और गुरुद्वारों का इन्तजाम सरकार के दखल से करना पड़ा। सरकार उसमें इलेक्शन कराती है। प्रिसाइडिंग आफिसर

सरकार का होना है। प्रेसीडेंट के इलेक्शन में डिप्टी कमिश्नर प्रिसाइडिंग आफिसर होना है। यह सब कुछ और किसी धर्म में नहीं होता। हिन्दुओं, ईसाइयों, पारसियों, मुसलमानों में नहीं होता। उनके भी मन्दिर हैं, मस्जिदें हैं, गिरजाघर हैं, मगर वहां पर ऐसा नहीं होता। अगर हमारे लिए एक रियायत मिली हुई है और सरकार ने 1947 के बाद हमको यह रियायत दी हुई है तो हमको इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। इसका नाजायज फायदा दुनियां के सामने उठाया गया। कौन कह सकता है कि गुरुद्वारों में अगर फौज चली गई तो गुरुद्वारों की मर्यादा भंग हो गई। मुतवर्रकता खत्म हो गई। मैं समझताहूं कि पहले क्या कुछ नहीं हुआ।

क्या आप भूल गए? क्या वहाँ पर कत्ल नहीं हुए। लोंगोवाल ने जो अकाली दल के प्रेसीडेंट हैं, उसने पैसा देकर भिण्डरवाले के आदमी का कत्ल नहीं कराया? क्या उसने बलजीत कौर को पिस्तौल देकर सोढी का कत्ल नहीं कराया। और भिण्डरावाले ने क्या किया जो अपने आपको रेलीजियस लीडर कहता था। मैंने तो कभी उसको माना नहीं।

(व्यवधान)

कभी नही कहा। मैं समझता हूं कि दुनियां में हिस्ट्री में किसी मुतवर्रक जगह में ऐसे वाक्यात नहीं मिलेंगे कि जिस औरत ने जुर्म किया एक पार्टी के कहने पर उसको इस तरह की सजा दी गई हो। दरबार साहब में भिण्डरावाले ने वह काम किया, जिस भिण्डरावाले के आप साहेबान वकील हैं। उस औरत को गर्म तवे पर बिटाकर उसके सात टुकड़े किए गए और जिन्दा जलाया गया।

(व्यवधान)

दिस इज आन दी रिकार्ड और फिर जिस शिन्दे ने पिस्तौल दी थी, जिसकों दो लाख में लोंगोवाल ने खरीदा था सोढी को खत्म करने के लिए, उसके सात टुकडे करवाकर अमृतसर वाली सड़क पर, जी. टी. रोड पर फिकवाया गया और सिर गुरुद्वारे में ले जाया गया। तब उसकी मर्यादा भंग नहीं हुई। अगर डिसीप्लिड आर्मी उसको बदमाशों से बचाने के लिए, बदमाशों को वहां से निकालने के लिए मजबूरन दाखिल करनी पड़ी तो मर्यादा भंग हो गई।

वहां पर क्या कुछ नहीं हुआ। मैंने काफी जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि हाउस में सही-सही बात कही जाए। इत्तिफाक की बात है सारा ड्रामा रचने वाले सब एक ही जगह के हैं। और में उनको पर्सनली जानता हूं। भिण्डरावाले गाँव-रोड़डा और जत्थेदार कृपाल सिंह गांव बैरोकी के है जो कि मोगा में है। भिन्डरावाला भी बरार था और जिसने सफाई दी है, वह भी बरार है पत्तो हीरासिंह मोगे का बरार है। जनरल बरार कहते हैं कि इसका किसने आपरेशन किया, किसी ने नहीं किया, बरार ने किया। तोसरी दफा अकाल तख्त की मरम्मत हो रही है। पहले की थी बुड्डा दल के लीडर अकाली बाबा फूलासिंह जो महाराजा रणजीतसिंह के जरनैल थे। दूसरी नवाब कपूरसिंह जो अकाली दल के चीफ थे और बाबा सन्तासिंह जो बुड्डा दल के चीफ हैं।

तीनों दफा बुड्ढा दल के चीफ ने इसकी मरम्मत करवायी है और आप कहते हैं कि बाबा

सन्तासिंह कौन हैं ? सन्तासिंह अकाली बाबा फुलासिंह की फौज का जो महाराजा का सबसे बड़ा जरनैल था, उससे चला आ रहा है। उसके पंजाब में सबसे ज्यादा सिखों में फालोअर्स हैं। अब जो डी. जी. पुलिस मिला है वह भी पुहर गांव, मोगे का है और इत्तिफाक की बात है कि मुझे ह हिस्टरी बतानी पड़ी क्योंकि मैं भी मोगे का हूं।

(व्यवधान)

बाजपेयी जी को याद होगा कि जब यह आंदोलन चल रहा था तो जत्थेदार कृपालसिंह ने एक बयान दिया जो सारे अखबारों में छप कि कोई आदमी हथियार लेकर दरबार साहब में मत्था टेकने नहीं आ सकता। भिण्डरावाले ने इस किस्म की वारदातें की थीं इसलिए उसकी जमीर इजाजत नहीं देती थी। वह डरता कि हथियार के बगैर दरबार साहब में कैसे जाऊं ? दरबार साहब के इस बारे में मैं गलत बात नहीं कहना चाहता। जहां तक हथियार ला सकता था, वहीं से मत्था टेककर वापिस आ गया।

अगले दिन जत्थेदार ने जो सबसे ऊंची हस्ती है, अपने संशोधित बयान में डिनाइ किया कि मैंने यह नहीं कहा। उसके बाद क्या हुआ ? जिस जगह जत्थेदार के बयान के मुताबिक छोटे से छोटा हथियार भी नहीं ले जा सकते, वहाँ पाकिस्तान के हथियार आ गए। वहां पर तोपें, मशीनगन, एस. एल. आर., एल. एम. जी. आ गईं और सात घण्टे तक हिन्दुस्तान की आर्मी के साथ मुकाबला किया गया। कितना हिन्दुस्तान की फौज का नुकसान हुआ ? मैं समझता हूं यह अकाली दल, एस. जी. पी सी. और सिखों के लिए शर्म की बात है क्योंकि हमारी फौज के लोगों को गुरुद्वारे की हिफाजत के लिए मरना पड़ा। कार-सेवा को आप समझने की कोशिश कीजिए। जो आदमी गुरुद्वारे में जाता है और खुदा में यकीन रखता है, उसको पूरा हक हासिल है कि वह गुरुद्वारे में जाकर सेवा करे।

अगर कोई टूट-फूट न हुई होती तो मैंने हजारों सिक्खों और हिन्दुओं को वहाँ देखा है जो अपने कपड़े धोकर परिक्रमा साफ करते रहते हैं। वह भी कार सेवा है। अन्य लोग भी वहां कार सेवा करने आए हैं और आ रहे हैं। चाहे बाबा खड्गसिंह आए या बाबा सन्तासिंह आएं, हर सिक्ख को पूरा हक हासिल है कि वहां जाए।

मैं पूछना चाहता हूं कि यह बात कौन सी अकाली पार्टी के आइने में लिखी गई है कि गुरुद्वारे में कार सेवा फलां सिक्ख ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। उसकी क्या क्वालिटीज होगी, क्या क्वालीफिकेशन होगी ? क्या आप कोई ऐसा उदाहरण मुझे बता सकते हैं। हर सिक्ख जो अपने को सहजधारी कहलवाता है, गुरुद्वारे जाकर कार सेवा कर सकता है। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती।

मैं हैरान हुआ कि कैसे बाबा सन्तासिंह के खिलाफ हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इन्होंने भिण्डरावाले के खिलाफ क्या कभी कोई हुक्मनामा जारी किया या ये उससे डरते थे कि उसके पास अपनी फौज है। जब इस किस्म की वहां वारदातें हो रहीं थीं, लड़कियों को जलाया जा रहा था, आदमियों को कत्ल किया जा रहा था; लाशों को बाहर निकालकर फेंक दिया जाता

था, डी.आई.जी. को मारा जा रहा था और दूसरे सैकड़ों लोगों को मारा जा रहा था, तब ऐसा क्यों नहीं हुआ ;

प्रो. अजितकुमार मेहता (समस्तीपुर) : उस वक्त सरकार सब कुछ चुपचाप देखती रही।

श्री जी. एस. निहाल सिंहवाला : यदि आपको कोई वाकफियत नहीं तो आप छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों झगड़े में पड़े हो। स्पीकर साहब, दुनिया में कोई असूल की की बात भी होती है कोई इखलाख की भी होती है। अकाली पार्टी के प्रधान टोहरा साहब, एस जी पी सी के प्रधान थे, सरदार सुरजीतसिंह बरनाला, इस हाउस में मिनिस्टर रहे और बाद में पंजाब में चीफ मिनिस्टर भी रहे। उन्होंने जिस आइने की कसम खाई, जिसका हलफ उठाया, यदि वे उसको जलाते हैं और फिर कहें कि हम हिन्दुस्तान के वफादार हैं, उनको ऐसा कहने का कोई हक नहीं है।

कोई भी आदमी यदि हिन्दुस्तान का आइना जलाता है, हिन्दुस्तान का झण्डा जलाता है और उनके साथ हमारे कुछ साथियों के ताल्लुकात गहरे हों तो आप बताइए क्या वह अपने आप को वफादार कहलवा सकता है। ये अभी भी अकाली मित्र कहते हैं।

वाजपेयी जी ने यहां पर सिक्खों का नाम लिया, अकालियों की जगह, मैं समझता हूं कि ऐसा करके उन्होंने सबको एक ही भाव लगा दिया। आईन को जलाने वाले भी, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले भी, उन सबको सिक्ख कहकर एक साथ शामिल कर दिया। मैं समझता हूं कि सिक्खों की ज्यादती है। उन्होंने जो कुछ किया है, उससे ज्यादा हिन्दुस्तान के झण्डे की तौहीन हो नहीं सकती थी, जितनी उन्होंने की है। मैं उसको मुल्क के साथ सबसे बड़ी गद्दारी समझता हूं।

स्पीकर साहब यहां यह बात बड़ी देर तक चलती रही कि ये मैडरेट सिक्ख हैं, ये एक्सट्रीमिस्टस हैं, भिण्डरावाला वह है, टोहरा दोनों के पास जाता है। यह सारी बातें गलत हैं। इन सबका एक ही प्रोग्राम था। मैं अब भी कहता हूं कि जब भिण्डरांवाला जिन्दा था तो यहां तीन दफा तकरीर हुई और मैंने तब भी कहा कि ये सब एक हैं उनमें कोई मैडरेट नहीं है या कोई एक्स्ट्रीमिस्ट नहीं है। बल्कि मैं तो यह भी कहता हूं कि उनसे फौलोवर आज भी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि कौन रोक सकता है खालिस्तान बनने से, आज का तहसीलदार कहता है मैं कमिश्नर बनूंगा। यह बीमारी पंजाब में क्यों आई। यह बीमारी जाटों और किसानों में लाई गई। वे तो सीधे साधे थे, उनको तो समझाया जा सकता था। सोए को तो जगाया जा सकता है लेकिन जागता हुआ आंख बन्द कर ले तो उसको नहीं जगाया जा सकता।

इस समय जो आफिसर वहां हैं, उन्होंने यह बीमारी फैलाई है जितने आई सी एस, आई ए.एस. और पी. सी. एस. हैं, उनकी वजस से यह बीमारी फैली है। एक दफा इनको मौका मिला था, जिस समय 1947 में हिन्दुस्तान आजाद हुआ था तो उस समय ज्यादातर आफिसर मुसलमान थे। जिनके चले जाने बाद इनको ऐसा जम्प मिला कि जो हैड कान्सटेबल था, वह डी आई जी रिटायर हुआ और जो नायब तहसीलदार था, वह कमिश्नर रिटायर हुआ। क्योंकि अंग्रेज

तो चले गए, इस कारण उनको जम्प मिला, जगह खाली हो गई थी। अब भी ये समझते हैं कि जितने हमारे लड़के हैं, कहीं हाई कमिश्नर, कहीं अम्बैसेडर हो।

कहीं हाई कमिश्नर और कहीं ऐम्बैसेडर। इन सब की नीयत बद हैं, यह खालिस्तान चाहते थे, और कोई डिमान्ड नहीं थी। क्यों निगोशियेन्स पूरे नहीं हुए ? तीन पार्टियां थीं। एक ने अपनी डिमान्ड्स रखीं, दूसरी ने कहा नहीं आनन्दपुर साहब रिजोल्यूशन जरूर पूरा करना है। अगर सरकार ने नहीं माना, या इन्हें समझाया तो तीसरा दल बैठा है राइफल लिए हुए कि मना कर आओ, फिर मैं देखता हूं। यह सब बाहर जा कर एक जबान ही बोलते थे। तो इनकी नीयत बिल्कुल बद थी। यह सिख कौम को तबाह करना चाहते थे, भट्टे में झोंक देना चाहते थे और हिन्दुस्तान के टुकड़े करना चाहते थे।

आपको पता है कि एस०जी०पी०स० की बड़ी जिम्मेदारी हैं, वहां की मुन्तजिम है। जब इतना कुछ हो रहा था तो एस०जी०पी०सी० नहीं बता सकी पुलिस अफसरों को केन्द्र सरकार की और अपोजीशन के लोगों को कि इस किस्म के आदमी अन्दर दाखिल हो गये हैं और ऐसी वारदातें कर रहे हैं जिससे गुरुद्वारे की सैंक्टिटी खत्म हो गई है, हमारा मुंह काला कर दिया है दुनिया में। इसका भाई कोई रास्ता निकालो। लेकिन किसी ने नहीं कहा। जब मोर्चे लग रहे थे, सैंड बैग्स आ रहे ये ट्रकों में भरे हुए तो क्या उनको नजर नहीं आते थे ? कैसे कह सकते हैं कि उनको इल्म नहीं था ? मैं समझता हूं कि वह सब जानते थे। मैं समझता हूं कि सरकार की फराकदिली है कि किसी के जज्बात को न भड़काया जाय यह सोच कर चुप रही। वोना एस०जी०पी०सी० के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ लाजिमी तौर पर केस रजिस्टर होने चाहिये जिन्होंने यह मुल्क, गुरुद्वारे और सिख कम्युनिटी के खिलाफ करवाये।

मैं मानता हूं कि अपोजीशन पार्टी के ताल्लुकात होते हैं लेकिन जिससे भी ताल्लुकात हो वह किसी पार्टी का लीडर तो हो। अकाली पार्टी के लीडर्स के साथ इनकी बातें हों, एस०पी०सी० के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि भिन्डरवाले से किस हैसियत से अपोजीशन बात कर रहा था ?

श्री जी०एस० तिवाना

कुछ माननीय सदस्य : कभी नहीं कर रहे थे।

मैं किसी का गलत नाम नहीं लूंगा, बल्कि जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं जो मुझे मालूम हैं वही बात मैं करूंगा। फारूक अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर थे कश्मीर के तो 6 दफा खुफिया तौर पर भिण्डरवाला को मिल कर आये। फोटो मौजूद है। क्या हैसियत थी उसकी ? क्यों फारुक साहब उससे मिलने गये ? क्या वजह थी ? क्या इससे नीयत का पता नहीं लग सकता ? मैं यहां तक बता सकता हूं कि फारुक साहब के ड्राइंग रुम में दो फोटो थीं एक भिन्डरवाले की अकेले और दूसरी भिन्डरवाले और फारुक साहब के साथ साथ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : भिन्डरवाले का सम्बन्ध मालूम है, अपनों के था इसलिये मत बोलिये।

यह भी आप सब को इल्म है कि स्वामी जी वहां गये, एम० पी० साहब, पता नहीं

किसलिये इनकी पार्टी ने इनको सजा दी, शायद इसीलिये दी कि वहां गये और मुलाकात की। अगर पार्लियामेंट में आते हुए इनको कोई थोड़ी सी अड़चन पड़ जाये तो यह यहां शोर मचा देंगे लेकिन जब भिंडरवाले को ये स्वामी जी मिलने गये तो वहां 6 दफा इनकी तलाशी ली गई जिससे कि यह कोई वैपन अपने साथ न ले जायें. लेकिन इनको वहां कोई गुस्सा नहीं आया और यह उनके साथ मिलकर आये। यहां आकर ये क्या बयान देते हैं—"कि वहाँ तो ना कोई एक्सटी. मिस्ट है, ना कोई वैपन है, वहां तो हाथ में पकड़ने के लिये लकड़ी की सींटी भी नहीं है।" क्या बात है?

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : यह हाल है आप लोगों का।

(व्यवधान)

श्री जी० एस० निहालसिंहवाला : हम उस कम्युनिस्ट में से में जिस कम्युनिटी के गुरुओं ने दुनियां में हर इंसान का भला मांगा, सरबत का भला।

यह जो भाखड़ा कनाल में पानी में, जिनके पास नहीं है, उनके लिये अमृत है। इस पानी में बेशतर हिस्सा सिखों की जमीन से लगता है। गंगानगर. करनाल डिवीजन, सरसा और फतेहाबाद का बेशतर हिस्सा सिखों के पास है। उन लोगों ने दो बार नहर काटी, 2.3 करोड़ का खर्चा हुआ और अरबों रुपये की फसल तबाह हो गई और ये सरबत के भले की बातें करते हैं और क्लेम करते हैं कि हम उन गुरुओं के चेले हैं।

कल मेरी स्पीच सुनने के बाद, दरबार साहब के बाबाजी अकाल तख्त वाले कृपालसिंह जी अगर गुरुद्वारे की मरम्मत करने वालों के खिलाफ हुक्सनामा कर सकते हैं तो उन्हें नहर काटने वालों के खिलाफ हुक्मनामा निकालना चाहिये था, जिन्होंने हिन्दुस्तान के साथ जुल्म किया, लोगों के साथ जुल्म किया।

आखिर में मैं यही कहूंगा कि इतनी बड़ी जद्दोजहद और इतना बड़ा नुकसान उठाने के बाद हमारी फौज की वजह से जो हमारी बचत हुई, फायदा हुआ, उसके लिये पंजाब के सिख भाइयों को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिये। और बाबा सन्तासिंह को हर सिख को शुक्रिया अदा करना चाहिये। यह कहकर मैं बैठता हूं

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात भूल गया जो कि वाजपेयी जी को कहना चाहता हूं।

"यह कार सेवा सिख मर्यादा के मुताबिक नहीं है।
—डा० बलदेव प्रकाश।"

डा० बलदेव प्रकाश भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, वह सिख मर्यादा हमको सिखायेंगे?

श्री राम विलास पासवान : इनके मन की बात हो तो खबर सही है, मन के लायक खबर न हो तो गलत है।

श्री सी. टी. दण्डपाणि (पोल्लाची) : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया श्वेत पत्र समाचार-पत्रों से ली गई और संकलित की गई कुछ खबरों के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

महोदय, जब हमने पिछली बार पंजाब के मसले पर विचार विमर्श किया था तो हमने यह मांग भी की थी कि सरकार द्वारा श्वेत पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि भावी कार्यवाही अथवा उन दिनों हुई घटनाएं जनता को मालूम हो सकें। लेकिन सरकार ने उस समय इस रिपोर्ट को प्रस्तुत न करने का निर्णय किया। लेकिन सेना की कार्यवाही के बाद इसे प्रस्तुत किया गया है।

अकाली मसलों के बारे में इस श्वेत पत्र में कुछ पृष्ठ हैं जो बताते हैं कि उन्होंने अकाली दल की गतिविधियों और आतंकवादियों से किस प्रकार निपटा है। इस प्रतिवेदन में अकालियों द्वारा तब शुरू किए गए आन्दोलन के बारे में भी बताया गया और उनकी मांगे जनता तथा सरकार के समक्ष किस प्रकार पेश की गई थी।

यह भी उल्लेख किया गया है कि वे किस प्रकार हथियारों से सज्जित थे, आतंकवादी गतिविधियों में लगे हुए लोगों द्वारा किस प्रकार हथियार और गोला बारूद जमा किया गया था और इन लोगों को किस प्रकार अकालियों का समर्थन मिल रहा था। श्वेत पत्र में इन सभी बातों का उल्लेख किया गया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को इन सभी बातों का अब अथवा सैनिक कार्यवाही के बाद पता चला है अथवा सरकार को इस बारे में पता था जब ये सभी घटनाएं हो रही थीं। कुछ अन्य मामलों में भी सरकार ने दायित्व से यह कहकर बचने का प्रयास किया है कि सरकार की आसूचना सेवा अच्छे स्तर की नहीं थी अथवा यह असफल रही थी। लेकिन अपनी जानकारी के अनुसार मैं समाचार पत्र की खबरों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं।

> "भूतपूर्व महानिरीक्षक पुलिस (कानून और व्यवस्था) श्री पी० एस० भिण्डा, जिनका हमने अपने पद से 'त्यागपत्र' देने से पूर्व ही इंटरव्यू लिया था, के अनुसार "खुफिया जानकारी उन स्थानों पर पहुंच जाती थी जहां इसे पहुंचना चाहिए। यह एक राजनीतिक विफलता है।

आगे वह कहते हैं :

> "भिंडरावाले रातों-रात नहीं उत्पन्न हुए, उन्होंने कहा है "यह एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिनका सभी ने उपयोग करने का प्रयास किया और वह सभी के नियंत्रण से दूर हो गए।"
>
> "पंजाब के भूतपूर्व गृह सचिव श्री ए. एस. पोन्नी द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी जो स्वर्ण मन्दिर में सेना के प्रवेश करने के दिन से ही "खराब स्वास्थ्य" के आधार पर छुट्टी पर चले गए थे।"

पुनः इस तरह से समाचार प्रकाशित हुआ है।

"पंजाब में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से बताया है कि खुफिया विभाग (सी. आई. डी.) ने लाइट मशीन गनें, राइफलों, स्टेनगनों, दोनाली बन्दूकों, पिस्तौलों, टैलीस्कोपिक राइफलों और अत्यन्त विस्फोटक सामग्री, जो उग्रवादियों के पास थी, के बारे में सरकार को विस्तृत जानकारी दी थी। इन स्रोतों के अनुसार वास्तव में खुफिया विभाग के पास स्वर्ण मन्दिर परिसर के अन्दर आतंकवादियों की गतिविधियों के विस्तृत नक्शे थे। "लेकिन सेना ने ये जानकारी देने के लिए कभी नहीं कहा।" उन्होंने बताया।

श्री टी. सी. दण्डपाणि : इसमें आगे कहा गया है, और मैं उद्धृत करता हूं—

"अमृतसर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा हैं कि दिल्ली तथा चंडीगढ़ से कई बहुत महत्त्वपूर्ण व्यक्ति बार-बार अमृतसर गए। उसने कहा कि उन्होंने उन्हें स्वर्ण मन्दिर के भीतर की गई किलेबन्दिता दिखाई।"

श्री मती सुखवंस कौर (गुरूदासपुर) : महोदय, समाचार पत्र की खबर सही नहीं है। यह बिल्कुल गलत है। पुलिस महानिदेशक (कानून तथा व्यवस्था) श्री पी. एस. भिंडर ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था और उन्होंने इस समाचार का खंडन किया हैं। महोदय इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सी. टी. दंडपाणि : यह बात 8 जुलाई, 1984 के 'सन्डे स्टेट्समैन' में कही गई है। वह इसका खंडन कर सकते हैं। एक और महानुभाव श्री ए. एस. पूनी, पंजाब के भूतपूर्व गृह सचिव ने भी इसकी पुष्टि की है। उसने इसका खंडन नहीं किया है। इसलिए, मैं समझता हूं कि इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल किया जा सकता है.

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, जब सम्बन्धित व्यक्ति ही इसका खंडन कर चुका है.....

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : जब स्वयं श्री भिंडर इसका खंडन कर चुके हैं, तो श्री पूनी किस बात की पुष्टि करेंगे ? पूरी मूल कहानी ही समाप्त हो जाती है। श्री भिंडर के प्रति पूरी निष्पक्षता के नाते इसे वापिस लिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दंडपाणि जी, जब यह सही ही नहीं है, तो इस तर्क को छोड़ दीजिए : अन्य तथ्यों की ओर आगए।

श्री सी. टी. दंडपाणि : उनके अनुसार, सरकार इस तथ्य से भली भांति अवगत थी कि स्वर्ण मन्दिर के भीतर लस्करी के हथियार कैसे पहुंचाए गए तथा इतने अधिक हथियार वहां कैसे पहुंचे। पंजाब में खुफिया विभाग की रिपोर्ट पर सरकार ने कार्यवाही क्यों नहीं की ? सरकार ने कार्यवाही करने में विलम्ब क्यों किया तथा इसके क्या कारण थे। मैं सरकार से यह जानना

चाहता हूं। इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं।

श्री चक्रवर्ती ने भिन्डरावाले के बारे में एक बहुत प्रासंगिक प्रश्न किया है भिन्डरावाले के परामदर्शता कौन थे ? उन्हे कौन आगे लाया ?

एक माननीय सदस्य : वह भगवान की कृति थे।

श्री सी० टी० दंडपाणि : यदि आप यह दावा करते हैं कि आप भगवान हैं तो ठीक है।

इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। कई अवसरों पर जब सरकार को कार्यवाही करनी एाहिए थी और भिन्डरावाले को गिरफ्तार करना चाहिए था, उस समय सरकार अपने कर्तव्य में असफल रही तथा उसे बिना किसी जमानत या किसी प्रतिज्ञान या मुचलके के जेल से छोड़ दिया गया। इसलिए मैं यह अवश्य कहूंगा कि उसे कांग्रेस पार्टी ख्याति में लाई वह कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे ?

(व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्री मती इंदिरा गांधी) : यह बिलकुल भी सही नहीं है। सभी सम्बन्धित व्यक्ति यह बात स्पष्ट कर चुके हैं।

श्री सी० टी० दंडपाणि : यह बात एक समाचार—पत्र में कही गई है ?

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : कौन सा समाचार पत्र ?

श्री सी० टी० दंडपाणि : 'दी वीक'

श्रीमती इन्दिरा गांधी : क्या वह ईसोपदेश है, बाइबल, गीता या कुरान है ? मैं यह जानना चाहती हूं।

श्री सी० टी० दंडपाणि ; यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह किसका अखबार हैं तथा उकको क्या मान्यताएं हैं——(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया तथ्यों की ओर आइए।

श्री सी० टी० दंडपाणि : महोदय, वे भिंडरावाले के विरूद्ध कोई कार्यवाहीं न कर पाये ?

एक और महत्वपूर्ण बात है। विपक्षी दलों ने सरकार के समक्ष कुछ ठोस सुझाव रखे थे। मैंने भी दो बैठकों में भाग लिया था। हमने कुछ ठोस सुझाव दिए थे, लेकिन श्वेत पत्र में ये हमें कहीं दिखाई नहीं दिए।

साथ ही श्वेत पत्र में घटनाओं की सूची दी गई है। इसके अनुसार, 1981 से 2 जून, 1984 तक 561 घटनाएं हुई। 20 मार्च, 1981 से 21 दिसम्बर, 1981 तक केवल 28 घटनाएं हुई। 21 जनवरी, 1982 से 24 दिसम्बर, 1982 तक 32 घटनाएं घटीं। तदुपरान्त 10 जनबरी, 1983 से 25 दिसम्बर, 1983 तक 130 घटनाएं हुई। और उसके बाद 5 जनवरी, 1984 से 2 जून, 1984 तक के पाँच महीनों में घटनाओं की संख्या 363 थी। इससे क्या पता चलता है ?

ऐसा इसलिए हुआ कि सरकार निष्क्रिय थी, उसकी ओर से सौहार्द पूर्ण समझौते का कोई प्रयास नहीं किया गया। ये घटनाएं वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती गई।

एक और महत्वपूर्ण बात है और उसे श्वेत पत्र में पढ़कर मुझे हैरानी हुई है। यह न केवल यहाँ अप्रासंगिक हैं, बल्कि इसकी किसी को भी कोई आवश्यकता नहीं है। पृष्ठ 70 में कहा गया :

"भारत की जनता इस बात को स्वीकार नहीं करती कि भारत एक बहुराष्ट्रीय समाज है।"

मैं विनम्रता पूर्वक इस कथन से असहमत हूं।

श्री ए० के० सेन (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : आपने शपथ ली है।

श्री सी० टी० दंडपाणि : वह एक अलग बात है। है इससे असहमत हूं। अब कई राष्ट्रीयताएं हैं।

अध्यक्ष महोदय : यहाँ केवल एक राष्ट्रीयता है; भारतीय राष्ट्रीयता अन्य कोई राष्ट्रीयता नहीं है।

श्री सी० टी० दंडपाणि : यहाँ बहुत सी राष्ट्रीयताएं हैं, लेकिन हम एक राष्ट्र के रुप में रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह सब मत कहिए। यह संविधान का प्रश्न है। राष्ट्र केवल एक है।

गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : केवल एक राष्ट्र है। बहुराष्ट्रीय का अर्थ हैं कई राष्ट्र। क्या आप यह कह रहे हैं कि इस देश में कई राष्ट्र हैं?——(व्यवधान)

श्री विक्रम महाजन (काँगड़ा) : यह अंग्रेजी भाषा हैं। यदि आप सही प्रयोग नहीं जानते तो आपको ऐसी भाषा में बोलना चाहिए जिसमें आप अपने आपको ठीक से व्यक्त कर सके—(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : यह टिप्पणी उचित नहीं है।

श्री सी० टी० दंडपाणि : जो तथ्य मैंने दिए है, उनके बारे में मुझे पूर्ण जानकारी है। मैं बता रहा हूं कि शब्दकोष में भी 'राष्ट्रीयता' शब्द के लिए दिया गया है, 'लोगों का ऐसा समूह जिनकी सांझी विशिष्ट, जातीय तथा भाषायी, सांस्कृतिक प्रकृति के हो और जिससे ऐसे समूह को एक राष्ट्र का स्वरुप प्राप्त हो।' वैबस्टर न्यू इन्टरनेशनल शब्दकोष के पृष्ठ 1505 में यह अर्थ दिया हुआ हैं।

चीन में पचास राष्ट्रीयताएं हैं। उनसे एक राष्ट्र बनता है सोवियत संघ में भी ऐसा ही है। इसलिए, यह मुद्दा वाद—विवाद योग्य है। मैं यह बात उस समय विशेष तौर पर कहूंगा जब

जब हम केन्द्र राज्य सम्बन्धों की बात कहते हैं कि इस प्रकार के विचार की ओर संकेत नहीं किया जाना चाहिए ।

दूसरे, केन्द्र—राज्य सम्बन्धों के बारे में सरकारिया आयोग गठित किया गया है । हम इसका स्वागत करते हैं । लेकिन हमें यह भी याद है कि जब डी. एम. के. सत्ता में थी तो हमने श्री राजामन्नार की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था । श्री चन्द्र रेड्डी, सेवा—निवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा मद्रास विश्वविद्याल के कुलपति, श्री लक्ष्मण स्वामी इसके सदस्य थे । उन्होंने केन्द्र सरकार से इन सुझावों पर विचार करने के लिए अनुरोध किया और कहा कि यदि सरकार उचित समझे तो वह राज्य सरकार की बातचीत के लिए निमंत्रित करे या सरकार एक और आयोग का गठन करे ताकि केन्द्र—राज्य सम्बन्धों पर विस्तार से चर्चा हो सके । हमने 1972 में यह सुझाव केन्द्र सरकार को दिया था । लकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया ।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सारी बातें श्वेत पत्र में हैं ?

श्री सी० टी० दंडपाणि : हमारा सुझाव स्वीकार नहीं किया गया था । अब सरकार ने एक आयोग का गठन किया है, जिसका नाम है सरकारिया आयोग । हम उसका भी स्वागत करते हैं । हम आशा करते हैं । कि सही ढंग से कार्य करेगा तथा अपनी सिफारिशें देगा, ताकि केन्द्र. राज्य सम्बन्धों पर सौहार्दपूर्ण समझौता हो सके ।

इससे पूर्व कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, मैं अपने दल की ओर से कहना चाहूंगा कि स्वर्ण मन्दिर से सेना तुरन्त हटाई जानी चाहिए । सेना मन्दिर से बाहर रह सकती है, ताकि भक्तजन बिना किसी कठिनाई के वहां जा सकें ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए ।

श्री सी० टी० दंडपाणि : केवल एक बात और । सरकार स्वयं कहती है कि अकाली नेताओं में से बहुत से दल के हैं; वे जेलों में हैं, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए, ताकि भावी कार्यक्रम के लिए सरकार उनसे बातचीत कर सके ।

श्री आर. एस स्पैरों (जालंधर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी विभिन्न अवसरों पर इस सम्मानित सदन में तथा अन्यत्र भी पंजाब की समस्याओं के सम्बन्ध में बोल चुका हूं ।

श्वेत पत्र में पूरे मामले के सभी तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट हुए हैं और स्थिति का पुनरीक्षण किया जा रहा है तथा अब सदन को विचार करना है ।

श्वेत पत्र में उजागर दिए गए तथ्यों से इस सम्बन्ध में अर्थ और निष्कर्ष सहज ही निकाले जा सकते हैं । अत: इसमें केवल तथ्य ही नहीं हैं, बल्कि इसके निष्कर्षों से आसानी से समझा जा सकता है कि वहां क्या हो रहा है, और स्थिति क्या है तथा यह सब कैसे हुआ । जो कुछ हमने अनुभव किया है उसका परीक्षण करने पर यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारत राष्ट्र को संकट में दुखद और त्रासदायक घटना के लिए कौन दोषी है एक बार समस्त बातों का परीक्षण करने पर यह समझ में आ जाता है और इस बात का ठीक ठीक ज्ञान आसानी से हो सकता है कि

सारी मुसीबत कहां है और आज यही सब किया जा रहा है और अपने क्षुद्र तथा दीर्घ कालीन हितों की प्राप्ति हेतु बाहरी तथा आन्तरिक शक्तियों को देश के अन्दर किस प्रकार विघटनकारी तथा निर्भय शक्तियों से सहायता तथा सहयोग प्राप्त हो रहा है। यह एक संक्षिप्त बात है जिसका स्थिति से और जो एक संक्षिप्त बात है जिसका स्थिति से और जो चर्चा हम आज करने जा रहे हैं, उससे सम्बन्ध हैं।

मैं अब आपके समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहता हूं जिनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं; और मैं यह दोहराना चाहता हूं कि यह प्रश्न एक राष्ट्रीय प्रश्न था और है। मुझे आज भी दुःख है, मैं जानता हूं कि इस संबंध में विभिन्न दलों ने इस सम्बन्ध में कार्य किया। मेरी केवल इतनी इच्छा है कि इस समूचे प्रश्न पर एक राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में विचार किया जाना चाहिए था जिससे उलझनें और दुःखद घटनाएं जिनका होना निश्चित हो गया था नहीं हुई होती।

हमारा देश, भारत, जो मेरे विचार से समूचे विश्व में सबसे अच्छा है, चाहे हम इसे सभ्यता की दृष्टि से देखें या कि संस्कृति, विकास, ज्ञान, संचित ज्ञान और श्रम शक्ति आदि की दृष्टि से यह देश बहुत सुन्दर है और यह बड़े खेद की बात है कि संभवतः हम में से कुछ लोग गुमराह हो गए है और उनका गलत मार्गदर्शन किया गया है और वे इस देश की महत्ता को समझ नहीं सके हैं और विशेषकर उस समय जब कि शताब्दियों के पश्चात कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक फैला हुआ हमारा देश इस उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा खंड है।

एक माननीय सदस्य : लक्षद्वीप से हिमालय तक।

श्री आर. एस. स्पैरो : मैं जानता हूं, मैं इसे भूल नहीं सकता। मुझे भूगोल का अच्छा ज्ञान है, यह हमारी जन्मभूमि है। जैसा कि एक कवि ने कहा है :—

"वहां एक पुरुष सांस लेता है,
जिसकी आत्मा इतनी मर चुकी है,
जिसने यह कभी नहीं कहा,
कि यह मेरी जन्मभूमि है।"

इस संदर्भ में, हमें अपने देश के करोड़ों लोगों, जिनकी हमें देखभाल करनी है, के लाभ के लिए उस पर विचार विमर्श करना होगा। और यह देश आपको प्रेरणा देता है क्योंकि हमारी यह भूमि में बहुत से ज्ञानी ऋषियों, मुनियों, भक्तों, पीर अवतार, पीर—पैगम्बरों, महात्माओं, गुरुओं, स्वतंत्रता सैनिकों, योद्धाओं की भूमि है जिसका अन्य देश दावा एवं आशा भी नहीं कर सकते।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उन्होंने अपनी बात सिद्ध सभ्यता से आरंभ कर दी है। इसमें बहुत समय लगेगा। उन्हें पंजाब की बात करनी चाहिए।

श्री आर. एस. स्पैरो : आधुनिक युग में भारत ने महान शक्तिशाली देश का स्वरूप प्राप्त किया है। हम विश्व के देशों में पहले चार शक्तिशाली देशों में आते हैं। इसमें कोई संदेह

नहीं हैं। इस स्थिति में मुझे चिंता यह है कि इस तरह से कुछ राष्ट्रों की हम से ईर्ष्या बढ़ गयी है। मैं आपको इस संदर्भ में बताना चाहता हूं और यह वर्तमान चर्चा का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ताकतों उनके द्वारा किए जा रहे गलत कार्यों की आपको जानकारी हैं तथा जो लोग इस समस्या को इस दृष्टि से देखते हैं उन्होंने यह सब कुछ किया है।

इन सभी बातों से तथा उनकी राजनैतिक—सामरिक गतिविधियों से ऐसा लगता है कि कुछ विदेशी ताकतें हमारे देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं और हमारा विघटन करना चाहती हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। मैं केवल इतिहास का ही नहीं भूगोल—राजनैतिक तथा आज विश्व में जो भौगोलिक—सामरिक दृष्टिकोण है उसका भी विद्यार्थी रहा हूं। इस बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं आपके समक्ष विचार करने के लिए कुछ प्रमाण रखूंगा। मैं कुछ उदाहरण देता हूं।

काराकोरम रोड पर जो सेबर जेट बिमानों की ध्वनि गूंजती है वह हमारे सिर पर खतरे की तलवार के समान लटकी हुई है। वह भी हमारे ही हथियाए गए क्षेत्र पर है। अभी भी हमारे जम्मू तथा कशमीर क्षेत्र का एक तिहाई हिस्सा तथा 30,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र उनके ताकतों के कब्जे में है। उनके द्वारा हमारे निकटतम पड़ोसी देश को परमाणु राष्ट्र के रुप में विकसित करने का विशेष प्रयास किया जा रहा है। मैं पी. टी. आई. 23 जुलाई, 1984 की एक रिपोर्ट उद्धृत करूंगा जिसका शीर्षक हैं "चीनियों द्वारा पाकिस्तान के परमाणु सयंत्रों पर काम किया जाना।" उसमें पी. टी. आई ने कहा है :—

"ब्रिटिश के दैनिक 'फाइनैशियल टाइम्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार, "चीन के परमाणु वैज्ञानिक पाकिस्ताके के परमाणु संयंत्र पर काम कर रहे हैं।

रिपोर्ट के मुखपृष्ठ पर, इस पत्र में वाशिंगटन स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों का उद्धरण देते हुए कहा गया है कि संयुक्त अमेरिका राज्य पाकिस्तान के गुप्त परमाणु संयंत्र में चीन के वैज्ञानिकों की उपस्थिति से चिंतित है—"

यह सब कहा गया है। दुरभि संधि से उसे परमाणु राष्ट्र बनाने का विशेष प्रयास किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त, उग्रवादियों को कुछ विदेशी ताकतों द्वारा कपटता से किस तरह सहायता दी जा रहीं है तथा दी रही थीं, यह 27 जून 1984 के ट्रिब्यून में प्रकाशित समाचार से देखा जा सकता। मैं इसका एक अंश उदृत करता हूं।

> "सीमा—पार से सूचना के अनुसार अमेरिकी की सी. आई. ए. और पाकिस्तान के गुप्तचर विभाग पाकिस्तान में विशेष कैंपों में उग्रवादियों को भारत विरोधी प्रशिक्षण देने में बड़ी सक्रियता से अंतर्गस्त थे।

इसमें आगे कहा गया है :

> "पाकिस्तान आर्टिलेरी रेजिमैंट के एक बिगेडियर द्वारा कसूर में सिखों के वेश में मुस्लिमों को प्रशिक्षण दिया गया था। प्रत्येक दल में 300 से 400 मुस्लिम थे और उन्हें 3-4 महीने तक प्रशिक्षण दिया गया।"

तत्पश्चात कुछ अन्य ऐसे स्थानों के नाम दिए गए हैं जहां इस तरह का प्रशिण दिया गया में जैसे अमीनाबाद, रहीम यार खान, अट्टोक फोर्ट, दाऊद फोर्ट आदि ।

साथ ही मैं अपने देश के जासूसी सैलों की बात पर आता हूं जिसमें भारत के सेवारत तथा सेवायुक्त जनरल रैंक के अधिकारी है इस बारे में मुझे आपको कुछ नहीं कहना । आप सब इस बारे में जानते हैं ।

अत: सीमा पार के क्षेत्रों तथा हमारी सीमा से दुरस्थ क्षेत्रों ने यह योगदान दिया है । यहां तक कि विदेशों के प्रतिक्षित निहंगों का भी स्वर्ण मंदिर में हुई घटनायें इस्तेमाल किया गया आपने इस बारे में पढ़ा है ।

यहां तक कि भोले-भाले सिख नौजवानों को पैसा, बन्दूकें और मोटर साइकिले देकर उनका दिमाग परिवर्तन करने और उन्हें शिक्षा देने के लिए विशेष प्रकार की कहानियां सुनता रहा । युवा सिखों को वश में किया गया; विश्व विद्यालय और कालेजों आदि में पैसा दिया गया । मैं स्वयं विश्व विद्यालय में छात्र रहा हूं, मैं कालेज की कुछ संगठनों का अध्यक्ष भी रहा हूं । वे समझते हैं कि हम कितने युवा हैं और कभी भी किस तरह उसके प्रभाव में आ जाते हैं । कोई भाषण देता हैं । और आप कहते हैं 'ठीक है' । इन छोटे अबोध बच्चों का गलत मार्ग दर्शन किया गया है उन्हें गलत प्रशिक्षण दिया गया हैं ।और फिर इस तरह के घृणित कार्य में लगाया गया हैं । अत: हमें बाहर सेइसके पीछे हमें बड़ा उद्देश्य नजर नहीं आतायह योगदान मिलता रहा है। क्या हमें उनके रास्ते पर चलना होगा ?

जिसका अर्थ है तोड़ फोड़ कर राष्ट्र विरोधी हरकते करना यह एक बड़ा मुद्दा है और मुझे यह जानकर बहुत खुशी है कि माननीया प्रधानमन्त्री पहले ही यह संकेत दे चुकी हैं हमारी सीमा के पास से तथा दूरदराज क्षेत्रों द्वारा हमें नीचे गिराने का, हमारा विघटन कराने, हमें टुकड़ों मे बांटने, इस सुन्दर देश की एकरुपता मिटाने तथा यहां एक प्रतिद्वंदी ताकत लाने का प्रयास किया गया है । अत: जहां तक पंजाब में उत्पन्न हुई मुश्किलों का सम्बन्ध है, यह इसका एक पहलू है, जिसका उस पर सीधा प्रभाव पड़ा । यह सब काम केवल भिंडरावाले का नहीं है ।

किसी सदस्य में प्रश्न पूछा कि उसे प्रशिक्षण किसने दिया था ? मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । क्या आप 13 अप्रैल,1978 का दिन याद करेंगे ? क्या आप निरंकारियों तथा कुछ अन्य लोगों को मार जाने की घटना का स्मरण करेंगे ? वह सब 1978 में हुआ । तब कीर्तनी जत्था और भिंडरावाले के अन्य साथियों ने अपने हाथों में लाठियां ली और आस-पास के लोगों को मारना शुरू कर दिया । तब किसका शासन था ? केन्द्र में जनता पार्टी का शासन था और पंजाब में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल थे । अर: सभी भिंडरावाले का प्रशिक्षण आरंभ हुआ । विपक्ष समय बर्बाद कर रहा था ? संभवत: आप इसकी पिछली कहानी नही जानते । अत: हमें इस मामले को ऐतिसासिक दृष्टि से देखना होगा ।

शेष कहानी अब आपके सामने है । मेरे कई मित्रों ने भी उस बारे में बताया है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं क्योंकि वह बात मेरे कुछ मित्रों ने नहीं कही है । वह

सैनिक कार्यवाही के बारे में है, सैनिक, नैतिक तथा राष्ट्रीय और धार्मिक दृष्टि से अपराधियों द्वारा स्वर्ण मन्दिर को सैनिक अड्डा बनानाएक घोर दुष्कार्य था । यहीं से गड़बड़ी शुरू हुई ।

4.00 म. प.

यह और कुछ नही अपितु भारत सरकार के लिए एक सीधी सैनिक चुनौती थी । आयोजक और अपराधी वहाँ सैनिक अड्डा कैसे बना सके, उसे शस्त्र और गोला बारूद रखने बंदूके तथा एम- एम. जी तोपे रखने का स्थान कैसे बनाया गया वहाँ खाइयाँ कैसे बनी और रेत की बोरियां कैसे रखी गई और फिर हमसे यह आशा की गई कि हम विश्वास करे कि यह हिंसात्मक स्थिति नहीं है पूरी सैनिक तैयारी थी यह सब किसके विरुद्ध था ? उन पर कोई हमला नहीं कर रहा था । वे यह अड्डा किस लिए बना रहे थे ।? संभवत: वे विदेशियों की सांठ गाँठ से पूरा पंजाब हथियाना चाहते थे ।

वे दूसरा लेबनान बनाना चाहते थे । यदि आतंकवाद बनाए रखने की अनुमति दी गई होती, ती यह गृह युद्ध में बदल जाता । निश्चित रूप से यह एक सीमा क्षेत्र है और बहुत ही नाजुक क्षेत्र है । आपने एक दूसरे को मारना आरंभ कर दिया था । और एक बार आपस में लड़ाई आरंभ होने पर, कोई नहीं जानता कि यह कहाँ समाप्त होगी । तब अपराधी इस लड़ाई में शामिल होते हैं और हर तरह के आवांच्छनीय लोग यहां पर आते हैं और विना इस पर विचार किए कि कौन किसको मार रहा है, लड़ाई आरंभ हो जाती है । लेबनान में यही सब हो रहा है पी. एल। ओ. संगठन ने यहूदियों के विरुद्ध लड़ाई शूरू की । तब क्या हुआ ? ईसाइयों और मुसलतानों ने भी लड़ना शुरू किया और अंत में मुसलमान लोग ही आपस में लड़ने लगे । परिणाम क्या हुआ है ? केवल बेरुत में ही 12.000 बच्चे ऐसे हैं जिन्हे अपने माता–पिता के बारे में पता नही है । विभिन्न संगटन उन्हे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं और वे अबोध बच्चे नहीं जानते कि उनके माता पिता कौन है ।

कम्पूचिया में भी यही स्थिति हैं । इन स्थानों में भी ठीक उसी प्रकार इसकी शुरूआत हुई थी ।

पंजाब के बाद, यह स्थिति कादमीर में हो सकती है, अन्य स्थानों में हो सकती हैं और छल प्रपंच वाली शक्तियों ने उन्हें प्रोत्साहित किया होगा । पंजाब में जो कुछ हो रहा हैं उसकी प्रतिक्रिया देश भर में हो सकती है । उसके बाद संभवत: उन्होंने उत्तर पूर्व में दक्षिण में और कहीं और भी कुछ किया होता । यदि हम यही स्थिति बनी रहने देते तो इसी प्रकार का दृश्य उपस्थित होता जैसा कि हमने देखा था ।

हम लोग माननीय प्रधानमन्त्री के अत्यन्त आभारी हैं कि उन्होंने स्थिति पर नियन्त्रण रखने के लिए उपयुक्त समय पर कार्यवाही की । मैं उसी स्थान का हूं । जो लोग उस क्षेत्र से दूर रहते हैं वे हम लोगों को कहने तथा सलाह देने का प्रयास करते हैं । यह समझने योग्य बात है । किन्तु जो वहां रहता है वह अधिक अच्छी तरह से जानता हूं कि वहाँ की स्थिति क्या है । जो

लोग दूर रह रहे हैं उन्होंने उन लोगों को नहीं देखा है जो लोग मारे जा रहे हैं।

एक दिन ज्ञानी प्रतापसिंह मारे गए थे, जो 84 वर्ष के थे, जो बहुत ही उत्तम स्वभाव के सिख थे जो बहुत ही गुण सम्पन्न अच्छे स्वभाव के सिख थे, जो अकाल तख्त के सुयोग्य जत्थेदार थे और जो अकाल तख्त के बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति थे। उन्हे मार दिया गया। उन्हें क्यों मारा गया। क्योंकि उन्होंने यह कहा था कि इस पवित्र मन्दिर के अहाते के अन्दर अमुक-अमुक बातें नहीं होनी चाहिए। उनका केवल इतना ही कसूर था जिसके लिए उन्वे मार डाला गया।

दूसरे व्यक्ति श्री तिवारी थे जो उत्तम कोटि के पंजाबी विद्वान तथा एक माननीय संसद सदस्य थे, उनकी अकारण हत्या कर दी गई। इन निर्दोष व्यक्ति को कुछ लेना देना नहीं थी, तो भी आतंक और अव्यवस्था फैलाने के लिए उनकी हत्या कर दी गई जिससे वे लोग वहीं और झगड़ा फसाद फैला सकें।

अन्ततोगत्वा, किसान-खेत मजदूर दल पंजाब के चेयरमैन की हैसियत से मैं माननीया प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं। इस हैसियत से लाखों लोग मुझे सुनते रहे। मैं सारे गांवों से परिचत हूं और मैंने उनमें भ्रमण किया है तथा मैंने उन्हें देखा है। मुझे मालूम है कि उसके बारे में वे लोग क्या महसूस करते हैं और क्या सोचते हैं।

(व्यवधान)

कुछ भी हो, आप (विरोधी दल के सदस्य) उस स्थान से बहुत दूर रहते हैं। मैं जो कुछ कहना चाहता हूं, उसे मुझे कहने दीजिए। अत: उस हैसियत से मैं विशेष रूप से आपको माननीय प्रधान मंत्री) को उन्हें सभी प्रकार की मुसीबतों से बचाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि अब वे लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वे सुरक्षित हैं।

अपराधियों और आतंकवादियों की कमर अब टूट चुकी है। इसमें कोई संदेह नहीं है। किन्तु शेष आतंकवादियों को अभी मिटाना बाकी है।

मेरे कुछ मित्रों का कहना है कि सशस्त्र बलों को हटा लिया जाय, अमुक-अमुक वापिस बुला लिए जायें और अमुक-अमुक वस्तुएं सौंप दी जायें। मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं है। किन्तु शांतिपूर्वक इस बात का निर्णय तो लेना ही होगा कि वे इसे कब वापिस बुलायें और उसे कब वापिस बुलायें। किन्तु सर्वप्रथम कोई भी कार्य आपके लाभ के लिए तथा प्रत्येक के लाभ के लिए होना चाहिए। ऐसा करने से पूर्व निश्चित रूप से वहां जन-जीवन सामान्य हो जाना चाहिए। किन्तु, महोदय, मुझे एक बात का अत्यधिक दु:ख है। मैंने कुछ ऐसे भाषण सुने हैं जिनके सुनने की मुझे आशा नहीं थी।

सारे भाषण ऐसे नहीं थे, कुछ बहुत अच्छे थे। किन्तु विरोधी दल के कुछ लोगों के भाषणों ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि वे सिखाए हुए थे तथा राजनीति से प्रेरित थे। ऐसा करने का यह अवसर नहीं है। आप अपने आदर्श को यथा संभव अति उत्तम ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं किन्तु आप मेरे प्रज्जवलित राज्य पंजाब को न उकसायें। इससे

मुझे पीड़ा होती है। आप विचार करें और यह पता लगाने की चेष्टा करें कि आपने राजनीति से प्रेरित होने में कहां-कहां सचेष्ट हुए। आपके कुछ भाषण अति उत्तम थे और यहाँ तक कि आपकी कुछ सिफारिशें भी बहुत अच्छी थीं किन्तु आपकी कुछ अन्य गविधियां खतरनाक थी।

इन शब्दों के साथ ही अपने विचार प्रकट करने के लिए आपने मुझे जो समय दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : अध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद में समय-समय पर जो थोड़ी बहुत उत्तेजना पैदा हुई है, उसके बावजूद, यदि इस वाद-विवाद की निष्पक्ष भाव से पुनरीक्षा की जाये तो मेरे विचार से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सर्वसम्मति प्रकट की गई है। उन मुद्दों पर, चाहे वे किसी भी दल के सदस्यों ने कहे हैं, कोई मतभेद नहीं है। उन प्रमुख मुद्दों में से एक मुद्दा यह है कि 5 जून को जो सैनिक कार्यवाही की गई उसे और अधिक समय तक नहीं टाला जा सकता था यदि उसे और अधिक समय तक टाला जाता तो उसका परिणाम बहुत ही भयानक और दुखद होता।

प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या उस कार्यवाही को टाला जा सकता था ? महोदय, किसी प्रेस सम्मेलन में किसी दिन ऐसे प्रमुख तथा ख्याति प्राप्त सेवानिवृत्त सिख जनरल से एक प्रश्न पूछा गया था जो न तो कांग्रेसी है और न ही अकाली दल से संबंधित है।

वह जनरल जगजीत सिंह अरोडा है जो बांग्लादेश युद्ध के नायक थे। और वह स्वयं को एक गैर-राजनैतिक सिख कहते हैं।

आप उन्हें जो चाहे कह सकते हैं। किन्तु जब उनसे पूछा गया और उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया, वह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ क्योंकि स्वर्ण मन्दिर के अन्दर जो तबाही हुई थी उसके प्रति अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था—"मुझे मालूम है कि जो कुछ भी हुआ है, उससे मेरे सिख मित्र प्रसन्न नहीं हैं। कोई भी उससे प्रसन्न नहीं हो सकता है।" उनसे यह पूछा गया था "जनरल ! क्या आपकी राय में इसको टाला जा सकता ?"

जनरल ने उत्तर दिया, मुझे वह बहुत पसन्द आया क्योंकि मेरे विचार से वह जो कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे, वह उसका सार है। उन्होंने कहा,—"यदि आपके पैर के अंगूठे में कोई फोडा हो जाए और आप उस फोडे की ओर कोई ध्यान न दें और उस फोड़े का जहर आपकी टांग में इतना फैल जाए तथा वह गैंनग्रीन के रूप में विकसित होकर आपके घुटने तक फैल जाये और यदि तब आपसे पूछा जाए कि आप क्या करना चाहते हैं तो आपका एकमात्र उत्तर यही होगा कि आप टांग कटवा देंगे अन्यथा आप मर जाएंगे।" मेरे विचार से हम लोग जो कुछ कहन की चेष्टा कर रहे हैं तथा जो कुछ समझने की चेष्टा कर रहे हैं, उस बात को प्रकट करने का यही सर्वोत्तम तरीका है। गैंनग्रीन में परिवर्तित होने से पहले क्या फोड़ा हो गया था ? जी हाँ, इस बात को यहाँ सभी स्वीकार कर चुके हैं कि फीड़ा बहुत पहले ही बढ़ चुका था।

श्वेत पत्र, जो यहाँ आलोचना का प्रमुख विषय बना हुआ है, मैं अनेक उपयोगी बातें कही

गई है। अन्ततोगत्वा श्वेत-पत्र का प्रमुख प्रयोजन यही होना चाहिए कि वह देशवासियों को इस बात को समझावे कि वास्तव में क्या घटना घटी थी, क्या खतरा था और खतरा किस ओर से आया था ?

वास्तव में इनमें से अनेकों प्रश्नों के उत्तर, श्वेतपत्र में पर्याप्त नहीं हैं। अन्तोगत्वा मैं सरकार से यह आशा नहीं करता कि वह अपनी स्थिति इतनी पेचीदा बना लेगी कि उसे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि समय-समय पर ऐसे अनेक अवसर आए थे जब, यदि आप में राजनैतिक इच्छाशक्ति होती, तो आप कुछ निर्णय ले डालते और उसे स्वीकार करने के लिए उन लोगों पर दबाव डालते क्योंकि इसे स्वीकार न करने का आशय यह होता कि आपका विरोध अपने ही सिख भाइयों द्वारा किया जाता। मैं पूर्वानुमान के सहारे आगे बढ़ता हूं और यही मूल पूर्वानुमान है जिसे किसी भी दल को नहीं भूलना चाहिए कि सभी सिखों को आमतौर पर आतंकवादियों का सहयोगी नहीं माना चाहिए और न यह समझ लेना चाहिए वे सभी भिंडरावाला के अनुयायी थे।

(व्यवधान)

मैं अपने अप्रैल में दिए गए पहले के भाषण में कह चुका हूं कि यह सरकार है जो अकालियों को ही सिख जाति का एकमात्र प्रतिनिधि बना रही है। यह बात मैंने इसी सदन में कही थी। आप अपने सिखों, यहां तक कि अपने कांग्रेसी सिखों को भी भूल जाते हैं। आप अन्य निर्दलयी सिखों को भूल जाते हैं।

आपके अनुसार सिखजाति का एक मात्र प्रतिनिधि अकाली दल है। कार्यवाही किए जाने से पूर्व 18 अप्रैल को इसी सदन में मैंने यह आरोप लगाया था। इसलिए, प्रश्न यह है कि आपको उन सिख समुदायों का ध्यान रखना चाहिए, जो किसान हैं, जो लाखों की संख्या में गांवों में बसते हैं। यदि आपने उन्हे ध्यान में रखा होता, तो मेरी राय में राजनीतिक नेतृत्व ने किसी और ही नीति का अनुसरण किया होता और उस नीति में इन आतंकवादियों को उस सिख समुदाय से अलग रखने का प्रयास किया होता जो उन आतंकवादियों के समर्थक नहीं है और आतंकवादियों तथा साधारण सिख नागरिक और किसानों के बीच अन्तर रखा जाता और यही कारण है कि हम यह कहते हैं कि इन चार या पाँचों भागों को अलग रखा जाता जिन्हें अकालियों ने अपनी अन्य मांगों के साथ-साथ रखा था किन्तु ये मांगें केवल अकाली दल की मांगें नहीं थीं अपितु उनके बारे में प्रत्येक सिख महसूस करता है—

इतने वर्षों के बाद भी तथा आज दिनाँक 25 जुलाई, 1984 को भी, उसे यह नही मालूम कि चंडीगढ़ को पंजाब को दिया जा रहा है अथवा नहीं और यहाँ तक कि उसके बारे में सरकार ने आज तक कोई निर्णय नहीं घोषित किया है। नदी के पानी के बंटवारे के प्रश्न, अन्य प्रादेशिक क्षेत्रों के प्रश्न पर कुछ विवाद रहे थे और इन मुद्दों पर समस्त विरोधी दल तथा सरकार सहमत थी। यहां तक कि कुछ बैठकों में अकाली नेता भी उन पर सहमत थे। बाद में हरियाणा में घटित उन घटनाओं के बाद जब अकाली नेता चले गये थे और कभी वापिस नहीं आए तब हमने महोदया प्रधान मन्त्री से कहा था और हमने यह सुझाव दिया था कि यद्यपि वे वापिस नहीं आए हैं, तो भी इन 3 या 4 मुद्दों पर सरकार और विरोधी दल एक साथ मिलकर विचार करें और एक साथ यह

घोषित करें कि इन मामलों के सम्बन्ध में हमारा यह निर्णय है जिसे हम उचित निर्णय समझते हैं और सरकार उनकी घोषणा कर रही है। यही किया जाना चाहिए था। यही तरीका था जिससे सिखों को विश्वास में लिया जा सकता था और उन्हें भिण्डरवाला तथा आतंकवादियों के हाथों में जाने से बचाया जा सकता था।

आप केवल अकाली नेताओं को देखते हैं और कुछ भी नहीं देखते। लाखों सामान्य सिखों की ओर आपका कोई ध्यान नहीं है। और इसीलिए, हम लोग यों ही घसिटते रहे। और एक दिन पंजाब में कोई व्यक्ति मुझसे यह कह रहा था कि अब मृत भिंडरवाला जीवित भिंडरवाला से अधिक खतरनाक हो गया है। यह जन समुदाय, चाहे उसे डराया गया हो, चाहे उसे आतंकित किया हो अथवा त्रस्त किया गया हो, कभी भी उसके साथ नहीं था क्योंकि ये बन्दूकधारी आतंकवादी उनके मध्य जाकर, सर्वत्र निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर रहे थे।

इन सभी सिख समुदाय के सम्बन्ध में, मुझे खेद है कि कुछ भी कहना व्यर्थ है। 'नहीं, नहीं। केवल मुट्ठीभर व्यक्ति प्रभावित हुए हैं।' यह सच नहीं है, हम लोगों को निष्पक्ष होना चाहिए। हम लोग भारत में रह रहे हैं, किसी अन्य देश के निर्जन स्थान में नहीं रह रहे हैं। हम लोग एक ऐसे देश में, एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ धर्म और धार्मिक भाव और धार्मिक भावनायें तथा पूर्वाग्रह अत्यन्त शक्तिशाली तथा प्रमुख कारण हैं। इस समय एक नास्तिक के रूप में बोल रहा हूं। मैं आप सभी अच्छे धार्मिक व्यक्तियों के बीच एक नास्तिक के रूप में बोल रहा हूं।

मैं कह रहा हू और मैं भली भाँति समझता हूं। मैं यह समझ नहीं पाया हूं और आपको आज यह भली-भाँति समझना चाहिए कि आप सिख समुदाय में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग अमृतसर में स्वर्ण मन्दिर में हुई घटना के पश्चात् बहुत ही कटू, क्रोधित एव विद्रोही हो गए है। क्या यह एक खेद की बात नहीं है?

इन भावनाओं को शान्त करने के लिए बहुत अधिक समय लगेगा। मुझे उन सभी सिखों पर गर्व है जिन्होंने हिन्दुओं को मारने का भिंडरांवाले के आदेश का पालन करने से इन्कार किया। अगर आपने उनके भाषणों की कैसेट सुनी होती जो कि वह हर रोज स्वर्ण मन्दिर के अन्दर देते थे, मैंने वह कैसेट चण्डीगढ़ में सुनी थी। उसमें वह स्पष्ट रूप में कह रहे थे कि अगर सुरक्षा बल मन्दिर पर कभी भी हमला करें तो सबसे पहला कार्य जो आपको करना होगा, वह यह है कि आप अपने गाँवों में प्रत्येक हिन्दू को मारें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो नजदीक के गांवों में जाइए और वहां हिन्दुओं को खत्म कीजिग और फिर हरमिन्दर साहिब की रक्षा करने के लिए अमृतसर की तरफ बढ़िए।

उनके इस आदेश का उलटा प्रभाव पड़ा। किसी भी सामान्य सिख व्यक्ति ने कहीं भी अपने हिन्दू भाई के विरुद्ध हाथ नहीं उठाया। क्या यह बात हमें भविष्य में आत्म-विश्वास तथा आशा नहीं जगाती है? निश्चित ही हिन्दू और सिख सामाजिक धार्मिक तथा पारिवारिक मामलों में एक-दूसरे के अत्यधिक निकट हैं। आप यह जानते हैं किन्तु वह उन्हें हिन्दुओं को मारने के लिए उकसा रहे थे जिससे साम्प्रदायिक उत्तेजना तथा हत्या की एक सम्पूर्ण कड़ी बन जाती तथा

बहुत बड़ी संख्या में हिन्दुओं का पंजाब से बहिर्गमन हो जाता। यह उनकी योजना थी कि उन्हें पंजाब से भागने दीजिए और कहानियाँ गढ़ दीजिए कि सिख भागकर शरण लेने के लिए पंजाब में वापस आ जायें। किन्तु सिख समुदाय ने इसकी कोई अनुक्रिया नहीं दिखाई। इस विषय पर उनका हृदय शान्त रहा। मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। किन्तु वही व्यक्ति आज, क्रोधित, विद्रोही, कटु तथा अपमानित महसूस कर रहा है क्योंकि यह धर्मप्रधान देश है।

कल अगर मस्जिद अथवा मंदिर में फौज जाती है तो हिन्दू और मुस्लमानों के बीच भी यही प्रतिक्रिया होगी आप इसे नजर अदाज नही कर सकते। इसलिये सम्पूर्ण मामले में हमें शाँत रहना होगा तथा बहुत ही गम्भीर दृष्टिकोण अपनाना होगा।

जहाँ तक सेना का संबंध है मेरे विचार से उन्होंने अपना कार्य बहुत ही दक्षता से तथा बहुत ही अनुशासन तथा हिम्मत से किया। किन्तु एक क्षय के लिये मैं यह नहीं भूल सकता कि एक सामान्य भारतीय जवान, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो वह भगवान से डरता है। भारतीय सेना का जवान अपनी पूजा तथा समाज के साथ भारतीय सेना मे एक ग्रामवासी हैं। वह वास्तव में भगवान से डरने वाला व्यक्ति है। उसे मन्दिर में भेजा गया। उसने आदेश का पालन किया, और इस प्रक्रिया के दौरान वे भारी संख्या में हताहत हुये। मुझे संदेह है क्या किसी अन्य देश की सेना इस प्रकार की परिस्थितियों में इन आदेशों के अनुसार इस प्रकार का कार्य कर सकती थी। अन्य कोई भी सेना सम्पूर्ण परिसर का विनाश करके उस धरती में मरियामेट कर देती।

उस पर, यहाँ तक कि हरमिन्दर साहब की छत पर से गोलियां चलाई जा रही थी जब कि ऐसा लग रहा था कि वे खुले में थे। अतः उन्होंने वहीं किया जैसा करने के उन्हे आदेश दिये गये थे। इसके लिये जो बलिदान दिया गया उसके लिये हमने श्रद्धांजलि पहले ही अर्पित कर दी है। किन्तु मैं (अशांत) था मुझे रक्षा मंत्री जी को उनके शिष्टाचार के लिये धन्यवाद करना चाहिये—हममें से कुछ लोगों को इस कार्यवाही होने के 15 दिन के अन्दर ही वहां ले जाया गया था जनरल साहिब भी हमारे साथ वहाँ थे। जब हम बरामद किये गये हथियारों को दिखाने के लिए वहां ले जाया गया था, वे अमृतसर में नहीं बल्कि जालंधर में रखे गये थे हम वहाँ ले जाया गया। कम से कम दो बड़े—बड़े कमरे पूरी तरह बरामद हथियारों से भरे हुये थे। मेरा भी वही विचार था जैसा कि मैं समझता हू जनता का है, कि इन विदेशी हथियारों के विशाल भँडार को बाहर से तस्करी करके लाया गया होगा। निश्चित ही इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकार के हथियारों का बहुत बड़ी संख्या है। परन्तु जैसा कि मैंने अपने संशोधन में एक मुद्दे में बताया हैं, इन हथियारों का घातक एवं आधुनिक हथियारों का उदगम इनमें मैं हस्तनिर्मित ग्रिनेड, तलबार तथा इसी तरह के हथियारों की बात नहीं कर रहा हू-नहीं दिया गया है और अधिकतर हथियार जैसे कि हल्की गन मशीन गनें, स्टेन गनें कम से कम 50 प्रतिशत हथियार या इससे कुछ कम या अधिक भी हो सकते हैं, स्वदेशी हैं, जिनसे हमारे जवान लड़ते हैं। इसका जवाव कौन देगा? सीमा पार से सामान को तस्करी करना ही तो बहुत ही खराब बात है।

क्या यह हमारे देश के लिये खतरा नहीं है? देश की सुरक्षा मात्र इस तथ्य से स्तर में है कि बहुत भारी संख्या में हमारे यहाँ बने हुये हथियार स्वर्ण मन्दिर में आतंकवादियों के पास पाये

गये। इसकी जांच कौन करेगा ? मैं सरकार तथा रक्षा मन्त्री को इसके लिये जिम्मेदार ठहराता हूं। अगर यह पंजाब में होता है तो यह देश के किसी भी भाग में हो सकता है। इसका अर्थ है कि हमारे स्वयं के प्रतिष्ठानों में से, डिपुओं तथा कारजनों में से तथा शायद सेना की यूनिटों से भारी भाषा में बाहर आ रहे हैं। अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता था ? अन्त में हथियार हमारी अपनी ही सेवा के विरूद्ध। इस्तेमाल किये गये थे जब-उन्हें स्वर्ण मंदिर के अन्दर जाना पड़ा था। मैं इसकी जांच की मांग करता हू न कि इसे सिर्फ इस तरह से दबाया जाये।

मैं कहना चाहूगा कि अफवाह क्या फैलती हैं इसका एककारण यह है और ऐसे ही तो नहीं फैलती, किन्तु अफवाहों पर क्यों विश्वास किया गया और उनमें से बहुत से लोग अभी भी विश्वास करते हैं और मुझे यह कहते हुये खेद है कि पंजाब में प्रेस पर जो सेंसर लगाया गया हैं और अभी भी जारी है मेरे विचार से यहीं इसका एक कारण है। इसने सरकारी संचार, माध्यम की साख को आम व्यक्ति की नजरों में एकदम शून्य बना दिया गया हैं। और वे बी. बी. सी. से समाचार सुन रहे हैं। यही सारी मुश्किल है।

'यह सरकारी खबर सुनकर क्या होगा ? बी. बी. सी. लगाओ।"

हमें बताया गया था कि सैनिक कार्यवाही के दो या तीन दिन पहले सभी विदेशी संवाद-दाताओं को पंजाब से बाहर कर दिया गया था। एक अच्छी बात थी। किन्तु आपने 14 जून के **लंदन टाइम्स** को देखा होगा। इस समय वह मेरे पास है। मुख पृष्ठ पर **लंदन टाइम्स** ने ए. वी. के एक संवाददाता को रिपोर्ट प्रकाशित की थी और यह दावा किया गया सिर्फ वही कि एकमात्र विदेशी पवकार सैनिक कार्यवाही के दौरान अमृतसर में था। जब सभी विदेशी संवाददाताओं को पंजाब से बाहर निकाल दिया गया था तो वह किस प्रकार अभी भी वहाँ पर था ?

गृह मंत्री (श्री पी· वी. नरसिंहराव) आपको कैसे मालूम वह वहां था ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे नहीं मालूम। किन्तु आप किसी भी बात का खण्डन नहीं कर रहें हैं। उसने बहुत सी भयानक कहानियां प्रकाशित की जिन्हें मैं यहां पर दोहराना नहीं चाहता। ये **लंदन टाइम्स** के मुख पृष्ठ पर प्रकाशित हुई हैं।

जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहीं ठीक ही कहा है, सभी प्रकार के विदेशी संचार माध्यम बल्कि पश्चिमी संचार माध्यम सभी प्रकार की खबर भमाव्ह कहानियों और ऐसी सभी चीजों को प्रकाशित कर रहे हैं। इसलिये इन बातों का अधिक सक्रिय खण्डन होना चाहिये।

एक अन्य बात के बारे में मेरे सहयोगी ने यहां कही है बताना चाहता हूं और जिस पर उस पक्ष ने नाराजगी दिखाई है और वह है भिंडरवाले घटना की उत्पत्ति के बार में। यह कैसे उत्पन्न हुआ, किस प्रकार प्रोत्साहित किया गया, किस प्रकार यह विकसित हुआ और अंतत किस प्रकार इसने प्रभावशाली स्थिति प्राप्त की और सत्ताधारी दल का अथवा सत्ताधारी दल से समूह व्यक्तियों का इसके पीछे क्या हाथ था। मैं वह सब दोहराना नहीं चाहता। यह सर्वविदित है क्यों कि उसका·····

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे इन दो-तीन दिनों में किसी भी प्रकार का शोर—शराबा न करने के लिये सजा नहीं मिलनी चाहिये ।

प्रधान मंत्री (श्री मती इन्दिरा गांधी) : यह आपका लाभ क्यों कि अन्य व्यक्तिमों ने किसी भी प्रकार का शोर नहीं किया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवधानहीन भाषण दे रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय मैं कुछ और तथ्य दे सकता हू, किन्तु ऐसा करने के लिये मेरे पास समय नही है । कि किस प्रकार से सिख गुरूद्वारा प्रवन्धक समिति के चुनावों में एक दूसरे के उम्मीदवारों का समर्थन किया । सिर्फ एक प्रमुख अकाली नेता श्री उभरेगला को ही भिडरवाले के विरूद्ध और स्वर्ण मंदिर के अन्दर जो कुछ हुआ वह कहने का साहस हुआ जिसे आपने सिख गुरूद्वारा प्रबन्ध समिति के चुनाव में भिडरवाले के उम्मीदवार अमरीक सिंह की मदद करके हटा दिया था ।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने चुनाव जीता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 1980 चुनावों में उन्होंने आपके कुछ उम्मीदवारों का समर्थन किया था । उनमें से कम से कम दो अभी इस सदन में बैठे हैं । मैं उनका नाम नहीं लूंगा । पंजाव में इस वात को सभी जानते हैं । उस समय उनके इरादे नेक थे ।

प्रो० मधुदंडवते : उन्हें अखबार की कतरने दिखाइये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ये रहीं । ये मेरे पास हमेशा रहती है । मेरे युवा मित्र कांग्रेस आई के महासचिव ने कल भी सदन उस खण्डन अथवा स्पष्टीकरण का उल्लेख किया सो उन्होंने भिन्डरवाले के बारे में कहा था । दुर्भाग्यवश, आप सुबह मेरे अथक प्रयासों के बावजूद भी मैं नहीं ढूंढ सका कि वास्तव में उन्होंने सदन में क्या कहा था क्योंकि मैं उनके बोलने की तारीख भूल गया हूं और मैं नही जानता कि किस दिन की कार्यवाही वृतान्ति को देखूं ।

श्री राजीव गान्धी (अमेठी) : आप मुझसे पूछ सकते थे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी हां, मैं आपको मिल नहीं सका यही तो मुश्किल थी । अगर मैं आपको टेलीफ़ोन करूं तो आपका टेलीफोन व्यस्त होता है । इसका कोई फायदा नहीं । परन्तु मैंने एक अखबार देखा जो उन्होंने कल भी कहा था कि प्रेस सम्मेलन में उन्होंते प्रेस रिपोर्ट का खण्डन अथवा स्पष्टीकरण किया था । उस प्रेस सम्मेलन की खबर मुझे एक स माचार पत्र में मिली । उसमें उन्होने श्री भिडरवाले के बारे में कहा बताया गया है:—

> "सिखों में उसका शक्तिशाली प्रभाव है ।" बिल्कुल सच है ।
> "वह एक धार्मिक व्यक्ति हैं जिनकी अभी तक कोई प्रत्यक्ष राजनैतिक आकाक्षां नहीं है ।"

एक माननीय सदस्य : किन्तु उन्होने इस बात से ईकार किया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी नहीं; वह कुछ ओर है बल्कि वह यह कहने वाले थे कि वह कोई उग्रवादी नहीं हैं, इत्यादि ।

"वह एक धार्मिक व्यक्ति हैं जिनकी अभी तक कोई प्रत्यक्ष राजनीतिक आकाक्षां नहीं हैं ।"

वह कहा गया है । अगर यह गलत है तो ऐसा कहने के लिये आपका स्वागत है । यह 29 अप्रैल की बात है । बिल्कुल हाल ही में । श्वेत पत्र में पृष्ठ 163-64 दो पृष्ठों में भिन्डरावाले का के कथन उद्धृत किये गये हैं ।

श्री राजीव गांधी : यह मैंने प्रथम प्रेस सम्मेलन में कहा था जिसे हैं पूरी तरह उदृत नहीं किया गया था । मैंने यह स्पष्ट किया था—इस समय मुझे वे शब्द याद नहीं में क्योंकि यह काफी पुरानी बात है—किन्तु कुछ इस प्रकार कहा था कि उनकी कोई प्रत्यक्ष राजनैतिक आकांक्षाए नहीं हैं परन्तु उनकी कार्य करने का तरीका नहीं है । जिस प्रकार से वे लोगों को याद रहे हैं यह धार्मिक हमारे देश के किसी भी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप नहीं है ।

(व्यवधान)

यह बम्बई में हुए प्रैस सम्मेलन में कहा गया था । आह जो चण्डीगढ में हुए प्रेस सम्मेलन के उद्धरण दे रहे हैं, उन्वे सही ढंग से नहीं छापा गया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ऐसा लगता है, उन्हें कभी भी सही ढंग से नहीं छापा गया है ।

श्री राजीव गांधी : यही कारण है कि मैंने सभा में स्पष्ट किया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह दो पृष्ठ, अर्थात 163-164, श्री भिन्डरावाले के भाषणों और वक्तयों के उद्धरण हैं । यदि कोई उन भाषणों को पढ़े और यदि उनका पता होता होमा—क्यों कि वह मन्दिर के अन्दर से भाषण दे रहा था—तो मैं यह बता दूं कि यह कहना सही नहीं है कि उसकी कोई प्रत्यक्ष राजनीतिक आकांक्षाएं नहीं थी । उसके भाषणों और वक्तव्यों के बारे में जो श्वेत पत्र में कहा गया है, कृपया उसे पढे और वह क्या कह रहे है, उसे पढ़ों । मेरे कहनें का आशय है कि सिखों की आँखों में उसने कुछ दर्जा कायम कर लिया था अर्थात वह इतना बड़ा नेता बन गया है कि सरकार उसे छूने से डरती है और जिसे गिरफ्तार किया गया हैं और छोड़ दिया गया है ।

(व्यवधान)

श्री आर० एस० स्पैरों : सभी सिख ऐसा नहीं मानते, अधिकांश सिख ऐसा नहीं मानते ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुछ भी हो, अब वह एक शहीद बन गया है ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं भी पंजाब में घूमा हूं। मैं सैनिक कार्यवाही के बाद पंजाब में तीन बार गया हूं। मेरी पार्टी का मनोबल इतना नहीं गिरा और वह इतनी अगतिशील नहीं हुई अथवा आतंकित नहीं हुई जैसा कि कोई सदस्य कल यह कह रहा था कि पंजाब में सभी पार्टियां आतंकित हो गई हैं। हमने भी बहुत से स्थानों पर उनका डटकर सामना किया है और मुकाबला किया है। इसके बारे में आप जानते हैं।

अब मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि ऐसा किसी को भी कहना और करना नहीं चाहिए क्यों कि इससे उस सदस्य को केवल प्रोत्साहन ही मिलता और लोगों में उसकी छवि और अच्छी हो जाती है। यही सब मैं कहना चाहता हूं। एक अथवा दो बातें और कहूंगा, उसके बाद मेरा भाषण समाप्त है।

पहले तो मैं यह बता दूं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा हत्याओं के बारे में इस लम्बी सूची में कई निर्दोष व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, जिनकी हत्या कर दी गई थी किन्तु मुझे समझ नहीं आता कि पृष्ठ 134 पर मेरे विचार से यह भूल हो गई है, जिसे सुधारना चाहिए – दिनांक 22 फरवरी, 1984 की घटना का हवाला देते हुए, जिसमें लोगों के, जिला अमृतसर के बाजार में चार व्यक्तियों को मार दिया गया था, "प्रीत लड़ी" के उस नौजवान सम्पादक, श्री सुमीत सिंह के बारे में कुछ नहीं बताया गया है जिसकी मृत्यु के बाद राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री दोनों ने उसके परिवार को शोक संदेह भेजे थे; उसको नाम का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। जिन अधिकारियों को श्वेत पत्र का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था, उन्हें इसके बारे में स्मरण कराना चाहिए।

दूसरे, मैं पृष्ठ 35 का हवाला देता हूं। जिन अधिकारियों ने इसका प्रारुप तैयार किया है; वे साम्यवादी विरोधी पूर्वाग्रह से कुछ हद तक ग्रस्त हैं। इसके यहां किसी और जगह लिखा जाना चाहिए था, इसमें क्या कहा गया हैं? इसमें कहा गया है कि···

"डा० जगजीतसिंह चौहान···सार्वजनिक जीवन में आये···" मैं नहीं जानता कि वह किस प्रकार के सार्वजनिक जीवन में आये।

"···साम्यवादी दल की छात्रा शाखा के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में आये।"

गृह मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंहराव) : मैंने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यह केवल एक तथ्यात्मक बयान है और इसका आशय यह है कि कम्यूनिस्ट पार्टी के बारे में कोई बात नहीं गई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि यह किस प्रकार संगत है। क्या इसकी कोई महत्ता है। यदि ऐसा है तो क्या आप यह चाहते हैं कि मैं विपक्ष की ओर बैठे हुए उन व्यक्तियों के नाम लूं जो किसी समय पर या तो कम्यूनिस्ट पार्टी के हम-राही अथवा कार्ड-होल्डर्ज समझे जाते थे? क्या मैं उनका नाम लूं? यह किस प्रकार संगत है? यहां पर इसका उल्लेख करना किस प्रकार संगत है?

(व्यवधान)

विदेशी संबंधों के बारे में सरकार का यह दृष्टिकोण है; चाहे हम इन विदेशी ताकतों के

बारे में भली प्रकार से जानते हैं कि ये कौन सी ताकतें हैं किन्तु हम उनका नाम नहीं लेना चाहते। कहने का आशय यह है कि आप जनता को धोखे में रखना चाहते हैं, उन्हें यह नहीं जानना चाहिए कि किस भाग से खतरा आने वाला है, जनता किससे सतर्क रहे। वह कौन है ? क्या वह सोवियत संघ है ? डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी कहते हैं कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में प्रवेश इस देश को अस्थिर कर दिया है। क्या आपका तात्पर्य इससे है ? क्या आपका तात्पर्य श्री जयवर्द्धन से है ? क्या वे भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं ? आप यह क्यों बताते कि वे कौन हैं। क्या यह सच नहीं है कि हवाई-जहाज में उन अपहरण कर्ताओं ने यात्रियों को यह नारा बोलने के लिए बाधित किया ; "पश्चिमी जर्मनी जिन्दाबाद" ? क्या आप यहीं जानते हैं ? और इस तलविन्द्र सिंह, जिसने इस देश में कुछ अपराध करने के बाद पश्चिमी जर्मनी में शरण ली है; को आप पश्चिम जर्मनी की सरकार द्वारा यहां वापस भेजने के लिए व्यवस्था नहीं कर सके हालांकि आपने पश्चिम जर्मनी के दो नागरिकों को लौटाया है, जो इस देश में थे। पाकिस्तान का नाम लेने में किसी का भी संकोच नहीं है। परन्तु हम जानते हैं कि वास्तव में पकिस्तान के पीछे कौन सी शक्ति है; पाकिस्तान को हथियार कौन दे रहा है, पाकिस्तान को सैनिक अड्डा कौन बना रहा है। जालन्धर में गोविन्द सिद्ध किले में मैंने जो हथियार देखे, उनमें से बहुतों पर पाकिस्तान के निशान थे। वास्तव में इस देश में लोग सामान्यतया जानते हैं कि अमेरिका मुख्य भूमिका अदा कर रहा है। परन्तु सरकार जनता को किसी और बात से फुसला रही है। सरकार ने हमारे सेनाध्यक्ष द्वारा अमेरिका की यात्रा के लिए इसी समय को चुना। जनरल वैद्य किसी और समय पर भी यात्रा कर सकते थे···

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं आप को बताना चाहता हूं कि इस यात्रा की व्यवस्था कई महीने पहले की गई थी···

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानता था आप यही कहेंगे कि यात्रा की व्यवस्था बहुत पहले से की गई थी परन्तु यहाँ देश में घोर संकट छाया हुआ था जिसने सब लोगों के बीच कपकपी पैदा कर दी···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : श्री ज्योति बसु भी तो अमेरिका गए थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे विचार से श्री ज्योति बसु बाहर से आपके देश पर आक्रमण करने का प्रत्न नहीं कर रहे हैं।

मैं पूछता हूं, लोग क्या सोचेंगे ? जब आप सेनाध्यक्ष को अमेरिका भेज कर ऐसे समय पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को व्यक्त कर रहे हैं तो यह स्पष्ट है कि जिन ताकतों की आप बात कर रहे हैं, वे इस देश में नहीं हो सकतीं। यह आम सोचने की बात है। इसे एक आम व्यक्ति कैसे सोचेगा ?

गुप्त बैठकों के बारे में, मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं। मुझे मालूम हुआ है कि

3 अथवा 4 बैठकों में हिस्सा लेने वालों में से एक श्री अमरीन्द्र सिंह था। वास्तव में सरकार हमें गुप्त बातों के बारे में नहीं बताएगी। उसके किन विशेष गुणों के कारण उसे बैठकों में शामिल किया गया ? क्या उसकी अकालियों के साथ कुछ विशेष घनिष्टता थी ? वह आपका संसद सदस्य था।

एक बार सेना ने मन्दिर में प्रदेश किया कि उसने त्यागपत्र दे दिया। अतः उसे बैठकों में क्यों शामिल किया गया ? क्या इसका कारण यह था कि मुख्य मंत्री के पद के लिए महत्वकांक्षा रखने वालों में से वह भी एक था ? हम तो इसके बारे में इतना ही जानते हैं। सरकार हमें इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं बताएगी।

अन्त में मैं अपना भाषण यह कह कर समाप्त करूंगा कि श्वेत पत्र पर हम बाद-विवाद तो कर रहे हैं परन्तु अन्त में हमें यह भी कहना चाहिए कि जो हम सोचते हैं, उसे अब करना भी चाहिए। मैं उन बातों को संक्षिप्त रूप से कहूंगा। सरकार ने उनके बारे में कोई संकेत नहीं दिया है।

मैं इस अभिधारणा के साथ आरंभ करता हूं कि सबसे पहली बात तो उन अधिकांश सिखों की भावनाओं को शान्त करना है जो समझदारी अथवा असमझदारी से दुखद, शत्रुतापूर्ण और धार्मिक दृष्टि से चोट खाए हुए महसूस कर रहें हैं। इसलिए सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता और इसे मेरी पार्टी भी समझती है कि जहाँ तक मन्दिर का सम्बन्ध है।

मैं मन्दिर परिसर की बात नहीं करता परन्तु जहाँ तक की मुख्य मन्दिर का सम्बन्ध है, मन्दिर के चारों ओर परिक्रमा का सम्बन्ध है, वहाँ सेना को और अधिक रुकने की आवश्यकता नहीं है। सेना बाहर आकर खड़ी हो सकती है। और प्रवेश द्वार की निगरानी कर सकती है, और ऐसा सब कुछ कर सकती है। जब तक सेना वहां पर रहेगी—मुझे बताया गया है सैनिक कम से कम अब भी दर्शन ड्योढ़ी में है। वे वहाँ पर हैं। मेरे विचार से वे जो अब कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों को अन्य संस्थाओं द्वारा आसानी से करवाया जा सकता है···

अध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो गया। कृपया मुझे सहयोग दीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह मन्दिर में सेना को अनिश्चित काल तक न रहने दे क्योंकि बाद में इसका विपरीत नतीजा निकाल सकता है। मैं यह नहीं कहता कि इसमें कोई भी खतरे की बात नहीं है। 1 या 2 प्रतिशत तक कुछ तो खतरा होगा। परन्तु क्या आप इसे रोक सकते हैं ? किन्तु इसके विपरीत वहा पर सेना को अनिश्चित काल तक रखने से उलटा नतीजा निकाल सकती है और वहां के लोगों में रोष और कटुता की भावना पैदा कर सकता है। ऐसा करना चाहिए ?

दूसरे, प्रधान मंत्री को फिरसे सभी राजनीतिक पार्टियों की बैठक बुलानी चाहिए। हमें कम से कम आपस में मिलकर सोचना चाहिए और परामर्श करना चाहिए कि अब क्या करना है। उन व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए जो आतंकवादियों द्वारा मारे गए। पूर्व-सैंसर शिप को समाप्त किया जाए···

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अधिक समय ले लिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अधिक समय का क्या मतलब है ? मैं कह रहा हूं : उन समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए जो भड़काने वाली अथवा साम्प्रदायिक बातें लिखते हैं किन्तु पूर्व-संसरशिप समाप्त कर देनी चाहिए···

अध्यक्ष महोदय : सभी सरकार से यह कहते हैं कि उचित समय पर उचित कार्यवाही की जाए अब मैं अपने आप कुछ करने का प्रयत्न कर रहा हूं

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं। यह आपका राज्य है। क्या आपको इसकी चिंता नहीं है ? कुछ कदम उचित समय पर ही उठाने चाहिए मैं कहता हूं कि बाहर और सारे देश में लोग वाद-विवाद सुन रहे हैं। सिख भी सुन रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है। आखिर अब सब कुछ समाप्त हो गया है और अब हमें देखना है कि सामान्य वातावरण कैसे बनाना है, हालांकि निश्चित रूप से इसमें बहुत समय लगेगा।

विदेश धन्यवाद, महोदय। मित्र

प्रधान मंत्री और बिदेश मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) मेरा विचार था कि विषय और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विपक्ष में बैठे हमारे माननीय भिन्न इस वाद—विवाद में, निन्दा और झूठे आरोपों से दूर रहेंगे तथा मैं सोचती थी कि पुर्वाग्रह उनकी टिप्पणियों को रंग नहीं देंगे। स्पष्ट है कि मैं यह बात सभी के लिए नहीं कह रही हूं, परन्तु यह सच है कि कुछ लोगों ने अभियोग लगाये हैं और वे कोई नये अभियोग नही है। उनका उत्तर—कुछेक का इस सदन में और कुछ का अन्य अवसरों पर दिया जा चुका है। परन्तु इस चर्चा का समग्र उद्देश्य-कुछ वक्ताओं से क्षमा—याचना सहित-अब यह लगता है, और यह हम सदन के बाहर भी देख रहे हैं कि लोगों की विचारधारा में भ्रम उत्पन्न करने के लिए आवश्यक मामलों से ध्यान हटाकर पूर्णतया गौण मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कुछ वक्ताओं ने चुनावों के बारे में बहुत कुछ कहा है। महोदय हमें चुनावों से कोई भय नही हैं। दुर्भाग्य से, विपक्षी दल और ग्रुप और सदस्य भी—मुझे यह तो पता नही हैं कि इसे एक ग्रुप कहा जाता है या कुछ और—इससे भयभीत हैं। मुझे और सरकार को केवल चुनावों में लाभ उठाने के हेतु संकट पैदा करने का आरोप एक चूणित तर्क है जिसका उत्तर देने की आवश्यकता नही है।

कुछ माननीय सदस्य विचलित करने वाली खामोशी के बारे में बोले हैं। विचलित करने वाली खामोशी श्वेत-पत्र में नहीं है, और यह खामोशी उन लोगों ने साधी हुई थी जो कि आज सिख समुदाय के हितों के संरक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। मैंने जो कुक टिप्पणियां सुनी हैं वे उत्तरदायित्व से दूर हैं- मैं सभा में उपस्थित ही थी, परन्तु मैं अपने कक्ष से प्रत्येक भाषण को सुन रही थी। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अभी- अभी कहा है कि हम अकालियों को ही सिखों का प्रतिविधि समझते हैं। महोदय, आप स्वयं सोच सकते हैं कि क्या इसका कोई आधार है ! 1980 के चुनावों

में, जब कि पंजाब के अकाली दल सत्ता में था तो चुनाव किसने जीता। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता। और हिन्दुओं ने चुनाव जीता। सिखों और हिन्दुओं ने कांग्रेस को मत दिया। भला हम यह कैसे कह सकते हैं कि केवल अकाली दल ही सिखों का प्रतिनिधि है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्योंकि आप केवल उनसे बातचीत करते है और उनसे ही निपटते हैं।

श्री मती इन्दिरा गान्धी : हम उनसे निपटे और अन्य सभी सिख और हिन्दू संगठनों से मिली हूं जो कि हरियाणा और पंजाब से मुझसे मिलने आए थे। उनमें से अधिकांश मेरे दल के थे और कुछ अन्य दलों के। यह तो मुझे पता नहीं कि कोई साम्यवादी सिख आया कि नहीं। परन्तु मेरी उस मार्क्सवादी सिख नेता से अवश्य बातचीत हुई थी जो कि अकालियों के अत्यन्त निकट था और जो यह कहता था कि वे सिखों की आवाज हैं।

अत: हमें ऐसे मामलों से बचकर नही चलना चाहिये। कांग्रेस सदैव हर प्रकार की साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़ी है-और यदि आप 1966 से बाद के दस्तावेजों को देखें तो आप पायेंगे कि मैं साम्प्रदायवादियों के विरूद्ध किस प्रकार बोली हूं और किस प्रकार मैं आज भी सभी प्रकार की साम्प्रदायिकता और किसी प्रकार के उग्रवाद के विरुद्ध हूं। आज साम्प्रदायिकता के नये आयाम बन गये हैं और इसे रूढ़िवाद कहा जाता है। यहां तक कि जो देश रूढ़िवाद के जनक समझें जाते हैं, वे इसके बारे में चिन्तित हैं और इस पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि वे वहां पर उसके दुष्प्रभावों का पता लगा रहे हैं, परन्तु हमारे देश में हमें इसे कठोर संघर्ष करना पड़ेगा क्यों कि हमारा समाज कहीं अधिक कमजोर हैं। मैं स्पष्ट रुप से कहूं तो यह रुढ़िवाद किसी एक समाज में नहीं है और मैं सिख रूढ़िवाद का उल्लेख नहीं कर रही हूं अपितु हिन्दू रूढ़िवाद मुस्लिम रुढ़िवाद और यहां तक ईसाई रूढ़िवाद की बात भी कर रही हूं। हरेक धर्म यह अनुभव करता हैं कि इसे अतिवादी रवैया अपनाना चाहिये और जो ऐसा नहीं करते हैं उसे असली सिख नहीं समझा जाता है, क्यों कि वे अकाली दल के सदस्य नहीं है। मुसलमानों का क्या कहना है? वे कहते हैं कि जो मुसलमान कांग्रेस में है या साम्यवादी है, वे असली मुसलमान नहीं हैं क्योंकि वे मुस्लिम लोग या ऐसे किसी संगठन में नहीं हैं। हमारे दल को यही तो भुगतना पड़ रहा हैं, क्योंकि हमने अपने धर्म निरपेक्षता के आदर्श को बनाये रखा हैं, क्योंकि हमने कुछेक व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों को बनाये रखा है और स्वयं को किसी प्रकार की संकुचित विचारधारा से नहीं जोड़ा है। हम किसी भी प्रकार की वैचारिक संकीर्णता, धर्म के क्षेत्र में अन्यथा और किसी क्षेत्र में किसी प्रकार की संकीर्णता से लड़ते ही रहेंगे। यही तो मुख्य भारतीय परम्परा हैं। कांग्रेस साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ी और आज यह नवीन उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ रही है।

किसी बात को तोड़-मरोड़ कर कहने से कोई लाभ नही हैं, क्यों कि हम देशों या लोगों के नाम नहीं लेते है। मैं किसी ग्रुप या आपमें से किसी का नाम नहीं लेती हू। मैं प्राय: किसी का नाम नही लेती हूं, चाहे कोई मुझे गाली दे या मेरी प्रशंसा करे। क्योंकि माननीय सदस्य अभी अभी बोले थे तो मैंने उनका नाम ले लिया। मेरे विचार से हमारे इस रिकार्ड के लिए हमें कोई चुनौती नहीं दे सकता है। स्थल सेनाध्यक्ष अमरीका गये है या एक मन्त्री महोदय पाकिस्तान गये

हैं, क्यों कि हम सहयोग का क्षेत्र ढूढ़ने का प्रयास करते है और उसको विस्तृत करने का प्रयास करते है और आरंभ से ही हमारी विदेश नीति का यह आधार रहा हैं। इसका यह आशय नहीं है कि हम यह नहीं जानते हैं कि वे लोग क्या कर रहे-हैं। इसका यह आशय नहीं है कि हमें उन्हें उनकी कारतूतों के बारे में नहीं बताते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बताना चाहिये।

श्री मती इन्दिरा गांधी : हमें न केवल 'चाहिये' बल्कि हमने किया है। मुझे बताया गया हैं कि विदेशों में रहने वाले लोगों ने यह देखा है और टिप्पणी की हैं कि यहां एक ऐसा व्यक्ति है जिसने यही बात विश्व की अनेक राजधानियों में कही है। मैं जिस किसी भी विशेष देश में गई मैंने उनके विचारों से हां में हां नहीं मिलाई है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आप स्वयं अपनी प्रशंसा कर रही है।

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : आपका 'स्वयं' से क्या तात्पर्य है ? मैंने वही कहा है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। आज हम इस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। वास्तव में, हमारी कुछ समस्याएं इसलिए उठ खड़ी हुई हैं। क्योंकि हम इस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। वहाँ बैठे माननीय सदस्य और अन्यों को इस बात की जानकारी होनी चाहिये। और अपनी समस्त गलतियों के साथ, मानव होने के नाते हम अनेक गलतियां करते हैं—हम भी अपनी गलतियों को छुपाते नहीं हैं स्वाभाविक है कि हम उन्हे उनका प्रदर्शन करना नहीं चाहते है, यद्यपि भारत अपनी कमियों और खामियों तथा अपने अभावों, गरीबी, सब किसी का किसी भी अन्य देश से कहीं अधिक प्रदर्शन करता लगता है। परन्तु फिर भी हम देश को हर संभव दिशा में आगे ले गये है। मैं 'हम' का उल्लेख करती हूं। जब तो मैं स्वयं का उल्लेख नहीं कर रही होती हूं। मैं इस संसद का उल्लेख भी नहीं कर रही हूं। मैं तो भारत के लोगों का उल्लेख कर रही हूं।

हमारी उत्पादकता को बढ़ाने वाले तो भारतीय किसान, भारतीय कामगार, भारतीय वैज्ञानिक और भातीय प्रौद्योगिकीविद है। विदेशी आक्रमणों से भारतीय सेना ने ही हमारी सीमाओं की रक्षा की है।अत: जब मैं 'हम' कहती हूं तो मेरा तात्पर्य इन सभी लोगों से है। कभी—कभी विपक्ष यह भूल जाता है। वे उस हर बात पर विश्वास करना चाहते हैं, जो कि हमारे विरोधी कहते हैं बजाय इसके जो कुछ सरकार कहती है। हम यह सरकार की ओर से नहीं कह रहे हैं लेकिन सरकार के कहने में दम होता है क्योंकि सरकार ही तो दिशा प्रदान करती है।

हम कुछ लोगों और कुछ देशों की तरह यहां—वहां घूमते नहीं फिरते हैं। हमने स्वयं को एक अटल मार्ग पर डाला है जो कि सर्वोत्तम प्राचीन को, जो कुछ हम सर्वोत्तम आधुनिक में से समझते है, उसके साथ मिलाने का सर्वाधिक कठिनमार्ग हैं, जो कि हम हर प्रकार सबसे भीषण मुसीबतों और अड़चनों से सामना करते हुए करते हैं, जिसमें मैं यह और कहूंगी कि हमारे कुछ भिन्न जो विपक्ष में बैठे हैं उसने योगदान करते रहते हैं, हमने उन्हें नही पैदा किया है। भारत ने न केवल अपनी जनता के बारे में बोला है और बोलता है, अपितु अगणित लाखों के बारे में,

विश्व जनसंख्या के बहुसंख्यकों के बारे में बोलता है और अन्य लोगोंकी सहायता करने के लिए तो हमारी एक कदम लीक से हटकर चलने की चाह रही है।

महोदय, प्रो० चक्रवर्ती ने कल अपना भाषण समाप्त करते हुए कहा था कि कांग्रेस ने देश पर इतने वर्ष शासन करने के बाद—वह यह भूल गये कि बीच में तीन वर्ष किसी और ने भी शासन किया था-अत: देश की एकता बनाये रखना उसका कर्त्तव्य था। इसका यह आशय प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय एकता एक दल की समस्या है। क्या उनके कथन का यही अर्थ है ? इस ढंग से यह बात उठाई गई थी और इस प्रकार ही यह सब कुछ हुआ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, आपने अभी अभी कहा है कि सरकार नीति निर्धारित करती है और देश की एकता को बनाए रखना आपका प्राथमिक कर्त्तव्य है।

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : राष्ट्रीय एकता एक राष्ट्रीय समस्या हैं और यह सभी भारतीय नागरिकों का उत्तरदायित्व है। मैंने जब माननीय सदस्यों का भाषण सुना तो मैंने यह समझा कि शायद अन्य दलों को आग लगाकर हाथ सेकने और जब आग बेकाबू हो जाए तो भाग खड़े होने की छूट है ?

जहां तक मेरा और मेरे दल का सम्बन्ध हैं, राष्ट्रीय एकता और अखण्डता हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है और उसके रास्ते में न ही तो चुनावों को और न ही किसी अन्य बात को आने दिया जायेगा। जो कुछ पंजाब में हो रहा था वह न केवल निर्दोष लोगों के विरुद्ध करता या निष्ठुर हिंसा की कहानी थी, अपितु विभाजन ताकतों को प्रोत्साहित करने के लिए आन्तरिक और बाहरी ताकतों का एक जुट होकर, सोच समझकर—संगठित प्रयास था। यह हमारे समक्ष एक चुनौती थी। जो एक सदस्य मध्यहान भोजन से पहले बोले थे, उनका कहना था कि जब कि और स्थानों में हिंसा होने पर सेना नहीं भेजी गई तो, पंजाब में ही सैनिक कार्यवाही क्यों की गई। यद्यपि अन्य सीमावर्ती राज्यों में जो कुछ हुआ हैं उसमें कुछ सम्बन्ध तो है, परन्तु पंजाब की स्थिति पूर्णतया भिन्न है।

विदेशी हाथ होने का भी उल्लेख हुआ है। यह बात पहले भी अनेक सदस्यों ने उठाई थी। हमसे साक्ष्य देने के लिए कहा जाता है। हमसे देशों और व्यक्तियों के नाम लेने आदि के लिए कहा जाता है। हम कोई न्यायालय में थोड़े ही बैठे हैं, हम तो ऐतिहासिक ताकतों और आन्दोलनों पर विचार कर रहे है। हम तो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे है। अपने स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान क्या हमारे पास कोई कवचित साक्ष्य था कि हमारे यहां सम्प्रदायिक दंगों का आह्वान किया जा रहा है ?

किन्तु हमें यह प्राप्त नहीं हो सका। किन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात हमें पता चला कि उनमें से कुछ जातीय दंगे जानबूझ कर भड़काए गए थे। वास्तव में, जैसाकि मैंने पहले भी कहा है, मैं महारानी एलिजाबेथ के राजाभिषेक के समय एक उच्चाधिकारी से मिली थी जिसने मुझे इस प्रकार के जातीय दंगे में अपनी भूमिका के बारे में बताया था।

प्रो मधु दण्डवते : वे देश पर शासन कर रहे थे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : बात वह नहीं है। बात यह है कि उपनिवेदवादी, साम्राज्यवादी शक्तियों के जाने के बाद भी क्या हुआ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अनेक औद्यागिक देश विकासशील देशों के बारे में क्या सोचते हैं. हम सभी दूसरे देशों में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानते हैं। इस समय तो हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। हम इस बात का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते कि कोई कौन सा कार्य कर रहा है। हम तो केवल इस बात से निर्णय कर सकते हैं कि अन्य देशों में क्या हो रहा है, अन्य देशों में क्या हुआ है।

इस प्रकार की घटनाओं की पुष्टि की गई है। हम में से अनेक को इस प्रकार का पूर्वानु- था और मैंने इसके बारे में दूसरे सदन में बताया था तो मुझे हूट किया गया और जब मैंने यह बात अपने दल की बैठक में कही तो मेरे दल के सदस्यों ने ऐसा किया। तत्पश्चात् एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ और जो कुछ हुआ उसका प्रमाण मिल गया।

अत: हम केवल अपने राजनीतिक अनुभव से शेष विश्व में हो रही घटनाओं से यह अनुमान लगा सकते हैं। हमें समकालीन विश्व शक्तियों के स्वरूप को पहचानना चाहिए। अन्य देशों में विदेशी एजेन्सियों की गतिविधियां अच्छी प्रकार अभिलेखित की गई हैं। हमारे समक्ष यह प्रश्न है : इन विदेशी शक्तियों की भूमिका के प्रति सन्देह व्यक्त कर जिनका हित साधन किया जा रहा है ?

एक माननीय सदस्य : पंजाब के बारे में बताइए।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : पंजाब अब इन सब गतिविधियों का केन्द्र बना हुआ है। मैं अब इन मामलों के बारे में कह रही हूं।

यह गठबंधन इस समय क्यों हुआ है ? जातिवाद और नव सामाज्यवाद के बीच गहरा सम्बन्ध है। भारत थोड़े से लोकतांत्रिक एवं धर्म निरपेक्ष राज्यों में से एक है।

भारत ऐसे थोडे से विकासशील देशों में से है जहाँ आयोजना से जिसकी विश्व के कतिपय भागों में निन्दा की गई थी। एक मजबूत स्वतन्त्र तथा आत्म निर्भर राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। भारत शान्ति और निःशस्त्रीकरण के आन्दोलन में अग्रणी है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र में वर्तमान समान सम्बन्धों के पुनर्गठन के लिए अपनी स्पष्ट और बुलन्द आवाज उठाता रहा है।

भारत गुट निरपेक्षवाद का प्रतीक हैं और यह इसकी एक शकारात्मक शक्ति हैं। खुले आक्रमण, खुले और गुप्त ढंग से डाले गए दबावों से हमारी स्वतन्त्रता को नष्ट करने के प्रयास असफल हो गए हैं। क्योंकि अपनी परम्पराओं के अनुरूप कांग्रेस स्वतन्त्रोत्तर काल में शक्तिशाली ताकतों के दबाव में नहीं आया है।

अत: भारत को कमजोर बनाने का एक अन्य रास्ता ढूंढ निकाला गया है। पंजाब में हुई घटनाओं का यही सही महत्व है। इसीलिए सीमावर्ती राज्य पंजाब जिसकी अर्थ-व्यवस्था बड़ी ठोस थी, में आन्दोलन हुआ। इसलिए भारत के अन्य भागों में, चाहे उसके कारण विभिन्न प्रकार

के हों, फिर भी इनमें कुछ सम्बन्ध हैं। क्या हम अपने पड़ोसिओं को हथियारों से लेस करने और पंजाब में गड़बड़ी के अद्‌भुत संयोग की अपेक्षा कर सकते हैं? क्या जम्मू और काश्मीर में और त्रिपुरा में तथा पूर्वोत्तर सीमा में पृथकतावादी शक्तियों के पुन: उठने के संयोग की उपेक्षा कर सकते हैं? वास्तव में न केवल त्रिपुरा में, बल्कि समूचे पूर्वोतर में यह समस्या बनी हुई है।

जैसाकि मैंने कहा है कि कुछ लोग अपनी सरकार के अलावा सभी की नेकनीयती पर विश्वास कर लेते हैं। उनके लिए इन घटनाओं का इन सब के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होगा किंतु उनके अलावा कोई भी देख सकता हैं कि इन घटनाओं से परस्पर समीप का सम्बन्ध है

अब, मुख्य बात यह है कि क्या सेना को स्वर्ण मन्दिर में भेजने की आवश्यकता थी और हम उनकी माँगों को कैसे ले रहे थे? एक नाम का उल्लेख किया गया है और जिसका नाम लिया गया है उसे अब सिखों का नेता माना जा रहा है। मैं इस बात में नहीं जाना चाहती। इस आरोप का उत्तर दे दिया गया है। वहां किसी व्यक्ति और कांग्रेस में किसी प्रकार का कोई सम्बध नहीं था। यदि समाचार पत्र अथवा कुछ लोग यह कहते हैं कि हमारे दो संसद सदस्य उस व्यक्ति के कारण चुनाव जीते थे तो मैं यह कहती हूं कि इस आरोप में किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा। क्या आप चुप रहने का कष्ट करेंगे?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मामले पर कल और आज भी विचार किया गया है और मैं इस पर पुन: कुछ कहने जा रही हूं। किन्तु यह स्पष्ट बता दिया गया है कि जो भी माननीय सदस्य ने कहा हैं सही नहीं है। अकालियों में स्वयं मैं आन्तरिक झगड़े थे। हम जानते हैं कि वे वहां पहले भी थे, वे वार्ता के दौरान भी दिखाई दे रहे थे। और यह भी सम्भव है, मैं इसके बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं, किन्तु मैंने यह सुना है कि उसके कुछ उम्मीदवार उनके अपने चुनावों में कुछ अन्य अकालियों द्वारा हरा दिए गए थे, अत: बदला लेने के लिए उसने इस उम्मीदवार को हराने का निर्णय किया। इसका हमसे कोई सम्बन्ध नहीं है। खैर, प्रश्न मांगों के बारे में है।

(व्यवधान)

श्री के. नीलालोहितसदन नाडार : (खड़े हुए)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बोलना चाहते है तो मैं आपको इसके लिए अवसर दूंगा। यदि आपने ऐसा किया तो आपसे सदन से बाहर चले जाने के लिए कहूंगा। बैठ जाइए। आप वहां मत देखिए।

(व्यवधान)

(5.00 म. प.)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : आपने इन बातों का वास्तविक कारण बता दिया है, आपने इस

**कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

प्रकार के आरोपों और टिप्पणियों का सही कारण बता दिया है।

जहां तक मांगों का सम्बन्ध है, मैंने अपना रवैया और अपने विचार, जो कि सरकार का, रवैया और विचार है, धार्मिक मामलों पर दूसरी बैठक, जिसमें विपक्ष उपस्थित नहीं था स्पष्ट कर दिए थे। जब बैठक समाप्त हुई तो उन्होंने कहा कि वह उनकी वास्तविक मांगे नहीं उस समय तक जिन माँगों का उल्लेख नहीं किया गया था, वे मांगें जल अर क्षेत्रीय थी। अब यहा स्वाभाविक था कि मैंने कहा कि यदि यह मांगे अत्यन्त महत्वपूर्ण थी तो आपको इनके बारे में पहले ही उल्लेख करना चाहिए था।

आज हमने दो ढाई घण्टे तक विचार–विमर्श किया है इससे पहले भी हम शायद दो घन्टे तक बैठे थे। तब मुझे ऐसा सार्वजनिक समारोह में जाना था और मैं वहाँ से चली गई। तब से धार्मिक माँगों को तो पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया और अन्य दो माँगों को सामने लाया गया और इन माँगों के बारे में मेरा पत्र बिलकुल स्पष्ट रहा है। मैंने यह बात बार-बार कही है और मेरे विचार से श्री चव्हाण अथवा जो भी इस बारे में बोले थे, यह कहा था कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसे अब तक दे दिया जाना चाहिए था।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जब तक इसके बदले में हरियाणा को कुछ नही दिया जाता, चंडीगढ़ पंजाब को नहीं दिया जा सकता। इसी कारण समझौता नहीं हो सका और वे हरियाणा के के लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे।

(व्यवधान)

श्री सत्यनारायण चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह सत्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवधान मत डालिए। बैठ जाईए। मुझे इस पर बहुत आपत्ति है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : प्रधान मन्त्री को तथ्य बनाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह व्यवधान डालना है। मैं चाहता हूं कि आप बैठ जाइए। आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह बात नहीं हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कृपया आप बैठ जाईए। जो कुछ भी वे कह रहे हैं मेरी अनुमति के बिना उसका एक भी शब्द कार्यवाही-वृतान्त में शामिल न किया जाए।

(व्यवधान)**

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उन्हे आपस में लड़ने दीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : जब अटल जी बोल रहे थे तो कई बार व्यवधान डाला गया था।

**कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह आधारभूत रूप से गलत बात है जो असंगत की भी है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको समय दिया है। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कहना असंगत होगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना इसका कोई मतलब नही है। मैं इसके बारे में कह रहा हूं। मेरी अनुमति के बिना, ईस का कोई मतलब नहीं है।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, जब अटल जी बोल रहे थे तो क्या उन्होंने व्यवधान डालने के लिए आपकी अनुमति ली थी।

अध्यक्ष महोदय : जब प्रधान मन्त्री बोल रही हैं तो हम व्यवधान डालने चाहते। कृपया इस बात को नोट कर लें।

अध्यक्ष महोदय : यह भी बेमतलब की बात है।

प्रो. मधु दण्डवते : मैं बेमतलब की बात कह सकता हूं किन्तु मैं **

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं यह कह रहा हूं कि आप बेमतलब की बात कह रहे हैं, मैं यह कह रहा हूं कि मेरी अनुमति के बिना व्यवधान बेकार है। आप इस बात को अनावश्यक रूप से अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं ? आप नाहक अपने को इसमें ला रहे हैं :

प्रो० मधु दण्डवते : आपने देखा ही है कि अटल जी के भाषण में कैसे व्यवधान डाला गया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस बारे में भी यही बात कही है इसलिये ही मैं कठोर हो गया था। इसलिये मैंने उस पर भी आपत्ति की थी, केवल इस पर ही आपत्ति नहीं की है।

श्री मती इन्दिरा गान्धी : उन्होंने व्यक्तिगत आरोप किये हैं। मैंने किसी के बिरुद्ध व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाये हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : श्री अटल जी ने किसी के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाये हैं।

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : उन्होने व्यक्तिगत आरोप किये हैं। मैं उनका भाषण सुन रही

** कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

थी । आप कार्यवाही—वृत्तान्त देखिए । मैंने भी सुना है । इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि मैं अपने कार्यालय में बैठी थी । आवाज बिल्कुल वही है और शब्द भी वही है ।

श्री हरिकेश वहादुर (गोरखपुर) : आप अपने कमरे में थीं । इसीलिए आप सुन नहीं सकीं ।

श्री मती इंदिरा गांधी : नहीं, मैंने उनका एक एक शब्द सुना है । अब प्रश्न यह है कि मूल रूप से हमने कहा हैं कि फाजिलका और अबोहर हरियाणा को जाने चाहिये किन्तु एक बार पंजाब कहा कि वे उन्हें वहीं रहने देना चाहता हूं । प्रश्न यह है कि अब हरियाणा को उसके बदले में क्या दिया जाए । पंजाब ने कहा कि हमें उन्हें एक नई राजधानी के लिये धनराशि देनी चाहिये । हमें कोई आपत्ति नहीं है । हमने कहा कि हम इस धनराशि को पंजाब के साथ मिलकर देंगे किन्तु हमने यह महसूस किया और मैं जब भी यह महसूस करती हूं कि हरियाणा की भूमि के रुप में भी कुछ क्षतिपूर्ति होनी चाहिए ।

यह मेरा दृष्टिकोण है, इसका अर्थ हरियाणा को किसी भी प्रकार मिलने वाले दो या तीन गांव नहीं हैं । श्री बागड़ी जी भी ने यही सोचा होगा । उन्हें इस स्थिति की जानकारी है। हरियाणा में भी इसके साथ-साथ आन्दोलन प्रारम्भ करके हम स्थायी हल नहीं ढूंढ सकते । अत: इन दो मामलों में सन्तुलन रखना होगा ।

एक माननीय सदस्य : इसे प्रारम्भ किया गया था ।

श्रीमती इंदिरा गान्धी : यह प्रारम्भ नही किया गया था । जैसे ही यह शुरु हुआ इसे नियन्त्रित कर लिया गया । यह एक दु:खद घटना भी और मुझे अत्यन्त खेद है कि हमारे सिख मित्रों को परेशान किया गया उनकी पगड़ियां उतार ली गई और भी कुछ किया गया । परन्तु जैसे ही हमें घटना का पता चला हमने कड़ी कार्यवाही की और उसके बाद इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई । परन्तु मैं मांग का उल्लेख नहीं कर रही हूं । यदि हमने यह घोषणा की होती कि चन्डीगढ़ पंजाब को मिलेगा और हरियाणा का मामला लटकता रहे तो तब हरियाणा में कठिनाई का सामना करना पड़ता । मैं यही कहने का प्रयास कर रही हूं ।

परन्तु मैं इस समय उन मांगों के बारे में चिन्तित नहीं हूं जिन पर चर्चा की गई है, यह मांग का सम्बन्ध आनन्दपुर साहब प्रस्ताव से है । विपक्ष मुझे यह विश्वास दिलाने में असफल रहा है कि अकाली दल ने इस प्रस्ताव को पूरा कराने की मांग बिल्कुल छोड़ दी है । मुझे बताया गया है कि "वे इस प्रस्ताव को अब नहीं उठाएंगे ।'।

श्री हरिकेश वहादुर (गोरखपुर) : वे इसे क्यों छोड़ दें ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अब वह कह रहे हैं कि "वे इसे क्यों छोड़ दे ?" कृपया इस बात के महत्व को समझिए ।

आनन्दपुर साहब प्रस्ताव क्या है ?

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित आँग्ल भारतीय) : श्री लोंगोवाल ने ऐसा बार-बार कहा है। क्या मैं इसमे स्पष्ट कर सकता हूं ? उन्होंने बार-बार यह कहा है कि आनन्दपुर साहब प्रस्ताव उनकी न्यूनतम माँग है। उन्होंने यह बात बार—बार कही थी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए।

श्री मती इन्दिरा गान्धी : अकालियों से जब भी इस बारे में पूछा गया, उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि उन्होंने आनन्दपुर साहब प्रस्ताव को छोड़ दिया है। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि उन्होंने न्यूनतम शब्द का प्रयोग किया था या नही। इसके अतिरिक्त मैंने जब कुछ बैठकों में में उपस्थित विपक्षी नेताओं से इस प्रस्ताव के बारे में पुछा नो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि इस प्रस्ताव को छोड़ा नहीं गया है, बल्कि इसको स्थगित किया गया है। यह कब तक स्थगित रहेगा वे कुछ नहीं कह सके। यह कब तक स्थगित रहेगा तीन महीने के लिए छ महीने के लिए अथवा एक साल के लिए।

इन परिस्थितियों में मुझे सरकारी तौर हर यह घोषथा करने में कोई तर्क नजर नहीं आता कि सरकार अक लियों की किन मांगों से सहमत है। हमें इसके जवाब में क्या मिल रहा है ? अकाली यह मानने के लिए तैयार नही थे कि स्वर्ण मन्दिर में आतंकवाद था। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि स्वर्ण मन्दिर में हथियार जमा किये गये हैं। वाजपेयी जी ने कहा है कि मैंने उनसे स्वर्ण मन्दिर हथियार होने के बारे में पूछा। मैंने उनसे नहीं पूछा। तत्कालीन गृह मंत्री ने उन्हें लिखा "हमें जानकारी मिली है कि वहां हथियार मौजूद हैं, हमें यह भी जानकारी मिली है कि अमुक-कमरे में अमुक व्यक्ति छिपा है, जिसकी तलाश है, अत: उन्हें सौंप दीजिए ताकि हमें कोई कार्यवाही न करनी पड़े।" इसी कारण हम बार—बार कहते रहे कि हम नहीं चाहते कि पुलिस अन्दर जाए हम किसी भी प्रकार धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। इसीं कारण अन्त में ही सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी।

आनन्दपुर साहब प्रस्ताव के बारे में एक शब्द कहना चाहूंगी। मेरे मित्र श्री सेठी द्वारा संसद में वक्तव्य देने के बाद अकाली अपनी मांगों में परिवर्तन करने लगे। उत्तर मे श्री लोंगोवाल ने जोर देकर यह कहा कि अकालियों ने किसी भी समय आनन्दपुर साहव प्रस्ताव नहीं छोड़ा है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप ने इसे इसमें क्यों नहीं सम्मिलित किया ?

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी (बम्बई [illegible]र—पूर्व) : उसे इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए था।

श्रीमती इंदिरा गान्धी : 1978 में लुधियाना में जनता पार्टी के तेताओं की उपस्थिति में आनन्दपुर साहव प्रस्ताव के समर्थन के अतिरिक्त——

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पत्र किस तारीख का है

श्रीमती इन्दिर गान्धी : पहली मई, 1984 का।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने उसे श्वेत पत्र में सम्मिलित क्यों नहीं किया ?

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : आपने इसे सम्मिलित क्यों नहीं किया ?

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : अत: इसका यह अर्थ हुआ कि उस समय जनता पार्टी ने इसे स्वीकार कर लिया था।

श्री मनीराम बागड़ी : उस समय नेता कौन था ?

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : जिसको भी जनता पार्टी ने भेजा था। इसलिए अकालियों ने कहा कि सरकारिया आयोग को सौंपे गए विचारार्थ ऐसा अकाली दल की मांगों के अनुसार नहीं थे।

इस पर भी बहुत चर्चा हो रही है कि कौन नरम पंथी है और कौन नहीं है—

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप उसका उल्लेख कर रही जो आपके द्वारा प्रकाशित प्रलेख के पृष्ठ 73 पर उल्लिखित है ? अकाली दल की देश की एकता के प्रति वचन बद्धता है।

श्री मती इन्दिरा गान्धी : मैं किसी प्रलेख का उल्लेख नहीं कर रही हूं। मैं श्री लोंगोवाल से प्राप्त पत्र का उल्लेख कर रही हूं।

श्री मनी राम बागड़ी : वहां पर जनता पार्टी का लीडर कौन था ?

श्रीमती इंदिरा गान्धी : मुझे क्या मालूम कि कौन था। किस वक्त कौन जनता पार्टी थी और कौन लोक दल था, किस पार्टी में कौन है, आज-कल की राजनीतिक मैं यह तो पता ही ही नहीं चलता है।

श्री मनीराम बागड़ी : मैंने पूछा है कि आनन्दपुर साहब प्रस्ताव के पास होने के वक्त वहां पर जनता पार्टी का लीडर कौन था।

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : जो भी होगा, यह वहां की जनता पार्टी को मालूम होगा।

श्री मनीराम बागड़ी : आप बता दीजिए।

श्रीमती इंदिरा गान्धी : मुझे नहीं मालूम है ?

मुझे बताया गया है कि जुलाई, 1981 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष श्री तोरा और अकालतख्त के मुख्यमंत्री श्री गुरदयाल सिंह अजनोहा इंग्लैण्ड और अमरीका के दौरे पर गए थे। हमारे पास यह मानने का कारण है कि वे वहाँ पृथकतावाद के समर्थकों से मिले थे। मैं इनका नाम नहीं लेना चाहती हूं। आपको इस आन्दोलन से जुड़े विशिष्ट व्यक्तियों के नामों का पता है। तलवंडी ग्रुप की ओर से उसके महासचिव और बादल मंत्रिमंडल के एक भूतपूर्व मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ को सिखों को एक राष्ट्र के रूप में सह सदस्यता दिलाने हेतु

एक प्रार्थना-पत्र भेजा था। जहाँ तक हमारी जानकारी है यह प्रार्थना-पत्र इन देशों के दौरों के समय ही दिया गया था।

हम जानते हैं कि अकाल तख्त और स्वर्ण मन्दिर का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था। और हम यह भी जानते हैं कि प्रारम्भ में इसके लिए कैसे मना किया गया सैनिक कार्यवाही के शीघ्र बाद जब मैंने किसी व्यक्ति को स्वर्ण मन्दिर भेजा तो वहां के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कहा कि वह अकाल तख्त का प्रभारी अधिकारी है परन्तु लगभग चार महीनों से उसे वहां नहीं जाने दिया गया है। वहपरिसर में तो था परन्तु उसे अन्दर जाने की अनुमति नहीं थी।

हमें सिखों की भावनाओं का पता चला है मैं जब अमृतसर गई तो मैंने उन लोगों के साथ जो मेरे साथ शहर में गए थे, तथा कुछ अधिकारियों के साथ जानकारी लेने हेतु विचार-विमर्श किया और मैं बहुत से सिखों और हिन्दुओं से मिली। एक टैक्सी चालक ने कहा "आप लोग अनुमान नहीं लगा कि हम कैसे समय से गुजरे हैं। मैं एक सिख हूं। मैं एक जाट सिख हूं। मैं मूलत: राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। मेरा किसी भी राजनैतिक दल से सबध नहीं है। परन्तु सुबह जब मैं घर से चलता था तो मेरे परिवार को पता नहीं होता था कि मैं शाम को वापिस आऊंगा तो नहीं। यदि दरवाजे के पास शोर होता था तो हम दरवाजा खोलने का साहस नहीं करते थे" सैनिक कार्यवाही से पहले यह वातावरण था। अमृतसर से आप दूर जाएं तो आपको वातावरण बदला हुआ मिलेगा क्योंकि वे लोग नहीं जानते कि वहां क्या हो रहा हैं। ऐसी स्थिति थी। आप पूछते हैं। क्या सरकार असफल रही?" ठीक है कुछ एक सीमा तक असफल रही। परन्तु वास्तविक स्थिति क्या थी? क्योंकि हमारे पुलिस बल में अधिकांशत: राज्य के बड़े समुदाय के व्यक्ति होते हैं। इससे उनके लिए और भी कठिन हो जाता हैं।

यह आवश्यक नहीं हैं कि वे उनसे सहमत हों परन्तु उन पर दबाव डाला जाता और न केवल उन्हे बल्कि उनके परिवारों को जान से मारने की धमकी दी जाती। आतंकवादियों का पता लगाने में जिस किसी ने सहायता की अथवा जानकारी दी उसे मार दिया गया। उसके परिवार को धमकी दी गई तथा उसके परिवार के व्यक्तियों को मारा गया। संसद का सत्र आरम्भ होने से दो दिन पहले दो सिख महिलाएं मुझसे मिलने आई। उन्होंने कहा हम यहां एक लम्बे अर्से से हैं। हम आप से मिलना चाहती थी परन्तु हमें अनुमति नहीं दी गई। मैंने पूछा क्या आपने किसी से सम्पर्क किया? हम यही जानती किससे सम्पर्क करना था। अन्त में उन्होंने टेलीफोन करने की सोची। उन्होने शाम के समय टेलीफोन किया। अगली सुबह ही उन्हे मिलने का समय दे दिया गया।

उनमें से एक ने कहा वह स्वर्ण मन्दित के समीप रहती थी। उसके तीन बेटे उसके सामने मार दिए गए। उसने कहा मैं वृद्धा हूं। मुझें तीन बहुओं की देखभाल करनी है। मुझे पोते-पोतियों की देखभाल करनी है। मुझमें वापस जाने का साहस नहीं है। मैं अमृतसर वापस नही जाना चाहती। मैं वहीं पैदा हुई हूं और वहीं पली हूं, मैं देश के अन्य किसी भाग से वाकिफ नही हूं परन्तु मैं अमृतसर वापिस नहीं जाना चाहती।

कृपया मुझे दिल्ली में या अन्य किसी स्थान पर रहने के लिए स्थान दीजिए। वहाँ ऐसी घटनाएं हो रही थी। इस प्रकार वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जबकि हमारे पूर्ण प्रयासों के बावजूद पुलिस प्रभावशाली नहीं रही। और यह केवल पंजाब में नही हुआ। हम ने असम में ऐसा होते देखा हैं।

मैंने कुछ दिन पहले भाषायी दंगो का उल्लेख किया था। मैं उस समय सरकार में नहीं थी परन्तु मुझे अपनी पार्टी की ओर से एक समिति के अध्यक्ष के रुप में वही भेजा गया था। वहां हिन्दू-मुस्लिम का झगड़ा नहीं था। यह झगड़ा असमी बोलने वाले हिन्दुओं और मुस्लिमो तथा बंगला बोलने वाले हिन्दुओं और मुस्लिमो के बीच था। हमने क्या देखा ? उन जिलो में जहाँ अधिकारी सिख थे अथवा जहां वे दक्षिण भारत से आए थे। वहां कोई समस्या नहीं थी। परन्तु जहां वे इन दो समुदायों के थे वे इतने आतंकित थे कि काम नहीं कर सके। यदि कोई बंगाली एक अन्य बंगाली के न्याय सम्मत मामले को सही करार देता तो वे कहते नहीं; वह बंगाली है, इसलिए वह उसका समर्थन कर रहा है। और मैं यह भी स्वीकार करती हूं कि यहाँ तक कि वह बंगाली जो मेरे साथ गए थे और जिन्हे मैं संकीर्ण विचारधारा का नहीं समझती थी यह सोचता था कि असमी पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार का वातावरण अत्यन्त भयानक है। हमें इसके विरुद्ध एक जुट होकर लड़ना होगा।

सरकार अकेली कुछ नही कर सकती। इसी कारण अल्पसंख्यको ने श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता परिषद में एक मिला जुला बल बनाने का प्रस्ताव रखा। मुझे खेद हैं कि हम अब तक ऐसा बल बनाने में सफल नहीं हुए हैं। जिस किसी राज्य में जो भी अल्प संख्यक हैं उन्हे पुलिस तथा अन्य बलों में सम्मिलित करने के लिए कुछ काम किया गया है परन्तु मैं यह स्वीकार करती हूं कि यह अपर्याप्त हैं। पंजाब में एक प्रकार की स्थिति है तो उत्तर प्रदेश में एक अन्य प्रकार की ओर केरल में एक अन्य प्रकार की।

किन्तु यही कारण है कि लोगों को स्थानीय पुलिस की बजाए केन्द्रीय सुरक्षा दलों में विश्वास है। ऐसी बात नहीं है कि हम हस्तक्षेप करना चाहते हैं, कि हम केन्द्रीय सुरक्षा दल ही भेजना चाहते हैं, किन्तु ऐसी स्थिति बनी है कि उन्ही पर विश्वास होता है जो बाहर हो आते हैं और जिसके परिवारों को धमकी नहीं दी जा सकती है। पंजाब में कुछ लोग कह रहे हैं कि अब सेना हटा दीजिए परन्तु जब सेना चली जायेगी तो क्या होगा? कुछ लोग चाहते हैं कि सेना हटा, दी जाए और वे यह भी मानते हैं कि एक या दो वारदाते हो सकती हैं किंतु मेरे विचार से चव्हाण जी ने बताया है कि-अब ऐसी स्थिति नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वहां पर सेना हमेशा के लिए रहे बेशक यह वहां पर नही रहेगी। जितनी जल्दी हो सके इसे वहां से हट जाना चाहिए परन्तु इस बीच हमें ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि पंजाब के लोग अपने आप को सुरक्षित समझे और न केवल हिन्दू लोग ही ऐसा समझें अपितु बड़ी संख्या में सिख लोग भी ऐसा ही समझें। ये भले ही जनता के सामने ऐसा कुछ कहें या न कहें परन्तु व्यक्तिगत रूप से उन्होंने यह स्वीकार किया है कि यूं कि वे उग्रवाद के विरूद्ध थे, उन्हे अब धमकियां दी जा रही है। कोई भी ऐसा दिन नही होता

जब मेरे पास ऐसे पत्र नहीं आते जिनके साथ इन धमकियों वाले पत्रों की फोटोस्टेट कापियां न लगी हों और पंजाब के लोगों को ऐसे पत्र प्राप्त हो रहे हैं। अत. इन सब बातों को ध्यान में रखना ही होगा। इसमें कोई शक नहीं कि—

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : स्वर्ण मन्दिर से ही हटा दीजिए।

श्री मती इन्दिरा गान्धी : मुख्य क्षेत्र से यह पहले ही बाहर आ चुकी है। यह परिक्रमा के बाहर हैं। अब 'कार सेवा' की एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम प्रत्येक विभिन्न समूह से बातचीत कर रहें हैं। हमे यह सूचना मिली की अकाली, 'अकाल तख्त' की मरम्मत नहीं करना चाहते थे। वे इसे भविष्य के लिए एक स्मारक के रूप में रखना चाहते थे ताकि लोग इसे देख सकें। माननीय सदस्य यह भली प्रकार से समझते हैं कि यदि इसे इसी हालत में रखा गया तो क्या होगा। क्या यह दिन प्रतिदिन कटुता की भावना को नहीं बढ़ाएगा ? यही तो समस्मा है। इसलिए हमने यह सोचा कि यदि एक समूह 'कार सेवा' करने के लिए इच्छुक नहीं है तो कोई दूसरा समूह ऐसा करे। जो समूह इस कार्य को करना चाहता है, उसको ऐसा करना चाहिए। स्पष्ट रूप से मैं यह कहना चाहती हूं कि यदि कोई भी यह कार्य नही करता है तो सरकार को करना चाहिए। परन्तु इसे करना आवश्यक है। उसके बाद यदि अकाली इसे तोड़ना चाहते है, तो यह उनका काम है : किन्तु यदि यह हमारी कार्यवाही के कारण टूटा रहता है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इसकी मरम्मत हो और इसे उसी हालत में छोड़ा जाए परन्तु उस हालत में नहीं जिस हालत में हमने इसे पाया था क्यों कि जब हमने प्रवेश किया था तब यह आतंकवादियों और शस्त्रों से पूरी तरह भरा हुआ था। मेरा तात्पर्य उस भूतकाल से नहीं है—यह एक ऐसी इमारत होनी चाहिए जो उतनी ही सुन्दर, मजबूत और पूर्ण हो जितनी यह आतंकवाद के दिनों से पहले थी। "कार सेवा" को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्न करने का यही एक मात्र उद्देश्य था। मैं सोचती हूं कि जितनी जल्दी यह कार्य पूरा होगा, उतनी ही जल्दी वहां से सेना हट सकेगी।

जब कोई व्यक्ति इस सेवा को करने का साहस करता है और जब धमकियों के होते हुए इसमें बहुत साहस की आवश्यकता होती है तो उस व्यक्ति की सुरक्षा की जानी चाहिए। पहले लोगों को स्वर्ण मन्दिर में जाने की अनुमति दी गई थी। कई हजार लोग मन्दिर में गए। मैं नहीं जानती कि अब वास्तव में स्थिति क्या हैं। परन्तु लोगों के बहुत बड़ी संख्या में वहां जाने में और औरतों का वहां घूमने में खतरा था। ऐसा करने में बहुत बुरी स्थिति कुछ भवन का कार्य नहीं जाता तब तक वही पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए।

तथपि सेना मुख्य क्षेत्रों में अभी भी नही है। वह हरमिन्दर साहिब में नही है, वह परिक्रमा के अन्दर नही है। वह उससे बाहर है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह दर्शन देवरी में है। वह दर्शनी ड्योढ़ी

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : वह वहाँ हो सकती है, मैं नही जानती। वह हो भी सकती है और नहीं भी, मैंने कहा है कि सेना को इस प्रकार से रहना होगा कि यदि कोई समस्या उत्पन्न

होती है तो वह तत्काल स्थिति पर नियंत्रण कर सके और लोगों की जान बचा सके।

जब हम कार सेवा की बात कर रहे थे तो कुछ लोगों ने यह माँग की थी कि सेना को पूर्ण रूप से बाहर निकलना चाहिए और अन्त में उन्होंने सुझाव दिया कि वह द्वार के ऊपर रह सकती हैं। द्वार के ऊपर से वह क्या कर सकती है? वह केवल गोली चला सकती है। यदि उसे कहीं जमीन पर रखा जाए तो वह लोगों को रोक सकती है और कुछ कम कठोर कार्यवाही कर सकती हैं। यही कुछ समस्याएं है। यदि कोई इन समस्याओं को विस्तार से सोचे तो इसमें बहुत समय लगेगा। यह कुछ महत्वपूर्ण बातें है जिनको समझना ही पड़ेगा।

मुझे इस बात की खुशी में कि लोगों ने सेना की भूमिका की, सेना के साहस की, प्रशंसा की है। किन्तु दूसरी सभा के एक माननीय सदस्य ने जो हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है, बहुत अपमान जनक वकतव्य दिया है। मैं जानती हूं कि हमें दूसरी सभा की बात नहीं करनी चाहिए। परन्तु मैं वहाँ पहले ही भाषण दे चुकी हूं और अब मुझे वहाँ उत्तर देने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए, मैं उस सदस्य द्वारा की गई टिप्पणियों पर यह खेद प्रकट करती हूं कि उनकी टिप्पणियों पर यह खेद प्रकट करती हूं कि उनकी टिप्पणियाँ खुशहाली वापस लाने अथवा राष्ट्र हित के अनुकूल नहीं हैं।

पहले लोगों ने पुलिस को बदनाम करने का प्रयत्न किया। मैंने अभी—अभी बताया है कि पुलिस प्रभावी क्यों नही हुई। ऐसा नही है कि वह आतंकित हो गई थी। परन्तु जब दायित्व पूर्ण पदों पर आसीन व्यक्ति प्राधिकारियों को बदनाम करते हैं तो वे लोगों से साथ ही यह आशा नहीं कर सकते कि वह प्राधिकारियों का कहना माने। ये दो विरोधी रवैये हैं। यदि आप पुलिस की हमेशा ही कड़ी निन्दा करते है तो स्वाभाविक है कि पुलिस ऐसा सोचेगी कि वह भी कुछ क्यों करे। यदि कुछ हो जाता है तो आलोचना या तो पुलिस की होती या फिर अर्ध-सैनिक बल की। ऐसा करने से उनका मनोबल इस प्रकार गिरता हैं जैसे कि उन पर खुला आक्रमण किया गया है यदि उन पुलिस कर्मियों को फिर से बहाल किया, जाता है जिन्हे तोड़ फोड़ अथवा अन्य अनुशासन हीनता के कारण बर्खास्त कर दिया गया है, तो ऐसा करने से उन शेष पुलिस कर्मियों का मनोबल आवश्य गिर जाएगा जो अपनी ड्यूटी पर डटे हैं

यही कुछ कारण हैं जिनके कारण स्थिति और ही जटिल बन गई सेना को एक कठिन कार्य करना था और उसने उसे बहादुरी से किया है। हमने कई बार सेना की प्रशंसा की है हमने न केवल युद्ध के समय उनके कार्य की प्रशंसा की हैं अपितु शान्ति के समय पर उनके कुशल और निःस्वार्थ कार्य की प्रशंसा की हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य सामग्री गिराने अथवा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों कार्य करते हुए हमारे कुछ जवानों की जानें गई हैं अथवा अंगहीन हुए हैं। हम हर समय कोई बहाना बनाकर सेना का प्रयोग अथवा उनके नागरिको के कार्य नहीं करवाना चाहते परन्तु कई ऐसे अवसर होते हैं जब सेना का प्रयोग किए बिना काम नहीं चलता है।

जैसा कि मैंने कहा है पंजाब में स्थिति कोई सामान्य आन्दोलन अथवा सामान्य हिंसा और अपराध की स्थिति से कहीं बढ़ कर थी।

जहां तक उस संत की बात है जो इस समय कार सेवा को मार्ग दर्शन कर रहे हैं और जहां तक ग्रंथियों के प्रति उसके रवैये की बात है, एक ऐसे पत्रकार ने जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वह मेरी सरकार के लिए अथवा व्यक्तिगत रुप से मेरे लिए पक्षपात करेगा अपने समाचार पत्र में लिखा है कि शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के अध्यक्ष ने ग्रंथियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को मानने से इंकार कर दिया था और आतंकवादियों को अकाल तख्त में अड्डा जमने और इसे शस्त्रागार बनाने की अनुमति दी थी। अतः बाबा संतासिंह पर क्यों आरोप लगाया जाए।

कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा है कि हमने कार्यवाही करने में देर क्यों की। ऐसा लगता है चाहे कोई कुछ भी करलें, वह सही नही हो सकता है। हमने यह कार्यवाही करने में केवल इस लिए देश की क्यों कि हम यह कार्यवाही करना ही नही चाहते थे, क्यों कि हम कोई और रास्ता ढूंढना चाहते थे, कुछ इस प्रकार का समझौता जिसमें आतकवादियों को बाहर निकाल फैंकना, शस्त्रागार को विखंण्डित करना और अखण्डता को खतरे में डाल दिया है, को समाप्त करना शामिल हो। क्योंकि हम अन्तिम क्षण तक एक होने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हमने पहले यह कार्यवाही नही की। परन्तु जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये, जब कोई और नहीं रह गया था तो हमें सेना को अन्दर घुसने के लिए कहना पड़ा। मैंने कोई दिन नही चुना। मैं समझती हूं कई बातों पर विचार किया गया था।

एक व्यक्ति के अभिनेता बनने की बात की जा रही है और लोग उसे अन्य अकाली नेतृत्व से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के नेता यह जान लें कि अकाली नेताओं की प्रथम मांगों में से एक मांग भिंडरावाले की रिहाई के लिए थी।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उसे इससे पहले ही रिहा कर दिया गया था। त्रिपक्षीय बैठक में यह बात नहीं की गई थी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह श्वेत पत्र में भी बताया गया है।

(व्यवधान)

श्री मती इंदिरा गांधी : आप लोग सुनते नही हैं और अपनी कहते चले जा रहे है। मैंने यह नहीं कहा जो आप कह रहे हैं। यह श्वेत पत्र में है। यहां पर आप सब श्वेत पत्र की आलोचना कर रहे हैं। आप हमे यह कह रहे हैं कि श्वेत पत्र में यह नहीं हैं और वह नही है। मुझे तो ऐसा लगता हैं कि आपको पता ही नहीं हैं कि इसमें है क्या है।

श्री चन्द्रजीत यादव : हमने इसे देखा है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : तब आप कैसे कहते है कि आपको इसके बारे में पता है ?

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : फिर भी हमने उसे रिहा नहीं किया था बल्कि--उसे न्यायालय द्वारा रिहा किया गया था। किन्तु यह अकालियों की पहली मांग थी।

श्री चन्द्रजीत यादव : हाँ यह मांग तो थी किन्तु इसे त्रिपक्षीय बैठक में नहीं रखा गया था।

प्रो० मधु दंडवते : प्रधान मंत्री महोदया, मंत्री जी के साथ मैं सभी त्रिपक्षीय बैठकों में उपस्थित था परन्तु किसी भी बैठक में अकाली दल के प्रतिनिधि ने भिंडरावाले की रिहाई के बारे में मांग नहीं की थी।

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : उन्होंने ऐसा लिखकर किया था।

श्री चन्द्रजीत यादव : किन्तु सरकार ने उसे पहले ही रिहा कर दिया था।

श्री ऐ. के. सेन (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : न्यायालय ने उसे रिहा किया था।

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : अब इसे श्वेत पत्र में बताया गया है। यही तो मैं आप से कह रही हूं कि आप इसे पढ़ने की परवाह तो करते नहीं फिर भी टिप्पणी जरूर करते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आप से कह रहा हूं कि यह गलत है।

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : विपक्ष के माननीय सदस्य द्वारा यह कहने पर कि भारत में कई राष्ट्र हैं, मैं अत्यन्त खेद प्रकट करती हूं। भारत एक राष्ट्र है। यह एक राष्ट्र था और एक ही राष्ट्र रहेगा।

(व्यवधान)

श्री इंदिरा गांधी जब वे कह रहे थे। तब मैंने सुना।

श्री सी० टी० दंडपाणि : नहीं, नहीं। मैं अपने शब्दों को सही करना चाहता हूं। मैं "कई राष्ट्र" नहीं कहना चाहता था। मेरा तात्पर्य था" एक राष्ट्र कई "राष्ट्रिकताए"।

(व्यवधान)

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : महोदया। यह इस देश में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का राजनीतिक दृष्टिकोण हो सकता है। आपको क्या आपत्ति हो सकती है? इन बातों के बावजूद राजनीतिक पार्टियाँ दावे के साथ कहती हैं कि यह एक देश रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : यही तो उन्होंने कहा था।

श्रीमती इंदिरा गान्धी : यही तो मैं कह रही हूं।

श्री सुनील मैत्रा : परन्तु किसी के यह कहने पर कि भारत कई राष्ट्रिकताओं का देश है,

आप कैसे आपत्ति कर सकती हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : राष्ट्रिकता शब्द के बहुत से अर्थ हो सकते है परन्तु मेरे विचार से इस शब्द को प्रयोग करने में खतरा है ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : भारत एक राष्ट्र, एक देश है ।

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : बागड़ी जी धन्यवाद ।

श्री अटल विहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : सोवियत रूस में, और कहीं पर भी आपने यह कहा था कि हिन्दुस्तान में कई नेसनेलिटीज हैं और उस पर हमने ओब्जेक्शन किया था ।

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : नहीं, नहीं । कभी नहीं, कभी नहीं । मैंने 'समुदाय' शब्द का बिल्कुल नहीं ।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : संभवत प्रधान मंत्री जी ने मुझे उद्धृत किया हैं ।

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : ठीक है । परन्तु यह सच हैं कि कुछ साम्यवादी देशों में वे 'राष्ट्रिकता' शब्द का प्रयोग करते हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : इसी कारण आपने इसका प्रयोग किया है ?

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : मैंने इसका प्रयोग कभी नहीं किया । मैं इससे सहमत नही हूं मुझे यह बिल्कुल स्पष्ट करने दीजिए । परन्तु अकाली नेतृत्व 'कौम' शब्द का प्रयोग राष्ट्रिकता के रूप में कर रहा था । मैं इसका स्पष्टीकरण दे चुकी हूं । मैंने 'कौम' शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि हम इसका अर्थ हमेशा समुदाय से लेते हैं । भारत में विभिन्न राष्ट्रिकतायें होने का प्रश्न ही नहीं उठता । हमारा राष्ट्र एक, हम सब भारत के नागरिक है और मैं राष्ट्रिकता का अर्थ भिन्न नागरिकता समझती हूं । मुझे शब्दकोष के अर्थ की चिन्ता नहीं है ।

(व्यवधान)

यह गलत हो सकता है . आप उसका उल्लेख कहीं···

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, इन्हें गलत पढ़ाया गया है । 'राष्ट्रिकता' और 'समुदाय' दो भिन्न बातें हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उस समय आप इतने छोटे थे कि हम पढ़ा नहीं सकते थे ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : 'राष्ट्रिकता' और 'नागरिकता' दो भिन्न शब्द हैं ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : एक विदेशी राष्ट्रिक नागरिक कैसे बन सकता है ?

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : क्यों नहीं ? आप भारतीय 'राष्ट्रिकता' लेते हैं । बाद में आप भारत राष्ट्र के अंग बन जाते हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह भारतीय नागरिक बन जाता है, वह भारतीय राष्ट्रिक नहीं बनता।

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : वह भारतीय राष्ट्रिक भी बनता जाता है।

(व्यवधान)

हमें यहाँ भावनाओं के वशीभूत नहीं होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मनी राम बागड़ी : जिस किसी ने भी भारतीयता अख्तियार कर ली है वह भारत की कौमियत में शामिल है।

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : नहीं, मुझे शब्द कोशीय अर्थ से कुछ नहीं लेना हैं। मुझे केवल यह देखना है अंग्रेजी भाषी विश्व में विशेष शब्द से क्या अर्थ लिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ राष्ट्र होता है।

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : मैं स्वयं को एक भाषा तक सीमित कर रही हूं अन्य भाषाओं में नहीं जा रही।

प्रो० मधु दंडवते : यदि आप मार्क्सवादी शब्द को देखेंगी तो और भी कठिनाई हो जाएगी।

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : नहीं, प्रो० दण्डवते जी। मैं स्वयं कह चुकी हूं कि मार्क्सवादी बोलचाल में इसका.....

(व्यवधान)

मेरे विचार में, मैं सभी मुद्दो पर बोल चुकी हूं और मेरे मित्र गृह मंत्री इसे और विस्तार से बताएंगे। परन्तु प्रश्न यह है अब हम क्या करें? और सर्वप्रथम, हमें विभिन्न समुदायों में किसी भी प्रकार की फूट समाप्त करनी चाहिए। हम सबको यह चाहिए और यह सभी दलों और भारत के सभी नागरिकों का यह कर्त्तव्य है कि हम जख्मों को भरें। न केवल हमारे सिख मित्रों को आघात पहुंचा है, बल्कि हम सबको आघात पहुंचा है।

यह कार्रवाई करते समय मुझे स्वयं दुःख हुआ है। आप मेरे मित्रों से पूछ सकते हैं कि, मुझ पर क्या बीती है। संभवतः मेरे जीवन में पहली बार केवल इसी बार हुआ हैं कि मैं सोई नहीं। परन्तु मैं महसूस करती हूं कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक था और हमें आज यह देखना है कि जो खाई पैदा हुई है उसे कैसे भरा जाए और दो विभिन्न समुदायों में जो दूरी हुई है, उसे कैसे पूरा किया जाए। यह हमारा सर्वप्रथम कर्त्तव्य है।

हम हर प्रकार की साम्दायिकता से लड़ना है क्योंकि हमारी एकता के लिए यह सर्वाधिक खतरनाक हैं।

अलग विवाद की आवाज कहां से उठी । यह आवाज अत्यन्त दूर से समृद्ध लोगों ने उठाई कुछ अन्य देशों की नागरिकता चाहते थे । कुछ यह महसूस करते थे कि इससे उन्हें लाभ होगा वास्तव में इनमें से अधिकांश अन्य देशों के नागरिक हैं । यह आवाज वहां से उठी । इसके लिए अन्य लोगों ने दबाव डाला यह सुझाव दिए, यह मैं नहीं जानती । परन्तु देश के बाहर इस समय यह एक शक्तिशाली नारा है । अत: हमें इस चुनौती का एक राष्ट्र के रूप में एक होकर सामना करना चाहिए । हमें इसमें दलगत राजनीति नहीं लानी चाहिए ।

कुछ लोग स्वयं को अलग—अलग अनुभव कर रहे हैं । कुछ कारणों से सिख स्वयं को अलग—अलग अनुभव कर रहे हैं । अन्य लोग धर्म के कारण नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति के कारण अलग—अलग महसूस कर रहे हैं । अलग-अलग महसूस करने के कई कारण हो सकते हैं । इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि कुछ लोग अचानक धनवान हो जाते हैं । वे उन स्थानों से और उन परिवारों से अलग—अलग हो जाते है जिनसे उनका संबध रहा है । विभिन्न प्रकार की पृथकता है ।

हमारा प्रयास देश में सन्तुलन बनाए रखना है ताकि हम अपने कार्यक्रमों को आगे चला सकें और समाजवादी विकास के स्वीकृत मार्ग पर दृढ़ता से अग्रसर होने के लिए अपनी एकता को न केवल सुदृढ़ कर सके । हमें अपने राष्ट्रीय संघर्ष की परम्परा को पुनरूज्जीवित करना है हम सम्पूर्ण राष्ट्र को साथ लेकर चलना है । इसके लिए हमें सामूहिक आन्दोलन चलाना होगा एक ऐसा आन्दोलन चलाना होगा जिससे एकता पैदा हो जैसा कि मेरे पिता ने स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान और उसके बाद कहा था 'स्वतन्त्रता खतरे में है, अपनी पूर्ण शक्ति के साथ इसकी रक्षा कीजिए ।" आज हमें राष्ट्रीय संघर्ष की इस परम्परा को पुनरुज्जीवित करने के लिए तथा समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित एक नए समाज का स्वप्न पूरा करने के लिए इसकी आवश्यकता है ।

हम धर्म निरपेक्षता की लड़ाई, एकता की लड़ाई शब्दों से नहीं लड़ सकते । यह सम्पूर्ण राष्ट्र के लोगों के दिल और दिमाग में होना आवश्यक है । यह हम प्राप्त नहीं कर सकें हैं । छोटी सी उत्तेजना पर ही हमें साम्प्रदायिक समस्या अथवा वर्ग संघर्ष की समस्या का सामना करना पड़ता है । हमें शिकायतों के कारण भी दूर करने होंगे परन्तु एक सुदृढ़ और संगठित भारत के निर्माण के महान कार्य के लिए हमें अपने संकीर्ण दृष्टिकोण और क्षणिक लाभों को छोड़ना होगा और उस भविष्य पर नजर रखनी होगी ओर देश की स्वतंत्रता और रक्षा के लिए कष्ट उठाने वाले और जीवन न्यौछावर करने वाले व्यक्तियों की कुर्बानियों के अनुरूप हो ।

धन्यवाद :

श्री मनीराम वागड़ी : भाखड़ा नहर जो दो बार काटी गई है, उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा ।

श्री मती इन्दिरा गान्धी : उसका हमें बेहद दुख है । मैं हर वक्त हरयाणा गवर्नमैंट के संग और इंजीनियर्स के टच में हूं और पता कर रही हूं कि क्या हाल है और किस प्रकार से वहां

की मदद कर सकते हैं।

जिन लोगों की जानें गई हैं, पहले भी उनके लिए हम शोक यहां व्यक्त कर चुके हैं' बाहर भी कर चुके हैं।

लोग कहते हैं कि फौज को हटा लो, खाली गोल्डन टैंपल में जो हुआ, उससे खतरा नहीं गया हैं। खतरा अभी है। इसका सामना करना हैं। किस तरह से करना है यह हम सब लोगों को मिल कर तय करना है।

अध्यक्ष महोदय : श्री नाडार।

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार (त्रिवेद्रम) : अध्यक्ष महोदय, वाद विवाद के बीच में प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया भाषण बहाने बाजी मात्र है। यह इस देश के लोगों को इस के माध्यम से मूर्ख बनाने का जान बूझकर किया गया प्रयास है।

मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पंजाब की घटनाओं के बारे में इस देश के लोगों को लगभग पिछले चार वर्षों से अन्धेरे में रखा गया है क्यों कि सरकारी प्रचार माध्यमों, दूरदर्शन और आकाश वाणी अथवा समाचार पत्रों से समाचारों को सैंसर किया गया है। पंजाब की घटनाओं के बारे में पिछले दो—तीन वर्षों से एक अघोषित प्रेस सेंसर शिप लगी हुई है। अब घोषित प्रेस सेंसरशिप है। यहां तक कि यह श्वेत—पत्र भी सेंसर किया हुआ है.

वास्तव में यह श्वेत-पत्र कांग्रेस (ई) के नेताओं और सरकार के काले कारनामों पर सफेद कवर में छपा एक प्रलेख है। उनकी राय चाहे कुछ भी रही हो, इस सभा के इस ओर के या उस ओर के सदस्यों की राय चाहे कुछ भी रही हो, मेरी यह दृढ़ राय है कि एक ऐसी लोकतान्त्रिक सरकार को, जो कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सेना का प्रयोग करती है, सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

यह चाहे श्वेत-पत्र हो माननीय प्रधान मंत्री का अभी का भाषण हो, यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि भारत सरकार कांग्रेस (ई) दल और पंजाब में उनकी सरकार इस देश का प्रशासन चलाने में बिल्कुल असफल रही है।

कल से मैं उग्रवादियों और आतंकवादियों की निन्दा करने वाले भाषणों को सुन रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इन आतंक बादियों और उग्रवादियों को किसने पैदा किया।

5.42 म०प०

उपाध्यक्ष महोदय (पीठासीन हुए) : 1977 से 1979 के बीच श्रीमती इंदिरा गांधी और कांगेस (ई०) पार्टी ने, 1977 से 1979 के बीच जब वे सत्ता से बाहर थे, इन उग्रवादियों तत्वों आतंकवादी तत्वों को पाला—पोसा। इस देश के लोगों को पता है कि जब कांग्रेस (इ०) पार्टी

सत्ता में नही थी तब उसने इन उग्रवादियों और आतंकवादियो को पाला पोसा ।

महोदय, आपको याद होगा मेरे निकटवर्ती जिले कन्याकुमारी में, जो तमिलनाडु में पड़ता है, उस समय कांग्रेस (इ०) के लोगों ने एक बस में यात्रा करते हुए लोगों को जला दिया था। आपको याद होगा यह कन्याकुमारी जिले में वेनीयाडु में हुआ था ।

उस समय, प्रधान मंत्री के स्वर्गीय पुत्र अन्य कांगेस (इ.) के लोगों के साथ न्यायालयों में जाया करते थे, कागजात फाड़ा करते थे न्यायाधीशों और न्यायिक संस्थाओं को गालियां दिया करते थे ।

यहाँ तक कि कांग्रेस (इ.) के लोगों ने उस समय एक हवाई जहाज का अपहरण भी कर लिया था । हवाई जहाज का अपहरण करने वाले व्यक्ति को 1980 में श्रीमती गांधी के सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश में एम. एल. ए. की टिकट दी गई ।

पंजाब के भिंडरवाले उग्रवादी तत्व भी उसी उग्रवादी तत्व का एक अंग था जो उस समय पैदा किया जब वे सत्ता में नहीं थे ।

जैसा कि सभा में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि श्री भिंडरवाले ने कांग्रेस (इ.) से प्रोत्साहन मिलने पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के चुनावों में अकाली दल के विरुद्ध अपने उम्मीदवार खडे किए थे । उन्होने 1980 के चुनावों में निश्चय ही कांग्रेस (इ) के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था ।

आपको याद होगा कि श्री पी. एस. भिंडर को दिल्ली से पंजाब पुलिस के मुखिया के रुप में भेजा गया था । उन्हें क्या काम किया गया ? क्या श्री भिन्डरवाले के साथ वार्ता करने का काम सौंपा गया था ? नहीं । वास्तव में इसका कारण यह था कि श्री भिन्डरावाले श्रीमती भिन्डर के संसदीय चुनाव में उनके चुनाव एजेंट थे ।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : वह यहां है, वह नहीं कर रहीं हैं । आप ठीक कह रहे है ।

श्री ए. नीलालोहित दसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : वास्तव में: उस समय अकाली दल, सत्तारुढ़ दल के सभी सदस्यों तथा विपक्ष के भी कुछ सदस्यों ने उनका समर्थन किया था । इस समय सदन में अकाली दल का एक भी सदस्य नहीं है ।

मैं इस सदस्य को उस स्वतंत्रता संग्राम का स्मरण कराना चाहता हूं जब पंजाब के उस समय के तथाकथित कांग्रेस नेताओं में केवल कुछ व्यापारी और उच्च वर्ग के लोग थे ।

लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब के कृषक वर्ग को सहयोग हासिल करने में अकाली दल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई ।

इसी भाँति जब इन गतिविधियों में अकाली दल की भूमिका के बारे में आरोप लगाए थे

तो अकाली दल के अध्यक्ष.....

(व्यवधान)

सरकार से कहिए कि वह पंजाब की सभी घटनाओं की जांच कराये। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछ रहा हूं कि आपने पंजाब की घटनाओं के बारे में जांच क्यों नहीं कराई ?

आखिरकार ? पंजाब समस्या है ? क्या जैसा कि हम सब जानते है कि 1966 में अविभाजित पंजाब से हरियाणा बनाया गया था। लेकिन हरियाणा और पंजाब दोनो की राजधानी चंडीगढ़ बनाई गई है। यह कुछ अभूतपूर्व बात है।

जैसा कि आप सब जानते होंगें, जब हमारे पुराने मद्रास प्रान्त का विभाजन किया गया था, तो आन्ध्र प्रदेश बनाया गया और उस समय किसी ने नहीं कहा कि मद्रास तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी होगा।

इसी भाँति जब अविभाजित बम्बई प्रान्त को महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा गया था, किसी ने नहीं कहा था कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की राजधानी बम्बई होगी।

श्री रतनसिंह राजदा : ऐसा इसलिए था कि वे इसके सहमत नहीं हुए !

श्री नीलालोहितदसन नाडार : 1966 में श्रीमती गांधी ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब तथा हरियाणा दोनों की राजधानी होगी। वह 1966 से 1977 तक अर्थात 11 वर्ष सत्ता में रही। वह असफल हुई। उस समय, 1975 से 1977 तक आपात्तकाल के दौरान उनके पास असीमित शक्तियाँ थीं। वह पंजाब तथा हरियाणा की राजधानी के प्रश्न का हल करने में असफल रहीं।

वह पंजाब और हरियाणा के बीच नदी जल विवाद का समाधान करने में भी असफल रही है। वह पंजाब तथा हरियाणा के बीच क्षेत्रीय विवाद का समाधान करने में भी असफल रहीं। वह 1980 में पुन: सत्ता में आई और वचन दिया कि उनकी सरकार काम करने वालों में से है और पिछले 4 1/2 वर्षों में वे इन समस्याओं का समाधान करने में असफल रही हैं। यहां तक कि सैनिक कार्यवाही के बाद में इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई है।

जब उग्रवादी स्थिति पर हावी हो रहे थे, तो हमारे नेता श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने 30 जून, 1983 को दिल्ली में विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई जिनमें अकाली दलों की एक बैठक बुलाई जिनमें अकाली दल भी शामिल था और उन्होंने स्पष्ट सुझाव सामने रखे थे कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए तथा हरियाणा की नई राजधानी बनाने के लिए उसे पैसा दिया जाए, अन्तर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम के अनुसार नदी जल विवाद का मामला उच्चतम न्यायालय को सौंपा जाये। ये सभी सुझाव लिखित रूप में प्रधान मंत्री को दिए गए थे। लेकिन उन्होंने इन्हें स्वीकार नहीं किया, उन्होंने आवश्यकतानुसार कार्यवाही नहीं की। उन्होंने केवल यह कहा 'विपक्ष कठिनाइयां उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा है, वे इन समस्याओं के समाधान मे बाधाएं डाल रहे हैं। इस देश की अखडता तथा एकता बनाए रखने के संबंध में भावनाएं व्यक्त की गई। इस देश की अखंडता और एकता हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी स्वामी इन्द्रवेश, ने कल कहा कि वर्तमान प्रधान मन्त्री ने, 1966 में प्रधान

मन्त्री बनने के बाद, इस देश की अखंडता और एकता को सपष्ट करने के लिए बहुत योगदान दिया है । उनके काम करने के तरीके, ये जिसके अन्तर्गत वह हर छः या चार महीने बाद डालिये, लिपिक या जिला कलक्टर की भांति राज्य के मुख्य मन्त्रियों को बदलती रही हैं उससे राज्यों के उस राष्ट्रीय नेतृत्व को नष्ट कर दिया जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासन में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बना था ।

वह राज्यों के राष्ट्रीय नेतृत्व को नष्ट करने की उत्तरदायी है। विघटित और प्रथकतावादी प्रवृत्तियों बढ़ावा मिलने का वह एक मुख्य कारण था। मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। कुछ वर्षों के बाद शायद इतिहासकार इस बारे में लिखेंगे और यह ठीक भी है, कि सैनिक कार्यवाही समेत पंजाब में जो भी घटना घटी वह सब वर्तमान प्रधान मन्त्री के निदेश से खेले गये राजनैतिक नाटक के भाग के अलावा कुछ भी नहीं था । आतंकवादियों अथवा सैनिक कार्यवाही के अधीन, जवानों की मृत्यु सहित जितनी हत्यायें हुई है, यदि उनके मामलें दर्ज किये जायें और यदि उन मामलों की जांच पड़ताल भली भांति की जाये, तो इन मामलों में प्रथम अपराधी प्रधान मन्त्री पाई जायेंगी । उन्हें सत्तारूढ़ रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह श्वेत पत्र इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वह रही है और उनका दल असफल रहा है । इस देश का शासन करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है । उन्हें चाहिए कि वे त्याग—पत्र दे दें और चले जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चिरंजीलाल शर्मा । माननीय सदस्यों हमें यह चर्चा आज ही पूरी करनी है···

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : आज नहीं । कल भी जारी रह सकती है । सदन 6 बजे स्थगित हो जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : कल हमने शाम 4 बजे तक चर्चा की थी । आप हमारे पास कोई भी विधायी कार्य नहीं था और हमने चर्चा जल्दी शुरू कर दीं । हमें यह आपको ही पूरी करनी है ।

श्री हरिकेश बहादुर : जी नहीं महोदय, यह कल भी जारी रह सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे आगे नहीं ले जा सकते । यह समझौता कार्य-मंत्रणा समिति में हुआ था ।

श्री रामविलास पासवान : प्रधान मन्त्री के बाद होम मिनिस्टरर क्या बोलेंगे ? हमको कल के लिये एडजर्न कीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे आज ही समाप्त होना चाहिये ।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : अगर आवश्यकता हुई तो मैं कल आधीरात तक बैठने को तैयार हूं । मैं आपके हाथों में हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे स्थगित करने का कोई प्रश्न नहीं हैं । मन्त्री जो इन्तजार करने के लिये तैयार हैं । आप सभी को अवसर दिया जायेगा । किसी को भी बोलने से वंचित नहीं रखा

जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मैंने कहा, मैं आपके हाथों में हूं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : हम सभी आपके हाथों में हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आज हमारे पास कोई विधायी कार्य नहीं था इसलिये हमें इसे आज ही समाप्त करना चाहिये । हम इसे स्थगित नहीं कर सकते । मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं ।

श्री हरिकेश बहादुर : यह एक महत्वपूर्ण वाद—विवाद है । हम सभी भाग लेना चाहेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अधिक समय न लें; प्रत्येक 7 अथवा 10 मिनट से अधिक समय न लगायें ।

श्री चिरंजीलाल शर्मा (करनाल) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपोजिशन के आनरेबल मेम्बर्स को मुखातिब करता हूं एक शेर से—

"हकीकत आशना हूं, वाकये इसरारे हस्ती हू ,
समझता हूं, मगर दुनिया को समझाना नहीं आता ।"

इस सदन में व्हाइट पेपर पर 2 दिन से बहस चल रही है । हिन्दुस्तान की आजादी की कीमत पंजाब और बंगाल ने अदा की । जब पंजाब से लाखों की तादाद में हिन्दू और सिख लुट-पिटकर अपने वतन से बे-वतन हो कर आए, बेसरोसमानी की हालत में आए, तो खुशी इस बात की है कि यहां आकर उन्होंने एक शानदार जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया ।

5 दरियाओं का पंजाब था, लेकिन अपने भविष्य को उज्वव बनाया और आज पंजाब की हिन्दुस्तान के नक्शे में जो पोजीशन है, वह सबसे ज्यादा अनाज केन्द्र के भंडार में देता है ।

37 साल आजादी प्राप्त किए हुए हो गए । 33, 34, 35 साल तक पंजाब में कोई खास गड़बड़ नहीं हुई । बंटवारे हुआ करते हैं । बर्मा और रंगून भी किसी वक्त हिन्दुस्तान के हिस्से हुआ करते थे, पाकिस्तान भी हिन्दुस्तान का हिस्सा हुआ करता था । 18 बरस पहले पंजाब बटा, हरियाणा वजूद में आया, हिमाचल बना । जिस वक्त बटवारे हुआ करते हैं, छोटे-मोटे झगड़े चलते रहते हैं ।

जैसा कि सदन में जिक्र आया, चण्डीगढ़ जो शाह कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से हरि-याणा को दिया गया था, 1970 में मैडम प्राइम मिनिस्टर ने उस शाह-कमीशन की रिपोर्ट को मैंडीफाई करके पंजाब को देने का फैसला किया, क्योंकि सन्त फतहसिंह ने अपने आपको जिन्दा जलाकर मारने की धमकी दी थी और उसके बदले 114 गांव अबोहर, फाजिल्का के हरियाणा को देने थे ।

1976 में रावी-व्यास के पानी का एवार्ड दिया गया। 35 लाख एकड़ मुका फुट पानी हरियाणा को मिलना था, उसके लिए 215 किलोमीटर लम्बी नहर बननी थी। हरियाणा ने अपने हिस्से की 109 किलोमीटर लम्बी नहर हरियाणा में बना दी, बाकी जो 106 किलोमीटर लम्बी नहर पंजाब में बननी थी, उसके लिए साढ़े 25 करोड़ रुपया अब से पहले हरयाणा पंजाब को दे चुका।

मैडम प्राइम मिनिस्टर ने 31 दिसम्बर, 1981 के एग्रीमेंट के हिसाब से 18 फरवरी को उसकी खुदाई की रस्म अदा कर दी, तब उन्होंने नहर रोको आन्दोलन शुरू कर दिया। यह तो एक झूठा वहाना था, इसके पीछे एक मुनज्जम साजिश थी।

व्हाइट पेपर के सफे 110 से 162 तक उनके एक-एम वाके क्रोनीजीकल तफसील दी गई है जो 1981 और 2 जून, 1984 के बीच में हुए। 8 सफों पर तो सिर्फ मार्च 83 तक के वाके हैं और बाकी 45 सफे पर मार्च 83 से 2 जून, 1984 तक के वाके हैं।

6.00 म. प.

13 मार्च को नान-एलाइन्ड मूवमेंट के 103 मुल्कों के सरबराह श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में नई दिल्ली में इकट्ठे हुए थे। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक थर्ड वर्ल्ड-तीसरी दुनिया- खड़ी कर दी, जिसने दुनिया के बड़े-बड़े मुल्कों - अमरीका, यू.के, कनाडा, जर्मनी वगैरह की नींद हराम कर दी। उनके सीनों पर सांप लोटने लगा कि जो हिन्दुस्तानी तीस साल पहले गुलाम था आज उसकी नेता 103 मुल्कों का नेतृत्व कर रही है। तब उन बड़े-बड़े मुल्कों ने हिन्दुस्तान के खामोश समुन्दर में आग लगाने की कोशिश की। सी आई ए ने शरारत करनी शुरू कर दी, हमारे चन्द भाइयों को पैसा देना शुरू कर दिया और अपने साथियों के जरिए हथियार भी सप्लाई करना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने कहा है, गुजश्ता 15 महीनों में जो आग लगी, उसके पीछे एक मुनज्जम साजिश थी।

एनेक्सर 8 में भिंडरावाले की स्पीचिज के एक्सप्ट्र्स दिए गए हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता।

यहां पर सवाल उठाया गया है कि एक्शन देर से क्यों लिया गया, फौज़ को देर से क्यों भेजा गया। इसका सीधा सा जबाव यह है कि फोड़े का आपरेशन उस वक्त किया जाता है, जब कि वह पक जाए और अगर कच्चे फोड़े पर चीरा दे दिया जाए, तो वह जख्म देर तक हील नहीं होगा। अगर शुरू में ही, इक्का दुक्का वाकिआत के बाद ही वहां पर फौज भेज दी जाती, तो विरोधी दल के भाई कहते हैं कि इन्दिरा गांधी की सरकार अहलियत का नमूना यह है कि वह है कि वह फौज के बगैर रूल नहीं कर सकती। जब कुश्ती खून की होली खेली गई तो वहां पर पैरा मिलिटरी फोर्सिज को भेजा गया। जब एक विरादरी के लोगों को छांट छांट कर गोली का निशाना बनाया जाने लगा और जब्रो इस्तिवबाद और जुल्मो तशद्दद इन्तिहा पर पहुच गए, जब देखा गया कि मुल्क की सिक्युरिटी और एकता के लिए खतरा पैदा हो गया है, तो मजबूरन वहां फौज को भेजना पड़ा।

गुरु के सिखों ने कभी इस तरह के जुल्म नहीं ढाये थे। उन्होंने हमेशा हिन्दुओं की रक्षा की हिन्दू और सिख एक दरख्त की टहनियां और पत्ते हैं। पहले कभी भी हिन्दू-सिख फसाद नहीं हुआ और हिन्दू सिख का मासला पहले कभी नहीं उठा। पंजाब में 52 परसेंट सिख हैं और 48 परसेंट हिन्दू है। वहाँ पर अगर बड़ा भाई सिख है, तो छोटा भाई हिन्दू है। लेकिन भिंडरावाले की शक्ल में जब एक नया लीडर वजूद में आया, तो उसने अपनी लीडर शिप को चमकाने के लिए टेररिज्म का तरीका अख्तियार किया। अगर कली के खिलने से पहले उनको नोच लिया जाय, तो वह फूल नहीं बनेगी। कालेजों के नौजवान स्टुडेंट्स को आल-इंडिया सिख स्टुडेंट्स फेडरेशन का मेम्बर बनाया गया और उनको गुमराह किया गया कि हमारा राज होगा। उनको हथियार दिये गए। कि जा कर तशद्दुद के जरिये बेचैनी पैदा करो, ताकि हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में हिन्दू और सिख का सवाल पैदा हो जाए।

लेकिन उन लोगों का सपना साकार नहीं हुआ। श्रीमती इन्दिरा गाँधी, भारत सरकार, हिन्दुस्तान की राज्य सरकारें और हिन्दुस्तान की जनता बधाई की पात्र है कि कि हिन्दुस्तान में वहां हिन्दू और सिख का सवाल पैदा नहीं हुआ। हालांकि इसके लिए एक मुनज्जम साजिश की गई थी।

प्रोफेसर साहब ने कहा है कि में व्हाइट पेपर हरियाणा का जिक्र नहीं है। मैं कहता हूं कि व्हाइट पेपर पंजाब के बारे में है, उसमें हरियाणा का क्या जिक्र होता। हरियाणा में क्या हुआ था? वहाँ कुछ नहीं हुआ। 15 फरवरी और 19 फरवरी का पानीपत, कैथल और जींन में कुछ नाखुशावर वाकिआत हुए, तूफान-बदतमीजी हुआ।

अगले दिन उस वक्त के होम मिनिस्टर, श्री सेठी, वहां गए। मैं भी वहाँ गया। चीफ मिनिस्टर भी वहां थे। उसी वक्त शूट टु किल का आर्डर दिया गया। कहा गया कि अगर कोई गुरुद्वारे या किसी सिख की तरफ उंगली उठाएगा, तो उसका हाथ काट दिया जाएगा, आंख फोड़ दी जाएगी, गोली मार दी जाएगी। पत्ता तक नहीं हिला हरयाने में। हरयाने में जो ला ऐंड आर्डर रहा है वह एक मिसाल है और इसके बावजूद विरोधी दल के प्रोफेसर साहब कहते हैं कि यह कमी है, यह लूपहोल है, इसके अंदर, हरयाने का इसमें जिक्र क्यों नहीं आया? वह हरयाना जो एक छोटा सा प्रान्त होते हुए भी आज केन्द्र के भंडार में पंजाब को छोड़कर दूसरे नम्बर पर अनाज देता है, जिस हरयाने में कुरुक्षेत्र की वह पवित्र भूमि हैं जहां नेकी की लड़ाई बदी के खिलाफ लड़ी गई, जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वह कोई ऐसी चीज नहीं हुई।

हमारे विरोधी दल के भाई सवाल करते हैं, प्रधानमंत्री महोदया ने बड़ा माकूल जबाब दिया है कि फौज वहाँ से वापस क्यों नहीं बुलाई जाती ' हमारे बी जे पी के नेता अटल विहारी बाजपेई ने कहा था कि अपने ही देशवासियों पर फौज क्यों लगाई जाय?

एक चीज मैं कहता हूं कि :-

जब खरदरे हाथों में होती है हुकूमत की लगाम—

आज वह कहते हैं कि फौज वहाँ क्यों रहे? जबाब देंगे विरोधी दल के भाई और माननीय

अटल विहारी वाजपेई जी इस चीज का कि पंजाब के अंदर 3 लाख स्टूडेंट्स की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। जो इम्तहानात अप्रैल में होने थे वह 23 तारीख से शुरू हुए हैं। और कल 17 उग्रवादियों ने शरारत करने की कोशिश की, उनको गिरफ्तार कर लिया गया वह कामयाब नहीं हुए। वहाँ फौज के साये में इम्तहान कराए जा रहे हैं।

क्या विरोधी दल के भाई इस बात का जबाब देंगे कि भाखरा डैम जो हरयाने की जान है, जहां तमाम इस इलाके में जीरी बोयी जाती है, जहाँ कपास बोयी जाती है, पानी के बिना जहां करोंड़ों रुपये का नुकसान होता है, 5 जून को पहलेवह नहर काट दी थी। 1 करोड़ रुपया लगा उसकी मरम्मत में, महीना डेढ़ महीना नहर बन्द रही। आज हरयाने के जजबात से खिलवाड़ किया जाता है।

हमारे हकूक का जनाजा हमारे कन्धों पर निकाला जाता है। हमें पानी की जरूरत है। हम पानी के लिए तरस रहे हैं. हमारी फसले रो रही हैं और वहां पंजाब के उग्रवादी, वह शरारत पसन्द अनासिर, उन्होंने फिर दोबारा नहर में दरार पैदा कर दी। महीने से ज्यादा अरसा लगेगा उसको रिपेयर कराने में। मैं पूछना चाहता हूं पंजाब की सरकार से कि क्यों नहीं वहां पर ऐसे आर्डर किये जाते कि शूट ऐंड किल ? कोई रेलवे लाइन तोड़ता है, कोई बस को आग लगाता है, कोई नहर काटता हैं, अगर उनको यह बता दिया जाय कि जैसे हरयानें में शूट ऐंड किल के आर्डर दे दिए गए थे वही यहां पर होगा तो फिर देखते हैं कि वहां पर यह कैसे होता है ? इसलिए यह कहना है कि फौज को वापस बुला लिया जाय यह मैं समझता हूं कि हकीकत को वह समझते नहीं है। वह नहीं समझते हैं कि असल पोजीशन क्या है ?

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। गुरुद्वारा ऐक्ट अंग्रेजों के जमाने में बना था 1925 में उस वक्त के हालात के मुताबिक। उसके अन्दर बहुत से लूपहोल्स और लैकुनाज हैं। मेरा सुझाव है कि आज जैसी हालत देश के अन्दर चल रही है उसके मुताबिक गुरुद्वारा ऐक्ट में तरमीम की जाय और गुरुद्वारा ऐक्ट को नये सिरे से बनाया जाय।

आज जो हालात देश में चल रहे है और पंजाब में जो परेशानी पैदा कर रखी हैं उसके बारे में जिक्र करते हुए हमारे एक साथी ने जम्मू और कश्मीर का जिक्र किया था। वाजपेयी साहब ने एतराज उठाया था। मैं उसका जिक्र करना नहीं चाहता। लेकिन अगर मैं जिक्र करुंगा तो कोई गुनाह नहीं करुंगा बल्कि जिक्र न करके अपने फर्ज की अदायगी में कोताही करुंगा। आज जो पंजाब के टेररिट्स पंजाब में दनादन कर रहे थे जिसके लिए फौज भेजनी पड़ी, आप ने देखा कि श्रीनगर से जो हवाई जहाज का अपहरण किया गया जिसे लाहौर उतरने को मजबूर किया गया, क्या उन नौ आदमियों में से दो ने यह बयान नहीं दिया हैं कि हम वहां ट्रेनिंग लेते रहे ? एक नहीं, दो नही, चार नहीं, 17 ट्रेनिंग केन्द्र उन उग्रवादियों के लिए उस जम्मू और कश्मीर की रियासत में लगाए जा रहे थे जिसके लिए पहले मुख्य मंत्री फारूक अब्दूल्ला गल फाड़ फाड़ कर कहते थे :

कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर भारत का हिस्सा है। हर बार यह चीज

कही जाती थी, मैं नहीं समझता, जब कांस्टीट्यूशनली काश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा, है तो क्यों इस तरह की चीज दोहराई जाती थी ? क्या मैं फारूक साहब से पूछ सकता हूं कि दरबार साहब के अन्दर जब उन्होंने उन लोगों के साथ मुलाकात की थी, तो उन्हें सरोपा पेश किया गया था, आह उनके फोटो को देखिए ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्री नगर) : महोदय, वह काश्मीर के बारे में बता रहे थे । यह चर्चा काश्मीर पर नहीं है। इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं होना चाहिये ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत को देखूंगा । श्री शर्मा आप अपना भाषण समाप्त करिये ।

श्री चिरंजीलाल शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी इजाजत से मैं विरोधी दलों को मुखातिब करते हुए एक शेर कहता हूं ?

(व्यवधान)

थोड़ा सबो—तहहम्मुल से काम लें, आप को भी मौका मिलेगा, मैंने पर्सनल एटैक नहीं किया है···चूंकि श्री नगर की फिजा में कान्फ्लेव हुआ था, इसलिये शेर अर्ज कर रहा हूं :—

मैं किसके हाथ में कल फूल दे कर आया था
उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है।
हमीं ने जिन पत्थरों को अता की थी धड़कनें
जब वह बोलने लगे तो हमीं पर बरस पड़े ।

डिप्टी स्पीकर साहब, समझ में नहीं आता. व्हाइट-पेपर की बाबत इतना—कुछ क्यों कहा जा रहा है, कहते हैं कम्पलीट नहीं हैं, इसमें कुछ चीजें छिपाई गई हैं। मैं कहता हूं—

पल भर में सूए-दश्ते-जुनूं चल पड़ा समाज,
न अपने धर्म की शर्म न अपने गुरु की लाज ।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अब दो तीन प्वाइन्टस और टच करना चाहता हूं···।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा था कि मैं 7-या 10 मिनट दूंगा । आप पहले ही 15 मिनट ले चुके हैं। कृपया अब अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए ।

श्री चिरन्जीलाल शर्मा : मैं आप के हुक्म का अहतराम करते हुए एक शेर और अर्ज करना चाहता हूं । यह शेर मैं अपोजीशन को मुखातिब करके कह रहा हूं —

समझते खूब थे हर शातिरे—दौरां की चालों को,
मगर ऐसा नशा आया कि बाजी हार बैठे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय· अब श्री धर्मवीर सिंह । बोलेंगे ।

श्री धर्मबीर सिन्हा (बाढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोलने से पहले मैं एक मुद्दे का स्पष्टीकरण चाहूंगा । महोदय इस समय 6 बजकर 15 मिनट हो चुके हैं और हम सभी थके हुए

हैं। अगर बहस आज समाप्त होंगी तो इसका अर्थ है गृह मन्त्री जी आज ही जवाब देंगे तत्पश्चात मैं अपना भाषण शुरु करूंगा। अगर गृह मन्त्री जी बहस का जवाब कल दे चूंकि इस समय शाम के 6 बजकर 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैं आपसे कल भाषण देने की इजाजत चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वास्तव में गृह मन्त्री जी को आज ही जवाब देना है समझौते के अनुसार सब कुछ आज ही समाप्त होना चाहिए। किन्तु दोनो पक्षों के कुछ सदस्यों ने निवेदन किया है कि गृह मन्त्री जी को जवाब कल देना चाहिये। वास्तव में, गृह मंत्री जी वाद—विवाद का जवाब देने के लिये आज ही तैयार थे, किन्तु आपमें से कुछ लोगों न इच्छा व्यक्त की कि वे इसे कल सुनना पसन्द करेगें।

श्री धर्मवीर सिन्हा : हमारे प्रति पक्षपात मत बरतिए। मैंने इस तरह की कोई इच्छा व्यक्त नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसका फैसला अध्यक्ष पर छोड़ दीजिए। मतलब यह हैं कि आपको बोलने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। वह आपको अवश्य दिया जायेगा। और आप क्या चाहते हैं ? बाकी अध्यक्ष पीठ पर छोड़ दीजिए।

श्री धर्मवीर सिन्हा : मुझे सदन में बोलने का अधिकार है। आप मुझे बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं। शाम के सवा छह बज चुके हैं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलेंगे गृह मन्त्री यहां हैं और वह आपके मुद्दों को नोट कर लेंगे। इस बात को आप अध्यक्ष पीठ पर छोड़ दीजिए कि वह कब उत्तर देंगे। आप क्यों चिन्ता करते हैं ? आप बोलेंगे या नहीं ?

श्री धर्मवीर सिन्हा : हम इस विवाद का आज या कल समापन करने के लाभ-हानियों से परिचित हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि मैं गृह मंत्री को आज ही उत्तर देने के लिए कहूं। आप बोलेंगे या नहीं ?

श्रीचन्द्रजीत यादव : हमें यह अवश्य मालूम होना चाहिए कि हम आज कितने बजे तक बैठेंगे। यदि गृह मंत्री आज उत्तर देंगे तो आप तदनुसार समय तब तक बढ़ा दें जब तक बहस समाप्त नहीं होती। यह हम समझ सकते हैं, लेकिन हम सभी कुछ आपके ऊपर नहीं छोड़ सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मन्त्री जी ने कहा था कि वह आज देर तक बैठेंगे और उत्तर देंगे। लेकिन बाद में वह मेरे पास आए और कहा कि कुछ माननीय सदस्यों के अनुरोध पर वह

कल उत्तर देंगे। यही कारण है कि मैंने श्री सिन्हा से कहा कि हम चर्चा आज पूरी कर लेंगे तथा वह कल उत्तर देंगे···

(व्यवधान)

वह आज उत्तर दें या कल, इससे क्या फर्क पड़ता है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : इससे अवश्य फर्क पड़ता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : सत्ताधारी दल के सभी सदस्यों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं, और मैं अब केवल विपक्षी सदस्यों के ही नाम पुकारूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : हम यह अवश्य जानना चाहेंगे कि बहस आज ही समाप्त हो जाएगी या कल तक चलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक—एक करके पुकारूंगा··· यह न केवल आपकी सुविधानुसार है ···

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : यह तो आपको करना ही पड़ेगा, आप हम सबको एक साथ नहीं पुकार सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : सात घंटे बीत चुके हैं। आप सहयोग क्यों नहीं देते ? कभी—कभी हमें ऐसे भी बैठना पड़ता है।

सिन्हा जी, गृह मन्त्री यहां उपस्थित हैं, वह आपके मुद्दों को नोट कर लेंगे···आप अध्यक्ष पीठ को इस प्रकार बाध्य नहीं कर सकते ?

(व्यवधान)

श्री धर्मबीर सिन्हा : यदि गृह मन्त्री आज उत्तर नहीं देंगे तो कोई भी विपक्षी सदस्य वाद—विवाद में भाग नहीं लेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं आपको एक—एक करके पुकारूंगा। श्री धर्मवीर सिन्हा···श्री कोसलराम।

श्री के०टी० कोसलराम (तिरूचेंडूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा; मैं माननीय गृह तन्त्री को केवल एक या दो सुझाव दूंगा।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी संसद के अधिनियम के अन्तर्गत बनायी गयी एक सांविधिक निकाय है। जब ऐसी सांविधिक निकाय आतंकवादियों, विघटनकारियों, देश विरोधी अपराधियों तथा हत्यारों का प्रवक्ता बन जाए तो गुरुद्वारा अधिनियम में संशोधन करके इस

निकाय को भंग करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए , गृह मन्त्री यहां उपस्थित उन्हें यह बात नोट कर लेनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि गुरुद्वारा अधिनियम में तुरन्त इसी सत्र के दौरान संशोधन किया जाना चाहिए । यह एक खतरनाक अधिनियम है मेरा सुझाव हैं कि सरकार को गुरुद्वारा अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक इसी सत्र में लाना चाहिए तथा शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी को भंग करने के लिए इसे तुरन्त पारित करवाना चाहिए । भारत में किसी भी धार्मिक संगठन को अलगविवाद का प्रचार करने, निर्दोष लोगों की हत्या करने बैंक लूटने तथा मन्दिरों में हथियार तथा गोला बारुद का भंडार करने का अधिकार नहीं है, चाहे यह गुरुद्वारा हो या मन्दिर हो मस्जिद हो या मठ या गिरिजाघर आदि हो। बिना किसी अपवाद के अत्यधिक निवारक कदम अभी से उठाए जाने चाहिए ताकि ऐसा आतंकवाद देश में दोबारा न फैले । मन्दिरों की निधि का राजनैतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग रोकने तथा मन्दिरों, मस्जिदों, मठों आदि के मंचों का राजनीतिक प्रचार के लिए प्रयोग रोकने हेतु एक और कानून पास किया जाना चाहिए ।

मैं विपक्षी दलों से अपील करता हूं कि उन्हें संकीर्ण राजनैतिक उद्देश्यों की अपेक्षा राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोपरि समझना चाहिए । आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं । मुझे आपत्ति नहीं है । विपक्ष सरकार की आलोचना के लिए है, लेकिन आपको संकीर्ण राजनैतिक उद्देश्यों की अपेक्षा देश की सुरक्षा तथा एकता सर्वोपरि रखनी चाहिए ।

हमारी प्रधान मन्त्री की पंजाब में दृढ़ संकल्प कार्यवाही को सारे भारत में तथा विदेशों की सरकारों से समर्थन मिला है । उदाहरण के लिए, तमिलनाडु के हमारे मुख्य मन्त्री ने राज्य में पृथकवादी शक्तियों को सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी है कि उनके साथ उसी सख्ती से सिपटा जाएगा जिससे पंजाब में निपटा गया है । हमारे देश के राज्यों की ऐसी प्रतिक्रिया हुई है ।

मैं इस श्वेत पत्र का जोरदार समर्थन करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह संशोधन विधेयक इसी सत्र में लाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मन्त्री आ गए हैं । वह शाम साढ़े छह बजे एक घोषणा करेंगे ।

श्रीमती सुखबंस कौर (गुरुदासपुर) : मैं यहां बैठी हुई वाद—विवाद सुन रही थी । एक माननीय सदस्य ने जो इस समय यहां मौजूद हैं । मुझ पर व्यक्तिगत रूप से कुछ आरोप लगाए हैं ; मैं उनका खंडन करती हूं । उन्होंने कहा था कि सन्त भिन्डरावाले मेरे चुनाव एजेंट थे और मैंने उनके साथ मंच पर कार्य किया था वास्तव में, यह बिल्कुल गलत है । 21 जून के 'जनसत्ता' अखबार में एक समाचार था । मैंने इसका खंडन किया था और मेरा विचार है कि उन्हें वहां से जानकारी मिली है । मेरे विरूद्ध चुनाव में जो व्यक्ति खड़ा हुआ था, वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री नेगी थे । मैं समझती हूं कि उन्होंने ही यह समाचार दिया था । मेरे विचार में उन्होंने मेरा खंडन बिलकुल नहीं पढ़ा । मैं एक बार फिर कहती हूं कि वह मेरे चुनाव एजेन्ट नहीं थे । मैंने उस व्यक्ति को कभी नहीं देखा । उन्होंने प्रधान मन्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ या मेरे साथ मेरी किसी चुनाव सभा को सम्बधित नहीं किया ।

दूसरे, मैं अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार तथा मुख्य ग्रंथी से अपील करना चाहती हूं कि हमें 'कार सेवा' को राजनैतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। यह सभी के लिए सौभाग्य की बात है। हिन्दू, तथा सिख जो भी 'कार सेवा' करना चाहता हैं, उन सभी के लिए यह सौभाग्य बात है और उन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। मैं उनसे अपील करूंगी कि हमें उस बारे में किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो यह सेवा करना चाहता है, इसकी अनुमति दे देनी चाहिए।

संसदीय, कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटासिंह) : मैं एक अनुरोध करना चाहता था कि चूंकि हमारे दल के वक्ताओं तथा विपक्षी सदस्यों की सूची बहुत लम्बी है, यह ठीक ही होगा कि हम चर्चा कल भी जारी रखें। मैंने माननीय अध्यक्ष से इस बारे में बातचीत की है और उन्होंने भी कहा है कि यदि सदस्य राजी हों तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही तरीका है। यह अच्छा है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : हम कल इसे जारी रख सकते हैं।

श्री बूटासिंह : मैं जानता हूं कि वे इसे तुरन्त स्वीकार कर लेंगे।

श्री पी० बी० नरसिंह राव : मेरी एक कठिनाई है। कल मेरा पूरा दिन राज्य सभा में लग जाएगा। यह पहले से ही नियत हो चुका है। मुझे इस बारे में बता दिया गया है। मैंने इसे इस आशा से स्वीकार कर लिया है कि हम चर्चा आज ही समाप्त करने वाले हैं। यहि आप परसों इस पर चर्चा जारी रखना चाहें तो मैं तैयार हूं। मैं रात्रिक कार्यवाही के लिए भी तैयार हूं।

डा. सुब्रह्मण्य स्वामी : चर्चा कल हो सकती है तथा उत्तर बाद में दिया जा सकता है।

श्री बूटा सिंह : यह विपक्ष और हमारे बीच मतैक्य का विरल अवसर है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे परसों जारी रखेंगे।

6.27 मं०प०

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 26 जुलाई, 1984/4 श्रावण, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक—आर० आर० गुप्ता प्रैस, 472, पं० रामचन्द्र देहलवी मार्ग, दिल्ली-11000-
द्वारा मुद्रित